राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तीसवां दिवस [संख्या : 14

बुधवार,

25 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर की उचित मूल्य की दुकानों के विरुद्ध कार्यवाही

333. **श्री धर्मपाल चौधरी** (मण्डावर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर में कुल कितनी उचित मूल्य की दुकानें सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ?

(2) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में उक्त कितनी दुकानों में अनियमितता पकड़ी गई और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जिला अलवर में 776 उचित मूल्य की दुकानें कार्यरत हैं।

(2) वर्ष 1999-2000 में 207 एवं 2000-2001 में 213 कुल 420 उचित मूल्य के दुकानदारों के विरुद्ध अनियमितता के मामले पकड़े गये, इनमें से 12 प्रकरणों में अनुज्ञा पत्र निरस्त व 193 प्रकरणों में प्रतिभूति राशि जब्त की गई, 10 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 30 प्रकरणों में कार्यवाही ड्राप की गई तथा 53 प्रकरणों में अनुज्ञा-पत्र निलम्बित किये गये। शेष रहे प्रकरणों में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि 1999-2000 में आपने 207 मामले पकड़े, 2000-2001 में 213, कुल 420 मामले पकड़े हैं और इसमें सिर्फ 12 अनुज्ञा पत्र आपने कैंसिल किये, 420 जो उचित मूल्य के दुकानदार हैं, उनमें से कितने अभी अनुज्ञापत्र चल रहे हैं, उनमें से कितनों पर कालाबाजारी के आरोप हैं, क्या पकड़ी गयी जो अनियमितताएं हैं, उसमें विभाग द्वारा उसका कोई क्राइटेरिया है कि आज किस तरह का जुर्म करें उसको क्या सजा मिले ? इसके बारे में बताएं। दूसरा मिट्टी के तेल की जो सप्लाई है वह आपके विभाग द्वारा होती है और जो सैंट्रल गवर्नमेंट से मिट्टी के तेल के दाम बढ़े, उस समय जो तेल उस तारीख में आया, उस तेल को पुरानी रेट पर सप्लाई कराया गया या नई रेट पर, बताने की कृपा करें।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फेयर प्राइस शाप के दुकानों की अलग-अलग तरह से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की जाती है। उन शिकायतों के ऊपर उनकी जांच शुरू की जाती है। जिस प्रकरण में जिस नेचर की शिकायतें आती हैं, अगर मान लीजिए बहुत गम्भीर शिकायत है और सच्चाई की है, 3/7 की है तो ऊपर हम लोग एफ.आई.आर. लॉज करा देते हैं। यदि शिकायत बहुत मामूली, छोटी मोटी है कि 2-3 दिन दुकान खोल ली, एक दिन बंद रखी, तो उसके ऊपर जुर्माना करके दुकान को हम लोग वापस खुलवा देते हैं। कई मामले ऐसे हैं जिनकी जानकारी आने में लम्बा समय लग जाता है उसकी जांच चलती रहती है। लेकिन जो माननीय सदस्य चाह रहे हैं, अगर कोई विशेष बात किसी मामले में कहना चाहते हैं तो उसकी पूरी जब भी वह चाहें उसी आधार पर जांच करवा दूंगा और जो चाहें जिसमें वह संतुष्ट हों, वह कार्यवाही करवा दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि 28.9.2000 को 9 टैंकर भरतपुर से मिट्टी के तेल के चले और थोक विक्रेता जो आपने डिपार्टमेंट के बनाये हुए हैं उनसे मिलकर, अलवर के डी.एस.ओ. ने सारा मिट्टी का तेल उसी दिन बांट दिया। डी.एस.ओ. इतना भ्रष्ट कि जिसका 6 साल की नौकरी में 13 बार तबादला हुआ है, उस आदमी ने 3 रुपये प्रति लीटर तेल फालतू लेकर 28 तारीख में ही सारा मिट्टी का तेल सप्लाई करवा दिया और उपभोक्ता को जो तेल सस्ते दाम पर मिलना चाहिए था वह अगले दिन बढ़े हुए दाम पर मिला। तो क्या आप यहां से किसी को भेजकर उसकी जांच कर उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : बिलकुल, जांच करवा दूंगा। हमारे विभाग के अतिरिक्त फूड कमिशनर साहब को भेजंकर, आप भी वहां रहें, आप बताएं आपके सामने पूरी जांच करवा कर सजा दिलवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : मंत्रीजी, इनमें से अधिकांश प्रकरण इस प्रकार के हैं, एक बात। क्या विभाग उचित मूल्य की दुकानों को एक वाएबल प्रपोजीशन मानता है? क्या बिजनेस के हिसाब से जो मार्जिन आप देते हैं, क्या यह सही है कि विभाग की जानकारी तो यह है कि वाएबल प्रपोजीशन नहीं हैं बिजनेस के हिसाब से, और मजबूरी में हर आदमी को गलत काम करना पड़ता है। अगर ऐसा है तो क्या विभाग इस बिजनेस के अन्दर कुछ दुकानदारों को कोई इंसेंटिव देना चाहता है जिससे कि वह ईमानदारी से काम कर सकें ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फेयर प्राइस शाप का जो कमीशन है वह भारत सरकार निर्धारित करती है हम को माल भी वहीं से ही मिलता है, हम तो वितरण व्यवस्था का काम करते हैं। और

(श्री रामकिशन वर्मा)

उनके हिसाब से अगर वह कहते हैं कि कम है, और यूनियन ने मिलकर मुझे मेमोरेंडम भी दिया है, मैंने मेरी ओर से सिफारिश की है। भारत सरकार को भिजवा दिया है कि अगर आप कमीशन बढ़ाएं तो हमें इनका कमीशन बढ़ाने पर एतराज नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, भारत सरकार तो देती है, वह तो ठीक बात है। आप सब्सिडाइज कर सकते हैं उसको। तो अल्टीमेटली रेस्पोंसिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है। जब आप यह जानते हैं कि यह जो भारत सरकार कमीशन देती है उसके आधार पर ईमानदारी से बिजनेस करना और दुकान चलाना संभव ही नहीं है, और चूंकि यह जिम्मेदारी आपकी ही है कि उचित मूल्य की दुकान इफेक्टिवली काम करे और लोगों को उचित मूल्य के ऊपर सामान उपलब्ध करायें, तो क्या राज्य सरकार कोई विचार रखती है कि अपनी तरफ से कोई अंशदान देकर उनको इंसेंटिव देकर उचित मूल्य की दुकानें ढंग से काम कर सकें इसकी व्यवस्था करें।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी ओर से तो हम यही उनको सुविधा दे सकते हैं कि फेयर प्राइस शाप पर पहले तेल, शक्कर, गेहूं, चावल ही बेचा जाता था, वह चाहें अब अपनी दुकान के खर्चे निकालने के लिए उसमें और भी सामान साथ रख सकते हैं ताकि उनका खर्चा निकल सके, किराया भाड़ा निकल सके और वह लाभ कमा सकें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने यह आर्डर इश्यु कर दिया? यह सर्क्युलर इश्यु कर दिया क्या आपने?

श्री रामकिशन वर्मा : हमने इश्यु करने की कार्यवाही शुरू की है, अब कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो यह तो आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आपने एक सप्लीमेंटरी पूछ लिया। मोहम्मद माहिर आजाद पूछेंगे पहले।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। यह सही है, मंत्रीजी आपकी नीयत भी साफ है और आप भ्रष्टाचार को रोकना भी चाहते हैं लेकिन यह भी वास्तविकता है, अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मूल प्रश्नकर्ता ने भी कहा कि केरोसिन के जो ट्रक के ट्रक आते हैं, जो कोटा होता है वह कोटा पूरा पैट्रोल पम्प वालों को ज्यादा पैसा लेकर दे दिया जाता है मिलावट करने के लिए। कहीं भी आप तय करा लें कि केरोसिन उस रेट पर डीलर्स को नहीं मिलता है, हर जिले में एक-एक, दो-दो जो आपने अपाइंट कर रखे हैं होलसैलर, वह पूरे टैंकर के टैंकर ही ले लेते हैं और वह पैट्रोल पम्प वालों को दे देते हैं, और जनता, खास कर देहात की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

इसलिए मेरा आपसे आसन के माध्यम से निवेदन है कि एक बार आप स्पेशल फ्लाइंग लगा कर और जहां से यह माल उठता है और जिनको होलसैलर को सप्लाई होता है उसको चैक करा लीजिए, खुद स्थिति सामने आ जाएगी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संबंधित ही प्रश्न कर रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि पिछले दो महीने से ही धौलपुर के बाड़ी उपखण्ड में सप्लाई बंद है, इसका क्या कारण है और क्या यह बात सही है कि वहां के डी.एस.ओ. महोदय द्वारा विशेष जाति के लोगों को ही डीलर बनाया गया है? जबकि वहां की जो कमेटी गठित की गयी है उस कमेटी में एफिडेविट भी दिये हैं, सरपंच ने एफिडेविट दिया है कमेटी में यह लिख कर दिया है जिलाधीश महोदय को भी एफिडेविट दिये हैं कि इनको नियुक्त किया जाय जबकि पैसा लेकर दूसरे विशेष जाति के लोगों को डीलर बनाया गया है। 70 परसेंट विशेष जाति के लोगों को वहां डीलर बनाया गया है धौलपुर जिले में।

श्री अध्यक्ष : अलवर का क्वेश्चन है, आप जनरल पूछ रहे हैं। श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वितरण व्यवस्था में राजस्थान में हर गांव में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का बड़ा भारी घोटाला व्याप्त है। वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए या वितरण ठीक ढंग से हो, जो वितरण के लिए सामान आता है उसकी निगरानी ठीक ढंग से रहे इसके लिए आपने कुछ सतर्कता कमेटियां यहां स्थानीय स्तर पर बना रखी हैं। अध्यक्षजी, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो कमेटियों का आपने गठन किया है, क्या राजस्थान भर में जहां-जहां जितनी भी दुकानें हैं उन सब पर क्या गठन कर दिया गया है?

इसके साथ एक प्रश्न और पैदा होता है कि जो सामान आता है, जिस समय जिस दुकान पर वितरण के लिए जो-जो सामान आता है, क्या उस समय उसकी चैकिंग कर ली जाती है और वितरण की जो भी अवधि होती है उस अवधि के बाद में क्या कितना सामान विक्रय कर दिया गया, उपभोक्ताओं को दे दिया गया उसको चैक करने की कोई प्रणाली रखी है?

तीसरा सवाल, सुरेन्द्रजी व्यास के प्रश्न का आपने उत्तर दिया कि जो दुकानें, जो डीलर आलरेडी हैं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री हीरासिंह चौहान : ...दूसरा सामान भी बेच रहा है और उसके साथ वह भी बेचेगा तो इसमें तो भयंकर घपला होने की गुंजाइश है। इसमें न तो कोई चैकिंग होगी, न सामान को बराबर दिया जा सकता है। उपभोक्ता परेशान हैं। माननीय खाद्य

(श्री हीरासिंह चौहान)

मंत्रीजी, आप इस मामले को बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता के साथ देखिये और इससे निपटने की कोशिश कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मानिक चन्दजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या अलवर की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, आपने चयनित परिवारों को गेहूं दो रुपये किलो वाला, क्या आपने वहां वितरण कराने की व्यवस्था कर ली है और इस सम्बन्ध में वहां मौके पर बी. पी. एल. परिवारों को गेहूं वितरण किया जा रहा है पूरे जिले में ?

श्री अध्यक्ष : श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाह रहा हूं कि वर्ष 1999-2000 में 207 केस बनाये। पाली से रायपुर के लिए दो होलसेल डीलर की गाड़ियां चलीं। एक गाड़ी रायपुर पहुंच गयी और दूसरी गाड़ी बीकानेर, नोखा पहुंच गई। और नोखा में उस गाड़ी को पकड़ करके यह बताया कि केरोसिन बराबर मिल गया इसलिए उस गाड़ी का कोई केस नहीं बनाया और रफा दफा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जो गाड़ी ब्लैक के लिए पैट्रोल पम्पों के लिए जाती है वह गाड़ी पूरी की पूरी बिक जाती है। तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया है अब उसमें लम्बी बात क्या है ?

श्री केसाराम चौधरी : यह इसी केस में शामिल है, साहब। 420 केस जो हैं उसमें यह है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री केसाराम चौधरी : इसके लिए मैं पूछना चाह रहा हूं, एक मिनट।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं बिलकुल सत्य है। मेरे विधान सभा हैडक्वार्टर रायपुर पर आने वाली गाड़ी नोखा चली गई। उसके बाद कोई मुकदमा नहीं बना।

श्री केसाराम चौधरी : नोखा में केस बनता है और कहते हैं कि उसमें केरोसिन पूरा पाया गया। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ...और रिपोर्ट यहां से केरोसिन....(व्यवधान) बताया, पूरे केरोसिन का घपला किया जा रहा है, पूरे पाली जिले में घपला किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ....200 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में केरोसिन भेजा जाता है और घपला किया जाता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : किसी भी राशन की दुकान पर केरोसिन नहीं मिलता है और सभी बड़ों-बड़ों को दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-सा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि होलसेल डीलर को केरोसिन रिटेलर डीलर को सप्लाई करने की तारीख अग्रिम तहसील से मालूम पड़नी चाहिए कि होलसेल डीलर छोटे डीलर को केरोसिन किस-किस तारीख को सप्लाई कर रहा है ताकि उस पर चैक लगाया जा सके कि होलसेल डीलर गाड़ी की गाड़ी डायरेक्ट नहीं भेज सके। इसके लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे? जो पाली की गाड़ी नोखा में पकड़ी गयी उसके लिए क्या कार्यवाही की गयी? उसके लिए भी मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हीरासिंहजी का प्रश्न पाली का है, यह अलग से प्रश्न है। ये अलग से पूछेंगे, इसकी जो शिकायत भेजेंगे उसकी जांच करा दूंगा।

श्री केसाराम चौधरी : अलग से कैसे हैं? आपने जो जवाब दिया है 207 मुकदमों का उन 207 में यह भी शामिल है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप आश्वासन तो दे सकते हैं। (व्यवधान) आश्वासन देने से कौन मना करता है आपको? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ....टैंकर के टैंकर ही पैट्रोल पम्पों पर चले जाते हैं इसको आप ठीक करायेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आश्वासन तो दे सकते हैं। आप आश्वासन तो दे सकते हैं कि इसकी सीरियसली जांच कराऊंगा। अलग से सवाल क्या होता है?

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में बोल रहे हैं, वे दूसरा बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में इन्होंने 207 केस बताये हैं। 207 में यह पाली वाला केस भी शामिल है। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : जांच कराऊंगा। आप जिससे कहोगे उससे करा दूंगा। अलग से लिख कर देंगे, आपको भी शामिल करूंगा और आपकी जानकारी के अनुसार ही सारी जांच होगी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : रिटेल डीलर को केरोसिन कब-कब सप्लाई होगा उसकी पारदर्शिता के लिए आप क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : बी.पी.एल. परिवारों को क्या आप अलवर जिले की उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से गेहूं वितरित करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं उसकी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : बिलकुल वितरित करा रहे हैं। अगर कोई आपके पास स्पेशल शिकायत है किसी दुकान के बारे में, किसी क्षेत्र के बारे में तो मुझे आप अलग से भिजवा दें, मैं उसकी भी जांच करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने जनरल सवाल पूछा है कि क्या अलवर जिले में बी.पी.एल. परिवारों को दो किलो गेहूं आप उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वितरण करवा रहे हैं क्या? मैंने यह पूछा है। आपको जानकारी है तो बताइये और जानकारी नहीं है तो कहिये कि जानकारी नहीं है।

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जितनी भी कृषि उपज मण्डियां हैं और जहां पर किसान अपना अनाज बेचने आता है और समर्थन मूल्य की जो दुकानें खुलनी चाहिए थीं वे कहीं भी इन्होंने दुकानें खोली हैं, वे बहुत कम खोल रखी हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय, समर्थन मूल्य की जो दुकानें हैं वे खोली जाएं। (व्यवधान) बस्सी, चाकसू में एक भी दुकान आपकी अभी खुली हुई नहीं है और सारे किसान परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल. का गेहूं राजस्थान भर में ही वितरित नहीं हो रहा है। बीकानेर जिले के एक गांव में भी वितरित नहीं हो रहा है इसलिए मैंने इनसे पूछा कि क्या अलवर जिले में वितरित हो रहा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है। आप अलग से कह देना। आप भिजवा देना। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल वितरित हो रहा है। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि नहीं हो रहा है तो मुझे विशेष रूप से जानकारी भिजवा दें तो उसकी भी जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 अप्रैल, 2001)

सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

90. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में सरकारी, अर्द्ध सरकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान पथ परिवहन निगम व अन्य सरकारी विभागों द्वारा कितने विज्ञापन मुख्य मंत्री व मंत्रिमण्डल के सदस्यों की फोटो के साथ जारी किये गये और उन पर कितनी राशि व्यय की गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क (डा. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में मुख्य मंत्रीजी व मंत्रिमण्डल के सदस्यों की फोटो सहित 175 विज्ञापन जारी किये। इन पर अनुमानतः चार करोड़ बावन लाख सत्ताईस हजार छह सौ छब्बीस रुपये व्यय हुए हैं। विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि स्थगित प्रश्न को आपने लगाया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस प्रश्न का उत्तर समय पर इसलिए नहीं दिया कि इनको सूचना एकत्रित करनी थी और अब जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, उन्होंने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिखा है कि मुख्य मंत्री, मंत्रिमण्डल के सदस्यों की फोटो सहित 175 विज्ञापन जारी किये जिसमें अनुमानतः, मुझे मंत्री महोदय अनुमानतः नहीं, सही-सही फिगर चाहिए कि मितव्ययता की बात कहने वाली सरकार ने अपने खुद के महिमा मण्डन के लिए कितना पैसा खर्च किया।

नम्बर दो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने यह कहा है मुख्य मंत्रीजी और मंत्रिमण्डल के सदस्यों सहित, मुझे कृपया यह बताइये कि मुख्य मंत्रीजी की फोटो सहित जो विज्ञापन प्रकाशित हुए उसमें तो कितना व्यय हुआ और मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के फोटो सहित जो विज्ञापन प्रकाशित हुए उनमें कितना व्यय हुआ?

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जे. डी. ए., आर. एस. आर. टी. सी., विभिन्न विद्युत कम्पनियां, रीको और ऐसे जो अर्द्ध सरकारी विभाग हैं इन्होंने बिना डी. पी. आर के सीधे भी विज्ञापन जारी किये हैं?

मंत्रीजी, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपका डी. पी. आर. एक "सुजस" पत्रिका निकालता है, यह पत्रिका राजस्थान सरकार की मुख्य पत्रिकाओं में से है। मई, 2000 में जो पत्रिका प्रकाशित हुई है, इस पत्रिका के पृष्ठ 130 हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 130 में से 90 पृष्ठों पर आपने मुख्य मंत्रीजी की फोटो प्रकाशित की है?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इसमें फोटो जनार्दन सिंह गहलोत और राजेन्द्र राठौड़ की छपेगी? मंत्रिमण्डल के सदस्यों और मुख्य मंत्रीजी की छपेगी वह तो। और किसी की छपने वाली नहीं है। इसलिए आप यह क्या + + + प्रश्न कर रहे हैं। आपकी और मेरी तो छपेगी नहीं। मेरी और आपकी फ़ोटो नहीं छपेगी। पहले भैरोंसिंहजी और भंवरलालजी की छपती थी। जहां तक, अध्यक्ष महोदय, हम भी निगम के चेयरमैन रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड, जे. डी. ए., अन्य अथोरिटीज को कोई भी हालत में डी. पी. आर. से स्वीकृति लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनको अधिकार है। उनका अपना जो बोर्ड होता है उसको अधिकार है। उसकी डी. पी. आर. से स्वीकृति लेने का कोई औचित्य नहीं है। यह उनके अधिकारों का हनन है। अध्यक्ष महोदय, उन अथोरिटीज का हनन है अगर यह नियम बनाया जाता कि डी. पी. आर. की स्वीकृति के माध्यम से लगाया जाए तो निगमों के अधिकारों का हनन है। इसलिए यह प्रश्न बिलकुल निराधार है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, जनार्दन सिंहजी जवाब देने के लिए अधिकृत हैं क्या? (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

डा. कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त करें कि आपको मुख्य मंत्रीजी की फोटो छपने में एतराज क्यों है? एतराज क्यों है वह बताइये? कारण क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ....मुझे इसलिए एतराज है कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था नहीं है और खुद के महिमा मण्डन के लिए 4-4 करोड़ के विज्ञापन छपाने में एतराज है। (व्यवधान) आपके घर का पैसा नहीं है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता का पैसा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ....कौन एतराज कर रहा है? एतराज किसी को नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

डा. कमला : एतराज का कारण तो बताओ। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एतराज करोड़ों रुपयों से है, एतराज फोटो से नहीं है। एतराज इस बात के लिए है कि करोड़ों रुपये सरकार अपनी महिमा मण्डन के लिए खर्च कर रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार अपने महिमा मण्डन के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। नहीं, आप नहीं। प्रश्नकर्ता। प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि इस बारे में कोई-सी भी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी है। न इन्होंने, न उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। प्रश्नकर्ता को बोलने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : ये संवेदनशील रहे ही नहीं। न इन्होंने अकाल देखा, न भूख देखी, न प्यास देखी। उस समय मैं भी रोज देखा करता था, भाई साहब की फोटो और इधर माननीय नेता महोदय की फोटो....

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

श्री जगत सिंह दायमा : ....और कसर इन्होंने भी नहीं छोड़ रखी। जबकि जनता इतनी भूखी प्यासी है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो हमने कर लिया, वह उनसे भी करवाओगे क्या?

श्री जगत सिंह दायमा : ...उसकी भूख प्यास से न आपको कोई मतलब है, न आपको कोई मतलब है। (व्यवधान) बस बात करते हैं कि हम जनता की भूख प्यास मिटा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान) मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : क्या मतलब है इन सबसे, आप काम कर रहे हैं, जनता में जाओ, जनता में जाकर बताओ कि हम यह काम कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : जगत सिंह दायमा। जगत सिंहजी, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : घी तो अंधेरे में भी दिखता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : घी तो अंधेरे में दिखता है। अध्यक्ष महोदय, + + +

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री जगत सिंह दायमा : .... + + + जब सही बात कहते हैं, हम आपके लिए भी कह रहे हैं तो इनके लिए भी कह रहे हैं। बात तो सही कहने दो। अगर गलत है तो आप कह दो कि गलत कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने चार प्रश्न रखे हैं। यह जो राशि दी गई है, यह अनुमानतः इसलिए लिखा गया है इसके अन्दर, यह एग्जेक्टली करेक्ट है और इसमें अगर आपको कोई शंका हो तो आप इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं। नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो निगम है, वह बाउंड नहीं है कि डी.पी.आर. से वे लोग इसके बारे में चर्चा करें। यह उनकी इंडिपेंडेंस, आटोनोमस बाडी है और वह डी.पी.आर. से उनका डाइरेक्ट लिंक भी नहीं है। वह स्वयं अपनी रेट्स रखते हैं और स्वयं वह अपने डाइरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। नम्बर तीन, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो माननीय मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रियों के विभिन्न फोटोग्राफ्स के लिए पूछा है, इसकी सारी डिटेल्स आपकी टेबल के ऊपर रख दिये हैं और आप इसमें से चाहें तो मैं डिफरेंशिएट करके बता दूंगा कि कितने फोटोग्राफ्स हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोड आफ कंडक्ट है एडवर्टाइजमेंट्स का, यह कभी नहीं कहता कि मंत्री अथवा अन्य मंत्रियों के फोटोग्राफ्स नहीं दिये जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे जो बेसिक फैक्ट्स हैं, वह यह है कि अधिक से अधिक जनता तक यह मैसेज जाये। अगर कोई हैल्थ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, माननीय राजेन्द्र सिंह जी, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य अच्छे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं...(व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : जनता प्यासी मर रही है, जनता भूखी मर रही है, आप फोटो छपवा कर राजी हो रहे हो। उस पैसे को आप क्यों नहीं लगाते भूख और प्यास पर क्यों नहीं लगाते, क्या जरूरत है आपको फोटो छपवाने की? अब आप क्या करते हो इसमें....(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. के समय में आपकी कितनी फोटो छपी और आपके कितने विज्ञापन छपे, यह बताइये ना.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : + + + आनी चाहिए। जनता को एक बूंद पानी नहीं मिल रहा और आप फोटो छपवा रहे हो। हम रोज-रोज देखते हैं इस बात को और आप लोग रोज-रोज यह बात कहते हो। (व्यवधान) क्या तो आप चाहते हो करना....

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि सितम्बर, 1998 के अन्दर भा.ज.पा. जब राजस्थान पर शासन कर रही थी। एक अंग्रेजी पत्रिका में....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ....और कोई समस्या का निदान नहीं करना चाहते। कोई + + + नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ...उसमें 40 पृष्ठों के विज्ञापन थे, उन विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया गया था और उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी के फोटो छप रहे थे, वह क्यों भूल जाते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिना दाढ़ी वाले पहले फोटो छपे थे, तब याद कीजिये, अब दाढ़ी हटाइये आप मुंह से। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्रीजी से राजस्थान की सरकार की "सुजस" पत्रिका के बारे में पूछा है और मैं जानना चाहता हूं, इस पर कितना व्यय हुआ? क्या यह सच है कि मई के अन्दर जो अंक प्रकाशित हुआ है, उसमें 130 पृष्ठों में से 90 पृष्ठों पर मुख्य मंत्रीजी की अलग-अलग भाव-भंगिमा में फोटो छपी है....(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सितम्बर, 1998 के अन्दर जब भा.ज.पा. का....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी। मंत्रीजी रिप्लाई दे रहे हैं। स्पेसिफिक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : ...अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1998 के अन्दर जब भा.ज.पा. का राजस्थान में शासन था, चुनावों से थोड़ा सा पहले, सितम्बर, 1998 के अन्दर "द आब्जर्वर" अंग्रेजी की प्राइवेट पत्रिका है, उस पत्रिका में 40 पृष्ठों के विज्ञापन दिये गये थे, लाखों रुपये व्यय किये गये थे। उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत और कई मंत्रियों के फोटो छपे थे। मैं माननीय जन सम्पर्क मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि उस पर कितना व्यय किया गया?

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा गम्भीर बात तो है कि जब राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी शेखावत थे, वक्फ बोर्ड की शिक्षा की जो बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए दी जाती थी, उसमें भी फोटो भैरोंसिंहजी के हुआ करते थे....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक तो यह जानना चाहता हूं, मंत्री महोदय ने कहा कि जो योजना है उनके लिए विज्ञापन छपवाने की बात तो समझ में आती है। आज आपने अखबार में देखा होगा कि गोपालपुरा बाई पास के ऊपर जो ओवरब्रिज बनाया गया है, इसके लिए हर अखबार में पूरा पृष्ठ, क्या यह प्रचार देने के लिए कि गोपालपुरा बाई पास का ओवरब्रिज है, यह कौनसी योजना है? बाई पास बनते हुए आने जाने वाले लोगों ने देखा है। जब खुल जायेगा, लोग जायेंगे। एक-एक अखबार में पूरे पृष्ठ का विज्ञापन देकर सरकार यह कहना चाहती है कि योजना का प्रचार कर रहे हैं, केवल महिमा मण्डित करने के लिए दो साल पूरा होने पर जो किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन विज्ञापनों के अलावा मुख्य मंत्रीजी के फोटो सहित जो होर्डिंग्स लगाये गये हैं, बड़े-बड़े शहरों में लगाये गये हैं, उन पर कितना खर्चा हुआ है, वह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें। जो होर्डिंग्स लगाये गये हैं, बड़े-बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री कटारिया जी।

श्री अमराराम (धोद) : ओवरब्रिज का प्रचार करके क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान) वह तो खुल गया, जाने वाले अपने आप चले जायेंगे। 50-50 हजार रुपये एक-एक अखबार को देकर यह बात कह रहे हैं। (व्यवधान) एचीवमेंट यूं ही दिख रहा है। (व्यवधान) क्या अखबार से दिखाई देगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के जवाब में बहुत स्पष्ट आपने कहा कि 175 ऐसे विज्ञापन छपे हैं जिसमें फोटो थे और जब 175 आपके पास तय हैं, तो उसके फिगर्स भी आपके पास तय हैं। कृपा करके यह जो 175 हैं, उनकी सूची तो आप टेबल पर कर दें ताकि उससे मिलान किया जा सके कि इसके अतिरिक्त भी कोई छपा हो और आपके रिकार्ड में नहीं आया। हमारा पूछने का मतलब यह है कि जो भी विज्ञापन छपे हैं, अब इसमें "फोटो" शब्द लगा दिया। कुछ ऐसे विज्ञापन भी छपे हैं, जिसमें फोटो नहीं हैं, उनका भी कुछ खर्चा हुआ है। केवल यह जो अमाउंट कर रहे हैं, क्या केवल फोटो तक ही सीमित कर रहे हैं। इस समय में जो भी इस प्रकार के विज्ञापन थे, टोटल उनकी संख्या क्या थी और उस पर अमाउंट क्या खर्च किया और क्या सरकार इस प्रकार के विज्ञापनों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इन खर्चों को सीमित करने का कोई मानस रखती है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय संदस्य, प्रश्न ही यह फोटो वाला पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में चार करोड़ 52 लाख 77 हजार 626 रुपये की टोटल विज्ञापनों का उत्तर दिया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को इसमें से कुल कितने विज्ञापनों के ऊपर राशि दी और दूसरा, राज्य के समाचार पत्र हैं, उनको कितनी राशि दी गई? अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल है, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अकाल के नाम पर जो खर्चों में और बजट में कटौती की थी, क्या आपका जन सम्पर्क विभाग के इन विज्ञापनों के खर्चों के ऊपर भी उसकी बाबत कोई कटौती की थी? या इसमें बाकी विभागों में कटौती करके आपके विभाग में बढ़ोतरी कर दी गई थी, कृपया बतायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विज्ञापन देने के पहले राज्य सरकार के स्तर पर क्या कोई मैकेनिज्म है जिससे आप यह उसकी उपयोगिता का अंदाजा लगायें और आपका विज्ञापन प्रकाशित करने का प्रयोजन है, यह भी सदन में स्पष्ट करें कि सिर्फ मंत्रिमण्डल के सदस्य का नहीं, मुख्य मंत्रीजी का महिमा मण्डन करना है, प्रेस को ओब्लाइज करना है, इसका मुख्य प्रयोजन क्या है आपका। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे मंत्रियों की सूची प्रस्तुत करें कि जिन्होंने मुख्य मंत्रीजी के बिना, खाली खुद की फोटो छपा ली ताकि उनकी सी.आर. तो खराब हो अभी, जो बिना मुख्य मंत्रीजी के। सब फोटो के अंदर मंत्रिमण्डल के जो सदस्य छपवाते हैं, मुख्य मंत्रीजी की फोटो अवश्य देते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : एक तो चन्द्रभान जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चन्द्रभानजी क्या, सभी हैं। इसलिए ऐसी सूची भी आप प्रस्तुत करें जो खाली मंत्रिमण्डल के इसमें हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : धारीवालजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलग-अलग बतायें, मंत्रियों के अलग-अलग, मुख्य मंत्री। मैंने सवाल किया है, वह अलग-अलग बतायें तो सही। मुख्य मंत्रीजी के साथ कितने फोटो छपे और अन्य मंत्रीगण के कितने फोटो छपे?

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा-सीधा सवाल है, मंत्रीजी, ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि घाटे में चल रहे हैं और उन्होंने विज्ञापन दिये। विभाग, संस्थान कितने हैं? उसके पीछे मूल भावना यही है कि राजस्थान की जनता को एक तरफ एक-एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और दूसरी तरफ, अध्यक्ष महोदय, आपके रहते हुए पैसा बरबाद हो रहा है, हमारा खून जलकर राख हो जाता है इस बात के लिए। अगर यह बात सही है तो आपको लगाम देनी चाहिए

(श्री जगत सिंह दायमा)

और मैं पूछना चाहता हूं, यह फिगर दोनों की तरफ से आना चाहिए ताकि जनता को मालूम पड़े कि इनको जनता के लिए कितनी हमदर्दी है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री रघुवीर सिंह।

श्री जसवंत सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि फोटो विज्ञापन में छपे। उक्त फोटो को खींचने वाले फोटोग्राफर को कितना-कितना पेमेंट हुआ। दूसरा, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि फोटो खींचने से पहले अन्य-अन्य भंगिमाओं में, साफा बांधने में, टोपी लगा के और मेक-अप पर जो पैसा खर्च हुआ, वह कितना पैसा खर्च हुआ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट्स के अलावा विभिन्न कारपोरेशंस ने, निगमों ने कितने एडवर्टाइजमेंट दिये, कितना खर्चा हुआ उस पर। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमति प्रदान करें + + + मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो लिस्ट दी है माननीय मंत्रीजी, उसमें जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, पथ परिवहन निगम, इन तीन को तो डाल दिया, इसमें विद्युत मण्डल नहीं है। अनेक बीसों तरह के कारपोरेशंस, वित्त निगम नहीं है, रीको नहीं है, उद्योग विभाग के अनेक वह नहीं हैं, स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन नहीं है, वित्त निगम नहीं है, रीको नहीं है। मैंने अर्ज किया, इस तरह के विभिन्न जो अर्द्ध सरकारी नहीं, कुलमिलाकर गवर्नमेंट द्वारा ओण्ड चाहे निगम हो, चाहे कम्पनियां हो, उनके माध्यम से जो विज्ञापन आपने दिये हैं, एक तो आप इसका खुलासा करें। मैं दूसरी बात निवेदन यह करना चाहूंगा, इस विज्ञापन के खर्चे में टोटल बजट आपका क्या है? डी.पी.आर. का टोटल बजट साल में विज्ञापनों के लिए क्या है, कृपया यह भी बतायें और एक सैकण्ड, जल्दी ना करें, इसमें मितव्ययता क्या लायी जा सकती है। एक-एक पेज के विज्ञापन की जगह आप आधा पेज का विज्ञापन करें, क्यों नहीं किया जाय, आधा पेज की जगह चौथाई पेज के विज्ञापन से काम क्यों नहीं चल सकता। मितव्ययता लानी है तो इस पर भी जरा प्रकाश डालें।

श्री हफीज मोहम्मद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो + + + यह सवाल पूछ रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राज्य सरकार यह विभाग बनाती ही इसलिए है कि राज्य सरकार की जितनी भी....

मोहम्मद माहिर आजाद : वह सवाल अलग पूछ लीजिये, आपकी सरकार चल रही है....(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हफीज मोहम्मद : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार यह विभाग बनाती ही इसीलिए है कि हमारी कारगुजारियों का....

श्री जीतमल खांट : जनता बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रही है, अभी जनता भूख और प्यास से तड़प रही है आप करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोग भूखे मर रहे हैं....

श्री जीतमल खांट : करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं....

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने तो एक प्रेक्टिस बना ली है हर काम में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस नियमों से चलता है, एक तरफ जवाब दे रहे हैं करौली से आने वाले माननीय सदस्य, एक तरफ जवाब दे रहे हैं....(व्यवधान) यह क्या + + + लगा रहे हैं। मूल प्रश्नकर्ता का सवाल है, उस सवाल का जवाब मंत्री देने में सक्षम हैं, यह सदस्य खड़े होकर के जवाब दे रहे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरदारजी हरचन्द सिंह सिद्धू। आप बीच में खड़े मत होइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या हो रहा है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस कैपेसिटी में? किस कैपेसिटी में। मंत्री जवाब दें, यह....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आप अपने निजी विचार बता रहे हैं या सरकारी?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, मैं यह कह सकता हूं। आप इस तरह से हमको दबा नहीं सकते। (व्यवधान) आप भी मीडिया को इसी तरह से खुश रखने की कोशिश करते थे और यह बहुत मजबूत मीडिया है, इसको जनता में सारी....

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, सी. पी. जोशी जैसे तो नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बीच में चाहे जब खड़े हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का यह मतलब नहीं है....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपके सरकारी विचार हैं या निजी?

श्री अमराराम (धोद) : खेत सिंहजी को चिंता यह है कि इनके फोटो नहीं छपे। यह इसलिए बोल रहे हैं कि इनका फोटो नहीं छपा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और अखबार ही एक मीडिया है कि जिसकी मार्फत जनता के पास सारी खबरें जाती है....(व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो यह बताये, विधायकों को क्या-क्या सुविधा दे रहे हैं। आपसे संबंधित बात का उत्तर दो, यह आपके वश की बात नहीं है....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : विज्ञापन तो देने पड़ते हैं, आप भी देते थे....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान में भूखे-प्यासे लोग मर रहे हैं और आपने चार करोड़ के विज्ञापन दिये....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में भैरोंसिंहजी के और आपके फोटो आते थे मेडिकल डिपार्टमेंट के। हमारे रंगीन फोटो तो नहीं आते, आपके तो रंगीन फोटो छपा करते थे।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। (व्यवधान) आसन पैरों पर।

श्री नन्दलाल मीणा : उसमें आपके रंगीन बाल भी आते हैं। रंगीन बाल आते थे। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता भूख से अपनी औलाद को बेचने के लिए मजबूर हो रही है और वर्तमान सरकार विज्ञापन पर रुपये खर्च कर रही है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीतमलजी, बैठिये।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चार करोड़ बावन लाख में कमीशन कितना दिया।

श्री अध्यक्ष : केसारामजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, सेल्फास की गोलियां खा रहे हैं परन्तु रोटी नहीं मिल रही है और इधर यह लोग एक-एक फोटो खिंचाने में लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं। साढ़े चार करोड़ रुपये कुल अभी तक इन लोगों ने अपने फोटो खिंचाने पर....

श्री सुरेन्द्र व्यास : Will you please disclipline the Parliamentary Affairs Minister?

श्री अध्यक्ष : ठहरिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह मदन दिलावर हैं, + + + इनके फोटो छपते थे और हमारे राज में हमारी फोटो कभी छपी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह इतने सीनियर मिनिस्टर हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्वेश्चन आवर में अन्य कोई मिनिस्टर इन्टरवीन नहीं कर सकता....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में हरेक मिनिस्टर रोजाना नये-नये फोटो छपाते थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्वेश्चन आवर में संबंधित मिनिस्टर ही जवाब देगा।

श्री मदन दिलावर : अकाल नहीं था। हद हो गई। + + + जान निकल रही है, लोग तड़प-तड़प कर मर रहे हैं.... (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने विज्ञापन पर खर्च क्या किया, पचास करोड़ रुपये। अगर आप उपक्रमों को और सारे निगमों, अर्द्धशासी संस्थानों को और सरकार के, डी.पी.आर. और विदाउट डी.पी.आर., सब को जोड़ेंगे तो आपका विज्ञापन पर खर्चा पचास करोड़ रुपये पर जायेगा, पचास करोड़ पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1990 से लेकर के.... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर इनके फोटो छपते थे आपके वक्त में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह गुरजंट सिंह के फोटो भी देखे हैं हमने अखबार में....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके वक्त में और हमारे वक्त में दो-तीन मिनिस्टर्स के फोटो आते हैं, किसी के आते ही नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा : मां-बाप अपनी औलाद को सात-सात हजार में भूख की वजह से बेच रहे हैं और यह राज्य सरकार विज्ञापन में लगी हुई है....

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्रीजी। विधि मंत्रीजी, आप....

श्री नन्दलाल मीणा : उनके फोटो खिंचाने में लगी हुई है यह संवेदनशील सरकार है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है....(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यगण कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

डा. के. सी. चौधरी : इतने वरिष्ठ मंत्रीजी खेतसिंहजी के आज तक फोटो नहीं छपा।

श्री राधेश्याम गंगानगर : क्या + + + बना रखा है आपने, यह विधान सभा का क्या + + + बना रखा है आपने।

डा. के. सी. चौधरी : सरकार की उपलब्धियां जनता को बताई जाय, विपक्ष को इसमें भी तकलीफ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Will you please discipline the Parliamentary Affairs Minister?

डा. के. सी. चौधरी : सरकार की उपलब्धियां जनता को बताने वाला हमारा मीडिया है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इनके राज में हमसे चौगुने रुपये खर्च होते थे विज्ञापन पर।

डा. के. सी. चौधरी : प्रश्न विज्ञापन का था कि प्रश्न फोटुओं का था। यह मीडिया विरोधी विपक्ष को बाहर करवा दें।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : जब तक आप एकाध को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक व्यवस्था ऐसी ही रहेगी।

डा. के. सी. चौधरी : सारा विपक्ष मीडिया विरोधी है क्या?

एक माननीय सदस्य : यह मदन दिलावर को तीन महीने के लिए बाहर....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह राशि करीब पचास करोड़ रुपये जायेगी, पचास करोड़। चार करोड़ और पांच करोड़ का सवाल नहीं है। (व्यवधान) संसदीय कार्य मंत्रीजी जो बात करेंगे, उस पर तो तीसरी शक्ति....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। बैठिये।

श्री रतन लाल ताम्बी : लाभ मिलता है इसलिए विपक्ष में बैठने वाले लोग हमेशा इस प्रकार की आवाज उठाते हैं। छोटे-छोटे पत्र और पत्रिकाएं सारे विज्ञापन के आधार पर....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : जनता की समस्याएं जनता तक पहुंचाता है ऐसे प्रिंट मीडिया के अंदर विज्ञापन देना भी सरकार की नीति है कल्याणकारी सरकार की.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : जब इनका राज था तो जन सम्पर्क डिपार्टमेंट के अफसर को यह आदेश दिया हुआ था कि इन पत्रकारों को रोजाना निमंत्रण दो। निमंत्रण दिया करते थे और मिनिस्टरों में काफी वहां जाया करते थे हमारे यहां ऐसी प्रक्रिया नहीं है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय राठौड़ साहब, आप इस बात को स्वीकार करो, आपको स्वीकार करना चाहिए। हर बात के लिए आप खड़े हो जाते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके इतने फोटो छपे हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कौन से नियम के अन्तर्गत क्वेश्चन आवर में इन्टरप्ट कर रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) सरकार के समय में आदिवासी क्षेत्र में भूख से लोग मर रहे हैं और अपनी बच्चियों को 7-7, 8-8 हजार में आदिवासी अपने बच्चों को बेच रहे हैं। ऐसे समय में आप इस पर कटौती नहीं कर सकते हो। अकाल के समय में कटौती नहीं कर सकते हो। हमारे खर्चों को बचा नहीं सकते हो और.... (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : कोई नहीं बेच रहा है।

श्री जगत सिंह दायमा : जनता के पैसे का मिसयूज हो रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (सहायता एवं पुनर्वास मंत्री) : आपका यह कहना सरासर गलत है कि भूख से कोई मौतें हुई हैं।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

राजनीतिक स्टंट ....(व्यवधान) मत बनाइये मेहरबानी करके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) अकाल के समय में तो + + + कम से कम।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, भूख से कोई मौत नहीं हुई है कटारियाजी, मैं आपको चेलेंज करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) आप कहते हैं भूख से नहीं मर रहे हैं। भूख से मर रहे हैं आये दिन और उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है, 4 किलो अनाज की व्यवस्था नहीं कर सकते, 10 किलो अनाज नहीं दे सकते और फोटो छपवा रहे हैं लाखों रुपयों की....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात का फैसला कर लें कि इन्होंने ज्यादा विज्ञापन दिये हैं कि इन्होंने ज्यादा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज तीन साल से प्रदेश में अकाल है भयंकर सूखा है वर्षा नहीं हुई है लोग भूखे मर रहे हैं पानी की बूंद-बूंद के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जन सम्पर्क मंत्री के अलावा हम किसी को नहीं सुनेंगे। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर को इसमें बोलने की जरूरत नहीं हैं....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) यह 50 करोड़ रुपये का विज्ञापन दिया है। 50 करोड़ रुपये....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जनता का पैसा लुटा रहे हैं फोटो छपवा रहे हैं। + + +

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) परन्तु आप बजट में फोटो छपवाने के अलावा कोई प्रावधान नहीं कर सके।

मोहम्मद माहिर आजाद : ऊर्जा मंत्रीजी ने सबसे ज्यादा फोटो छपवाये हैं। अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रुपये के विज्ञापन दिये हैं। सारे सरकारी उपक्रम, विभाग और सबने मिलकर 50 करोड़ रुपये के दिये हैं। आपका यह जवाब गलत है। आपका यह जवाब असत्य है। आप सारा टोटल लगा लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) 52 करोड़ रुपये के विज्ञापन दो वर्षों में दिये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस सरकार का भी देख लें और आप इनका भी देख लें किसने विज्ञापन ज्यादा दिये हैं। आप अपना रिकार्ड देख लें।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) अखबार में विज्ञापन छपना कोई बात नहीं है।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी तो नहीं छपी। आपकी छपने वाली भी नहीं है। + + + बैठ जाइये। आपकी नहीं छपेगी कभी।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे के लिए यह बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस बात को। क्या बंद करोगे आप। नहीं होगी इस विधान सभा में। नो। बिलकुल नहीं होगी।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) पब्लिक में जाना अत्यन्त आवश्यक है....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने जौ की खरीद बंद कर दी....(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी सरकार ने विकास के कार्य किये हैं तो पब्लिक में उसका मैसेज बहुत जरूरी है....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विकास की कटौती, पीने के लिए पानी नहीं है और फोटो छपवा रहे हैं, विज्ञापन छपवा रहे हैं, महिमा मण्डन कर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : ....(व्यवधान) इन्टरनेशनल कोड आफ कंडक्ट में....(व्यवधान) यह 2% से कम है। आप सुनिये जवाब पूरा।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या जवाब देंगे आप। कोई जवाब नहीं सुनेंगे।

एक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) फोटो छपवाते हो आप....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप दोनों के समय की जांच करा लें इन्होंने ज्यादा दिया या इन्होंने ज्यादा दिया...(व्यवधान) लेकिन यह बहुत गलत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बहुत गलत परम्परा है।

डा. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय....(व्यवधान) विज्ञापन के लिए 2% ....(व्यवधान) किया हुआ है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ...(व्यवधान) यह आपका जवाब गलत है बिलकुल। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के नोटिस में है.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ....(व्यवधान) इन्होंने कितने छपवाये और इन्होंने कितने छपवाये आप दोनों की जांच करा लें कि किसने विज्ञापन ज्यादा छपवाये। यह कोई तर्क थोड़े ही होता है कि साहब इन्होंने छपवाये थे तो हम भी छपा रहे हैं। ये डूब रहे हैं तो आप भी डूबना चाहते हो क्या। आप तो कम से कम सही काम करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बैठिये।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. जितेन्द्र सिंह : आप सुन लीजिये एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय,....।

मोहम्मद माहिर आजाद : हर बात का जवाब यह देते हैं कि साहब इन्होंने गलत किया तो हम भी कर रहे हैं गलत जवाब दे रहे हो। क्या सुनेंगे आपको। नहीं सुनना चाहते। + + + करते हो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : जनता का पैसा फिजूलखर्ची में....(व्यवधान)...क्या इतिहास लिखेगा आपको, क्या इतिहास कहेगा। आपके होते हुए व्यवस्था नहीं हो रही है। (व्यवधान) यह कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय, बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह जी, अव्यवस्था मत फैलाइये हाउस में। Please keep order.

श्री जगत सिंह दायमा : और फिर + + + नहीं आती है। नहीं हम करेंगे। क्या करेंगे आप। आप लोग जनता का + + + करेंगे। लोग-बाग भूख से मर रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह : आप सुन लीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : प्यास से मर रहे हैं। फोटो खिंचवा कर राजी हो रहे हैं। + + + महसूस करते हो तो + + + यह तो कहते नहीं हैं कि सरकार.... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : समाचार पत्र भी समाज का प्रतिबिम्ब है और कोई भी सरकार समाचार पत्रों को भी प्रोत्साहन देने लिए सक्षम रहना चाहिए... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) लड़की को बेचा है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : और सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, सरकारी कार्यक्रम जनता तथा पहुंचे इसके लिए अखबारों में विज्ञापन....(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : (व्यवधान).... डी.पी.आर. का बजट 50 लाख का है.... (व्यवधान) और उसके अनुसार....(व्यवधान) उसमें डी.पी.आर. का कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : ....किये जाने का कल्याणकारी सरकार का लक्ष्य होता है न केवल राजस्थान ही बल्कि सारे हिन्दुस्तान की सरकारें विज्ञापन देती है और विज्ञापन देने से और....

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रतन लाल ताम्बी : ....इनके लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे अधिक समाज सेवा, जन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर....(व्यवधान) 4 मंत्री खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : 40 मिनट एक पर हो गये। आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इसकी व्यवस्था आसन से होनी चाहिए कि जनता का पैसा फिजूलखर्ची में नहीं जाए। इस बात को क्यों नहीं मानते हो आप लोग। आप लोग कहते हैं आप ने किया आप कहते है कि आपने किया। दोनों ने + + + कर दिया इस राजस्थान। अध्यक्ष महोदय, + + + किया है। रोजाना-रोजाना फोटो खिंचवाते हैं।

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : (व्यवधान) राजेन्द्र राठौड़ और भैरोंसिंहजी के फोटो छपे थे वो देख लो। ये फोटो देखिये आपके। ये राजेन्द्र राठौड़ और भैरोंसिंहजी के जयपुर में फोटो छपवाये थे। + + + यह देखे आप फोटो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) इसके विरोध में मैं अपने पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे सवाल महत्वपूर्ण का....

श्री जगत सिंह दायमा : + + + दो-दो मिनट में बंद कर देते हैं।

डॉ. कमला : अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं सुनना चाहते हैं। यह बहुत अव्यवस्था है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं देकर के और मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा नियम के विरुद्ध अनुशासनहीनता करते हैं। पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर किस नियम के तहत बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर नहीं मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में आज अकाल की स्थिति मे वित्तीय संकट के समय राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ रुपये पानी की तरह बहा दिये अपने महिमा मण्डन के लिए। आपके जवाब से हम बिलकुल संतुष्ट नहीं हैं और राजस्थान के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब नहीं हुआ कि इन्होंने इतना करोड़ रुपये के विज्ञापन दिये थे इसलिए हमने भी दिये। आप हर बात पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री....(व्यवधान). इनके राज में यह हुआ इसलिए हमारे राज

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

में भी हुआ, यह कोई तर्क नहीं है .... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रजातंत्र में ऐसी कौन-सी सरकार है....(व्यवधान) भारत सरकार से भी इसी प्रकार से कई एडवर्टाइजमेंट दिये जाते हैं। गुजरात में आपकी पार्टी की सरकार है या गुजरात में इससे ज्यादा दिये जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने अगर + + + किया तो आप + + + करोगे। पीने के लिए पानी नहीं है और आप 50 करोड़ रुपये के विज्ञापन दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी कोई फोटो नहीं आयी तो आप गर्म होने शुरू हो गये। अखबार वालों से मिलो आपकी भी फोटो आ जाएगी।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय राठौड़ साहब, ऐसी बात नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा सवाल यह है कि आप हर बात में....

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय राठौड़ साहब, आपकी खूब इज्जत है परन्तु सही बात को स्वीकार करना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप यह कहो कि इन्होंने यह किया था तो हम भी यह कर रहे हैं। यह आपका लाजिक सही नहीं है। आपका लाजिक यह होना चाहिए कि....(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी एडवर्टाइजमेंट छपे हैं बिलकुल इम्पार्टेंट थे। जितने भी एडवर्टाइजमेंट छपे हैं वे कोई गवर्नमेंट की महिमा मण्डन के लिए नहीं छपे हैं। यह अगर कोई मेडिकल हैल्थ का था तो वो आम पब्लिक तक....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने कटौती क्यों नहीं की इसमें। आप अकाल के नाम पर बजट में कटौती कर रहे हो और आप इस समाचार छपवाने में, विज्ञापन छपवाने में कटौती नहीं कर रहे हो। आपने, राज्य सरकार ने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है और यह निहायत ही गलत है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल वाक आउट करते हैं।

(मोहम्मद माहिर आजाद द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. जितेन्द्र सिंह : (व्यवधान) अत्यन्त आवश्यक है कि मीडिया के माध्यम से आम जनता तक सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाया जाये। इसके अलावा इंटरनेशनल कोड आफ कंडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट का, उस पर बहुत नीचे है। इसलिए अगर किसी सरकार ने कार्य नहीं किये एडवर्टाइजमेंट नहीं छपवाये हमारी सरकार ने काम कि ये, खूब विज्ञापन छपवाये।

श्री जीतमल खांट : ....(व्यवधान) इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री जीतमल खांट द्वारा सदन से बहिर्गमन)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामलाल गुर्जर।

प्रश्न संख्या-334

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के औषद्यालयों में रिक्त पद

334. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में सरकार द्वारा कितने नये औषधालय स्वीकृत किये हैं?

(2) तहसील क्षेत्र आसीन्द में वर्तमान में वैद्य/उप वैद्य के कितने पद कहां-कहां स्थित हैं? उक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती इन्दिरा मायाराम) : (1) वर्ष 2000-2001 में नवीन औषधालय प्रस्तावित नहीं था।

(2) आसीन्द तहसील में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से निम्न औषधालयों में चिकित्सक एवं नर्स/कम्पाउण्डर के पद रिक्त है :—

चिकित्सक	1. भादसी
नर्स/कम्पाउंडर	1. कटार
	2. रामपुरा
	3. लाछूडा
	4. भादसी
	5. शम्भुगढ़

200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा अयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे। 250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या का सवाल ही नहीं उठता। इस बात पर पहले व्यवस्था चाहिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, 50 करोड़ रुपये खर्च किये गये। जहां एक तरफ बरसात से लोग मर रहे हैं, भूख के कारण लोग अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं और सरकार करोड़ों रुपया, यह तो अनुमानित दिया है, पूरा तो 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। केवल महिमा मण्डित करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान के लोग भूख से मर रहे हैं। पानी के लिए तरस रहे हैं, अपनी लड़कियों को बेच रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, इतना बुरा हाल हो रहा है। सरकार को चाहिये इसको स्वीकार करे और आगे के लिए ध्यान रखे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार को थोड़ा भी दर्द, थोड़ी भी पीड़ा

(श्री जगत सिंह दायमा)

है तो आगे के लिये इसको बंद कर देना चाहिये। इन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा कर रहे हैं। जनता को मार रहे हो। आपको कम से कम ध्यान दिला दिया तो आपको स्वीकार करना चाहिये कि जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको आगे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कहते हो तो जगत सिंह दायमा आपका स्वागत करेगा और ऐसा नहीं कहते हो तो आपको रहने नहीं दिया जायेगा, बोलने नहीं दिया जायेगा, सवाल का जवाब नहीं देने दिया जायेगा।

श्री नाथूलाल अहारी : आदिवासियों के नाम पर रोटी मत सेंको। अपनी बात कहो, अपने एरिये की बात करो। सब दे दिया है कोई सवाल बाकी नहीं रहा है। ख्वामख्वाह सारा घंटा बरबाद कर दिया है। आपने ठेका ले रखा है क्या।

श्री जगत सिंह दायमा : (व्यवधान) मैं आपके साथ हूं।

श्री नाथूलाल अहारी : क्या साथ हो। इतना टाइम बरबाद कर दिया।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर के साथ हूं।

श्री नाथूलाल अहारी : कुछ नहीं कर सकते हो आप। आप हार के आये होंगे, बात कर रहे हो ख्वामख्वाह की। किसी का प्रश्न होता है उसको आप प्रश्न ही नहीं करने देते। हर समय खड़े हो जाते हो आप।

श्री जगत सिंह दायमा : आप 5 बार जीत कर आ गये लेकिन आपको यह मंत्री नहीं बनायेंगे....(व्यवधान) पांच बार जीतने के बाद भी आपका नम्बर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जगत सिंह दायमा, बैठिये आप। आप बिना आसन की अनुमति के आधे घंटे से बोल रहे हैं, आप बैठिए।

श्री नाथूलाल अहारी : आप प्रश्न तो करते नहीं हो और बीच-बीच में इस तरह से परेशान करते हो।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं वाकआउट करता हूं और तो क्या करूं। मेरा मन तो ऐसा हो रहा है कि इनकी फिजूलखर्ची के ऊपर मैं आत्महत्या कर लूं।

श्री अध्यक्ष : जो कुछ भी श्री दायमा कह रहे हैं वह अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री जगत सिंह दायमा : × × ×

(श्री जगत सिंह दायमा द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर।

श्री रामलाल गुर्जर : प्रश्न संख्या 334

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री नाथूलाल अहारी : अध्यक्ष महोदय, हर समय प्रश्नकर्ता का प्रश्न सुना नहीं जाता है और यह सारे खड़े हो जाते हैं। प्रश्न का कोई उपयोग नहीं होता है। आज काफी समय से ऐसा हो रहा है। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना हो आप पूछ लो। दूसरे आदमी को काहे को परेशान करते हो। 2-3 प्रश्न के अलावा कोई प्रश्न नहीं आता है। फिर क्या मतलब है। आप ही सब राजा हरिचन्द्र हो क्या।

श्री शंकरलाल अहारी : कोई विधान सभा के नियम है कि नहीं है। माननीय अध्यक्षजी, हम यह पूछना चाहते हैं कि आदिवासियों के नाम से जो रोटी सेंकना चाहते हैं, आदिवासियों के नाम पर गलत बात करके यह कहते हैं कि आदिवासी लोग अपनी लड़कियों को बेचकर अकाल में जिंदा रह रहे हैं। अध्यक्ष जी, हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौनसा माननीय सदस्य है जिन्होंने आदिवासियों के नाम से खिल्ली उड़ाई है। हम यह बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री नाथूलाल अहारी : आप अपने एरिये की बात करो। दूसरे एरिये की बात मत करो। हम भी जीत कर आते हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आज ही समाचार छपा है कि आदिवासियों को सात सौ और हजार रुपये में बेचा जा रहा है। (व्यवधान) + + + आदिवासियों के नाम पर मंत्रिमण्डल में बैठने वालों से जाकर उनका हाल तो पूछो कि उनकी हालत क्या है।' कुशलगढ़ में लोग मर रहे हैं, उदयपुर में हालत खराब है ...(व्यवधान) यहां पर मुख्य मंत्रीजी की + + + करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है (व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकार जिन्होंने सवाल उठाया है वह माननीय सदस्य सदन से माफी मांगे।

श्री रतन लाल ताम्बी : वाकआउट किसी मुद्दे पर, किसी तथ्य पर होता है। हर मामले में वाकआउट कर देते हैं। सारे सदन को + + + बना रखा है। पिछले एक महीने से सदन को + + + बना रखा है। सदन में कई समस्याएं हैं, अकाल की, पानी की, उसमें तो भाग लेते नहीं है और हमेशा सारे सदन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने बिगाड़ रखा है। (व्यवधान)

श्री दयाराम परमार (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : (व्यवधान) आदिवासी समाज की बुराई करके, उनकी आलोचना करके आप राजनीति करना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री नाथूलाल अहारी : आप अपने एरिये की बात करो, दूसरे एरिये की काहे को बात करते हो।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जीतमल खांट : इसमें कोई बुराई नहीं है, यह पेपर में छप रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर में छप रहा है कि कुशलगढ़ में भयानक बीमारी से 100 पशुओं की मौत। आप अपनी बात कह रहे हो कि गरीब आदमी का दुखड़ा मत रोओ। आज गरीबों के साथ जो स्थिति बन रही है....(व्यवधान)

श्री दयाराम परमार : अध्यक्षजी, यह जो लड़कियां बेचने का आरोप लगाने वाले हैं, उदयपुर में एक संस्था है सासू मासू, इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर मोदी। वह हर समय आदिवासियों की बुराई कर के कभी कहते हैं कि आदिवासियों की औरतें देह व्यापार कर रही है और गांवों के नाम भी लिये। हमने जाकर वहां....

श्री नन्दलाल मीणा : आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? अगर असत्य बात कहते हैं तो आपको उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री दयाराम परमार : एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। माननीय विधायकजी, आप राजस्थान की सरकार में 10 साल तक मिनिस्टर रहे हैं। ट्राइबल एरिया डवलपमेंट के मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद आदिवासियों की आज तक यह हालत है कि वह अपनी लड़कियों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, राजस्थान की विधान सभा नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : अकाल की वजह से.... (व्यवधान) यह आपकी जिम्मेदारी है और मेरा सीधा चार्ज है.... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : आपने स्वीकार तो कर लिया कि लड़कियां बेच कर गुजारा कर रहे हैं। आदिवासी लड़कियां बेच कर गुजारा कर रहे हैं आप स्वीकार कर रहे हो। इनकी भी + + + कर रहा हूं और आपकी भी ....(व्यवधान) आपने स्वीकार तो कर लिया।

श्री दयाराम परमार : आप क्यों बोल रहे हो। आप कुछ जानते ही नहीं हैं हमारे बारे में। आप खुद नहीं जानते हैं क्यों दुःखी होते हो।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपके साथ हूं। मैं आदिवासियों के दुःख दर्द में साथ हूं।

श्री शंकरलाल अहारी : यह आपके बस की बात नहीं है। हमारे मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

श्री भीखा भाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह गलत बोल रहे हैं, यह हमेशा असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मैंने सुना नहीं, मैं तो माननीय मंत्रीजी के लिए बैठा था। माननीय मंत्रीजी दुबारा बताये। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : वहां लोग भूख और प्यास से परेशान हो रहे हैं....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय भीखा भाईजी, मैंने सुना नहीं। मैं तो आपके लिए

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

बैठा हूं आपने क्या फ़रमाया जरा दुबारा बता दें इसलिये बैठा हूं मैं आपके सम्मान में।

श्री जीमतल खांट : पहले हम हमारे पेट की व्यवस्था की बात करते हैं...:. (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय अहारीजी आप 6 बार जीत जाओ तो भी मंत्री नहीं बनोगे। आप + + + करने से मंत्री नहीं बनोगे।

श्री भीखा भाई : आप असत्य बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह हाल है जब वी. पी. सिंह जी को ताला तोड़ना पड़ा और काशीरामजी को 11 मीटिंग करनी पड़ी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : भूख, प्यास से मर रहे हैं, आपको भूख और प्यास से निजात दिलाई जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

श्री जगत सिंह दायमा : यह प्रश्न तो सदा रहेगा जिन्दा रहेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न काल समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनकी हमेशा की आदत है, आसन पैरों पर होता है और यह रवाना हो जाते हैं। (व्यवधान) यह देखिये, यह मान भी रहे हैं या नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साहब इनको थोड़ा डांटो, आसन के प्रति सम्मान ही नहीं है। (व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशन प्रकरणों के विलम्ब में देय राशि पर ब्याज

572. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती अर्चना बेनर्जी, अध्यापिका राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्री नगर रोड, अजमेर की दिनांक 31.1.95 को राज्य सेवा से सेवा निवृत्त हुई और ग्रेच्यूटी पेमेंट आर्डर सं. 129903 (आर) 6.1.95 के द्वारा ग्रेच्यूटी की राशि में से 13,000 रुपए की राशि पुनः नियोजन के पेटे काटी गई थी, जबकि श्रीमती अर्चना बेनर्जी दिनांक 6.1.95 को राज्य सेवा में थी तथा पुनः नियोजन के बारे में उन्होंने या शिक्षा विभाग के अधिकारी ने यह नहीं प्रमाणित किया था कि वे सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर रहेगी? यदि हां, तो ग्रेच्यूटी में से इतनी बड़ी राशि काटने का क्या आधार था और उनको उक्त राशि कब लौटाई गई? उक्त अकारण कटौती के लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री रामस्वरूप)

(2) क्या उक्त प्रकरण के बाद भी शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त अध्यापकों की उक्त प्रकार की पुनः नियोजन की कटौती की गई है? यदि हां, तो किन-किन मामलों में और उन्हें कटौती की राशि का भुगतान कब-कब किया गया? क्या उन्हें ब्याज का भी भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि वाणिज्य कर विभाग, अजमेर के मृतक गार्ड श्री हनुमान सिंह की विधवा को पारिवारिक पेंशन एवं मृतक को ग्रेच्यूटी, कम्यूटेशन राशि के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब हुआ? क्या श्री हनुमान सिंह को दिनांक 30.11.94 को बिना किसी सेवानिवृत्ति आदेश के सेवा मुक्त कर दिया? क्या उक्त अवधि के बाद वर्ष 1994 से 1995 तक उक्त व्यक्ति ने कई बार कम्यूटेशन राशि व ग्रेच्यूटी के बारे में लिखा तथा बीमार होने पर अपनी बीमारी का समुचित इलाज भी नहीं करा सका व दिनांक 20.10.95 को उसकी मृत्यु हो गई? श्री हनुमान सिंह के पेंशन प्रकरण में हुए विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? उक्त व्यक्ति की विधवा को पारिवारिक पेंशन कब दी गई व कम्यूटेशन की राशि का भुगतान कब किया गया? क्या भुगतान के साथ विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

(4) क्या सरकार अब उक्त विधवा को ब्याज का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त प्रकरण पेंशन अदालत में भी आया था? यदि हां, तो कब और क्या कार्यवाही हुई? उक्त प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई? ऐसे कितने प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी, हां। पुनःनियोजन संबंधी प्रमाण- पत्र के अभाव में 15000/- रु. की राशि रोकी गई थी जो 21.2.95 को जारी की गई।

(2) जिन प्रकरणों में वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं उनमें पेंशनर को शीघ्र परिलाभों के भुगतान के उद्देश्य से कुछ राशि रोक कर शेष परिलाभ जारी कर दिये जाते हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में रोकी गई राशि व पुनः जारी की गई राशि का विवरण अलग से संकलित नहीं किया जाता है।

(3) जी, नहीं। श्री हनुमान सिंह को दिनांक 30.11.93 को सेवा मुक्त किया गया। श्री सिंह द्वारा 1.4.92 से 30.11.93 तक की गई अधिक सेवा अवधि का

(वित्त मंत्री)

नियमितीकरण किये जाने तक इनके प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 18.3.94 को पेंशन जारी की गई। अधिक सेवा के नियमितीकरण के पश्चात् ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन दिनांक 5.12.95 को जारी की गई। कम्यूटेशन व पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 15.1.96 को किया गया।

(4) पेंशन प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार होने से ब्याज की देयता नहीं बनती है।

(5) श्री हनुमान सिंह एक्स गार्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया था। पेंशन प्रकरण के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 78 से 94 तक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है, समस्त विभागाध्यक्षों को परिपत्र संख्या 160-330 के दिनांक 16.1.2001 जारी कर पेंशन प्रकरणों को सेवा निवृत्ति तिथि से 6 माह पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है साथ ही विभागाध्यक्षों की अध्यक्षता में समस्त विभागों में पेंशन प्रकोष्ठ गठित कर सेवा निवृत्ति से 6 माह पूर्व ही सेवा निवृत होने वाले कर्मचारी का पेंशन प्रकरण तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न संख्या-573

(स्थगित)

उप कोषागार कोटपूतली में अपर्याप्त स्टाफ

574. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली उप कोषागार में नान जुडीशियल स्टाम्प की आपूर्ति मांग की अनुपात में बहुत कम है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि पांच व 10 रुपये के स्टाम्प उपलब्ध न होने के कारण अधिक कीमत के स्टाम्प क्रय करने पड़ते हैं? क्या वेण्डर ब्लैक में देता है? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त स्टाम्प उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है?

(3) क्या उप कोषागार कोटपूतली में कार्य के अनुपात में कम स्टाफ उपलब्ध है? उक्त कार्यालय में कितने पेंशनर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और कितने डी.डी.ओ. कार्यालय से जुड़े हैं?

(4) क्या यह सही है कि अत्यधिक भीड़ के कारण कार्यालय में नियंत्रण के लिए पुलिस बुलानी पड़ी? यदि हां, तो क्या कार्य निपटाने हेतु अधिक स्टाफ लगाने की व्यवस्था की जा रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। यदाकदा नासिक प्रेस से पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं होने के कारण।

(वित्त मंत्री)

(2) वर्तमान में उप कोषागार कोटपूतली में पर्याप्त स्टाम्प उपलब्ध है। सामान्यतः 5 रु. व 10 रु. के स्टाम्प्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। आपूर्ति में कमी होने पर कोषाधिकारी की मांग पर एडेसिव स्टाम्प को गैर न्यायिक स्टाम्प में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाकर स्टाम्प आपूर्ति सुचारू रखने का प्रयास किया जाता है। स्टाम्प वैण्डर्स का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) जी, नहीं। इस उप कोषालय से 5439 पेंशनर्स पेंशन प्राप्त करते हैं तथा 72 डी.डी.ओ. कार्यालय से जुड़े हुये हैं?

(4) जी, हां। एक साथ अधिक पेंशनर्स आ जाने के कारण व्यवस्था बनाये रखने हेतु 2 बार पुलिस बुलायी गई। सामान्य कार्य के लिए स्टाफ पर्याप्त है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की पदावनति पर पुनः वेतन स्थरीकरण

575. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पदों में कटौती के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों की पदावनति होने पर पुनः वेतन स्थरीकरण किया जाता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उच्च पद की कटौती होने पर मात्र कार्यवाहक रूप में पदोन्नत कर्मचारी ही पदावनत किए जाते हैं। ऐसी पदावनति पर वेतन निर्धारण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 31 (सी) के अनुसार किया जाता है। नियम की प्रति संलग्न है।

(नियम की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

कृषि निदेशक के पद पर नियुक्ति

576. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने दिनांक 30 जनवरी, 2001 को भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के पक्ष में निदेशक कृषि का एक्स-कैडर पद होने के आदेश पारित किए हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश कितने समय के लिए प्रभावित रहेगा? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकार के आदेश सरकार द्वारा पूर्व में भी प्रसारित किए गए हैं? यदि हां, तो कब-कब? उक्त आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पद एक्स-कैडर का 5 वर्ष के लिए सृजित करने का अधिकार

(श्री रामप्रताप)

राज्य सरकार को है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार से इसके लिए पूर्व अनुमति ली गई? यदि हां, तो अनुमति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आदेश की समय सीमा दिनांक 28 फरवरी, 2001 को समाप्त हो गई? यदि हां, तो वर्तमान में कार्यरत कृषि निदेशक किन नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2001 द्वारा निदेशक, कृषि के एक्स-कैडर पद की समयावधि मे दिनांक 28.2.2001 तक अभिवृद्धि की गई है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। निदेशक, कृषि का एक्स-कैडर पद आदेश दिनांक 19.9.89 से सृजित किया गया था और तदुपरान्त समय-समय पर आदेश जारी कर समय में अभिवृद्धि की गयी है। जारी किये गये आदेशों की प्रति परिशिष्ट "क", "ख", "ग", "घ", "ण", "च", "छ", "ज" एवं "झ" संलग्न है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार एक्स-कैडर पदों का सृजन कर सकती है। भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) नियम 1954 के नियम 9 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने अधीन किसी पद को भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये स्वीकृत पद के समतुल्य घोषित करके किसी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को एक्स-कैडर पद पर पदस्थापित कर सकती है। नियम 9 की प्रति परिशिष्ट "ट" पर उपलब्ध है। इस नियम के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी, हां। विभाग की आज्ञा क्रमांक प.4 (7) कार्मिक/क-1/89 दिनांक 3.4.2001 के द्वारा निदेशक, कृषि पद की समयावधि में अभिवृद्धि दिनांक 28.2.2002 तक की गयी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ठ" पर उपलब्ध है।

(आदेशों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-577

(स्थगित)

तहसील उदयपुरवाटी (झुंझुनूं) क्षेत्र में अवैध शराब की दुकानें

578. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवनाथ सिंह)

(1) शराब की दुकान आबंटित करने के स्थान आदि के चयन या स्वीकृति के सम्बन्ध में क्या नियम है? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुंझुनूं की तहसील क्षेत्र उदयपुरवाटी के किस-किस गांव में किस-किस स्थान पर किस-किस व्यक्ति को देशी व देश में निर्मित विदेशी शराब की दुकानें वर्ष 2001-2002 के लिए आबंटित की गई है?

(3) नियम विरुद्ध स्थान पर दुकान स्वीकृत हो जाने के बाद स्थान परिवर्तन करने के बारे में क्या व्यवस्था है तथा जिला स्तर पर बनी समिति के इस सम्बन्ध में क्या अधिकार है?

उत्तर

(1) शराब दुकानों के स्थान (अवस्थिति) बाबत प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के रूप में है जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) जिला झुंझुनूं की तहसील उदयपुरवाटी में वर्ष 2001-2002 में मदिरा दुकानों के संचालन हेतु अनुज्ञापत्र में बन्नाअली कुशाल सिंह रमेश राय एण्ड पार्टी के नाम स्वीकृत है। तहसील उदयपुरवाटी में स्वीकृत दुकानों की सूची निम्नानुसार है :

देशी मदिरा :

1. बस स्टेण्ड उदयपुरवाटी, 2. भैरूघाट उदयपुरवाटी, 3. वार्ड नं. 10 उदयपुरवाटी, 4. टिटेडा, 5. चुंगी नाका नं. 3 उदयपुरवाटी, 6. छावसरी, 7. चिराणा, 8. भाटोवाड़, 9. केड़, 10. चवरा, 11. घमोरा, 12. छापोली, 13. बागोलो, 14. टोटनवाड़, 15. बड़ा गांव

भा. नि. वि. म. व बीयर :

1. गुढ़ा गौढ़जी, 2. बस स्टेण्ड उदयपुर वाटी, 3. घूमचक्कर उदयपुरवाटी।

(3) सामान्यतः दुकान नियमानुकूल स्थान पर ही स्वीकृत की जाती है। फिर भी किसी दुकान की लोकेशन में परिवर्तन अपेक्षित होने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारी को नोटिस देकर परिवर्तन कराया जाता है। दुकानों की लोकेशन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प. 4 (20) वित्त/आब./95 दिनांक 17.4.95 द्वारा गठित समिति स्वीकृत दुकानों के सम्बन्ध में शिकायत के आधार पर सभी पहलुओं पर विचार कर बहुमत (किसी प्रकरण में समिति में मतभेद होने पर) के आधार पर निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा आबकारी आयुक्त को प्रेषित करती है।

(नियम की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के हैण्ड पम्पों की मरम्मत

579. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामस्वरूप)

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक कितने हैण्ड पम्प लगाये गये हैं? उक्त में से कितने वर्तमान में चालू हैं तथा कितने कब से खराब हैं? क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों को दुरुस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में जल स्तर नीचे जाने के कारण कई ग्रामों के हैण्ड पम्पों से पानी नहीं आता है तथा जो आता है वह मिट्टी सहित दूषित जल आता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों को प्राथमिकता के आधार पर और गहरा कराने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों की जनता ने उक्त संबंध में सरकार को शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(4) क्या सरकार हैण्ड पम्प मिस्त्री को हैण्ड पम्पों को सुधारने हेतु सामान समय पर उपलब्ध नहीं कराती है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु सामान समय पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1999 से फरवरी, 2001 तक गांवों में 84 तथा टोडाभीम कस्बे में 2 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। इन हैण्ड पम्पों में से सभी 86 हैण्ड पम्प वर्तमान में चालू हैं।

(2) यह सही है कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कई गांवों में स्थापित हैण्ड पम्पों में से कुछ हैण्ड पम्प सूख गये हैं। जिससे उनमें पानी नहीं आता है। चालू हैण्ड पम्पों में से मिट्टी रहित साफ पानी आता है। सूखे हैण्ड पम्पों को गहरा कराना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है। सूखे हैण्ड पम्पों के स्थान पर विभागीय मापदण्डों के अनुसार नये हैण्ड पम्प लगाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। पिछले दो वर्षों में सूखे हैण्ड पम्पों वाले गांवों में अतिरिक्त लगाये गये हैण्ड पम्पों की ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। यह सही है कि जनता द्वारा सरकार को हैण्ड पम्प सूख जाने की शिकायतें की गई हैं। सरकार द्वारा कई ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर नये हैण्ड पम्प विभागीय मापदण्ड के अनुसार स्थापित करने की कार्यवाही की गई है। ग्रामवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत के लिए आवश्यक सभी सामान संबंधित हैण्ड पम्प मिस्त्रियों को उपलब्ध करवाया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं

580. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के कुल ग्रामों में जिलावार कौनसी पेयजल योजनाओं में कितने-कितने ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं?

(2) राज्य के कितने ग्रामों में शुद्ध पेयजल की पूर्ति नहीं हो रही है?

(3) क्या सरकार हैण्ड पम्प स्कीमों वाले ग्रामों को अन्य योजनाओं से पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस योजना से?

उत्तर

(1) राज्य में 1991 की जनगणनानुसार 37,889 ग्राम हैं इनमें से 37,572 ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। जिलेवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में है।

(2) वर्ष 1991-93 के दौरान कराये गये सर्वे के अनुसार 16560 ग्राम/ढाणी फ्लोराइड प्रभावित एवं 14,415 ग्राम/ढाणी खारे पानी से प्रभावित पाये गये थे। माह फरवरी, 2001 तक क्रमशः 225 एवं 310 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया है।

(3) विभागीय मापदण्डों के अनुसार सामान्य रूप से 1991 की जनगणनानुसार 1500 तक के आबादी के ग्राम जो हैण्ड पम्प योजना से लाभान्वित हैं, को अन्य योजना में परिवर्तित करने की नीति नहीं है। तथापि जिन ग्रामों का पानी पीने योग्य नहीं है (क्वालिटी प्राब्लम), को वैकल्पिक स्रोत के आधार पर तकनीकी औचित्यता, प्राथमिकता संसाधनों की उपलब्धतानुसार अन्य प्रकार की योजना से लाभान्वित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) की पेयजल समस्या

581. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में पीने के पानी की समस्या रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, हां। तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में वर्तमान में पीने के पानी की समस्या है। वर्ष 2001 की गर्मियों में पेयजल समस्या के निराकरण के लिए आपातकालीन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसके अन्तर्गत 35 ग्रामों हेतु 30 नये हैण्ड पम्प एवं 3 स्थानों पर स्रोतों का सुधार कार्य शामिल है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जी, नहीं। बीसलपुर बांध में पेयजल के लिए आरक्षित पानी में तहसील आसीन्द की पेयजल मांग शामिल नहीं होने के कारण इस बांध से कोई पेयजल योजना विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के हैण्ड पम्पों की मरम्मत

582. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कितने हैण्ड पम्प हैं? उक्त में से कितने हैण्ड पम्प चालू एवं कितने बंद हैं? अब बंद हैण्ड पम्पों को कब तक चालू करा दिया जायेगा?

(2) उक्त क्षेत्र में सरकार पेयजल समस्या के समाधान हेतु कितने हैण्ड पम्प व ट्यूब वैल लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में 1542 हैण्ड पम्प स्थापित हैं। स्थापित हैण्ड पम्पों में से 1433 हैण्ड पम्प चालू हैं तथा 72 हैण्ड पम्प नकारा एवं 37 हैण्ड पम्प सूखे की श्रेणी में हैं। वर्तमान में चालू 27 वें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान के प्रथम चरण के तहत समस्त 553 मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को ठीक कर चालू कर दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में आगामी गर्मियों में पेयजल समस्या के समाधान हेतु 4 नलकूप एवं 27 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। इसमें से 1 नलकूप एवं 24 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य किया जा चुका है।

इसके लिए अतिरिक्त उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी द्वारा भी 1 नलकूप एवं 5 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

ग्राम दाडा फतेहपुरा (झुंझुनूं) की पेयजल की समस्या

583. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी (झुंझुनूं) में पेयजल की भयंकर समस्या है? क्या उक्त संबंध में पेयजल सप्लाई में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों की शिकायतें भी सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत दाडा फतेहपुरा के सरपंच सहित अनेक व्यक्तियों ने स्थानीय कर्मचारी एवं कनिष्ठ अभियंता की शिकायत कर उसे हटाकर अन्यत्र पद स्थापित करते हुए पेयजल की माकूल व्यवस्था हेतु बार-बार आग्रह किया है? यदि हां, तो कब-कब और उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री हीरालाल सहरिया)

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम में नियमित पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं, ग्राम दाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी में विद्युत उपलब्धता के अनुसार मुख्य ग्राम में लगभग 34 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मूल ग्राम में 2 एवं इससे संबंधित ढाणियों में 20 हैण्ड पम्प भी स्थापित हैं। योजना पर कार्यरत कर्मचारी के बारे में कोताही बरतने के सम्बन्धी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) इस संबंध में खण्ड में स्थानीय कर्मचारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता को हटाकर अन्यत्र पदस्थापित करने हेतु कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी, हां। ग्रीष्म आकस्मिकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त ग्राम में स्रोत सम्वर्धन हेतु स्वीकृत एक नलकूप के निर्माण एवं इसके चालू होने के उपरान्त पेयजल आपूर्ति की मात्रा में और बढ़ोतरी सम्भव हो सकेगी।

पंचायत समिति कुचामन सिटी (नागौर) की जनता जल योजनाएं

584. श्री हरिश्चन्द्र (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन सिटी (नागौर) में जनता जल योजनाएं कहां-कहां स्वीकृत है और उसके लिए सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का किस-किस तारीख को किस-किस व्यक्ति को भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पांचवा में पाराकुवा जनता जल योजना में कब तक स्वीकृत हुआ और सरपंच को संचालन हेतु कब दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजना पर लगी मोटर मरम्मत हेतु प्रति होर्स पावर अधिकतम कितनी राशि प्रति वर्ष भुगतान करने का प्रावधान है व इसके अन्तर्गत किस-किस योजना पर कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

(4) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन सिटी में अब कौन-कौन सी योजनाएं जनता जल योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होनी शेष हैं और कब तक स्वीकृत हो जायेगी?

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन सिटी (नागौर) में कुल 66 जनता जल योजनाएं स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत जनता जल योजनाओं के सूचारू रूप से संचालन हेतु विभाग द्वारा संबंधित संस्थाओं को किया गया भुगतान मय दिनांक आदि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) ग्राम पांचवा (पारा कुंआ) की जनता जल योजना माह मई, 95 को

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

स्वीकृत हुई। सरपंच द्वारा उक्त योजना को चार्ज में नहीं लेने के कारण यह योजना वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

(3) राज्य सरकार की नीति के अनुसार स्वीकृत जनता जल योजना के अन्तर्गत मोटर मरम्मत हेतु प्रति होर्स पावर 400 रुपये की राशि का भुगतान प्रति वर्ष देने का प्रावधान है। स्वीकृत जनता जल योजनाओं पर किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन सिटी के निम्न 5 ग्रामों में जनता जल योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. गोगोर, 2. मुआना (बिनजारिया बालाजी), 3. दैपुर, 4. रूघनाथपुरा, 5. लिचाणा

इन ग्रामों के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति हेतु तकनीकी प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। तकनीकी औचित्य एवं बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

केकड़ी फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट की पेयजल लाइनों एवं पम्प हाउस की मरम्मत

585. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी फ्लोराइड कन्ट्रोल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केकड़ी हैड वर्क्स से उद्‌गम होने वाली ग्रामीण पेयजल लाइनों एवं पम्प हाउस की मरम्मत के कार्य की निविदाएं आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो कब और किसने किस दर से निविदाएं जमा कराईं?

(2) क्या तीन वर्ष के लिए उक्त निविदाएं भर के दी गई थी? यदि हां, तो किस-किस की क्या दरें थीं?

(3) क्या दर का निर्धारण तीन वर्षों के औसत के आधार पर तय होता है?

उत्तर

(1) केकड़ी फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत केकड़ी हैड वर्क्स से उद्‌गमित होने वाली क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के पम्प चलाने, पाइप लाइन के लीकेज ठीक करने तथा संधारण कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई थी। ये निविदाएं दिनांक 2.12.2000 को प्राप्त की गई। निविदादाताओं के नाम एवं उनके द्वारा दी गई दरों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त निविदाएं मूल रूप से एक वर्ष के लिए आमंत्रित की गई थी परन्तु निविदा प्रपत्र के क्लाज़ में यह प्रावधान अवश्य रखा गया है कि यदि आवश्यकता हुई तो विभाग एवं ठेकेदार की आपसी सहमति से द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। निविदादाताओं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

द्वारा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए दी गई प्रतिशत बढ़ोतरी की दरें परिशिष्ट "अ" पर दर्शायी गई है।

(3) जी, नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सम्पादित कार्य

586. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा सम्पादित कार्यों को तय कर रखा है? यदि हां, तो मानदण्ड के अनुसार अतिरिक्त जिला कलक्टर के क्या कार्य हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त कलक्टर को आबंटित कार्यों को जिला कलक्टरों द्वारा अन्य अधिकारियों को दे रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस ने?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर्स द्वारा मनमानी कर जिले में अधिकारियों को अपनी इच्छानुसार कार्य वितरण कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा करने से रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के कार्य के मापदण्ड निर्धारित निम्न प्रकार किये हुए हैं :—

1. **राजस्व प्रकरण** : 80 अपील प्रतिमाह निस्तारण

2. **निरीक्षण कार्य :**

1- जिलाधीश कार्यालय का निरीक्षण वर्ष में एक बार।

2- **तहसीलों का निरीक्षण :**

जिले की तहसीलों/उप तहसीलों का 33% का वर्ष में निरीक्षण करना।

3- जिला मजिस्ट्रेट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 50% पुलिस थानों का वर्ष में एक बार निरीक्षण।

4- जेल/उप जेल राजस्थान जेल मैन्यूअल में जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट के लिए निर्धारित स्तर तक निरीक्षण।

3. इसके साथ ही अतिरिक्त जिला कलक्टर को जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिला कलक्टर कार्यालय में विभिन्न अनुभागों का प्रशासनिक कार्य एवं कानून एवं व्यवस्था का भी कार्य सम्पादन करना होता है। उक्त कार्य एक अतिरिक्त जिला कलक्टर के लिए निर्धारित है, यदि एक से अधिक अतिरिक्त जिला कलक्टर जिले में हैं, तो जिला कलक्टर इन कार्यों का उनमें बंटवारा कर सकते हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर को आबंटित कार्यों को जिला कलक्टरों द्वारा जिले के अन्य अधिकारियों को नहीं दे रखा है।

(3) जी, नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में चरागाह एवं सिवाय चक भूमि पर नाजायज कब्जे

587. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में चरागाह व सिवाय चक भूमि कहां-कहां कितनी है?

(2) उक्त भूमि पर कितने व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर रखा है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में तहसील बहरोड के 33 ग्रामों में 463.05 हैक्टेयर, बानसूर के 111 ग्रामों में 3751.11 हैक्टेयर कुल 144 ग्रामों में 4214.05 हैक्टेयर चरागाह भूमि है एवं तहसील बहरोड के 37 ग्रामों में 270.67 हैक्टेयर एवं बानसूर के 131 ग्रामों में 8209.00 हैक्टेयर कुल 168 ग्रामों में 8479.67 हैक्टेयर सिवाय चक भूमि उपलब्ध है। सूची संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर की तहसील बहरोड में 121 व्यक्तियों ने एवं तहसील बानूसर में 158 कुल 279 व्यक्तियों ने चरागाह भूमि पर एवं तहसील बहरोड में 299 एवं बानसूर में 362 कुल 661 व्यक्तियों ने सिवाय चक भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। जिनके विरुद्ध नियमानुसार 19 एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम बस्सी झाझड़ा (जयपुर) की गोचर भूमि पर अवैध कब्जे

588. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम बस्सी झाझड़ा पंचायत बोबास तहसील सांभर जिला जयपुर में गोचर की कितनी भूमि है?

(2) क्या उक्त भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं? यदि हां, तो अवैध कब्जे हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बस्सी, झाझड़ा पंचायत बोबास, तहसील सांभर, जिला जयपुर में कुल 87 बीघा 16 बिस्वा गोचर भूमि है।

(2) जी, हां। उक्त ग्राम की 4 बीघा 12 बिस्वा भूमि में सम्वत् 2057 में 3 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। तहसीलदार फूलेरा मु. सांभर लेक द्वारा दिनांक 21.4.2001 को अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया है।

ग्राम पंचायत नांगल हीरा (अलवर) की कब्रिस्तान भूमि पर कब्जे

589. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत नांगलहीरा तहसील कीथूर जिला-अलवर में गैर मुमकिन कब्रिस्तान भूमि खसरा नम्बर-244 रकबा 1.06 हैक्टेयर में है?

(2) उक्त भूमि पर किन-किन व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है?

(3) क्या कई व्यक्तियों ने उक्त भूमि पर अवैध पक्का या कच्चा निर्माण कार्य कर रखा है? क्या उक्त में से कुछ भूमि खाली है? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) ग्राम नांगलहीरा के ख. नं. 244 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से मौके पर 0.05 हैक्टेयर में कब्रिस्तान है व 0.15 हैक्टेयर में स्कूल मैदान है व बाउण्ड्री है। रकबा 0.86 हैक्टेयर में पूरे क्षेत्र में आबादी है। जिसमें 0.69 हैक्टेयर में कच्चे पक्के मकान बने हुए हैं। (सूची संलग्न है) शेष 0.17 हैक्टेयर रकबा रास्ता आदि के काम आ रहा है।

(3) जी, हां। कई व्यक्तियों द्वारा भूमि पर अवैध कच्चा व पक्का निर्माण कर अवैध कब्जा कर रखा है। सूची संलग्न है।

उक्त रकबे में से 0.05 हैक्टेयर भूमि कब्रिस्तान हेतु उपलब्ध है।

अतिक्रमियों में अधिकांश कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं। जिन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) का वास्तविक नाम

590. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) को किस नाम से सम्बोधित किया जाता है?

(2) वर्तमान में कौन-कौन से विभाग श्री डूंगरगढ़ व कौन-कौन से विभाग डूंगरगढ़ लिखते हैं? विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील का वास्तविक नाम क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्व रिकार्ड में तहसील डूंगरगढ़ है, इसे डूंगरगढ़ व श्री डूंगरगढ़ दोनों ही नाम से जन साधारण द्वारा सम्बोधित किया जाता है।

(2) राजस्व विभाग द्वारा डूंगरगढ़ लिखा जाता है। राजस्व विभाग के

(राजस्व मंत्री)

अतिरिक्त अन्य सभी विभाग श्री डूंगरगढ़ लिखते हैं।

(3) राजस्व विभाग एवं निर्वाचन विभाग के अभिलेख के अनुसार उक्त तहसील का नाम डूंगरगढ़ ही है।

पूर्व जागीरदार उनियारा (टोंक) के पास सीलिंग से अधिक भूमि

591. श्री अशोक (खण्डार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में पूर्व जागीरदार उनियारा (टोंक) श्री राजेन्द्र सिंह के खातेदारी में पटवार हल्का उनियारा में कुल कितनी भूमि उनके खाते में दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में भूमि धारक के पास सीलिंग से अधिक कितनी भूमि है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1952 लागू होने के बाद से प्रत्येक जिले में अलग-अलग भूमिधारी को भूमि रखने की सीमा तय की गई थी? यदि हां, तो जिला टोंक तहसील उनियारा में सीमा क्या रखी है?

(3) राजस्थान सीलिंग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत "परिवार" की परिभाषा क्या रखी है और यूनिट क्या रखा है?

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार उनियारा ने अपनी पत्नी श्रीमती सुशीला कंवर के नाम से भी लाम्बा ग्राम तहसील टोंक में करीब 415 बीघा भूमि अधिनियम के लागू होते समय रखी थी? यदि हां, तो उक्त क्षेत्रफल मूल भूमिधारक द्वारा क्यों नहीं दर्शाया गया? क्या यह सीलिंग अधिनियम का उल्लघंन है?

(5) क्या यह भी सही है कि भूमिधारक ने जानबूझकर राजस्थान सीलिंग अधिनियम की अवहेलना करते हुये अपने और अपने परिवार के नाम करीब एक हजार बीघा भूमि रखी हुई है? यदि नहीं, तो कितनी ज्यादा है? क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(6) क्या यह सही है कि मृतक श्रीमती सुशीला कंवर के संतानों ने अपने को वारिस बता कर नामान्तरण नं. 636 पटवार लाम्बा तहसील टोंक में ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा लिया है? यदि हां, तो क्या यह सीलिंग अधिनियम के व नियम के विरुद्ध नहीं है? वारिसों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पूर्व जागीरदार उनियारा (टोंक) श्री राजेन्द्र सिंह की खातेदारी में पटवार हल्का उनियारा में कुल 12 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। उप खण्ड अधिकारी टोंक, प्रथम के न्यायालय में सीलिंग प्रकरण संख्या 36/99 के अन्तर्गत 464 बीघा 14 बिस्वा भूमि तथा उप जिलाधीश जयपुर के यहां से उप खण्ड अधिकारी प्रथम टोंक को स्थानान्तरित सीलिंग प्रकरण संख्या 26/69 के अन्तर्गत 331 बीघा 3 बिस्वा कुल 795 बीघा 17 बिस्वा भूमि के सीलिंग प्रकरण विचाराधीन है। इन प्रकरणों के निर्णित होने

(राजस्व मंत्री)

पर ही यह जानकारी हो सकेगी कि भूमिधारी के पास सीलिंग से कितनी अधिक भूमि है।

(2) राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 के तहत तहसील अनियारा जिला टोंक में 5 या 5 से कम सदस्यों के कुटुम्ब के लिए भूमि का अधिकतम सीमा क्षेत्र 30 मानक एकड़ है।

(3) राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत "परिवार" की परिभाषा इस प्रकार है। "कुटुम्ब (परिवार) से पति और पत्नी तथा उन पर आश्रित उनकी सन्तानों पौत्र, पौत्रियों तथा पति की इस प्रकार आश्रित विधवा माता से गठित परिवार अभिप्रेत है तथा 5 सदस्यों के परिवार को एक यूनिट रखा है परन्तु यदि कुटुम्ब के सदस्य 5 से अधिक हो तो उनके सम्बन्ध में अधिकतम सीमा क्षेत्र में प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 5 मानक एकड़ की वृद्धि की जायेगी किन्तु इस प्रकार की यह 60 मानक एकड़ भूमि से अधिक न हो जाये।

(4) यह सही है कि भूतपूर्व जागीरदार उनियारा ने अपनी पत्नी श्रीमती सुशीला कंवर के नाम से ग्राम लाम्बा तहसील टोंक में 415 बीघा 18 बिस्वा तथा ग्राम निमोला तहसील टोंक में 48 बीघा 16 बिस्वा कुल 464 बीघा 14 बिस्वा भूमि उक्त अधिनियम के लागू होते समय नहीं दर्शायी जाने से रखी थी जो सीलिंग अधिनियम का उल्लंघन है। इसकी जानकारी उप खण्ड अधिकारी के ध्यान में आने पर उप खण्ड अधिकारी द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही करने हेतु राज. कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम 1973 की धारा 24 व 29 के तहत कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी जिला दण्डनायक टोंक को भेजा है जिसमें कार्यवाही विचाराधीन चल रही है।

(5) यह सही है कि भूमि धारक के अपने एवं अपने परिवार के नाम 892 बीघा भूमि वर्तमान में खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि में से बिन्दु संख्या 1 में वर्णित सीलिंग प्रकरण विचाराधीन है। जिनमें जांच कार्यवाही चल रही है अतः अन्य कोई जांच कराना प्रासंगिक नहीं है।

(6) यह सही है कि मृतक श्रीमती सुशीला कंवर के वारिसों ने ग्राम लाम्बा तहसील टोंक की भूमि का नामान्तकरण संख्या 636 एवं ग्राम निमोला तहसील टोंक की भूमि का नामान्तकरण संख्या 627 क्रमशः दिनांक 1.9.1998 एवं 21.1.99 को ग्राम पंचायत से अपने हक में तस्दीक करवा लिया है। इस भूमि का सीलिंग प्रकरण में नोटिस 12.10.99 को दिया गया है। जबकि नामान्तकरण इसके पूर्व तस्दीक करवाये जाने से सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत वारिसों को भी नोटिस दिये जा चुके हैं। वारिसों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

ग्राम सवीना (उदयपुर) में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में परिवर्तन

592. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सवीना (उदयपुर) में खसरा/आराजी नं. 637, 638, 639 किन-किन खातेदारों के नाम दर्ज है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खातेदार के नाम कितनी-कितनी भूमि दर्ज है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से किन-किन खातेदारों को जमाबन्दी/खाते की नकल दे दी गई है एवं किन-किन को देना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में किन-किन खातेदारों ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन/परिवर्तन कराने हेतु नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त प्राप्त आवेदन पत्रों की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परवर्तित करने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त आराजी की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन/परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मौजा सवीना (उदयपुर) में ख.नं. 637 के खातेदार श्री शांति लाल पिता कस्तूर चन्द आंचलिया निवासी उदयपुर, ख.नं. 638 के खातेदार : 1) श्रीमती सुधा कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार कोठारी नि. डागा बाजार, जोधपुर, 2) कुमारी ललिता पिता शांति लाल आंचलिया, सुभाष मार्ग, उदयपुर ही: ब. तथा ख.नं. 639 के खातेदार : 1) श्रीमती सुमन जैन पत्नी वीरेन्द्र कुमार जैन निवासी 40, गोकुल नगर, उदयपुर, 2) गोपाल पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी नि. ताल देवगढ़, 3) सुभाष पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी नि. ताल देवगढ़, 4) श्रीमती सुशीला आचार्य नि. ताल देवगढ़, 5) डाक्टर ईला पत्नी सुनील कुमार सिंघवी, जडियों की ओल, सिंघवियों की पोल, उदयुपर, 6) श्रीमती अरूणा अग्निहोत्री पुत्री एस.पी. पाठक, आर.सी.ए. उदयपुर हि.ब. के नाम दर्ज है।

(2) मौजा सवीना की आ.नं. 637 की 0.38 है. के खातेदार श्री शांति लाल, आ.नं. 638 की श्री सुधा कुमार हिस्सा 0.0250 है. व कुमारी ललिता हिस्सा 0.0250 हैक्टेयर व आ.नं. 639 के खातेदार : 1) श्रीमती सुमन रकबा 0.0300 है., 2) श्री गोपाल रकबा 0.0300 है., 3) श्री सुभाष रकबा 0.0300 है., 4) श्रीमती सुशीला रकबा 0.0300 है., 5) डा. ईला रकबा 0.0300 है. तथा 6) श्रीमती अरूणा रकबा 0.0300 हैक्टेयर है।

(राजस्व मंत्री)

(3) खाता संख्या 556 ख.नं. 639 की नकल खातेदारों से भिन्न व्यक्ति श्री खेमराज खारोल को दिनांक 9.2.01 को जारी की गई, अन्य किसी का आवेदन विचाराधीन नहीं है।

(4) नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में ग्राम सवीना के आ.सं. 637, 638 व 639 खसरा नम्बरों के नियमन बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) नगर विकास प्रन्यास द्वारा वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान के नियमन हेतु समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका दिनांक 26.2.2001 में धारा 90-बी के तहत आपत्तिया मांगी जा चुकी हैं। धारा 90-बी की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही नियमन की कार्यवाही की जावेगी।

(6) न्यास द्वारा इन मामलों के तथ्यों एवं नियमों को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर लिया जायेगा।

रामदेवरा मन्दिर, बिराटियां खुर्द (पाली) के ट्रस्ट का पुनर्गठन

593. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला पाली के प्रसिद्ध रामदेवरा मंदिर बिराटियां खुर्द के ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं?

(2) गत वर्ष सरकार ने उक्त मंदिर के ट्रस्ट का पुनः चुनाव जिला कलक्टर, पाली की अनुशंसा पर करवाने के आदेश दिये थे? क्या बाद में अब तक चुनाव नहीं करवाये गये? यदि हां, तो क्यों?

(3) अब कब तक उक्त ट्रस्ट का पुनर्गठन कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वर्तमान में जिला पाली के प्रसिद्ध रामदेवरा मन्दिर बिराटिया खुर्द के कुल 7 सदस्य हैं।

(2) जी, हां। दिनांक 21.4.2001 को चुनाव निष्पादित किये जा चुके हैं।

(3) दिनांक 21.4.2001 को हुए चुनाव में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है।

राज्य के उद्योगों में कार्यरत स्थाई/अस्थाई श्रमिक

594. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने उद्योग चल रहे हैं? उक्त उद्योगों में वर्गीकरण के हिसाब से कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षा में कुल कितने उद्योग लोक-आउट/बंद हुए?

(3) उक्त उद्योगों में से कितने उद्योग श्रमिकों की हड़ताल के कारण बंद हुए?

(4) वर्तमान में उक्त उद्योगों में कितने श्रमिक स्थाई/अस्थाई ठेकेदारी प्रथा में कार्यरत हैं और वर्तमान में कुल कितने

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल उद्योग 2,20,385

उद्योगों के वर्गीकरण अनुसार श्रमिकों की संख्या

1. 364 वृहद्/मध्यम उद्योगों में	1,46,298
2. 2,20,021 आर्टिजन एवं लघु उद्योगों में	8,52,091
कुल श्रमिक	**9,98,389**

(2) गत दो वर्षों में 17 संस्थान में तालाबन्दी तथा 328 संस्थान बन्द हुए।

(3) संस्थान श्रमिक हड़ताल के कारण बन्द हुए।

(4) वर्तमान में उक्त उद्योगों में 9,98,389 श्रमिक कार्यरत हैं। वर्तमान में 1011 ठेकेदार पंजीकृत हैं जिनके पास 47738 ठेका श्रमिक है। उद्योगों में स्थाई व अस्थाई श्रमिकों की सूचना का संकलन नहीं किया जाता है। इस कारण यह सूचना नहीं दी जा रही है। पंजीकृत ठेकेदारों की कुल संख्या की सूची जिलेवार संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

बाल श्रमिकों का सर्वे

595. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने बाल श्रमिक कार्यरत हैं?

(2) विभाग को इस प्रकार अनियमित तरीके से बाल श्रमिक रखने के प्रकरणों को वर्ष 2000 में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व विभाग ने उक्त शिकायतों के विषय में क्या-क्या किया?

(3) सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने का क्या कोई प्रयास किया गया? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं?

उत्तर

(1) 1991 की जनगणना के अनुसार राजस्थान बाल श्रमिकों की संख्या 7,74,199 है।

(2) वर्ष 2000 में इस विभाग के किसी भी कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य में जहां-जहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक होने की जानकारी मिली उन जिलों के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना के अन्तर्गत (भारत सरकार) (एन सी एल पी) को बाल श्रमिकों को चिन्हित कर उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य व पुनर्वास के लिए परियोजनाएं बनाकर श्रम मंत्रालय भारत सरकार को भेजी गई। अब तक अजमेर, जयपुर, जोधपुर, टौंक, उदयपुर व अलवर के लिए परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इन परियोजनाओं को चलाने का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत अब

(श्रम मंत्री)

तक 180 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है जिसमें 9000 बाल श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा, पूरक पोषाहार व मासिक स्थाई फण्ड दिया जा रहा है तथा इनका नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के सहयोग से जयपुर में 2000 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है।

माही नहरों की टूट-फूट की मरम्मत

596. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार माही नहरों की टूट-फूट की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त नहरों के विस्तार हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। माही नहरों की टूट-फूट की मरम्मत हेतु वर्ष 2001-2002 के निर्माण कार्यक्रम में प्रावधान किया गया है। अकाल राहत के अन्तर्गत ऐसे 8 कार्यों पर 4.80 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जाकर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं श्रमिक सीमा बढ़ाई जाकर नये कार्यों की स्वीकृति करना प्रस्तावित है।

(2) माही परियोजना के स्वीकृत प्रावधान के अनुरूप भूंगड़ा नहर, आनन्दपुरी नहर, जगपुरा व नरवाली नहरों के शेष काम हेतु उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुरूप बजट आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना की पूर्व निर्मित नहरों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के आदिवासियों हेतु सिंचाई सुविधाएं

597. श्री नगराज (लसाड़िया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के आदिवासियों के उत्थान हेतु उन्हें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(2) क्या तहसील सलूम्बर (उदयपुर) के सोमकमला अम्बा हाई लेवल कैनाल सरकार द्वारा स्वीकृत की गई? यदि हां, तो कब और इसकी अनुमानित लागत क्या थी?

(3) सरकार ने अब तक उक्त कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ किया?

(4) क्या सरकार उक्त कार्य चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा लसाड़िया के आदिवासियों के उत्थान हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रावतबोर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया

(सिंचाई मंत्री)

जा रहा है जिसके अन्तर्गत रावतबोर बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं नहरों का कार्य वन विभाग की आपत्ति के कारण पूर्ण नहीं हो पा रहा है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही जारी है इसमें सी.सी.ए. 481.875 हैक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई सुविधा उपलब्ध की जा सके।

(2) ज़ी, हां। भाराना नहर (सोम कमला अम्बा हाई लेवल कैनाल) की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पत्रांक एफ-3/12/ए.एस./ आई / सैल / 96 / 533-40 दिनांक 13.7.99 से जारी की है। इसकी अनुमानित स्वीकृत लागत रु. 1983 लाख है।

(3) वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अब तक उक्त हाई लेवल कैनाल का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(4) जी, हां। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर उक्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

बेथली एवं उतावली (बारां) सिंचाई परियोजनाओं के डूब में आई भूमि का मुआवजा

598. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बेथली एवं उतावली (बारां) सिंचाई परियोजनाओं में डूब में आई भूमि/मकान का मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस दिनांक को किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी राशि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा?

उत्तर

बेथली एवं उतावली सिंचाई परियोजनाओं के डूब में आई भूमि एवं मकानों का जारी अवार्ड एवं बजट के अनुसार आंशिक भुगतान ही किया जाकर पूरा मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं दिया गया है। किये गये भुगतान का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है। शेष अवार्ड्स के जारी होने एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर बाकी मुआवजा भुगतान शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील अटरू (बारां) की पार्वती पिक अप वियर व परवन पिक अप वियर नहरों का कमाण्ड क्षेत्र

599. श्री प्रभुलाल (नैनवां) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बारां की तहसील अटरू स्थित पार्वती पिक अप वियर व परवन पिक अप वियर से निकलने वाली नहरों से कितनी भूमि कमाण्ड क्षेत्र में शामिल है?

(श्री प्रभुलाल)

(2) उक्त पिक अप वियर से कितनी भूमि इस वर्ष सिंचित कर पाये तथा कितनी असिंचित रह गई ?

(3) उक्त भूमि असिंचित रहने के क्या कारण हैं ?

(4) गत दो वर्षों से उक्त नहरों के लिए मरम्मत व रख-रखाव पर कितना-कितना खर्चा कौन-कौनसी नहर या माइनर पर किया गया ?

(5) उक्त क्षेत्र असिंचित रहने से कितने गांव कौन-कौन से प्रभावित हुए ?

उत्तर

(1) जिला बारां की तहसील अटरू में पार्वती पिक अप वियर व परवन पिक अप वियर से निकलने वाली नहरों के अन्तर्गत निर्धारित सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र (सी.सी.ए.) कृषि योग्य भूमि 12550 हैक्टेयर व 6173 हैक्टेयर है एवं निर्धारित सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र (आई.सी.ए.) 7530 हैक्टेयर एवं 3704 हैक्टेयर है।

(2) वर्ष 1999-2000 में पार्वती नहर प्रणाली से 10017 हैक्टेयर व परवन नहर प्रणाली से 3530 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की गई है। पार्वती कमाण्ड क्षेत्र में निर्धारित सिंचाई क्षेत्र से अधिक सिंचाई हुई है, परन्तु परवन नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में निर्धारित सिंचाई क्षेत्र से 174 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कम हुई है। इन परियोजनाओं के ऊपरी (हैड) क्षेत्र में निर्धारित सिंचाई क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने के कारण नहर की टेल क्षेत्र के कुछ गांवों की भूमि असिंचित रह गई है।

(3) नदी में पानी की आवक कम होने एवं नहर के ऊपरी भागों में निर्धारित तीव्रता से अधिक क्षेत्र में सिंचाई होने के कारण टेल के कुछ क्षेत्र असिंचित रहे हैं।

(4) विगत दो वर्षों में नहरों की मरम्मत व रख-रखाव पर निम्न खर्चा किया गया :

वर्ष 1999-2000

पार्वती नहर प्रणाली	0.40 लाख
परवन नहर प्रणाली	0.59 लाख

वर्ष 2000-2001

पार्वती नहर प्रणाली	5.87 लाख
परवन नहर प्रणाली	— शून्य —

(5) पार्वती नहर से आंशिक अथवा पूर्ण असिंचित रहने वाले प्रभावित 9 गांव कोयला, खेड़ी, जागीर, गुदरावनी, भगवानपुरा, ईश्वरपुरा, भटवाड़ा, जेपल, हेड़ी, मांगरोल एवं सिंगोला तथा परवन नहर से असिंचित रहने वाले प्रभावित 11 गांव आमली जागीर, भौंरा, किशनपुरा, खेड़ली, रावान, भवानीपुरा, बहलावन, चरेल, बरी, कोटड़ा, बूढनहेड़ा एवं दौरानी हैं।

ग्राम कोठिया (बानसूर) में वर्षा के पानी की निकासी

600. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जगत सिंह दायमा)

(1) ग्राम कोठिया, ग्राम पंचायत नागल लाखा, पंचायत समिति बानसूर में क्या वर्षा का पानी गांव में नाले के रूप में आता है? यदि हां, तो उक्त नाला कहां से निकलता है?

(2) क्या उक्त नाले से लोगों को जान-माल का खतरा रहता है? यदि हां, तो उक्त नाले को ग्राम में न आने दिया जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त नाला गांव से लगभग तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित पहाड़ियों से निकलता है।

(2) वर्षों पुराने नाले के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में निर्मित सम्पत्तियों को अतिवृष्टि के समय खतरा होना स्वाभाविक है। उक्त नाले के बहाव को परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि नाले का पानी बांधा जा सकता है तो उसकी जांच कराई जावेगी।

जिला उदयपुर की नाल सिंचाई परियोजना में मिट्टी खुदाई कार्य

601. **श्री श्रवण कुमार** (पिलानी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के उपखण्ड झाडोल के अन्तर्गत नाल सिंचाई परियोजना का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो इस पर लागत कितनी आई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना का निर्माण का ठेका श्री रामेश्वर लाल चौधरी, भूतपूर्व सैनिक को दिया गया? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा काम समय पर किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार को बोरो एरिया से खोदी गई मिट्टी बांध तक कैरिज करनी थी और मिट्टी खुदाई का काम मजदूरों द्वारा किया जाना था? यदि हां, तो कुल कितनी मिट्टी खोदी गई और कितनी मिट्टी की ढुलाई की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य खुदाई हेतु मजदूर नहीं मिले और अधिकांश खुदाई भी ठेकेदार द्वारा मशीनों से की गई? यदि हां, तो खुदाई की गई और ढुलाई की गई मिट्टी की मात्रा क्या थी? क्या ढुलाई की गई मिट्टी की मात्रा खुदाई की गई मिट्टी की मात्रा से अधिक है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या ठेकेदार ने उसके द्वारा खुदाई गई मिट्टी के भुगतान हेतु अथवा आरबीट्रेशन हेतु अनुरोध किया? यदि हां, तो क्या सरकार आरबीट्रेशन की कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। नाल सिंचाई परियोजना निर्माण पर कुल 16.97 लाख रुपया व्यय हुआ है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर किया गया।

(3) यह सही है कि ठेकेदार को बोरों एरिया से खोदी गई मिट्टी बांध तक कैरिज करनी थी और मिट्टी खुदाई का काम मजदूरों द्वारा किया गया। खुदाई गई मिट्टी का माप स्थापित प्रक्रिया अनुसार बांध के क्रोस-सैक्शन के आधार पर 22611.23 घन मीटर परिवहन (ढुलाई) का कार्य किया गया।

(4) जी, नहीं। नाल परियोजना निर्माण में मिट्टी खुदाई का कार्य निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार विभागीय मजदूरों द्वारा ही कराया गया था। ठेकेदार द्वारा मशीनों से कोई खुदाई का कार्य नहीं कराया गया। खुदाई एवं ढुलाई दोनों की मात्रा गार्डबुक में बांध के क्रोस सैक्शन के अनुसार 22611.23 घन मीटर है अतः दोनों मात्रा में अन्तर का प्रश्न नहीं है।

(5) जी, हां। आरबीट्रेशन की कार्यवाही नहीं की जा रही है क्योंकि अनुबंध के क्लाज 23 में हाई पावर कमेटी से विवाद के निपटारे का प्रावधान है परन्तु उसके लिए ठेकेदार द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र क्लेम व निर्धारित फीस नहीं दी गई है।

सिंचाई विभाग में पटवारी का वेतन निर्धारण

602. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री हरिश चन्द्र शर्मा पटवारी के विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज वर्षों बाद आरोप पत्रादि जारी किये गये? क्या यह न्याय हित में सही है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रकरणों में इतने देरी से की कई कार्यवाही को उच्च न्यायालयों व उच्चतम न्यायालय द्वारा द्वेष पूर्ण कार्यवाही करना मानकर अनेकों निर्णय किये गये हैं? यदि हां, तो अब क्या यह कार्यवाही करना उचित/वैध है? यदि हां, तो कैसे?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण में पूर्व में वर्ष 1998 में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है? यदि हां, तो अब किन कारणों से उक्त कार्यवाही अमल में लाई गई? क्या उक्त कार्यवाही के लिये अधीक्षण अभियन्ता सक्षम था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 8.6.98 के द्वारा कर्मचारी की अवकाश स्वीकृत करने के आदेश किये हैं? उक्त को अवकाश क्यों नहीं स्वीकृत किये गये? उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रकरण में अब तक दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई और अब क्या कार्यवाही की जायेगी?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सारे तथ्यों के अनुसार अब उक्त कार्यवाही को

(श्री आत्माराम मेघवाल)

दाखिल दफ्तर किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि कर्मचारी को आज भी मूल वेतन 530/- रु. महंगाई भत्ता ही दिया जा रहा है? अब तक उक्त कर्मचारी के वेतन का निर्धारण क्यों नहीं किया गया और अब कितने रोज में फिक्सेशन कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) श्री हरिश शर्मा को पूर्व में वर्ष 1998 में अधीक्षण अभियन्ता द्वारा आरोप-पत्र जारी किये गये थे जिनके सक्षम नहीं होने के कारण जनवरी, 2001 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जो नियमानुसार है।

(2) विभाग द्वारा की गई कार्यवाही उचित/वैध है।

(3) जी, हां। अधीक्षण अभियन्ता के सक्षम नहीं होने के कारण विभागाध्यक्ष द्वारा आरोप-पत्र जारी किए गये हैं।

(4) जी, हां। कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृत हेतु आवश्यक प्रक्रिया नहीं अपनाने एवं रोग तथा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रेषित नहीं किया जाने से अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया, जिसके लिए कर्मचारी स्वयं दोषी है। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा जारी पत्र की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(5) जी, नहीं। कर्मचारी का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी, हां। कर्मचारी द्वारा रोग आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवकाश प्रकरण लम्बित है। कर्मचारी द्वारा अपेक्षित विवरण दिये जाने पर नियमानुसार अवकाश प्रकरण स्वीकृत किया जाना एवं वेतन निर्धारण (फिक्सेशन) किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

अलवर में सिंचाई हेतु बांध

603. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर में सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है?

(2) उक्त से कितनी राशि बांध/एनीकट बनाने में व्यय की गई?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग द्वारा जिला अलवर में इस वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान विभिन्न मदों में राशि रुपये 197.88 लाख व्यय की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त राशि में से 162.90 लाख रुपये लघु सिंचाई योजना (बांध) के बनाने पर विभागीय योजना राशि से एवं 2.51 लाख रुपये एवं एनीकट बनाने हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि से व्यय की गई है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में नये एनीकट निर्माण

604. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें :—

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कितने तालाब/एनीकट स्वीकृत हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये एनीकट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक कितने? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा हिण्डौली क्षेत्र में दो तालाब (सथूर माताजी एवं गुरजनियां) लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत, एक तालाब (माना का तालाब) अकाल राहत योजना में तथा दो एनीकट (रोनिजा एवं खरावदा) सांसद कोष से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत हैं।

(2) विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में किये गये सर्वेक्षण के संदर्भ में इस क्षेत्र में भी 82 एनीकट चिन्हित किये गये हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार उक्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा। चिन्हित एनिकटों की सूची प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सोजत सिटी पाली के मृतक सिंचाई कर्मी के आश्रित को नियुक्ति

605. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री हीरालाल मिस्त्री सिंचाई उप खण्ड सोजत सिटी (पाली) में कार्यरत था? यदि हां, तो उक्त कर्मी की मृत्यु कब हुई?

(2) क्या सरकार उक्त मृतक के आश्रित को राज्य सेवा में लेना चाहती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि श्री हीरालाल मिस्त्री, सिंचाई उप खण्ड सोजत सिटी (पाली) में कार्यरत थे। उक्त कर्मी की मृत्यु दिनांक 19.7.2000 को हुई थी।

(2) जी, हां।

मत्स्य अभिकरण, भीलवाड़ा के अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन

606. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या पशुधन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मत्स्य अभिकरण भीलवाड़ा के कई अल्प वेतन भोगी कर्मचारी कई वर्षों से अधिशेष है? यदि हां, तो क्यों? अधिशेष कर्मचारियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(2) क्या उक्त कर्मचारियों को वर्षों से वेतन भी नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों तथा इन्हें अब कब तक वेतन दे दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त लगभग एक दर्जन कर्मचारियों को अब तक समकक्ष पदों पर समायोजित क्यों नहीं किया गया और अब कब तक समायोजित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। मत्स्य पालक विकास अभिकरण, भीलवाड़ा के सात कर्मचारी जून, 1998 से अधिशेष है। राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 15.5.98 द्वारा मत्स्य पालक विकास अभिकरणों को समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप ये कर्मचारी अधिशेष चल रहे हैं।

(2) उक्त अधिशेष कर्मचारियों को फरवरी, 1999 तक का वेतन भुगतान किया गया है। माह मार्च, 1999 से वेतन का भुगतान बजट उपलब्ध होने पर किया जाना संभव होगा।

(3) मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्वायत्तशाषी संस्था होने के कारण अधिशेष घोषित किये गये कर्मचारियों को अन्य स्वायत्तशाषी संस्थाओं में समायोजित किये जाने हेतु जिला कलक्टर भीलवाड़ा कार्यालय में भिजवाया गया। अन्य स्वायतशाषी संस्थाओं में पद रिक्त नहीं होने के कारण समायोजन नहीं हो सका है। अधिशेष कर्मचारियों का समयोजन शीघ्र किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तहसील नगर व कामां (भरतपुर) में स्वीकृत पशु चिकित्सालय

607. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या पशुधन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील नगर व कामां (भरतपुर) में कुल कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र संचालित/स्वीकृत हैं? उनमें चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मियों के कितने पद स्वीकृत हैं?

(2) उक्त तहसीलों के चिकित्सालयों में स्वीकृत पदों में से कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं और इन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

(3) क्या उक्त तहसीलों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में नये चिकित्सालय खोलने का विचार है? यदि हां, तो कहां-कहां?

उत्तर

(1) तहसील नगर (भरतपुर) में 3 पशु चिकित्सालय, 1 पशु औषधालय व 5 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र तथा तहसील कामां (भरतपुर) में 3 पशु चिकित्सालय व 4 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र संचालित/स्वीकृत हैं। इनमें 6 पशु चिकित्सा अधिकारी, 4 पशु चिकित्सा सहायक, 12 पशुधन सहायक, 2 ड्रेसर, 8 सईस, 5 जलधारी व 5 सफाईकर्ता के पद स्वीकृत हैं।

(राज्य मंत्री, पशुधन एवं डेयरी विकास)

(2) उक्त तहसीलों के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है। कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

(3) वर्तमान में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की फालों से विद्युत उत्पादन

608. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इन्दिरा गांधी नहर तथा उसकी वितरिकाओं में 7 फीट अधिक फाल कितने हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फालों पर विद्युत उत्पादन किया जा सकता है?

(3) क्या सरकार ने उक्त फालों पर विद्युत उत्पादन की परियोजना बनाई थी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में कोई फाल नहीं है। वितरिकाओं में 7 फीट से अधिक कुल 71 फाल हैं।

(2) जी हां। इस समय 18 फालों पर 7 मिनी हाइडल यूनिट द्वारा विद्युत उत्पादन किया जा रहा है इसके अतिरिक्त 6 स्थानों पर अध्ययन किया गया किन्तु क्षमता अत्यधिक कम होने एवं आर्थिक दृष्टि से साध्य नहीं पाये जाने के कारण योजना को कार्य रूप में नहीं दिया जा सका।

(3) 18 फालों पर विद्युत उत्पादन हो रहा है तथा 6 स्थान उपयुक्त नहीं पाये गये। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा लघु विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट व कम) को स्थापित करने के लिए राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लि. (RSPCL) को अधिकृत किया हुआ है।

तहसील भादरा में स्वीकृत पत्रकारों को प्रदत्त सुविधाएं

609. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र भादरा में सरकार द्वारा स्वीकृत कितने पत्रकार हैं? उक्त पत्रकार किस समाचार पत्र से सम्बन्धित हैं तथा उनको सरकार की ओर से कब-कब कार्ड जारी किये गये हैं? नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार व अन्य विभागों से उक्त पत्रकारों को क्या-क्या सुविधाएं किस-किस प्रकार से मिल रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त संबंध में कोई नियम/आदेश जारी किये हुये है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र भादरा (जिला हनुमानगढ़) में सरकार द्वारा अधिस्वीकृत 4 पत्रकार हैं। उनके नाम, सम्बद्ध समाचार-पत्र, कार्ड जारी करने की तिथि व पते सहित सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) सरकार व अन्य विभागों द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां, नियम/आदेश जारी किए हुए हैं। विभागों के नियम/आदेश की प्रतियां परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला श्री गंगानगर के आयुर्वेदिक औषधालय

610. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और उनमें कितने चिकित्सक कार्यरत हैं? संख्या विवरण की सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के औषधालयों में वर्ष 1999 से जनवरी 2001 तक कुल कितनी औषधियां आई और उनमें से कितनी वितरित की गई तथा कितनी स्टाक में हैं? औषधालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में 5 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। इनमें 6 आयुर्वेद चिकित्सक वर्तमान में पदस्थापित व कार्यरत हैं।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद औषधालयों को वर्ष 1999 से जनवरी, 2001 तक कुल औषध सप्लाई का विवरण, मरीजों को वितरित की गई औषधियों एवं स्टाफ में शेष रही औषधियों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। नवीन औषधालय खोलने हेतु बजट में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से फिलहाल नवीन औषधालय खोलने का विचार नहीं है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लोक सेवा आयोग द्वारा अनुतीर्ण आयुर्वेद चिकित्सक

611. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सक नियुक्त है उनमें अजा/जजा के कितने हैं?

(श्री घासीलाल मेघवाल)

(2) क्या उक्त चिकित्सक पदों में अजा/जजा का बैकलाग बनता है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या उक्त बैकलाग को भरने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार वर्ष 1995 में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुतीर्ण करीब 200 तदर्थ नियुक्त चिकित्सकों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार चिकित्सकों को नई नियुक्तियां दे रही है?

(6) क्या लोक सेवा आयोग से अनुतीर्ण तद्र्थ नियुक्त चिकित्सकों के पदों को भी नई नियुक्ति में शामिल किया जाएगा?

उत्तर

(1) वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 3326 आयुर्वेद चिकित्सक नियुक्त हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 161 एवं जनजाति के 165 आयुर्वेद चिकित्सक हैं।

(2) जी हां। आयुर्वेद चिकित्सकों में अनुसूचित जाति के लिये 424 पदों का तथा जनजाति के लिये 274 पदों का बैकलाग वर्तमान में है।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को 200 पदों को भरने की अर्थना की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) आयुर्वेद चिकित्सक पद पर नवीन नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर दी जावेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) नये चिकित्सकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से अर्थना की जा रही है। नियुक्ति की पात्रता रखने वाले चिकित्सक आवेदन कर सकते हैं।

रसायनशाला उदयपुर द्वारा जिला चित्तौड़गढ़ के आयुर्वेद औषधालयों को औषधि वितरण

612. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चित्तौड़गढ़ की रसायन शाला उदयपुर द्वारा औषध वितरण की जाती है? यदि हां, तो तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद के किस-किस औषधालय में वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक कितनी औषधि की मांग के विरुद्ध वितरण की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1999-2000 में किस-किस औषधालय में कितने रोगियों का उपचार किया गया?

उत्तर

(1) जिला चित्तौडगढ में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों/

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

चिकित्सालयों को उदयपुर रसायनशाला से औषधियों का वितरण किया जाता है। यूनानी व होमियोपैथिक औषधियों व चिकित्सालयों को औषधियों का वितरण अजमेर रसायनशाला से किया जाता है।

तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में संचालित विभागीय औषधालयों को वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 में वितरित की गई औषधियों का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। औषधियां रसायनशाला में उपलब्धता के आधार पर सप्लाई की जाती है।

(2) तहसील प्रतापगढ़ व अरनोद में संचालित विभागीय औषधालयों की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक रोगी संख्या का विवरण परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देंखे)

राज्य में नर्स/कम्पाउण्डर के रिक्त पदों पर नियुक्तियां

613. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक प्रति/3/नर्स-कम्पा./नियुक्ति 99/13952 के तहत नियुक्तियां देने बाबत वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है? यदि हां, तो देरी के क्या कारण है?

(2) क्या इन्हीं आवेदन-पत्रों पर नियुक्तियां दे दी जावेगी? यदि हां, तो कब तक? उक्त विज्ञप्ति के अनुसार अब तक कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर की विज्ञप्ति क्रमांक प्रति-3/न.क्र./नियु./99/13952 दिनांक 24.4.99 द्वारा 200 आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। कतिपय पक्षकारों द्वारा न्यायालय की शरण लेकर अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त करने तथा वित्त विभाग का नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण नियुक्ति देने में देरी हुई है।

(2) विचाराधीन, विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि तक कुल 1384 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 22 आवेदन पत्र ऐसे आशार्थियों के थे जो अन्तिम दिनांक तक निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे तथा 22 आवेदन पत्र डबल प्राप्त हुए हैं।

जिला पाली के आयुर्वेद औषधालयों मे रिक्त पद

614. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली के औषधालयों में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं?

(श्री आत्माराम मेघवाल)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पाली जिले में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 28 पद एवं नर्स/कम्पाउण्डर के 30 पद दिनांक 20.3.2001 को पदस्थापन नहीं होने से रिक्त थे।

(2) जी हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

615. श्री गोपाराम मेघवाल : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वर्तमान में 19 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में से 5 औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक एवं 7 औषधालयों में नर्स/कम्पाउण्डर पदस्थापित नहीं है।

जी हां। 200 चिकित्सकों के पदों को भरने की वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयन के लिए निवेदन किया जा रहा है। चयन होने पर 200 चिकित्सकों के रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

250 नर्स/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

राजकीय संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा, बांसवाड़ा में व्याख्याताओं के रिक्त पद

616. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय गनोड़ा (बांसवाड़ा) में व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कब से कितने?

(श्री नानालाल नीनामा)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या जिला बांसवाड़ा के गनोड़ा में महाविद्यालय का बोर्ड सेन्टर था उसे हटाकर राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में किस आदेशों के तहत किया है? क्या सरकार पुनः गनोड़ा में उक्त सेन्टर कायम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा (बासंवाड़ा) में व्याख्याताओं के तीन पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	विषय	रिक्ति दिनांक
1.	व्याख्याता (अंग्रेजी)	27.11.98
2.	व्याख्याता (ज्योतिष)	12.05.99
3.	व्याख्याता (व्याकरण)	26.07.2000

(2) जी हां। रिक्त पद भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। आदेश क्रमांक : एफ 1 (23) शिक्षा-6/2000 दिनांक 23.5.2000 द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, गनोड़ा का परीक्षा केन्द्र हटाकर राजकीय महाविद्यालय में किया है। जी, नहीं।

स्थगित प्रश्न संख्या-6

(दिनांक 28 मार्च, 2001)

(स्थगित)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से बामनवास तहसील के ग्राम फुलवाड़ा में निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले की पंचायत समिति लूणी में 23.3.2001 को साधारण सभा की बैठक में जिला परिषद् के एक सदस्य पर कथित हमला करने की घटना के सम्बन्ध में।

(3) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न भागों में भारी तादाद में नकली नोटों का प्रचलन होने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कें स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रमजान खान, सदस्य की ओर से तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर में जल स्तर बनाए रखने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रूपलाल मीणा, सदस्य की ओर से सलूम्बर में स्थायी रूप से एडीजे. कोर्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के कतिपय गांवों को अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम धोद, सदस्य की ओर से संगरिया के केशवानंद महाविद्यालय के कर्मचारियों को गत 5 माह से वेतन नहीं मिलने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अधूरे पड़े एवं क्षतिग्रस्त एनीकटों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(7) डा. करण सिंह यादव, सदस्य की ओर से जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहरोड मिड-वे के सामने डिवाइडर को काटकर रास्ता निकालने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राज्य के सिंचित क्षेत्र विकास एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कतिपय कार्यालयों को समाप्त कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एक परिचालक के साथ किए जा रहे कथित अन्याय के सम्बन्ध में।

डा. किरोड़ीलाल। (अनुपस्थिति)

श्री रमजान खान।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप बोल ही नहीं रहे, क्या आपको + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देखिये आप.... (व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) : कार्य संचालन के नियम 295 के तहत तीर्थराज पुष्कर के पवित्र सरोवर के जल स्तर बनाये रखने बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आर्डर करो, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सब आर्डर ऐसे ही चलता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उप मुख्य सचेतकजी तो ऐसे घूमते हैं जैसे सुबह पार्क में घूम रहे हों। (व्यवधान) आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को समझो.

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो प्लीज।

नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

पुष्कर के सरोवर में जलस्तर बनाये रखने विषयक

श्री रमजान खान (पुष्कर) : निवेदन है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रदेश में पड़ रहे अकाल से पुष्कर की पवित्र सरोवर का जल स्तर भी निरन्तर गिर रहा है। पिछले वर्ष भी जल का स्तर इतना नीचे चला गया कि सरोवर में रहने वाली मछलियों का जीवन खतरे में पड़ गया और करीबन 2 हजार मछलियां पानी की कमी के कारण मर गई, जिससे तीर्थ यात्रियों एवं स्थानीय जनता की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है।

इस परिस्थिति को देखते हुए मैंने माननीय जलदाय मंत्री महोदय को पुष्कर पधार कर स्वयं स्थिति का जायजा लेने का आग्रह किया था। जिस पर माननीय मंत्री महोदय पुष्कर पधारे और वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया। आपने महसूस किया कि मछलियां तो मर ही रही हैं, तीर्थ यात्रियों को चरणामृत के लिए भी सरोवर का गन्दा पानी मिल रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मंत्री महोदय ने गत वर्ष तत्काल सरोवर के आस-पास 5 ट्यूबवैल खोदकर उसके पानी को सरोवर में प्रवाह करने के जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर निर्देश दिए तथा यह भी निर्देश दिए कि इसका बिजली का खर्चा भी विभाग वहन करेगा। विभाग के अधिकारियों ने विभागीय स्वीकृति के इंतजार में 6 महीने का समय निकाल दिया। आखिरकार गत वर्ष अक्टूबर में 18 लाख रुपये की स्वीकृति विभाग से जारी की गई। उसके बाद ट्यूबवैल खोदे गए जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो गया, परन्तु इन्हें पाइप लाइन से जोड़कर सरोवर में डालना था परन्तु छह महीने के अन्दर एक ट्यूबवैल का पानी ही सरोवर में डाला गया है। विभाग की धीमी गति के कारण पुष्कर की सरोवर का जल स्तर दिनोदिन गिरता जा रहा है और फिर वही

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रमजान खान)

गत वर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। स्नान करने एवं चरणामृत के लिए पानी बहुत ही गन्दा हो गया है और उसमें रहने वाली मछलियों का जीवन फिर खतरे में पड़ गया है।

मेरा माननीय जलदाय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि युद्ध स्तर पर इन चार ट्यूबवैलों का पानी सरोवर में डालने का विभागीय अधिकारियों को निर्देश फरमाने का कष्ट करें ताकि पवित्र सरोवर का जल स्तर यथावत बना रह सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा।

व्यवस्था का प्रश्न

सदस्यों का अध्यपीठ तक चले आना

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं देख रही हूं कि कोई भी सदस्य, चाहे वह मुख्य सचेतक हो या सचेतक, या साधारण सदस्य हों या चाहे कोई मंत्री हों, जाकर आसन के पास इस तरीके से बात करते हैं। यह नियमों के विरुद्ध है और यह नई परम्परा डाली जा रही है, सदन में। मेरी समझ में आसन को व्यवस्था देनी चाहिए। क्योंकि यह बहुत खराब लगता है कि इस तरीके से एक स्वस्थ परम्परा टूट रही है, हमारे नियम टूट रहे हैं, तो आप कुछ व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भविष्य में ध्यान रखें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या ने पाइंट आफ आर्डर उठाया है। आप अपने सचिवालय से जानकारी कर सकते हैं, 1952 के अंदर जी.वी. मावलंकर ने इसको बहुत सीरियस मानते हुए पार्लियामेंट के अंदर व्यवस्था दी थी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस व्यवस्था के आधार पर, उसके मध्य नजर आप भी एक परम्परा क़ायम करें और अपनी व्यवस्था इस पाइंट के ऊपर दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपलाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री केसाराम चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने नोटिस नहीं दिया, कुछ कहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया उनको, माननीय सदस्य ने कह दिया ना, माननीय सदस्य ने कह दिया ना। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, उनके कहने से क्या होता है, आसन से जब तक नहीं कहा जाएगा नहीं माना जाएगा, इन्होंने क्या कहा? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इनके पाइंट आफ आर्डर का समर्थन किया है और आपसे व्यवस्था चाही है, क्या कह दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना उस व्यवस्था को....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कुछ बोला नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट आफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय, कोई साधारण चीज नहीं है इसको आई गई मत कीजिए। पाइंट

(श्री रामनारायण चौधरी)

आफ आर्डर कोई साधारण बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्या हैं आपको क्या कहें यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अगर आपके जहन में यह जची है यह नहीं है तो रिजेक्ट कर दीजिये अन्यथा रिजर्व कर लीजिए, स्पीकर साहब को रेफर कर दीज़िए। आप कह दीजिए हम रिकार्ड देखेंगे देखकर उस आधार पर देंगे। जी.वी. मावलंकर साहब ने 1952 में, लोक सभा में इसमें व्यवस्था दी है, उसका आप अध्ययन कर लीजिए। उस सन्दर्भ में यदि आप उचित समझते हैं तो आप व्यवस्था दे दीजिए। उसको रिवर्स कर दीजिए या उसका समर्थन कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बोल रही थी, इतनी वरिष्ठ सदस्या हैं यह कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है लेकिन मैं नहीं चाहता था, कि इस तरह से आपकी बात को ध्यान से सुन लिया उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह पाइंट आफ आर्डर है। It is a valid point of order.

श्री उपाध्यक्ष : जो बात उन्होंने कही, उसको देखकर उस पर व्यवस्था कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं निवेदन करता हूं That it is a valid points of order. लोक सभा के अन्दर, देश की लोक सभा में जी.वी. मावलंकर ने व्यवस्था दी है आप निकलवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : उस व्यवस्था को देख लेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : व्यवस्था निकलवा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : निकलवा देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कहते हैं पाइंट आफ आर्डर नहीं है, पाइंट आफ आर्डर क्यों नहीं है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : But you cannot ignore like this.

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

विधान सभा क्षेत्र खारची में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र खारची के निम्न गांवों को अकाल राहत के तहत ग्रेवल सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खारची के ऐसे गांव जिनको आजादी के 50 वर्षों के बाद भी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है। मैं अकाल राहत के तहत उक्त गांवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं :—

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) बाता से स्वर्ण जयन्ती पाठशाला होते हुए रेलवे फाटक 5 किलोमीटर,

(2) ठोकर खेड़ी एप्रोच रोड भंवर साहब के बेरे तक 2 किलोमीटर,

(3) मलसा बावड़ी से गुडा मेहकरणा 3 किलोमीटर,

(4) ठाकरवास से शिवसागर स्कूल होते हुए सिरीमारी चार किलोमीटर,

(5) वाणीयामाली एप्रोच रोड 2 किलोमीटर,

(6) सारण से तेलपुरा रिपयेरिंग एवं रपट 3 किलोमीटर,

(7) सारण से मुडिया होते हुए सुरावाड 5 किलोमीटर,

(8) फुलाब से राजीया गुडा 3 किलोमीटर,

(9) ढाल एप्रोच रोड 2 किलोमीटर,

(10) पदम सिंह गुडा से रामबाघ 5 किलोमीटर,

(11) धनला से गुडा मौखम सिंह 5 किलोमीटर,

(12) बासनी से गुडा दुर्गा 3 किलोमीटर,

(13) कोटड़ी से बेरा चाचावा डेढ़ किलोमीटर,

(14) धवलड़ी (कारवाडा नाथो का) से एप्रोच मुख्य सड़क तक 3 किलोमीटर,

(15) गुगलिया से जोजावर 3 किलोमीटर,

(16) खिवाड़ा मोड से गुडा दोलजी 3 किलोमीटर,

(17) भोलेनाथ प्याऊ से स्वर्ण जयन्ती पाठशाला आगला अरट तीन किलोमीटर,

(18) केरली से केसूली 4 किलोमीटर,

(19) निपल से बोरली 4 किलोमीटर,

(20) गुडा केसर सिंह, गुडा रूपसिंह होते हुए छोटी सिवन 4 किलोमीटर,

(21) केसूरी से रायको की ढाणी 3 किलोमीटर,

(22) राइको की ढाणी से निपल 3 किलोमीटर,

(23) गुडा देवड़ा मेडितियान से गुडा जेतावला 3 किलोमीटर,

(24) गुडा जेतावला से मधर तालाब पंचायत हैडक्वार्टर 4 किलोमीटर,

(25) माडपुर से तिखी देसूरी 2 किलोमीटर,

(26) इन्द्रवाड़ा से रामलाल अणकिया रेलवे फाटक 4 किलोमीटर,

(27) कादू से गुडा केसर सिंह,

(28) ग्राम पंचायत सिरीयारी सालर ढाणी से इन्दोकिया तक 3 किलोमीटर,

(29) कोटडी मेणा बस्ती से अनणी की ढाणी 2 किलोमीटर,

(30) सारण से नाड होते हुए धापडिया मेलाप 3 किलोमीटर,

(31) बोगला चौराहे से गुडा भोपा 2 किलोमीटर,

(श्री केसाराम चौधरी)

(32) रामसिंह गुड़ा से आगदोष मोड तक 4 किलोमीटर,

(33) गुडा प्रेमसिंह से गुडा दुर्जन 2 किलोमीटर, तथा

(34) गुडा चुतरा चौराहे से मानी से गुडा मौखम सिंह 6 किलोमीटर,

उपरोक्त सभी सड़कों को अकाल राहत के तहत शुरू कराये जाने का मैं माननीय अकाल राहत मंत्रीजी से निवेदन करता हूं। उक्त सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी दिनांक 29.12.2000 को पत्र लिखा गया था जिसके जवाब में उन्होंने उक्त सड़कों को चालू करवाने का अश्वासन दिया था।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत के तहत उक्त सड़कों को पूरा करवाया जाए जिससे लोगों को आवागमन में राहत मिल सकें एवं अकाल के समय में लोगों को रोजी-रोटी का सहारा हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम (धोद)

केशवानन्द महाविद्यालय, संगरिया के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने विषयक

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय ग्रा. वि. संगरिया के कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिलने एवं अन्य समस्याओं के लिए 17.4.2001 से हड़ताल एवं आमरण अनशन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, आपसे निवेदन है कि शिक्षा प्रेमी स्वामी केशवानन्द ने संगरिया में स्वामी केशवानन्द ग्रा. वि. संगरिया द्वारा संगरिया में कृषि महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं अन्य विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। काफी लम्बे समय, जिसमें राज्य के खजाने से एवं जनता से 90 परसेंट अनुदान दिया जा रहा है। मार्च, 2001 तक अनुदान प्रबन्ध समिति द्वारा सरकार से उठाने के बाद भी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पिछले पांच माह का वेतन नहीं दिया गया है। कर्मचारियों का पी.एफ. 12 परसेंट की जगह 8.33 परसेंट काट रहे हैं जो नियम विरुद्ध है। प्रबन्धकों द्वारा धन की निजी कार्यों में दुरुपयोग किया जाना आम बात हो गई है तथा इन अनियमितताओं का विरोध करने वालों के खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्यवाहियां की जाती हैं एवं इन अनियमितताओं को प्रोत्साहन देने वाले अधिकारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जाता है।

इन अनियमितताओं का एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं कि शिक्षा एवं कृषि विभाग से अनुदान प्रबन्धकों एवं प्रशासकों द्वारा लिये जाकर संस्था के विभिन्न बैंक खातों में जमा होने के बाद संस्था के कर्मचारियों का वेतन नहीं चुका कर अपने निजी कार्यों में खर्च किये गये हैं :—

(श्री अमराराम)

बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक	राशि
दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक, संगरिया	86	14.7.2000	10,19,437/-
	86	26.7.2000	97,454/-
	86	14.8.2000	1,00,000/-
	86	26.9.2000	1,16,365/-
	86	26.9.2000	4,47,622/-
	86	4.10.2000	1,87,447/-
	86	4.10.2000	4,65,985/-
	86	4.10.2000	50,022/-
पंजाब नेशनल बैंक, गांधी चौक, संगरिया	91	14.8.2000	10,00,000/-
एस. बी. बी. जे.	1175	16.8.2000	10,00,000/-
		17.8.2000	
		18.8.2000	

उपरोक्त राशि प्रबन्धकों द्वारा दुरुपयोग की गई है। अतः इन मांगों को लेकर संस्था के कर्मचारी 17.4.2001 से संघर्ष कर रहे हैं तथा हड़ताल के साथ-साथ आमरण अनशन कर रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि संस्था में प्रशासक नियुक्त करके सम्पूर्ण जांच करवाई जाए और कर्मचारियों को पिछले 6 माह का वेतन का भुगतान करवाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए एवं तुरन्त हस्तक्षेप किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अधूरे एवं क्षतिग्रस्त एनीकटों का पुनर्निर्माण

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत पूर्व अकाल वर्षों में सिंचाई विभाग से बनाये गये अपूर्ण एवं क्षतिग्रस्त एनीकट को जनोपयोगी बनाने के लिए सामग्री राशि की स्वीकृति के साथ पुनः निर्माण के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपरोक्त विषय में रायपुर विधान सभा क्षेत्र जिला-पाली का अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1987-88, 1988-89 को पूर्ण

(श्री हीरासिंह चौहान)

करने के विषय में निवेदन निम्नप्रकार से हैं :

(1) यह कि विधान सभा क्षेत्र रायपुर में पिछले वर्षों में पहाड़ी क्षेत्र होने से एनीकट नीतिगत निर्णयों के अनुसार अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृति बाद प्रारम्भ किये गये लेकिन अकाल की अवधि समाप्त होने के कारण हजारों व कहीं-कहीं लाखों रुपये व्यय होने के बाद भी अपूर्ण रह गये इस कारण अभी तक जनोपयोगी नहीं बन सके हैं। जबकि इस अकाल वर्ष में यदि उनके पूर्ण निर्माण की स्वीकृति मिल जाती है तब ऐसी स्थिति में यह छोटे-छोटे एनीकट प्रति वर्ष पड़ने वाले सूखे से पेयजल समस्या का निवारण करने में सहायक सिद्ध होंगे क्योंकि वर्षा ऋतु में इनमें पानी का भराव होने से आस-पास के किसानों के कुछ कुओं में पानी की आवक बढ़ने से अधिक फसलों की पैदावार बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी।

अपूर्ण एनीकटों के अलावा कुछ एनीकट अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं जिसके पुंणर्निर्माण की भी बहुत आवश्यकता है जिससे वह पुनः जनोपयोगी बन सकें। नये एनीकट सरकार निर्माण के लिए सामग्री राशि की कमी के कारण नहीं भी करवा सके फिर भी अपूर्ण व क्षतिग्रस्त सिंचाई विभाग के एनीकट पूर्ण करवाये जाने चाहिए, जो विधान सभा क्षेत्र रायपुर में सरकार को सिंचाई विभाग को सामग्री की राशि उपलब्ध करने के लिए अध्यक्ष एवं जिला कलक्कर, पाली को निर्देश देकर निम्नलिखित एनीकट इसी अकाल वर्ष में पूर्ण करवाए जाए :

(1) तिकलीनाका एनीकट-कानूजा

(2) गुढ़ावाला एनीकट-बलूपुरा (दीपावास)

(3) कवलासिया एनीकट-रामावास (बूटीवास)

(4) नीचला तालाब-किराण्य (कोट किराणा)

(5) झूड का नाका-कालखुर्द (पचानपुरा)

(6) कालीकाकर-कलासिया

(7) मौरिया झागर-बगड़ी

(8) माताजी एनीकट-केलवाद

(9) सीगपुरा एनीकट-रापरा कलां

(10) गड्डी का नाका-रेलड़ा

(11) लाडपुरा एनीकट-बीलागुड़ा

अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से सिंचाई विभाग के अधूरे एवं क्षतिग्रस्त एनीकटों को पूर्ण करने के लिए जिला कलक्टर पाली को विशेष निर्देश के द्वारा सामग्री राशि की स्वीकृति देकर पूर्ण करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करण सिंह यादव।

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहरोड मिड-वे के सामने डिवाइडर काटे जाने विषयक

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर-8 पर स्थित मिड-वे-बहरोड में दिल्ली

(डा. करण सिंह यादव)

की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध न होने के कारण व होने वाली असुविधा व बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, बहरोड कस्बे के आस-पास के सभी मोटल्स, होटल्स व रिसोर्ट्स के आगे डिवाइडर में रास्ता (कट) बने हुए हैं। जबकि आर.टी.डी.सी. के मिड-वे के सामने रास्ता (कट) उपलब्ध नहीं है। बहरोड मिड-वे के सामने से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच की पट्टी (डिवाइडर) में सुलभ रास्ता (कट) न होने के कारण दिल्ली की ओर से आने वाले वाहनों को मिड-वे से लगभग दो फ्लांग दूर जाकर पुनः यू-टर्न लेकर मिड-वे में आना पड़ता है। तेज रफ्तार के वाहनों के कारण इस यू-टर्न से दुर्घटनाओं की सम्भावना अत्यधिक रहती है और दरअसल में इस स्थान पर कई दुर्घटनाओं में मानव क्षति हुई है। राजस्थान रोडवेज की बसें, जो दिल्ली से आती हैं, वो मिड-वे से एक फलांग पहले बहरोड कस्बे के मुख्य चौराहे से गलत राह लेकर बायें न चक्कर दायीं और, रांग साइड चलती हैं। इस कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। मिड-वे बहरोड से जयपुर की ओर जाने वाले वाहन भी दायीं (रांग साइड) चल कर कुछ दूर जाकर बायें रास्ते पर जाते हैं। इस कारण भी दुर्घटनाएं हो रही हैं।

इन सब समस्याओं का समाधान है कि मिड-वे के मुख्य द्वार के सामने की वितरिका पट्टी (डिवाइडर) को काट कर रास्ता निकाला जाये।

मैं माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नेशनल हाई-वे आथोरिटी आफ इण्डिया से बात कर मिड-वे के सामने डिवाइडर में कट करवाकर सुलभ रास्ता करवाएं जिससे कि यात्रियों की असुविधा व दुर्घटना कम हो सके और मिड-वे का उपयोग लेने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

राज्य के सिंचित क्षेत्र विकास विभाग एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के कतिपय कार्यालय समाप्त कर दिये जाने विषयक

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि राज्य सरकार ने सिंचित क्षेत्र विकास, इ.गा.न.प., बीकानेर के योजना बजट के तहत कृषि प्रशिक्षण केन्द्र (ए.टी.सी.) हनुमानगढ़, ए.टी.सी. बरोर, ए.टी.सी. लूणकरणसर व सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर बज्जू प्रथम व द्वितीय एवं नाचना प्रथम के कार्यालय व पूगल की सरकारी यूनिट के कार्यालयों को इस वर्ष मई, 2001 के बाद पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है और उक्त पदों को अप्रभावी कर अबेयंस में रख दिया है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उक्त निर्णय के फलस्वरूप इं.गा.न.प. की मुख्य नहर मसीतावाली हैड के आर.डी. 621 तक के सभी जिला कृषि विस्तार अधिकारी के पांच कार्यालय तोड़ दिये गये हैं। जिला कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय हनुमानगढ़, सूतरगढ़, अनूपगढ़, छत्तरगढ़ व पूगल में कार्यरत थे। उक्त कार्यालयों को तोड़ने के बाद इन क्षेत्रों की कृषि विस्तार की गतिविधियों को किसी के भी सुपुर्द नहीं किया गया है व तोड़े गये कार्यालयों के समस्त स्टाफ को कृषि विभाग को सुपुर्द करने के आदेश दिये गये हैं।

सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर, बज्जू प्रथम व द्वितीय एवं नाचना प्रथम के जो कार्यालय तोड़े गये हैं, उनमें निम्न अधिकारियों के पद महत्वपूर्ण हैं — सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर - 3 पद, डिप्टी सैटलमेंट आफिसर - 3 पद, डिप्टी डायरेक्टर अडेप्टिव रिसर्च - 3 पद, ए.आर.ओ. - 11 पद, सहायक ए.आर.ओ. - 7 पद, जे.एस.ए. - 1 पद, कृषि विस्तार के डिप्टी डायरेक्टर - 1 पद, जिला विस्तार अधिकारी - 5 पद, कृषि अधिकारी - 5 पद, सहायक कृषि अधिकारी - 20 पद, कृषि पर्यवेक्षक - 174 पद व इनके अधीनस्थ समस्त एल.डी.सी., यू.डी.सी., फोर्थ क्लास, पटवारी, चौकीदार और ड्राइवर वगैरह के 263 पद तोड़े गये हैं और इन पदों को तोड़े जाने के लिए प्रशासनिक विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे निर्देश जारी करें। यह भी निर्देशित किया गया है कि इन पदों पर जो अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत थे, उन्हें विभाग में उपलब्ध उसी पे-स्केल के रिक्त पदों पर समायोजित कर दिया जाएगा और ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया जाएगा। उक्त समस्त पदों के लिए बजट में दो महीने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय से करीब साढ़े तीन हजार, चार हजार चक प्रभावित होंगे। छत्तरगढ़ व पूगल तहसील क्षेत्र में कार्यालयों के टूटने से 1000-1100 चक प्रभावित होंगे और एक चक में औसतन 40 काश्तकारों का निवास होता है। छत्तरगढ़ व पूगल के काश्तकार अभी तक नहरी खेती से पूर्ण रूप से परिचित भी नहीं हो पाये हैं। सिंचाई का कार्य यहां जुलाई, 1975-76 से प्रारम्भ हुआ है जबकि गंग कैनाल क्षेत्र के किसानों को सिंचित खेती से परिचित हुए 70 साल की अवधि हो गयी है और भाखड़ा क्षेत्र में भी काश्तकार सन् 1965 से सिंचित खेती से परिचित रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार ने गंग कैनाल व भाखड़ा क्षेत्र में व जैसलमेर क्षेत्र में स्थापित व कार्यरत उक्त प्रकार से कृषि विस्तार कार्यालयों को चालू रखते हुए नहीं तोड़ा है और उनका ध्यान सिर्फ इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सिंचित क्षेत्र विकास में कार्यरत जिला कृषि विस्तार अधिकारियों, सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर व ए.टी.सी. हनुमानगढ़, लूणकरणसर को तोड़ने की तरफ ही रहा है, जो पूर्णतया अविवेकपूर्ण है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जिला विस्तार अधिकारी हनुमानगढ़, अनूपगढ़, सुरतगढ़, छत्तरगढ़ पूगल व सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर बज्जू प्रथम व द्वितीय व नाचना प्रथम व ए.टी.सी. हनुमानगढ़, बरोर व लूणकरणसर के कार्यालयों को तोड़े जाना हनुमानगढ़ से लगा कर नाचना तक के समस्त क्षेत्र के किसानों के साथ बड़ा भारी अत्याचार व अविवेकपूर्ण कदम है व राज्य सरकार की योजनाबद्ध विकास के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा के अभाव को व्यक्त करता है।

उक्त कार्यालयों को तोड़े जाने के फलस्वरूप इस सारे लम्बे-चौड़े क्षेत्र में कृषि से संबंधित खाद व दवा आदि की गुणवत्ता पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। काश्तकारों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं होगी व अनुदान आदि की सेवाओं के सम्बन्ध में भी काश्तकारों को कोई सीधी जानकारी प्राप्त नहीं होगी।

मैं राज्य सरकार के उक्त अविवेकपूर्ण निर्णय को वापस लिये जाने की मांग करता हूं। उक्त निर्णय इस बात का प्रतीक है कि इस सरकार के लिए अब हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़, छत्तरगढ़, पूगल, लूणकरणसर, बज्जू प्रथम व द्वितीय व नाचना तक के क्षेत्र में न तो काश्तकारों को कृषि विस्तार की सेवाओं की आवश्यकता है, न काश्तकारों को बज्जू व नाचना के क्षेत्र में सैटलमेंट मोटिवेशन आफिसर के माध्यम से काश्तकारों को सैटलमेंट के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता रह गयी है और न काश्तकारों को और किसी भी प्रकार के कृषि प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता रह गयी है। ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय को राज्य सरकार जितनी जल्दी वापस ले लेगी, उतना ही जल्दी कृषि विस्तार पर व कृषि प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा किये गये कुठाराघात से इस क्षेत्र का काश्तकार बच पायेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रघुवीर सिंह गौड़।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एक परिचालक के साथ किये जा रहे कथित अन्याय विषयक

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत श्री रामभगत शर्मा, परिचालक के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्याय के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामभगत शर्मा, सांगानेर आगार में पदस्थापित एक कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, परिचालक है, लेकिन विगत दो वर्षों से विभागीय अधिकारियों के अहम की तुष्टि न होने के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं। मैंने पूर्व में भी श्री रामभगत को वेतन दिलाये जाने तथा इनके प्रति किये गये प्रतिशोधात्मक एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार के लिए निष्पक्ष जांच किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र द्वारा निवेदन किया था। लेकिन शायद इस प्रक्रिया ने अधिकारियों को और अधिक रूष्ट कर दिया है तथा न तो श्री रामभगत

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

को वेतन दिया गया है, न ही उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन। अन्त में दुःखी होकर तथा पारिवारिक कठिनाइयों से त्रस्त श्री रामभगत ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप कर निर्दोष व्यक्ति के परिवार को टूटने से बचाएं। विभागीय अनियमितताओं के कारण यदि किसी कर्मचारी एवं उस पर आश्रित परिवार को कुछ अनहोनी होती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी निगम तथा सरकार पर होगी।

अतः मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। धन्यवाद !

व्यवस्था

सदस्यों का अध्यक्षपीठ तक चले आना

श्री उपाध्यक्ष : अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने एक प्रश्न उठाया था कंडक्ट आफ मेम्बर्स के लिए। यह कौल एण्ड शकधर, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट है। इसमें इतने लम्बे कंडक्ट के सम्बन्ध में आब्जर्वेशंस है। आप चाहे तो सबको पढ़ दूं या आपने जो कहा, उसी को ही पढ़ दूं।

अनेक माननीय सदस्य : आपरेटिव पार्ट।

श्री उपाध्यक्ष : हरेक पार्ट इसका आपरेटिव है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, आपरेटिव ही पढ़ दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा कोई इनआपरेटिव नहीं है। माननीय अध्यक्ष खड़े हों तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य, आप फ्लोर क्रास नहीं कर सकते। पचास तरह के आब्जर्वेशंस हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : एक पुस्तिका है "डूज एण्ड डोंट डूज", उसका हम ओबे करते हैं। आप कह रहे हो, कई सदस्य नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जिसको आपने कोट किया है, उसके सम्बन्ध में पढ़ देता हूं। उसके साथ दो-तीन और हैं, वह भी पढ़ देता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्षजी, मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है, बहुत-सी परम्पराएं इस हाउस में टूट रही हैं। तो जो भी आब्जर्वेशंस दिये गये हैं, आप सबको पढ़कर सुना दें तो कम से कम हम, जो भी सदस्य हैं, उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा। (व्यवधान) नहीं, लगातार टूट रही हैं परम्पराएं। जैसी परम्परा होनी चाहिये उनका पालन नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मार्गदर्शन लेना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : "Conduct of Members —....

"Besides, in keeping with parliamentary conventions and etiquette, members are forbideen :

(श्री उपाध्यक्ष)

— to enter the Chamber with a coat hanging on the arm;

— to place their hats on the desk in the House;

— to carry walking sticks into the Chamber unless permitted by the Speaker under such exceptional circumstances as old age or physical infirmity; ....

— to raise slogans in the House; ....." यह सुन रहे हो?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, सुन रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : .... — to raise slogans in the House;

— to display flags or emblems on their seats in the House;

— to bring a taperecorder into the House or play it there;

— to stand in the gangway and talk to other members; ...." यह भी बहुत इम्पार्टेंट है।

"....— to produce exhibits during debate or make demonstrations in the House;

— to distribute within the precincts of the Parliament House; any literature, quesionnaire or pamphlets etc. not connected with the business of the House, unless permission has been obtained from the Speaker in writing in advance;

— to approach the Chair personally in the House; ...." मैडम यह है —

".... — to leave the Chamber immediately after delivering their speeches; and

— to indulge during debate in any frivolity or in jokes with a barb or sarcasm in them." उसके सम्बन्ध में यह कहा है कि they may send chits, if necessary.

श्री अमराराम चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप सीधे नहीं जा सकते। आप चिट भेज सकते हैं उनके पास स्टाफ के जरिये। डायरेक्ट नहीं दे सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : चिट स्टाफ के जरिये भेज सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा सकते।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : हमने तो आपकी सुविधा के लिए ही व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन किया था

(श्री रामनारायण चौधरी)

ताकि सदन का डेकोरम बना रहे। पहले ऐसा नहीं होता था । यह तो रिसेंट में परम्परा बनती जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले नहीं होता था ऐसा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए सारी बात बता दी।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, ज्ञान-वान कुछ नहीं, ज्ञान तो आसन पर है। हम तो आसन के ज्ञान के ही मार्गदर्शन में चलते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि एक व्यवस्था और हो कि आसन जिसको पुकारे, उसी की बात रिकार्ड हो और वह ही अपनी बात कहे।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी पालना आप करोगे क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, हम भी करेंगे। सब करें। यह तो एक मेरा सवाल नहीं है, सारे लोग करें। आसन से एक का मतलब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : होता यह है कि जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहता है वह रह जाती है और शोर में घुल जाती है। सवाल का प्रोपर जवाब भी नहीं आता।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन की जो बात है वही व्यवस्था है, उसका पालन नहीं, उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

पर्चों के माध्यम से उठाए गये मुद्दे

भारत के अन्यान्य राज्यों में कार्यरत राजस्थानियों की हत्याएं

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के कारण हमारे राजस्थान के लोग अपने घर को छोड़ कर के अन्य प्रांतों में जा कर व्यापार करते हैं। आसाम के अन्दर, कर्नाटक के अन्दर, तमिलनाडु के अन्दर, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात में, सब जगह हमारे राजस्थान के लोग फैले हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 16 अप्रैल की रात दो मासूम जवान, जिनकी उम्र थी एक की 20 साल और एक की 21 साल, दोनों अपने शोरूम के अन्दर सोये हुए थे, उन दोनों की गर्दन काट दी गयी और 16 अप्रैल के बाद अभी तक कर्नाटक सरकार ने उन हत्यारों को नहीं पकड़ा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे आसाम में हो, चाहे कर्नाटक में हो और चाहे हिन्दुस्तान के किसी भी कौने में हो, राजस्थान के रहने वालों के लिए यहां के गृह मंत्री, यहां के मुख्य मंत्रीजी उस सरकार से, जहां इस प्रकार की हत्याएं राजस्थानियों की होती है, उनकी सुरक्षा के बारे में तुरन्त इंतजाम करें और उन हत्यारों को पकड़ा जाय।

(श्री अमराराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक के वांगलकोट जिले के बदामी गांव में प्रवासी राजस्थानियों की, दो युवकों का गला रेत कर नृशंस हत्या के आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कई संगठनों ने राजस्थान सरकार को फैक्स भेजे हैं और केन्द्र सरकार को भी भेजे हैं लेकिन आज तक उनका सुराग नहीं मिला है। 16 अप्रैल की रात्रि में कर्नाटक के वांगलकोट जिले के बदामी गांव स्थित चारभुजा शॉरूम के मालिक रघुनाथ सिंह, उम्र 21 साल, हुकुम सिंह राजपूत, निवासी असाड़ा व मुनीम चैन सिंह पुत्र श्री चुन्नीलाल राजपुरोहित, निवासी मेली तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर का रहने वाला है। यह दोनों नव-युवक मेरे जिले के रहने वाले हैं। उनकी कर्नाटक के अन्दर नृशंस हत्या कर दी गयी है तथा उन हत्यारों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के प्रवासियों का सम्मेलन करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके लिए आप सब-कुछ व्यवस्थाएं करते हैं और जो राजस्थान के बाहर अपने प्रवासी भाई रहते हैं उनके साथ में इस प्रकार के जो जघन्य अपराध लोग करते हैं उनके लिए इस गवर्नमेंट को आप विशेष रूप से लिखें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट लेना चाहती हूं। परसों के दिन मैंने बोला था मनोहरपुरा थाना के लिए, उस का भी मुझे आश्वासन चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे पर अभी माननीय सदस्य ने राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया और यह अवगत कराया कि कई संगठनों ने फैंक्स दिये हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थानी किसी भी प्रांत में रहते हों वहां की सरकार उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करे तो सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। वहां के गृह मंत्रीजी से चर्चा करेंगे, मुख्य मंत्रीजी की ओर से मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखेंगे और इस घटना की जांच करा करके दोषी का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो राजस्थान प्रांत की बात कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है। उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन आज तक इस पर फैक्स भेजने के बाद में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी?

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने जो बात कही थी मनोहरथाना क्षेत्र की, उस समय गृह मंत्रीजी

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

उपस्थित नहीं थे। आज तीन दिन हो गये और इस तरह की वहां पर जघन्य हत्या हो जाये और अपराधी अभी तक नहीं पकड़े जायं, मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहती हूं कि उस व्यक्ति को, जो मर चुका है, उसको आप न्याय दिलायें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी सूचना भी दी थी और मेरे को जानकारी दी थी। मैंने कल ही एस.पी., झालावाड़ से और डी.आई.जी., कोटा से बात की है और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको जल्दी पकड़ने की कार्यवाही की जायेगी।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

गरीबी उन्मूलन परियोजना में घोटाला

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार अपने आप को संवेदनशील और पारदर्शी कहती है। उपाध्यक्ष महोदय, घोटाला करना सरकार की आदत में है परन्तु चिन्ता की बात उस वक्त है जब गरीबों के नाम पर, गरीबी उन्मूलन परियोजना के नाम पर जो योजना सरकार ने बनायी उसमें भारी अनियमितता हो जाए और घोटाले पर घोटाला हो जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, व्यापक सर्वेक्षण हुआ था राजस्थान में सबसे निर्धनतम जिले कौन-कौन से हैं और सर्वेक्षण के पश्चात् सात जिलों का चयन हुआ जिसके अन्दर चूरू, बारां, राजसमंद, झालावाड़, दौसा, टोंक और धौलपुर है। निश्चय यह हुआ था कि इन जिलों में साढ़े तीन लाख लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे निवास करते हैं उनमें से एक लाख लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक 640 करोड़ की परियोजना विश्व बैंक की सहायता से स्वीकृत की गयी थी। 640 करोड़ की राशि का ऋण विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से मिला। भारत सरकार ने निश्चय किया कि 20 प्रतिशत राशि तो सब्सिडी के रूप में देगी और 80 प्रतिशत राशि राजस्थान की सरकार को 35 वर्षों में चुकानी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा काम स्वयं सेवी संस्थाओं से सरकार को करना था और बहुत बड़ा कार्यक्रम करके, जिसके अन्दर माननीय पंचायत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी, जिस विज्ञापन पर मैं एतराज कर रहा था, उसका विज्ञापन भी बड़ा-बड़ा छपा और 20 जुलाई को इस योजना का उद्घाटन किया गया और इस योजना के तहत चूंकि इस योजना का क्रियान्वयन एन.जी.ओ. के माध्यम से होना चाहिए था, उपाध्यक्ष महोदय, विश्व बैंक और सरकार के बीच में जो करार हुआ वह करार मैं लेकर आया हूं, इस करार के अन्तर्गत यह निश्चय हुआ कि जो भी स्वयं सेवी संस्था, जिनका चयन किया जायेगा, जिनके माध्यम से वह सारी एक्टिविटीज जो एक तरह से एम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी, जिसके माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

640 करोड़ रुपये व्यय होगा चार सदस्यीय समिति द्वारा उन एनजीओज. का सलेक्शन किया जायेगा। इस समिति में राज्य परियोजना का निदेशक होगा, जिला परियोजना का निदेशक होगा, लीड ट्रेनिंग एजेंसी का एक प्रतिनिधि होगा और परियोजना निदेशक का एक और प्रतिनिधि होगा।

इसके साथ एक गाइड लाइन दी है, उपाध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं पढ़ कर सुनाऊं। उसका सार यह है कि जो भी एनजीओज., जिनका सलेक्शन होगा वह उसी जिले का रहने वाला होगा। उस जिले के अन्दर सोशियो, इकोनामिक और जियोलाजिकल आसपेक्ट को जानने वाला होगा, तीन वर्ष का उसको ग्रामीण समूह बनाने का और गांव में काम करने का अनुभव होगा।

अब माननीय मंत्रीजी ने किया क्या? चार सदस्यीय समिति की जगह दो अपने लोगों को ले लिया। इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, मजाक उस वक्त हो गया जब लीड ट्रेनिंग एजेंसी का गठन ही नहीं हुआ उससे पहले ही सलेक्शन कर लिया। इसमें, मंत्रीजी, जो करार आपने किया उसमें साफ यह था कि उसी जिले की संस्था को आप स्वयं सेवी संस्था के नाते इस पूरे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए सलेक्शन करेंगे पर आपने किया क्या है? अब मैं आपके खुद के जिले का उदाहरण दे रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राजसमंद, 90 करोड़ रुपया व्यय होना है पांच साल में और एनजीओज. राजसमंद की जगह मंत्रीजी ने विश्वास संस्थान, मंत्रीजी, मैं पूछना चाहता हूं कि इस विश्वास संस्थान का अध्यक्ष कौन है? अब्दुल वहीद कौन है? मोहम्मद फारूक कौन है। होगा एनयूएसआई. का आपका कोई पुराना अध्यक्ष रहा हुआ। परन्तु आपको गरीबों के साथ मजाक करना था इसलिए आपने सलेक्शन इस सारी गाइड लाइन को तोड़ कर, विश्व बैंक से आपने जो करार किया उसको तोड़ कर आपने इन एनजीओज. का सलेक्शन कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, और तो और जिस जिले से मैं चुन कर आता हूं वहां एनजीओज. के नाम पर भैरूका चेरिटेबल ट्रस्ट है, उसका सलेक्शन किया। उपाध्यक्ष महोदय, अब भैरूका चेरिटेबल ट्रस्ट है, मैं जिला परिषद् की वह कार्यवाही पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें, मंत्री महोदय, आप भी ध्यान दें। माननीय सदस्यों ने चूरू जिले में भैरूका चेरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कराये जाने वाले विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह अंकित करते हुए रोष प्रकट किया। ट्रस्ट द्वारा विकास की योजनाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है अतः ट्रस्ट को जिलों में किसी भी प्रकार की विकास योजनाओं का कार्य आवंटन नहीं करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। आपके जिला प्रमुख है, मंत्री महोदय, ब्लैक लिस्टेड को पुरस्कृत कर दिया। उसके माध्यम से 120 करोड़ रुपया खर्च होगा, गरीबों के साथ मजाक।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, झालावाड़ के अन्दर जयुपर की एक संस्था और आई.आई. आर.डी. उस संस्था को जिसके कर्ता-धर्ता हैं पालीवालजी। मैं यह नहीं कहूंगा कि पालीवाजली से आपका क्या सम्बन्ध है क्या नहीं है परन्तु इस संस्था को बिना काम चालू किए 20 प्रतिशत राशि अग्रिम दे दी गयी। झालावाड़ में काम होना है इस संस्था के माध्यम से, 100 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और मंत्रीजी, आपने वर्ल्ड बैंक के सारे करार के दिशा-निर्देशों को दर-किनार करते हुए जयपुर की संस्था को दे दिया। अब इसके आगे टोंक के अन्दर 90 करोड़ रुपये खर्च होना है। मैं दो मिनट में खतम कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। सिकोईडिकोन जयपुर जिस संस्था के शरद जोशी कर्ता-धर्ता हैं। शरद जोशी के साथ, मैं कहना नहीं चाहूंगा, मुझे आज अच्छा लग रहा है कि आप शांत भाव से बिराजे हैं पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संस्था की जिला कलक्टर टोंक ने शिकायत की और यह कहा कि जो सी.आई.डी.एस. ग्रुप, जिस ग्रुप के माध्यम से सारी एक्टिविटीज गांवों में होनी थी जिसके माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात थी, वे सारे काम इन्होंने फर्जी किए! जिला कलक्टर ने चिट्ठी लिखी। जिला कलक्टर को डायरेक्टर एक चिट्ठी लिखकर डांट-फटकार करते हैं और उसको भी अग्रिम राशि दे देते हैं क्योंकि "जोशी" होना और मंत्रीजी का बरदहस्त होना यह निश्चित तौर पर कोई न कोई घालामेली है।

इसी तरह बारां के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, 100 करोड़ रुपये खर्च होने थे। हाड़ौती हस्तशिल्प संस्थान, कोटा को बारां से नहीं करके कोटा से किया और श्रीलाल जोशी कौन हैं? क्यों आपने इनको दिया?

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह दौसा के अन्दर है। दौसा की संस्था दौसा में काम करे। अलवर की संस्था का एन.जी.ओज. के रूप में चयन कर लिया। धौलपुर के अन्दर लूपिन, भरतपुर का चयन कर लिया। सात एन.जी.ओज. जो इनको सलेक्ट करने थे उनमें से छह स्थानीय नहीं होकर दूसरे जिलों से चयन कर लिया और चार सदस्यों द्वारा चयन होना था, दो के माध्यम से चयन कर लिया। एन.जी.ओज का डी.पी.एम. के माध्यम से एग्रीमेंट जिला स्तर पर होना चाहिए था जयपुर में बैठ कर कर लिया, एक्शन प्लान के नाम पर 35 लाख रुपया इनको एडवांस दे दिया। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, नवम्बर के अन्दर मंत्रीजी हवाई यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के पांच विधायकों के साथ बांग्लादेश जा रहे हैं क्योंकि गरीबी हटानी है। हवाई जहाज से उड़कर जाएंगे। इस गरीबी उन्मूलन योजना के अन्दर लाखों रुपये खर्च करके, गरीबों का उपहास करके और हवाई यात्रा करके मंत्रीजी चले गये बांग्लादेश, मुझे एतराज नहीं। पर बांग्लादेश से आने के बाद न तो इन्होंने कोई रिपोर्ट दी, न उस योजना के अन्दर इनके कोई सुझाव आये क्योंकि यात्रा करनी थी, यात्रा कर आये। बहती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गंगा के अन्दर अधिकारी लोग भी चले गये उसके पहले सैक्रेटरी, रूरल डवलपमेंट चलेंगे, डवलपमेंट कमिश्नर चलेंगे और संस्था को, इस पूरे कार्यक्रम को जो व्यक्ति चाट रहा है, एडीशनल डायरेक्टर, डी.पी.आई.पी. मिस्टर उमा कान्त आगे होकर चले गये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी को उपकृत करना था....

श्री हीरालाल विश्नोई : पढ़ रहे हैं। एक घंटा भाषण दिलवाइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं मैं पढ़ नहीं रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक आई.डी.एफ. संस्था है। मंत्रीजी का संस्था के साथ क्या सम्बन्ध है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने परियोजना का उद्घाटन कर दिया। फिर इनको शौक चढ़ा है संस्था को ओब्लाइज कैसे करें। उपाध्यक्ष महोदय, गरीबों के साथ मजाक कर रही है यह सरकार। चौदह लाख रुपये इंस्टीट्यूट और डवलपमेंट स्टडीज को, जयपुर को स्वीकृत करके सात लाख एडवांस टेक दिए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया बिराजिए। श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रीजी को याद होगा 1997-98 के अन्दर इसका सोशल असेसमेंट हो चुका। मूल्यांकन के नाम पर लूट की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है। गरीबों के नाम पर यह सरकार लूट कर रही है। मैं आपके सामने, आपके प्रोटेक्शन से कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। मैं दो मिनट के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, पहले ही बहुत हो गया। बात एक ही है। श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 640 करोड़ की जो परियोजना गरीबी उन्मूलन के लिए बनायी उसमें ये जिस तरह घालामेली कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिस तरीके से इन्होंने श्वेत पत्र जारी किया। सी.एस. बिरला को पैसा दे दिया नौ लाख पिच्चानवें हजार। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी मांग है कि इसके अन्दर जितना भ्रष्टाचार हुआ है, और तो और इसके अन्दर डी.पी.एम. के सलेक्शन में भ्रष्टाचार हुआ, पूरे मामले के अन्दर गरीबों के साथ मजाक हुआ है। ऋण चुकायेगी राजस्थान की जनता और मंत्रीजी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने + + + को उपकृत करने के लिए जिस तरह का सलेक्शन किया है जिस तरह की घालामेली की है, जिस तरह की एनजी.ओज. के नाम पर लूट खसौट की है और कई लोगों को ओब्लाइज करने के लिए इन्होंने जो कार्य किया है....

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। आर्डर-आर्डर। श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...मैं समझता हूं मंत्रीजी, आप और आपका दामन साफ है, अगर आपमें हिम्मत है तो मैंने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं, आप खड़े होकर कहें, एक भी तथ्य गलत हो तो, वरना मेरा आरोप है आप पर कि 640 करोड़ की परियोजना के अन्दर भ्रष्टाचार की गंगोत्री नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर बह रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह मीणा।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, ये आरोप सरासर गलत हैं सावन के, मैं कहना नहीं चाहता, जैसी आपकी मानसिकता है उसको आपने प्रदर्शित कर लिया इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको याद होना चाहिए यह जो योजना है आपके समय में बनी थी। सारी योजना का वर्ल्ड बैंक के अन्दर असेसमेंट हुआ है। (व्यवधान) आप सुनिए इस बात को। हरेक पर आरोप लगा देते हैं। धंधा बना रखा है आरोप लगाने का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : जिसको आप चाहते हैं, उस पर आरोप लगाने की आदत बना रखी है और जो आपकी मानसिकता है उस मानसिकता को दूसरे पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान) ये क्या मानसिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं, मैं सदन में तैयार हूं।

श्री. सी. पी. जोशी : क्या कर रहे हैं? धन्धा बना रखा है क्या आपने? हरेक पर आरोप लगाना चाहते हैं। आप अपने + + + देखो। (व्यवधान) किसका काम है इसमें?

श्री उपाध्यक्ष : आप मर्जी हो जो बोल देते हो, ऐसा नहीं होता है।

श्री सी. पी. जोशी : श्री लाल जोशी कौन है, फलां कौन है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपको जवाब सुनना चाहिए। आप जोर-शोर से आरोप लगा दें और सुनें ही नहीं वापस। आप जवाब सुनें वापस। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपने मंत्री के रूप में जो काम किए होंगे दूसरे पर रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, आप बैठिए। एक मिनट, एक मिनट प्लीज़।

श्री सी. पी. जोशी : काम इसमें कोई नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरी चीज का खण्डन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि एक भी आरोप प्रूव कर दें, या तो ये सदन छोड़ दें या मैं छोड़ दूंगा। आरोप

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

लगाने का धंधा बना रखा है रोज-रोज। कभी ये मंत्री भ्रष्ट हैं, कभी ये मंत्री भ्रष्ट हैं। खुद ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जितने काम किए उनकी जांच करवा लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जांच करवा लें आप। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : धंधा बना रखा है। कभी वाकआउट करेंगे, कभी मंत्री भ्रष्ट हैं, अपनी + + + देखें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मेरी + + + ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप एक भी आरोप लगा दें, सदन छोड़ दूंगा मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इनके जैसे + + + भी यदि आसन को ....(व्यवधान) समझा देंगे तो पड़ गयी पार। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, आप इस बात को लिख कर दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : आरोप लगाने और हल्ला करने से काम नहीं होता है, लिखित में दीजिए। क्या लिख कर दे रहे हैं। (व्यवधान) लिखिए कि मंत्री भ्रष्ट हैं। यह कहना सरल है, हर मंत्री पर आरोप लगा देते हैं। धंधा बना रखा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर दिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। ये बोल रहे हैं न।

श्री राजेन्द्र पारीक : जिस किसी अधिकारी ने फर्रा इनके हाथ में थमा दिया, वह अधिकारी जाना चाहते थे, नहीं जा पाये, फर्रा हाथ में थमा दिये और सदन में आकर चेलेंज कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : बी.जे.पी. के राज में जिन्होंने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे वे आज चैलेंज करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कराओ न जांच हिम्मत हो तो, सरकार लिये बैठे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, + + + यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। सुन लीजिए एक मिनट।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्य को अधिकार है। हम मंत्री हैं हमें भी अधिकार है। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि तथ्यों को सही तरीके से नहीं रख कर किसी भी मंत्री के खिलाफ आरोप लगायें। यह जो परम्परा बना रखी है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप स्टेटमेंट देओ न। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : किस बात का स्टेटमेंट दें? मैं आपके सामने बोल रहा हूं, स्टेटमेंट क्या दें? What is a statement? Hon'ble Vyasji, let me....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिना पूर्व सूचना के किसी भी मंत्री पर या किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाना.... (व्यवधान) फिर आप उस पर स्टेटमेंट चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : नो पाइंट आफ आर्डर। बिराजें आप। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। पहले इनको बोलने दीजिए। I will allow you. (व्यवधान) हां, सुन लेंगे आपका पाइंट आफ आर्डर। पहले उनको स्पष्टीकरण देने दीजिए। वह अपनी बात कह रहे हैं, कह लेने दीजिए।

श्री मदन दिलावर : किस-किस मंत्री को नोटिस दें?

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य को और खास तौर से मंत्री पर इस तरह का आरोप लगाकर बेइज्जत करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है तो नियम और कानून के अन्दर व्यवस्था है, वह आरोप लिख कर दें कि इस मंत्री ने यह किया है। उनका अधिकार है लेकिन 295 के अन्दर एक रेफरेंस देकर यह कहना कि....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 295 नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : पर्ची पर भी अधिकार नहीं है माननीय सदस्य। यह आपका प्रिविलेज है लेकिन आपको अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, एक मिनट बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो न।

श्री सी. पी. जोशी : आप उनको रोके न। मैं क्या बोलूं?

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं बोलेंगे। आप बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सी. पी. जोशी : मैं अपनी बात कहूंगा, ये बीच में इन्टरप्ट करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बोलो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बिना सुने कैसे बोलेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सुनिये न पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इनको सुनिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनेंगे, आप बिराजिये, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पाइंट आफ आर्डर है, आपको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। आप बिराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्रीमती सुमित्रा सिंह : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आप पहले इनको समाप्त करने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इनको समाप्त करने दीजिए। आई विल नोट अलाउ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्रीमती सुमित्रा सिंह : X X X

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई मतलब थोड़े ही है। आप अपनी बात कहे जाओ और इनको स्पष्टीकरण देने का मौका ही नहीं दो। ऐसा नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनूंगा। इनके बाद सुनूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनूंगा। आई विल नोट अलाउ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं। माननीय मंत्रीजी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

डा. कमला : मंत्रीजी बोल रहे हैं आप उनके स्टेटमेंट के बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मंत्रीजी अपना जवाब दे रहे हैं और आप कह दो पाइंट आफ आर्डर, नहीं यह नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। बिराजो आप।

डा. कमला : यह अजीब सी परम्परा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चली है कि मंत्रीजी जब जवाब दे रहे हैं तो बीच में खड़े हो जाते हैं और उनको पूरा भी नहीं करने देते हैं। उनको तो बोल लेने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सिंचाई मंत्रीजी पाइंट आफ आर्डर का कांटेस्ट होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। यह पर्ची के माध्यम से बोल रहे हैं। पर्ची के माध्यम से बोल रहे हैं आवश्यक नहीं है कि कोई मंत्री या कोई माननीय सदस्य जवाब दें। इन्होंने चूंकि कोई बात कही है उसका वह स्पष्टीकरण दे रहे हैं इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, नियम यह नहीं कहता है, नियम क्या कहता है जो सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नियम यह कहते हैं कि पर्ची के माध्यम से यदि कोई....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन तो....

श्री उपाध्यक्ष : एक को तो बोलने दो आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं स्वयं यह अनुरोध करना चाहता हूं....

श्री राजेन्द्र पारीक : पर्ची के माध्यम से माननीय अध्यक्ष की इसमें क्या व्यवस्था है यह तो बताइये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं यह अनुरोध करना चाहता हूं, पर्ची के माध्यम से सदन के समक्ष कुछ तथ्य आये हैं। बिना किसी उत्तेजना के, स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं है, अगर गवर्नमेंट रेस्पांड करना चाहे, नहीं करना चाहे, चेयर बाध्य नहीं कर सकती। लेकिन अगर गवर्नमेंट रेस्पांड करना चाहे, If the hon'ble minister wants to make a statement, he should be permitted. स्टेटमेंट इनका होगा, क्लेरिफिकेशन हम पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल पूछेंगे। मेरा खुद का सवाल था। नियमों में यह प्रावधान है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। आई विल नोट अलाउ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कैसे नहीं अलाउ करेंगे? आप नियमों से अलाउ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं करूंगा अलाउ। आज तक नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अपनी मर्जी आएगी....(व्यवधान) अलाउ कर देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पर्ची के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर आरोप लगाना....

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, गलत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : गलत है। मंत्री के ऊपर आरोप लगाने से पहले आपको नोटिस देना चाहिए। कापी मंत्री को देनी चाहिए। ऐसी सूरत में मंत्री क्या स्टेटमेंट, अपनी सफाई नहीं देगा? खण्डन नहीं करेगा मंत्री खड़ा होकर के?

श्री सुरेन्द्र व्यास : करेगा, करेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं वित्त मंत्रीजी, कि नोटिस देना चाहिए। वित्त मंत्रीजी, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अगर इनको चार्जेज लगाने थे तो नोटिस देना चाहिए था और मंत्रीजी को तो अगर चार्जेज नहीं लगाये इनके खिलाफ डाइरेक्ट नहीं लगाये और वैसे भी कोई लगाये तो मिनिस्टर तो हमेशा रेस्पांड कर सकता है। मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने से गवर्नमेंट, चेयर कभी नहीं रोक सकती है। मेरा सिर्फ निवेदन यह है कि गलत है, सही है, यह ठीक नहीं है। मंत्रीजी, मैसेज क्या जाएगा राजस्थान को? यह सब छपेगा अब इनमें चार्जेज गलत होंगे, मैं कतई नहीं कहता हूं, मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी जरूर है, मैंने क्वेश्चन लगाया था, कुछ तथ्यों की जानकारी है। पर यह जो बाकी चार्जेज लगाये हैं उनमें मेरे पास कोई रीजन नहीं है यह मानने का कि सही है या गलत है। वह स्थिति तो मंत्रीजी स्पष्ट करें। हम भी चाहेंगे। हम चाहेंगे डा. जोशी, he should not compromise his honour.

रोजाना इंटरवेंशन करते हैं। जब इनका खुद का इश्यु है, then he should be permitted to make a regular statement. इसमें कोई, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं है कि आपने सिर्फ यह खंडन कर दिया कि गलत है, गलत है। उससे क्या फर्क पड़ता है, गलत है, गलत है। तमाम् मीडिया में तो छपेगा ना यह कि यह चार्जेज हैं लेकिन let him make a regular statement.. And he should be permitted to briefly elicit certain clarifications.

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। इसमें बहुत स्पष्ट है पर्चियों का जो आप लोगों को सर्क्यूलेट किया गया उसमें बहुत स्पष्ट है। माननीय अध्यक्ष के चैंबर में दस बजे हो गया। इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक चार माननीय सदस्य बोलेंगे। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय में कोई बहस का मुद्दा नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यदि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा और यदि कोई सरकार की जो उपेक्षा की जाती है उसके लिए विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर भी विषय उठाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय के लिए राज्य सरकार से वक्तव्य दिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं खुद ही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। आपको सुनना तो चाहिए। आप इतनी देर से बोल रहे हो सुनना नहीं चाहते। माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कह सकेंगे। सभी माननीय सदस्यों को अवसर उपलब्ध हो सके इसलिए इस पर न तो कोई बहस हो सकती, ना कोई विश्वास हो सकता है यह चाहें तो इसका स्पष्टीकरण दें....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Then it is a statement.

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद आप बोलोगे तो बहस ही होगी और क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं बहस नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या होगा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सिर्फ स्पष्टीकरण कोई देना चाहे तो, सिर्फ स्पष्टीकरण।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आई विल नोट अलाउ। आपको कुछ कहना हो तो कहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, रोज इस पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। रोज यहां किसी न किसी के खिलाफ आरोप थोपते हैं। इन पर कोई पाबंदी नहीं है। ये बंधे हुए नहीं हैं नियमों से?

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में सिर्फ सरकार को जानकारी देने का अधिकार है और यह एक एक घण्टा भाषण देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। आर्डर, आर्डर।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य पिछली सरकार में मंत्री थे, जिम्मेदार मंत्री थे। यह जो योजना है इस योजना का प्रारूप पिछली सरकार के समय में बना। इसके नियम और कानून, जो व्यवस्था है उसके अन्तर्गत इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। इसमें मंत्री का कोई रोल नहीं है, कोई सलैक्शन कमेटी कैसे क्राइटेरिया बनाती है, कौनसा इवेल्यूएशन का सिस्टम है। उस सब में वर्ल्ड बैंक के भारत सरकार के और राजस्थान सरकार के नियम और कानून के अन्तर्गत काम होता है। मैं मंत्री बना उसके पहले यह विभाग मेरे पास नहीं था। यह विभाग डी.पी.ए.पी. का जो कार्यक्रम था, वह प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास था। यह जो इवेल्यूएशन के सम्बन्ध में बात कह रहे हैं जिसमें यह बताया गया कि यह जोशी हैं,

(श्री सी. पी. जोशी)

यह श्रीलाल हैं, यह श्रीलाल हैं, इनका कोई सम्बन्ध दूर-दराज तक मेरे किसी परिवार से या मेरे से नहीं है। यह जो इवेल्यूएशन हुआ है वर्ल्ड बैंक की कांकरेंस के साथ हुआ है। इसलिए मुझे कहते हुए तकलीफ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सदस्य हूं, मेरी भी एक गरिमा है। केवल मैं मंत्री हूं इसलिए मेरे को यह अधिकार नहीं दिया जाता कि माननीय सदस्य जो चाहे जो आरोप लगा दें और सरकार को डोक में खड़ा कर दें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह परम्परा लोकतंत्र में रही, यह जिम्मेदार आदमी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनके समय में जो नियम और कानून बने उसके बाद भी सदन में आरोप लगाकर डोक में खड़ा करें तो हमें भी अधिकार दिया जाना चाहिए कि यह सरकार के जो मंत्री हैं इन्होंने जैसा काम किया वह अपने आपको रिफ्लैक्ट करके हम पर आरोप लगाना चाहते हैं। यह अधिकार इनको नहीं दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पर्ची का अलाउ करें तो पर्ची में केवल कोई इमीजिएट यदि कोई घटना हो जिस घटना के ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहें वह तो आप अलाउ करें लेकिन इस तरह की परम्परा हम कायम कर दें कि मंत्री को भी डी-मोरलाइज करें और जनता के बीच में हमको डोक में खड़ा करने का अधिकार दें यह परम्पराएं ठीक नहीं हैं।

मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनका खण्डन करता हूं और उन्हें चुनौती देता हूं कि यदि वह आरोप लिख कर देवें एक भी आरोप यदि सिद्ध हो जाएगा तो मैं सदन से त्याग पत्र दूंगा और भविष्य में सदन में यहां बैठना, बोलना बंद कर दें। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : लिख कर देने की जरूरत नहीं है वह सब आरोप तो रिकार्ड पर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो यही कहता हूं आप जांच कमेटी बना दें। आप जांच समिति बना दो ना, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय डा. जोशी, कम टू दी पाइंट.... (व्यवधान) फैक्ट्स पर जवाब दें आप। कम टू दी फैक्ट्स।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या जवाब देना चाहते हो। श्री रघुवीर मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस पर जवाब दूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजियें आप। खतम हो गयी बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पर तो आ गया। आप सुनिये वह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
कह रहे हैं लिखित में तो आ गया। रिकार्ड पर आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह रेस्पांड करते हैं, यह कोई रेस्पांड नहीं हुआ कि खण्डन है और गलत है। आप तो मैरिट पर आइये। जो इन्होंने सवाल उठाया है, यह एनजी.ओज हैं यह बाहर की संस्था है। इनको आपने, नहीं किया बट बिइंग मिनिस्टर इन्चार्ज, आप आन्सरेबल हैं उसमें। जरा समझिये इस चीज को। आपके खिलाफ कोई डाइरेक्ट चार्ज नहीं है पर अगर कोई सलैक्शन कमेटी में गड़बड़ हुई है तो आप जिम्मेदार तो हैं। आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप खुद मंत्री रहे हैं और आप क्या बातें कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Once the facts are before the House....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आपको बता दिया कि कोई बहस का मुद्दा नहीं बनेगा। आपको कह दिया है कि मंत्री चाहे तो स्पष्टीकरण दे सकता है उसे बाद कोई बात नहीं होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बहस कोई नहीं कर रहा है लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो स्पष्टीकरण दे सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। प्लीज सिट डाउन। श्री रघुवीर मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस सब्जैक्ट पर मैं बोलने जा रहा हूं उसके लिए मैं आसन से भी उम्मीद कर रहा हूं और सम्बन्धित मंत्रीजी से भी उम्मीद कर रहा हूं कि....

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : You cannot flout the rules.

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। मंत्रीजी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट अगर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : I will not permit. श्री रघुवीर मीणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : X X X

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, कितना जवाब दें और कितना जवाब नहीं दें, यह आप मंत्रीजी को कैसे विवश कर सकते हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें ना, रघुवीर मीणाजी...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बीच में बोल रहे हैं, दो-दो जने एक साथ कैसे बोलेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चेयर का निर्णय अंतिम होता है कि नहीं होता है? क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है.... (व्यवधान) Why are you challenging it? चेयर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है उसको चैलेंज कर सकते हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित मत करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है.. ..(व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो एक छोटा-सा प्रश्न उठाना चाह रहा था कि माननीय सदस्य बार-बार डा. जोशी कह रहे हैं, यहां दो डा. जोशी बैठे हैं, आप पूरा नाम लेकर बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कब से हो गये?

श्री महेश जोशी : मैं डा. जोशी हो गया, सात दिन हो गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आग्रह करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री महेश जोशी : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को मैं तब से जानता हूं जब यह राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ में + + + बने हुए थे और यह आज भी राजस्थान विधान सभा में + + + बनना चाहते हैं। कभी चन्द्रभानजी को चूरू में आने के लिये चैलेंज करते हैं और डा. सी. पी. जोशी पर आरोप लगाते हैं। मैं भी इनसे संरक्षण चाहता हूं। यह मेरे को बार-बार धमकाते हैं, संरक्षण दिलायें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मानीय सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नो प्लीज, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, I am calling you. Please sit down. No. I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज.... (व्यवधान) आप बिराजें।

श्री रतनाराम चौधरी : खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमों के प्रति आपका ध्यान....(व्यवधान) अब नियमों का पालन करने का वक्त है तो आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं सुरेन्द्र व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, I have not allowed you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : You have to follow the rules.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डिबेट अलाउ ही नहीं है तो क्या पूछ रहे हो डा. साहब, जब डिबेट अलाउ ही नहीं की है तो आप क्या पूछना चाहते हो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप नियमों के पालन....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सदन की प्रोपर्टी हो गयी....(व्यवधान) उठाइये मामले को....(व्यवधान) नियमों के साथ उठाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आसन की व्यवस्था को बार-बार तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है इसको रोका जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, मैं आपसे रिकवेस्ट कर रहा हूं, प्लीज बिराजें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिये, I am requesting Mr. Surendra Vyas. Please sit down.

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down. I am requesting you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : What you are talking a sense or not that is not in my question. Please sit down. कोई परम्परा है सदन की उसको मेरहबानी करके, When I don't allow you, you cannot speak. कोई इश्यू ही नहीं है, अब आप क्या बोल रहे हैं? There is no issue.

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज, श्री रघुवीर जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधायक के साथ पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक को वेतन नहीं मिलने विषयक

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने विधायकगणों की सुविधा के लिए उनके कार्य में गुणवत्ता बढ़े उस हेतु एक-एक एल.डी.सी. सहायक के रूप में आबंटित किये है। उसी के तहत मुझे भी जिला कलक्टर उदयुपर से सहयोगी आबंटित किया गया था। उसके तहत जुलाई, 2000 में उन्होंने मुझे पत्र लिख कर वन विभाग से एल.डी.सी. सहयोगी के रूप में आबंटित किया, हरिओम सैन, यह वन मण्डल उदयपुर, अराक्ली वृक्षारोपण परियोजना में कार्यरत थे। उपाध्यक्ष महोदय, संबंधित डी.एफ.ओ. जो भी थे उन्होंने जुलाई से अक्टूबर तक उसको रिलीव नहीं होने दिया। उसको कई बार प्रेशराइज यह भी किया कि तुम लिख कर के दे दो कि मैं रिलीव नहीं होना चाहता हूं। विधायक के पास में काम नहीं करना चाहता हूं यह लिख कर दो। उसने कहा मैं क्यों लिख कर दूं, मुझे तो विधायक को देते हैं तो भी मैं काम करूंगा और यहां रखते हैं तो भी मैं काम करूंगा।

मैंने हाउस कमेटी में मेरा प्रार्थना-पत्र दिया, हाउस कमेटी ने चीफ सैक्रेटरी को लिखा। चीफ सैक्रेटरी ने संबंधित कलक्टर को लिखा। कलक्टर ने डिपार्टमेंट को लिखा तो अक्टूबर में उसे रिलीव किया। अक्टूबर में रिलीव करने के बाद से आज तक उस बाबू को तनख्वाह नहीं दी। बाबू लेवल का आदमी सात महीने तक बिना तनख्वाह के कैसे रह सकता है। घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। उस दौरान उसकी छोटी सिस्टर का भी स्वर्गवास हो गया। अधिकारी इतना ऐडेमंट होवे कि उसकी बात नहीं रखी इसलिए तनख्वाह नहीं दे तो कितनी बुरी बात है। मैंने पी.सी.सी.एफ. को भी व्यक्तिगत मिल कर निवेदन किया, डी.एफ.ओ. से भी व्यक्तिगत बात की, उन्होंने कहा कि फरवरी की तनख्वाह हमने दे दी है जबकि मैंने मालूम किया तो परसों तक उसको कोई तनख्वाह नहीं मिली थी। मेरे निवेदन करने का अर्थ यह है कि विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनहित के जितने काम हैं वह जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं। अगर एक अधिकारी इस तरह से जन-प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव रखें कि मेरी बात नहीं रखी इसलिए जन प्रतिनिधियों के पास काम नहीं करना चाहिए और हमारे पास ही काम करना चाहिये। अगर यह बात है तो यह बहुत गलत परम्परा है। उस अधिकारी की मानसिकता देखें कि जब पी.सी.सी.एफ. ने उनको एक पत्र लिखा कि बाबू को रिलीव कर दिया जाये और उसको सेलेरी भी दी जाये तो उस संदर्भ में पत्र लिखते हैं कि, सात जुलाई को तो उसे अलाट किया था और 24 जुलाई को पी.सी.सी.एफ. ने उनको एक पत्र लिखा कि बाबू को रिलीव कर दिया जाये और उसको सेलेरी भी दी जाये तो उस संदर्भ में पत्र लिखते हैं कि, सात

(श्री रघुवीर सिंह)

जुलाई को तो उसे अलाट किया था और 24 जुलाई को पी.सी.सी.एफ. ने लिखा है तो उन्होंने अपने पत्र में अंतिम लाइन लिखी है उन्हें मिलने वाले वेतन-भत्तों का भुगतान मूल विभाग, अर्थात् वन मण्डल अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उदयपुर मध्य से किया जायेगा जिसके लिए सहमति दिया जाना उचित नहीं होगा। एक डी.एफ.ओ., पी.सी.सी.एफ. को लिख रहा है कि सेलेरी देना उचित नहीं होगा। उसके बाद कलक्टर ने भी उनको लिखा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है कि चार बाबूओं के ट्रांसफर हुए उदयपुर से, दो बाबू रमेश चन्द्र बाहेती और हिम्मत सिंह सिसोदिया को डी.एफ.ओ. व्यक्तिगत प्रोटेक्ट करके वहीं रखने के लिए तनख्वाह उदयपुर से दे रहा है जबकि एक का तो पदस्थापन क्रमशः वन मण्डल अधिकारी बारां (पूर्व) और एक का हुआ उप मुख्य वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, मोहनगढ़ मुख्यालय जैसलमेर में, उनको तो वहां रख कर अभी तक तनख्वाह दे रहे हैं। और चूंकि विधायक के पास एक बाबू चला गया इसलिए उसको सेलेरी कहीं से नहीं मिल रही है। पी.सी.सी.एफ. से दो बार मिला....

श्री नन्दलाल मीणा : यह यूथ कांग्रेस के प्रान्तीय अध्यक्ष भी हैं।

श्री रघुवीर सिंह : पी.सी.सी.एफ. 14.3 को एक पत्र भेजा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आपकी तकलीफ क्या है यह बता दें।

श्री रघुवीर सिंह : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कई तरह की बहानेबाजी करके जुलाई, 2000 से लेकर अप्रैल, 2001 तक मेरे पास जो बाबू काम कर रहा है उसको तनख्वाह नहीं मिली है और मुझे उम्मीद नहीं है कि उनकी मानसिकता के आधार पर वह तनख्वाह देंगे। अब एक व्यक्ति घर में कमाने वाला हो, बाबू को कितनी तनख्वाह मिलती है? अगर विधायक के पास काम कर रहा है और उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है तो क्या उम्मीद की जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह : मैं यह बात सदन में इसलिए उठा रहा हूं कि पी.सी.सी.एफ. से मिला हूं, डी.एफ.ओ. से बात की है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जी.ए.डी. मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह : हाउस कमेटी ने लिख कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : उनके बाबू को तनख्वाह नहीं मिली है, व्यवस्था करा दें।

श्री रघुवीर सिंह : उसके बावजूद भी अभी तक नहीं मिली है इसलिए मैं यहां यह बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही बात है और क्या बात है?

श्री रतन लाल ताम्बी : तनख्वाह का ही सवाल नहीं है....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रतन लाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, केवल तनख्वाह का ही सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि यह मामला इतना गंभीर रहा और चीफ सैक्रेटरी लेवल पर कार्यवाही की गयी उसके बाद उसने नाराज होकर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तनख्वाह का ही मामला नहीं है....(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : हिमाकत की है इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जुलाई से लेकर अप्रैल तक की तनख्वाह नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, एक मिनट, बहुत-से माननीय सदस्यों की शिकायत है, इसकी एक नई व्यवस्था करके इसी हाउस को नयी व्यवस्था से अवगत करा दिया जायेगा और आपकी जो भी शिकायत है उसको रफा-दफा किया जायेगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात, अब क्या है....(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) उस गरीब की तनख्वाह रोकने का अधिकार नहीं है उनको।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : तनख्वाह रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। वह तो सरकार करेगी, आप बिराजो।

श्री रमजान खान : तनख्वाह तो मिल जाएगी, मगर तनख्वाह रोकने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार करेगी, अपन नहीं करेंगे। श्री मदन दिलावर।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। हो गया।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : आपके द्वारा व्यवस्था की गई है और इस प्रकार की तकलीफ है, फर्क इनको नहीं पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। अब तक यह जो आपने क्लर्क की व्यवस्था की, कइयों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं इसलिए इसकी शीघ्र अच्छी व्यवस्था कराएं।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्षजी, ये युवक कांग्रेस के प्रान्तीय अध्यक्ष हैं, युवक कांग्रेस के प्रान्तीय अध्यक्ष के साथ अगर इस तरह की बात होती है....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो कह रहे हैं कि व्यवस्था ठीक हो रही है।

श्री जीतमल खांट : तो हमारे जैसे व्यक्ति के साथ में क्या हो सकता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नई व्यवस्था से....

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने पत्र लिखा, जिले में जिप्सी नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वह उपलब्ध नहीं कराई जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए तो नई व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री जीतमल खांट : अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है और इनके साथ में अगर इस तरह....

श्री हीरासिंह चौहान : अव्यवस्था हो रही है, इसके लिए आपके नोटिस में नहीं लाये क्या? कहां जाएं? किसको जाकर कहें? एक गम्भीर अव्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई नोटिस नहीं ले रहा है। आपके आदेशों की पालना नहीं हो रही है, न तो गाड़ियां दी जा रही हैं, क्यों इस प्रकार का आदेश करते हैं आप?

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : इसके सम्बन्ध में व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं। पहला सुझाव यह है कि माननीय सदस्य जयपुर में लेना चाहते थे और कुछ अपने यहां के जिला कलक्टर के यहां से लेना चाहते थे इसलिए इस सम्बन्ध में सुझाव है (व्यवधान) जो माननीय सदस्य जयुपर में लेना चाहते हैं....

श्री जीतमल खांट : उस अधिकारी के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही की जाए।

श्री रतन लाल ताम्बी : उनको अलग-अलग श्रेणी में लेना चाहते हैं। इसलिए काम में देर हुई है। आधे सदस्यों को यह व्यवस्था सुलभ हो गई है, आधे को नहीं हुई है, उसके कारणों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्तजार कीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : मुझे मालूम है, मुझे थोड़ी बात तो कह लेने दीजिए। मैं बहुत कम बोलता हूं, कभी-कभी बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इश्यु ही नहीं है। यह तो पर्ची पर बोल रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन कर रहा था कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके इसके लिए सरकार ने विचार-विमर्श किया है, वे सुझाव आपके सामने आएंगे। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था के लिए मेरे दो सुझाव पूरे हो जाएंगे तो यह सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था तो आने दीजिए, फिर कहिए न बात, अभी क्यों डिस्क्लोज कर रहे हो? सरकार की तरफ से आने दीजिए।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। मैं सुझाव दे रहा हूं केवल।

श्री उपाध्यक्ष : सुझाव सरकार को दो। माननीय श्री दिलावरजी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाबू को तो तनख्वाह नहीं मिली, हमको तो बाबू ही नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। आ जाएगा, आ जाएगा बाबू।

श्री हेमाराम चौधरी : बाबू ही नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, बाबू तो दिखाओ।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : यह व्यवस्था का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए यह कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर अगर यह बाबू का जो है....

श्री हेमाराम चौधरी : हमको तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। श्री मदन दिलावर। आप बिराजो। (व्यंवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप व्यवस्था देंगे कि नहीं देंगे। यह अव्यवस्था है, वे कुछ कह रहे थे, यह हाउस में नहीं हो रहा है, चुपचाप हो रहा है। कुछ-कुछ व्यवस्था तो आप भी दीजिए आसन की तरफ से, कुछ निर्देश तो आप भी फरमाएं कि व्यवस्था जल्दी की जाए, अच्छी की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपको व्यवस्था से अवगत कराएंगे, उसमें कोई कमी होगी तो उसको सुधार करेंगे। थोड़ा इन्तजार तो करो।

श्री हीरासिंह चौहान : 12 महीने तो निकल गए, 12 महीने में कोई व्यवस्था नहीं की। यह बहुत पीड़ाजनक बात है।

श्री जीतमल खांट : बाबू अगर नहीं मिला तो यह बड़ी दुःखद स्थिति है।

श्री हीरासिंह चौहान : Don't take it that much easy. It is a serious matter.

श्री जीतमल खांट : वह सुविधा अब तक नहीं मिली, बड़े दुःख का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो। माननीय कटारियाजी, अभी आपने तीन-चार रोज पहले इस प्रश्न को उठाया था, यहां हाउस में नहीं उठाया, बाहर उठाया। सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार जो कुछ संशोधन ला रही है, जो कुछ व्यवस्था में सुधार कर रही है, उसको आप देख लीजिए। सुन लीजिए, उसमें और सुधार होगा तो और कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पूरा साल निकल गया।

श्री उपाध्यक्ष : कर देंगे तो आपकी बात का ध्यान रखेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जितना जो कुछ प्रयास करना था, जो चिट्ठी लिखनी थी, सब लिखी।

श्री जीतमल खांट : (व्यवधान) जोशीजी, यह माननीय सदस्य, हमारे राजस्थान प्रान्त के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अगर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ इस प्रकार का होता है तो हमारे साथ क्या होगा? इसमें कौनसी बड़ी बात है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारियाजी, जो कुछ सुझाव हैं वह दे दीजिए, उसको इनकोरपोरेट करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम अगर मान लो अपने क्षेत्र का मांगते हैं तो कई बार उस व्यक्ति के लिए जयपुर में रहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए आप यह देखिए कि जयपुर या अपने जिले, उसमें से कोई-सा भी कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात इनकोरपोरेट कर दी, आपकी बात को उसमें कर दिया। अभी आने दीजिए उसमें, यू विल वी सेटीस्फाइड।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसका नाम दें, उसी को रखा जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : हमको तो साल भर गुजर गया, आज तक एल.डी.सी. नहीं मिला, कई बार लिख-लिख कर दे दिया, आज तक नहीं मिला। भरतपुर में जिसके लिए लिख कर देते हैं, कलक्टर कहते हैं कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। दूसरे का नाम लिख कर दिया कि यह इस विभाग में एक ही एल.डी.सी. है। जयपुर का लिख कर देते हैं तो कहते हैं, नहीं आप अपने जिले से लेवो, अपने क्षेत्र से लेवो।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सरकार यही तो कह रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था हो कि सरकार जो कोई सुविधा दे या घोषणा करे तो उस पर अमल तो कम से कम होना चाहिए। एक साल बीत जाने के बाद भी अमल नहीं हो रहा है, कागजी घोषणाएं हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

प्रेस क्लब, कोटा में घटित घटना विषयक

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कल कोटा में पधारे थे और कोटा हाड़ौती की हृदय स्थली है। उस क्षेत्र से मैं भी चुन कर आता हूं। उनके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग आए थे और प्रेस क्लब के कार्यक्रम में उनको उपस्थित होना था। प्रेस क्लब के कार्यक्रम में वे गए और प्रेस क्लब के भवन की शिला पट्टिका का अनावरण उन्होंने बहुत हंसी-खुशी से किया। परन्तु उनको यह पता नहीं था कि मेरी जान को भी खतरा यहां हो सकता है। (व्यवधान) श्रीमान् उनको संकेत मिल गया था एयर पोर्ट से कि कोई अनहोनी घटना हो सकती है लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद पुलिस सारी व्यवस्था को सम्भाल लेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : प्रेस क्लब की घटना पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे पर बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : पर्ची पर।

श्री उपाध्यक्ष : काहे की पर्ची पर? काहे की पर्ची है आपकी?

श्री मदन दिलावर : कोटा प्रेस क्लब में घटी घटना.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आपने पर्ची दी है, देखा है आपने?

श्री मदन दिलावर : हां, प्रेस क्लब में घटित घटना की।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेस क्लब पर बोलो।

श्री मदन दिलावर : हां, प्रेस क्लब पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण क्यों दे रहे हो?

श्री मदन दिलावर : हां, वही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उसी पर बोलो न।

श्री मदन दिलावर : हां, प्रेस क्लब पर बोल रहा हूं संक्षिप्त में।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बजट डिबेट थोड़े हो रही है? आपको जो बात कहनी है कह दें।

श्री मदन दिलावर : डिबेट नहीं हो रही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : ये बोल रहे हैं कोटा शहर में कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है, इसके बारे में बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बिराजें। कानून-व्यवस्था पर पर्ची नहीं है। आप बिराजें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी लड़ाई हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कानून-व्यवस्था का प्रश्न आए तब बोलना आप। आप बिराजो।

श्री मदन दिलावर : एयर पोर्ट से बाहर निकल कर प्रेस क्लब की ओर जा रहे थे, उसी समय जोर-शोर से विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ हो गया और विरोध प्रदर्शन भी क्या हुआ, मैं उसको कहना नहीं चाहता लेकिन कहा गया, शांति धारीवाल लाल हैं और दूसरी तरफ से आया, शांति धारीवाल + + + है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कोटा की जनता के लिए की लाल है या + + + है। क्योंकि दोनों ही एक ही पार्टी के लोग इस प्रकार की बात कह रहे थे?

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदन दिलावर द्वारा कहे गये इन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मदन दिलावर : मैंने नहीं कहा है। (व्यवधान) वहां जो कहा गया।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : किनके नारे लग रहे हैं, इनको इस बात की क्या चिन्ता है? इस सदन को....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावरजी, आप कृपा करके....(व्यवधान) बिराजिए। आप कृपा करके प्रेस क्लब में घुस जाइए।

श्री मदन दिलावर : हां, घुस गया। बिलकुल घुस गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रेस क्लब से शुरू करिए अपनी बात को।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री मदन दिलावर : अब मैं बिलकुल प्रेस क्लब में घुस गया और जब प्रेस क्लब में....

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य, आप घुस गए थे क्या प्रेस क्लब में।

श्री मदन दिलावर : अब घुस गया हूं।

श्री जुगल काबरा : पहले घुस गये थे?

श्री मदन दिलावर : अब घुस गया।

श्री जुगल काबरा : अब ये बातें करने से क्या फायदा? अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ नारे लगते हैं, तहलका के खिलाफ नारे लगते हैं। माननीय सदस्य को इन चीजों से क्या लेना देना? आप सदन का टाइम क्यों खराब करते हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षण दीजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : प्रेस क्लब में यह तो घुस गए साहब और मुख्य मंत्रीजी वहां से भागे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज, आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मुख्य मंत्री पिटते वहां।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको बोलने देना चाहते हो या आप बोल रहे हो?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय मंच पर बिराजे।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पर्ची का इस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है कि मुख्य मंत्री के खिलाफ किन शब्दों का उपयोग कर रहे थे, मंत्री के लिए किन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। (व्यवधान) देख लिया हमने।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी के अलावा कोई बोले, अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : मुझे संरक्षण दीजिए। मुझे सरंक्षण चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : जब प्रेस क्लब में बिराजे थे, उसके बाद संक्षिप्त कार्यक्रम हुआ, उसके बाद आप नजारा देखेंगे तो आश्चर्यजनक था। पता नहीं कुछ लोग कांग्रेस के नारे लगाते हुए आए और वहां की कुर्सियों को उलट दिया, पानी की बोतलों को फेंक दिया, गिलास फेंक दिए, दस मिनट तक माननीय मुख्य मंत्री महोदय केवल बेबस होकर इस सारे दृश्य को देखते रहे। तब लगा और वहां क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, धीरज गुप्ता "तेज" को जमीन पर पटक-पटक कर मारने का प्रयास हुआ।

सांगोद से आये एक पत्रकार चतुर्वेदी को इतना मारा कि कान में से खून बह निकला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं पुलिस जो बीच-बचाव कर रही थी उस पुलिस के ऊपर भी कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। अब बेबस और विवश मुख्य मंत्री के ऊपर जब हमला होने लगा और उनको लगा कि मेरी जान को खतरा हो गया है तो पीछे वाले गेट से ऐसे भागे कि पीछे भी नहीं देखा और जो स्मृति चिन्ह दिया था उसको छोड़ भागे, होशहवास खो बैठे। मुझे बहुत दुःख हुआ, मेरी धरती पर राजस्थान का मुख्य मंत्री जाए और मेरी धरती पर इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हो तो मेरे लिए यह शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : स्वाभाविक है, आपकी तकलीफ है। आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री किसी भी सरकार का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन मेरी धरती पर इस प्रकार का जो वातावरण हुआ है यह बहुत शर्मनाक हुआ है और पुलिस असहाय हो गई। यहां की पुलिस मुख्य मंत्री महोदय को भी संरक्षण प्रदान नहीं कर सकी, इससे ज्यादा शर्म की बात गृह मंत्रीजी के लिए और हमारे लिए क्या हो सकती है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आर्डर, आर्डर। बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गयी ना बात।

श्री मदन दिलावर : नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हो गई, अब क्या है।

श्री मदन दिलावर : नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई।

श्री मदन दिलावर : नो।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

श्री मदन दिलावर : नो, अभी थोड़ी सी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कोटा बड़ा भयभीत है, आतंक के साये में जी रहा है। जहां मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं हो और डर के मारे मुख्य मंत्री भागे ऐसी स्थिति में कोटा की जनता अपने आपको आतंक के साये में जीने के लिए मजबूर कर रही है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, ये असत्य बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई।

श्री महेश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में विचार अभिव्यक्ति का यह मतलब नहीं है लगातार असत्य पर असत्य बोला जाए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : चौथा स्तम्भ कहलाता है पत्रकार।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, स्पष्टीकरण देना है।

श्री मदन दिलावर : उनको जब पीटा गया। (व्यवधान)

श्री रामकिशन वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कार्यक्रम चल रहा था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत शर्मनाक घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई, बिराजो आप।

श्री मदन दिलावर : इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

श्री रामकिशन वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह कार्यक्रम चल रहा था पूरे समय मैं वहां पर बैठा हुआ था। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हाड़ौती की जनता को, कोटा नगर की जनता को आतंक के साये से बाहर निकालिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए। अंकित नहीं हो। आप बिराजिए प्लीज।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप बिराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : × × ×

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री मदन दिलावर : आपका ज्यादा दोष नहीं है। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कह रहे हैं शांति धारीवाल

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

+ + + हैं, एक तरफ कह रहे हैं शांति धारीवाल लाल हैं। हमको बताया जाए क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : हमको बताया जाए क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए ना।

श्री मदन दिलावर : शांति धारीवाल राजस्थान सरकार के + + + हैं, ऐसा कहा गया वहां।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बिराजिए। एक्सपंज कर दीजिए इसको।

श्री मदन दिलावर : अब राजस्थान की जनता क्या समझे कि + + + है या लाल है। हमें स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठना चाहते हैं या नहीं।

श्री मदन दिलावर : सरकार बताए कि वो + + + हैं या लाल।

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार आसन की अवहेलना होती है इसमें कोई स्थायी इंतजाम किया जाए।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल कोटा में प्रेस क्लब के उद्घाटन के अवसर पर पूरे समय मैं वहां पर मौजूद था। वहां न कोई हुल्लड़ हुई, न कोई सारे नारे लगे। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री रामकिशन वर्मा : और इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : देवनारायणजी भगवान की सौगंध है सच-सच बोलना। देवनारायण भगवान की सौगंध है आपको।

श्री रामकिशन वर्मा : समापन के बाद जब हम लोग चले गये, मुख्य मंत्रीजी भी साथ थे (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : देवनारायण भगवान की सौगंध है मंत्री महोदय।

श्री रामकिशन वर्मा : अब उसके बाद इनके लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की हो तो उसकी जानकारी नहीं है।

श्री महेश जोशी : ये लोग गड़बड़ी करने वाले हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : ये कहां पर बैठे थे (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपको देवनारायण भगवान की सौगंध है सच बोलना।

श्री रामकिशन वर्मा : उस वक्त ये कहां थे दिखायी नहीं दिये। यही बात कहनी थी।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देवनारायण भगवान की सौंगध है इनको।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : इनको रिकार्ड से निकाल देना।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, उनकी बात उन्होंने कह दी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

श्री मदन दिलावर : छोटा-मोटा मामला नहीं है वह।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़, आप बोलना चाहते हो ?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाहते हो ?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बोलना चाहते हो ?

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री महोदय सुरक्षित नहीं हैं, मेरा क्या होगा।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : × × ×

श्री महेश जोशी : आप तो + + + हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोटा की घटना का जिक्र चल रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बजट पर। (व्यवधान) एक मिनट। इनको ट्रेन से जाना है, इन्होंने इजाजत मांगी है इसलिए पहले इनको बुला रहे हैं और कह रहा हूं बोलना शुरू करो नहीं तो ट्रेन चूक जाओगे।

श्री मदन दिलावर : मेरी बात का क्या हुआ, मेरा जवाब दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं भयभीत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : मैं भयभीत हूं, कोटा मैं कैसे जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।
+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित नहीं की गयी।

श्री मदन दिलावर : मैं कोटा में कैसे जाऊंगा, मेरा क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री का सवाल है, मेरा सवाल है, मुझे कोटा में जाना है, मैं भयभीत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मदन दिलावर : पूरा कोटा आतंक के साये में जी रहा है।

श्री महेश जोशी : माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ को साथ ले जाना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्री सुरक्षित नहीं है तो मेरा क्या होगा। मुझे सुरक्षा चाहिए।

श्री रामकिशन वर्मा : मैं ले जाऊंगा मेरे साथ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए माननीय दिलावरजी। आर्डर। नो। नहीं प्लीज। आर्डर। आप बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बजट पर अब चर्चा हो रही है यह मात्र आय-व्यय का अनुमान नहीं है बल्कि यह दर्पण है जिस दर्पण में सरकार की तस्वीर दिखती है। इस बजट पुस्तिका के माध्यम से सरकार राजस्थान की जनता से कमिटमेंट करती है और यही कारण है इसकी विश्वसनियता और इसकी गोपनीयता के लिए सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि इसकी सैंक्टिटी भी बनी रहे, क्रेडिटेबिलिटी भी बनी रहे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ की बात है राजस्थान के संसदीय इतिहास के अन्दर एक ऐसी घटना हो गई, यह पहला अवसर है बजट में बजट का कर प्रस्ताव, जो बजट की आत्मा है वो कर प्रस्ताव इस सदन में आये इससे

(13.28 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

पहले उस कर प्रस्ताव की चर्चाएं धन्नासेठों की हवेलियों में होना प्रारम्भ हो जाए। मुझे अफसोस इस बात का है सभापतिजी, विद्वान वित्त मंत्रीजी ने न जाने कैसे कह दिया कि नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रपत्र सदन की मेज पर रखा वो बजट का हिस्सा नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, 52 कर प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने रखे। 46 प्रस्ताव वो ही प्रस्ताव थे जो प्रस्ताव नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन की मेज पर बजट अभिभाषण से पहले रख दिये। अब इस प्रकार के बजट पर क्या चर्चा हो?

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जबसे यह पारदर्शी, संवेदनशील कहने वाली सरकार आयी है यह तीसरा बजट है, पहले दो बजट रखे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तीन बार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण यहां हुए, परन्तु अभिभाषणों के जरिये, बजट प्रस्ताव के जरिये कपोल-कल्पित बातें यह सरकार करने की आदी हो गई। सभापति महोदय, इनको चिन्ता नहीं रहती कब बजट के माध्यम से, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से राजस्थान की जनता से क्या कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या घोषणाएं हैं इनमें, ये भूल जाते हैं, सभापतिजी, मैंने तीनों अभिभाषण और तीनों बजटों को बड़े गौर से पढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और वित्त मंत्रीजी, मैं जो कह रहा हूं वह मैं यों ही नहीं कह रहा हूं। मैंने एक कम्पेरेटिव चार्ट भी बनाया है। राज्यपाल महोदय का पहला अभिभाषण जो मार्च, 1999 में हुआ उसके माध्यम से आपने घोषणाएं की 18, और आज तक क्रियान्वित हुई हैं 8, बजट प्रस्ताव जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा, उस बजट प्रस्ताव के जरिये घोषणाएं हुईं 22, और इम्प्लीमेंटेशन हुआ 13 का। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मार्च, 2000, आपने अभिभाषण के माध्यम से घोषणाएं की 24, और क्रियान्वयन हुआ 19 का। बजट प्रस्ताव 2000, घोषणाएं कीं 30, और क्रियान्वयन हुआ 19 का। बजट प्रस्ताव 2000, घोषणाएं कीं 30, और क्रियान्वयन हुआ 12 का। सभापति महोदय, इस बजट का क्या महत्व रहेगा? घोषणा दर घोषणा, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा + + + करने से काम नहीं चलेगा या कहने से काम नहीं चलेगा। ढाई वर्ष का समय पूरा हो गया, हमने यह किया, हमने वह किया। हमने जो किया, हमने भोगा, हम यहां बैठे हैं और अब हमारे रास्ते पर आप भी चलना चाहते हैं क्या? मैं निवेदन करना चाहता हूं यथार्थ पर आना पड़ेगा, धरती पर चलना पड़ेगा और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता से जो हमने कमिटमेंट, चाहे वह चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से किया, चाहे राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से किये, चाहे बजट प्रस्ताव के माध्यम से किये, उन कमिटमेंट्स को हमने पूरा नहीं किया।

अब, सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय इन्हीं वित्त मंत्रीजी से जो 2000-2001 के बजट प्रस्ताव के जरिये इस सदन में कहा, मैं उनका एक पैरा पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अनुच्छेद 16 में वित्त मंत्रीजी, आपने कहा—.

आगामी वर्ष हमारा पूरा जोर फिस्कल कंसोलिडेशन पर व फिस्कल डिसिप्लीन पर रहेगा। वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ीकरण हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं रेवेन्यू डेफिसिट होना उचित नहीं, हम एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व घाटे को तीन वर्ष में समाप्त कर देंगे।

आपने यहां यह भी कह दिया कि जहां राजकीय घाटे का प्रश्न है राज्य में सकल घरेलू उत्पादन के अनुसार आगामी कुछ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्षों में 4 परसेंट सीमित करने का हम प्रयास करेंगे। आपने आगे क्या कहा वित्त मंत्रीजी, आगामी वर्ष विस्तार के स्थान पर कंसोलिडेशन को प्राथमिकता देंगे, नई योजना शुरू करने के बजाय गत वर्ष के अधूरे कार्यों को और पूर्व में ऐसी निर्मित परिसम्पत्तियों को पूरा करने का हम काम करेंगे। अब आपने किया क्या, फिस्कल डिसिप्लीन की बात कर दी, आपने कंसोलिडेशन की बात कर दी। आपने वित्त मंत्रीजी, जब से आपने यह बजट प्रस्तुत किया है, यह तीसरा बजट है, मैं आगे आंकड़ों से सिद्ध करूंगा, आप न केवल राजकोषीय घाटे को बढ़ाते गये आपने राजस्व घाटे को बढ़ाया और राजस्थान की जनता को 38,865 करोड़ के कर्जों में डुबो दिया। बहुत बड़ी बात की थी, बहुत बड़े आश्वासन दिये थे, राजस्थान की जनता को हमने कर्जों में डुबो दिया।

आपने कुछ आरोप लगाये थे, वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसलिए मैंने पहले कहा था आपने जिस तरह वायदे किये उन वायदों पर आप खरे नहीं उतरे। मैं दो-चार नजीर आपको देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप उधर बिराज रहे थे जिस समय मार्च, 2000 का बजट रखते हुए यह घोषणा हो रही थी कि वित्तीय बजट में एक हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय, दो सौ माध्यमिक विद्यालय, दो सौ उच्च माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे, आपके चेहरे पर मैं खुशी देख रहा था। सभापति महोदय, अब सरकार ने किया क्या है, सरकार ने आज, कितना समय गुजर गया, सभापति महोदय, मार्च, 2000 में घोषणा करते हैं और कल शिक्षा मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं, बड़े अंदाज से कहते हैं कि हम शिक्षकों के पदों का सृजन करेंगे। एक अध्यापक नहीं लगा, कई स्कूल कागजों में गुम होकर रह गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और सरकार से भी कहूंगा कि राजस्थान की जनता यथार्थ में जो आप काम कर रहे हैं उसको देख रही है। आपने घोषणा की थी आपके बजट के अन्दर, आप कहें तो पढ़कर सुनाऊं। आपने 2000 में कहा मूक बधिर विद्यालय बीकानेर में खोलेंगे, अंध विद्यालय जोधपुर में खोलेंगे। क्या हुआ उनका? बजटीय वर्ष पूरा हो गया। कहां खोकर रह गये ये?

आपने कर्मचारियों के लिए भी एक बात कही थी। आपने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाएंगे, समाधान करेंगे। अच्छा समाधान कर दिया आपने, 70 हजार पदों को समाप्त कर दिया आपने। आप जिसको चाहो चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो, एक लिफाफा आता है, सभापति महोदय, आजकल मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार करे, आप कार्यवाही करें, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करना आसान है। अभी सवाल आया था सदन के अन्दर कितने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच लम्बित है? हमारे ऊपर तो आरोप लगाते हो पर ढाई साल में आपने कौनसा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मीर मारा? मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी आपने पिछले बजट में घोषणा की थी, कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल भी खड़ा किया था, सरकारी मुख्य-सचेतक तो बोल नहीं सकते, गाड़ी मिली हुई है। उनके क्षेत्र में कहा था महुआ और कोटपूतली में ब्लड बैंक स्थापित करेंगे। क्या हुआ उनका? वित्त मंत्रीजी आपने घोषणा की थी, ऊर्जा मंत्रीजी नहीं है, बोलना खूब आता है, राजस्थान के अन्दर उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। पिछले बजट में कहा, साढ़े चार सौ गांवों को विद्युतीकृत करेंगे। और यह जो आर्थिक समीक्षा दी है हमें, आर्थिक समीक्षा में 2000-2001 में लिखा है दिसम्बर तक 124 गांव विद्युतीकृत किये हैं। साढ़े चार सौ गांवों के बदले में 6 हजार कच्ची बस्तियों को पानी पहुंचाने की बात, सभापति महोदय, मैंनें यह चार्ट बनाया है। तीन बार इस सरकार ने कहा 6 हजार कच्ची बस्तियों को पानी पहुंचाएंगे। हमेशा ही एक बात कहना और बदले में कुछ नहीं और पिछले बजट में राजस्थान में जहां पानी का हा-हाकार है। 1230 करोड़ की योजना की जहां घोषणा कर दी परन्तु क्रियान्वयन कहां हुआ, खोकर रह गयी।

इसी तरह से इस बार माननीय सदस्य कह रहे हैं, कांग्रेस के एक विद्वान माननीय सदस्य जो बहरोड से आते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। मुझे कहने लगे, इस बार बजट के अन्दर सड़कों के कल्याण के लिए जो योजना बनायी है 24 हजार किलोमीटर की, 600 करोड़ रुपये व्यय करने की, आपसे निवेदन करना चाहता हूं पिछले दो बजटों में 876 किलोमीटर राज उच्च मार्ग व जिला सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। 1798 किलोमीटर सड़कों को विश्व बैंक से ऋण लेकर 1560 करोड़ की योजना बनाकर प्रारम्भ किया जाएगा। 588 किलोमीटर सड़क निर्माण कर 160 गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। अब यह भी वही घोषणा है। राजी मत हों, होने वाला कुछ नहीं, डाक्टर साहब। मैं निवेदन करना चाहता हूं अब पिछले तीन राज्यपाल के अभिभाषणों में एक ही बात कही एशियन विकास बैंक से 6 बड़े नगरों में ढांचागत विकास करेंगे, एग्रीमेंट करने में माहिर हैं, सभापति महोदय, और किस तरह यह एग्रीमेंट करते हैं, क्या घालामेला होता है, मुझे कहना नहीं चाहिए फिर अभी मेरे पुराने मित्र नाराज हो जाएंगे सामने बैठे हैं हमारे उप मुख्य सचेतकजी, जो कभी इनको चिन्ता तो है नहीं, शहर के अलावा इन्होंने कभी गांव देखा नहीं, मैं कुछ कहूंगा तो फिर बोल पड़ेंगे। परन्तु सभापति महोदय, आज एग्रीमेंट करने के बाद क्रियान्वयन कितनों का हुआ? क्या हुआ बीसलपुर की योजना का? 1100 करोड़ की बात, 1100 करोड़ की योजना से जयपुर में पानी पहुंचाने की बात कितनी बार दोहराएंगे आप? मैं समझता हूं प्यासे को पानी चाहिए, योजना की घोषणा नहीं चाहिए। आपने 165 करोड़ की पिछले बजट में, सभापतिजी, भरतपुर, धौलपुर में चम्बल का पानी पहुंचाने की बात कर दी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सौ पशु चिकित्सालय खोलने की बात कह दी, यहां पशुपालन मंत्रीजी है नहीं, बड़े स्टेट फारवर्ड हैं, सौ पशु चिकित्सालयों में एक पशु चिकित्सालय नहीं खोला। और आयुर्वेद औषधालयों का तो कहना ही क्या। सभापति महोदय, यह मैंने सवाल किया था, आज ही उत्तर मिला है, 1999-2000 में सौ आयुर्वेदिक व 50 यूनानी औषधालयों की घोषणा बजट भाषण में की गयी थी परन्तु बजट में प्रावधान नहीं होने के कारण से प्लान सीलिंग कम किये जाने के कारण राशि आबंटित नहीं हुई फिर भी 1999-2000 में प्रस्तावित औषधालयों में से राज्य सरकार कुछ औषधालयों को खोलने की मंशा रखती है। यह सरकार का जवाब है। सभापति महोदय, इस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे, घोषणा करना + + + करना इनका काम है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : राठौड़ साहब, पिछले बजट में तो पशु चिकित्सालयों और आयुर्वेद औषधालय खोलने का प्रावधान ही नहीं था। आप देख लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है वर्ष 1999-2000, 2000-2001 में कितने आयुर्वेद और यूनानी औषधालय खोले हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप उससे पहले का कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, पिछला तो 1999 था। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : न तो औषधालयों का कोई प्रावधान है और न पशु चिकित्सालयों का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता दें कि कोई भी प्रावधान नहीं। इस समय सरकार की बात कर रहा हूं, मैं बजट की बात नहीं कह रहा हूं। मेरा इतना-सा निवेदन है इस सरकार ने इस पवित्र सदन में सौ आयुर्वेद और 50 यूनानी औषधालय खोलने की घोषणा की थी जो आज तक खोले नहीं। मेरा इस सरकार पर आरोप है, आप इससे सहमत नहीं हों तो आप मेरे को बता दो।

सभापति महोदय, हमारी सरकार पर इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस राजस्थान को, सभापति महोदय, कभी बीमारू कहा गया, पहले पिछड़ों का प्रदेश कहा गया, योजनागत दृष्टि से राजस्थान विकास के पथ पर आगे जाए इसका सपना देखा था पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत ने। उनके मन में एक ही बात थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत सड़क से जुड़े, प्रत्येक ग्राम पंचायत में चिकित्सा का, आयुर्वेद का कोई संस्थान खुले। 150 तक की आबादी में प्राथमिक विद्यालय खुले। यह नहीं था, सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के इतने सदस्य बैठे हैं, एक सदस्य यह कह दे कि उसकी अभिशंसा पर उसके निर्वाचन क्षेत्र में ढाई साल पुरानी सरकार ने एक भी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सालय, औषधालय, सड़क या कोई भी विकास का काम किया है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं। हम राजनीतिक भेदभाव से काम नहीं किया करते थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने नीतिगत निर्णय लिया था कि 1991 की जनगणना के गांवों को सड़क से जोड़ेंगे।

सभापति महोदय, 1952 से 1992 तक की मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस कालखण्ड के अन्दर ढाई साल का शासन आपातकाल के बाद में जनता पार्टी के पास आया था बाकी हमेशा इनका शासन रहा। इस कालखण्ड में जो कुल योजनागत व्यय हुआ वह 9349.56 करोड़, उप मुख्य सचेतकजी लिख लो आप और उसके बाद योजना आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी परिकल्पना की थी भारतीय जनता पार्टी के 1992-1997 के कार्यकाल में। इस आठवीं पंचवर्षीय योजना में, उप मुख्य सचेतकजी, आउट ले था 11500 का और खर्च हुए 11865, यानि कांग्रेस के 40 वर्ष के शासन से 2515 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने....

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार, मैं तो इनके आतंक के कारण बोल नहीं पाता लेकिन डर के मारे, डरता हुआ-सा बोल रहा हूं, 11 हजार रुपये खर्च करने की बात कह रहे हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि 11 स्थायी बड़े विकास के काम राजस्थान के ये गिना दें अपने भाषण में।

श्री सभापति : यह माननीय वित्त मंत्रीजी कह देंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री महेश जोशी : नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं इसलिए कह रहा हूं मैं। मेरे से बार-बार पूछ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं डरता-डरता। आप 11 काम गिना दीजिए बड़े।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वित्त मंत्रीजी से पूछिये, इनसे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कुछ पुरानी बातें याद करा दीं और उसकी चर्चा भी कर दी। यह मेरे मुंह से मत कहलवाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति : मत कहिये आप तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कह रहे हो कि मैं भी डाक्टर हो गया, वह डाक्टर की डिग्री आपको कैसे मिली, एम.ए. सोसोलाजी की डिग्री कैसे मिली, यह ज्यादा मत कहलाओ। कुछ आपके और हमारे....

श्री महेश जोशी : मेरे हर पुराने काम में आपका सहयोग रहा है, मैं मानता हूं। लेकिन आप + + + रहे हैं, मैं डरता हूं आपसे, अभी भी डर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था....

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस काम में भी सहयोग है क्या? डांक्टर लेने में भी सहयोग है क्या?

श्री महेश जोशी : हर काम में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 9वीं पंचवर्षीय योजना 27650 करोड़ की बनी है और 9वीं पंचवर्षीय योजना में 1997-98 में जो आउट-ले था वह था 3504 करोड़। 1998-99 में आउट ले था 4300 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 3832 करोड़। अब देखिये, सभापति महोदय, आप पधारे हैं शासन के अन्दर, आपके मन में तो जरूर दर्द हुआ होगा, मैं जानता हूं आपके विचार को। आप स्टेट्समैन हैं। राजस्थान के लोग जानते हैं। पर इन्होंने किया क्या है, सभापति महोदय? आपको आसन से इनको पूछना चाहिए। 1999-2000, योजना की घोषणा की 5022 करोड़ की और योजना में एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया इन्होंने 3600 करोड़। 2000-2001, 4146 करोड़ और इसमें मैं थोड़ा वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने योजना पूरी की 4237 की। अब के ये बजट एस्टीमेट लेकर आये हैं 4515 का। अब इनका हश्र क्या होगा यह तो समय बतायेगा परन्तु इस हिसाब से जो 27650 करोड़ की योजना थी उसका आउट-ले रह गया है 20687 करोड़ और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 20171 करोड़ का, यानि 3489 करोड़ तो कम हो गया एक्सपेंडिचर में और टोटल आउट-ले में कमी हो गयी 6973 करोड़ की। अब अगर आपको राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाना है तो आपको योजनागत व्यय करना पड़ेगा और आपको योजनागत व्यय करना पड़ेगा तो आपको योजना का आकार बढ़ाना पड़ेगा। आपको योजना का आकार बढ़ाना पड़ेगा तो या तो आप एडिशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज ज्यादा करें या आप कर्जा लेकर वित्त पोषित करें। हमने कर्जा ले लिया, आपने बड़ी-बड़ी बातें कह दीं। परन्तु मैं आपके ध्यान में, यह बजट एट ए ग्लांस जो सरकार ने हमें दिया है, बजट एट ए ग्लांस के पृष्ठ पहले 2.1 पर जिसमें इन्होंने नेट बोरोइंग लिखी है, अभी आप कल कह रहे थे, जब माननीय कटारिया साहब अपनी बात कह रहे थे, कि मिड-टर्म लोन को बीच में कर रहे हो, असैट्स और लायबिलिटी में कुछ वो चीजें आ जाती हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो नेट बोरोईंग है, जो इस वर्ष की नेट बोरोईंग है वह है 5070.79 करोड़। यह है या नहीं यह आप देखिये। आपका जो प्लान एक्सपेंडिचर, जो एनुअल प्लान है वह है 4515 करोड़, क्या कमाल है, सभापति महोदय। 555 करोड़, यह कहते हैं हमने कर्जा लेकर गुनाह कर दिया, इन्होंने जो इनकी वार्षिक योजना है उससे ज्यादा नेट बोरोईंग की है। बाकी अगर सारे कर्ज मान लें तो इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह कम नहीं है। आपने श्वेत-पत्र जारी करके पूरी दुनिया के अन्दर ढिंढोरा पीटा। सभापतिजी, यह तो आप जैसे किसी समझदार आदमी ने कहा है कि इन दिनों में तोता रटत कम हुई है वरना तो एक ही बात, भारतीय जनता पार्टी के शासन में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खजाना खाली हो गया। आपने आरोप लगाया कि 31 मार्च 1990 को जब हमने शासन छोड़ा तब कर्जा था राजस्थान 6127 करोड़ और फिर आपने एक श्वेत पत्र जारी किया। वित्त मंत्रीजी, श्वेत पत्र जारी करने वाले प्रोफेसर सी. एस. बरला को तो, मैं आज कह रहा था, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी नाराज हो रहे थे। इसलिए मैंने आरोप लगाया था कि उनको पुरस्कृत इसीलिए किया गया है एन.जी.ओज. के नाम से कि श्वेत पत्र बनाकर झूठे आंकड़े दे दो और इन्होंने कहा कि 23840 करोड़ का कर्जा हमने कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वित्त मंत्रीजी, आप जब उत्तर दें तो मैं पूछना चाहूंगा कि 23840 करोड़ का फिगर आप कहां से लाये। आर. बी. आई. की रिपोर्ट में कोट करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इसको लिखें, आर. बी. आई. की रिपोर्ट वोल्यूम संख्या सैकण्ड, पृष्ठ संख्या 229, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 31 मार्च, 1999 को राजस्थान पर कुल कर्जा 20655 करोड़ था। क्योंकि आपने तो इस तरह का आडम्बर करना था, आपने 1200 करोड़ से ज्यादा टैक्स जनता पर लगा दिये, बिजली दरों को 80 प्रतिशत से 150 गुना बढ़ा दिया, सिंचाई की दरों को आपने दुगुना कर दिया, बच्चों की फीस आपने 150 गुना बढ़ा दी। आपने पंचवर्षीय योजना छोटी कर दी और आपने चलती हुई वार्षिक योजना के अन्दर दो बार कटौती करके अकाल के नाम पर 1800 करोड़ की कमी कर दी और अकाल राहत काम में वह पैसा खर्च किया नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि हमने कर्जा ले लिया, अब मैं नेट बोरोईंग की बात करूंगा, वित्त मंत्रीजी तो है नहीं, किसको कहूं मैं?

श्री सभापति : आपको गाड़ी में जाना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो नहीं बोलूं, साहब?

श्री सभापति : बोलिये न। याद दिला रहा हूं कि आपको गाड़ी में जाना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 31 मार्च, 1990 को कांग्रेस ने हुकूमत जब छोड़ी तो कुल कर्जा था 6127 का और प्रति वर्ष ब्याज अदायगी थी 437 करोड़ की। 31 मार्च, 1999 इनके श्वेत पत्र के अनुसार कर्जा हो गया 23840, ब्याज अदायगी प्रति वर्ष हो गयी 2217 की। अब 31 मार्च, 2000, एक साल में जो इन्होंने कर्जा लिया, मैं नेट बोरोईंग की बात कर रहा हूं, 5856.89, कर्जा बढ़ कर हो गया यह जोड़ें तो 29697 और प्रति वर्ष की ब्याज अदायगी हो गयी 2825 करोड़। अब 31 मार्च, 2001 इन्होंने फिर कर्जा लिया 4094 करोड़, कर्जा बढ़ कर हो गया 33794 और प्रति वर्ष ब्याज अदायगी हो गयी 3378 की। अब जो बजट एस्टीमेट है, बजट एट ए ग्लांस में जो नेट बोरोईंग की बात जो इन्होंने कही है वह है 5070 करोड़ की। इनको सब को जोड़े, मैंने इसमें दूसरा कर्जा नहीं जोड़ा, नेट बोरोईंग जोड़ा है तो 38865 और प्रति वर्ष अदायगी हो गयी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

3980 की। यानि प्रतिदिन राजस्थान के अन्दर मात्र कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और प्रतिमाह 330 करोड़ रुपये इसमें खर्च किये जा रहे हैं। अब वित्त मंत्रीजी, आपने किया क्या है? प्रति व्यक्ति आय की मैं बात नहीं करूंगा मैं जीडीपी की बात इसलिए नहीं करूंगा कि हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उस पूरी बात को बता दिया। परन्तु आपके समय में प्रति व्यक्ति देनदारियों का बोझ कितना बढ़ गया? 1998-99 में 4518 करोड़, 1999-2000 में बढ़ कर हो गया 5323 करोड़, 2000-2001 में हो गया 6134 करोड़ और 2001-2002 में 8833 करोड़ रुपये का प्रति व्यक्ति पर कर्जा हो गया 1991 की जनगणना के अनुसार। मतलब हमने शासन छोड़ा तब था 4518 करोड़ और इन्होंने 2001 के अन्दर कर दिया 8833 करोड़। यानी, सभापति महोदय, कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 4315 करोड़ रुपये प्रति व्यक्ति कर्जे का भार इन्होंने बढ़ा दिया और कह रहे हैं कि राजस्थान को हम अच्छी आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर करेंगे। बेरोजगारी का आलम यह है, सभापति महोदय, कि इन्होंने ढाई सालों के अन्दर, मेरा आरोप है इस सरकार पर, बड़ी-बड़ी घोषणाएं की इस सरकार ने, कहा था कि बेरोज़गारों को रोजगार देंगे। सभापतिजी, आप भी गांव से आते हैं। वहां हालात क्या हैं। गांव के अन्दर अकाल पड़ा, खेत में काम नहीं। राजस्थान में उद्योग धंधे इसलिए बंद हो रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने 150 गुना ज्यादा बिजली के दाम बढ़ा दिये और सरकार क्या कर रही है। इस सरकार ने ढाई वर्षों के अन्दर 80,000 सरकारी पद जो सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए थे या नये उपक्रमों के अन्दर नव पद सृजित होने चाहिए थे, उन पदों को समाप्त कर दिया। यह सरकार की बानगी है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी, आपके बजट एस्टीमेट के अनुसार कुल रेवेन्यू रिसीट है 13189 करोड़ रुपये और आप प्रति वर्ष कर्जे के लिए मात्र ब्याज की अदायगी कर रहे हैं 3980 करोड़ रुपये यानी कुल रेवेन्यू रिसीट का 31 प्रतिशत कर्जे की अदायगी में कर रहे हैं। सेल्स टैक्स रेवेन्यू, जो बजट एस्टीमेट में इन्होंने बताया है, वह है 3535 करोड़ प्रति वर्ष ब्याज का भुगतान है 3980 करोड़ यानी पूरा, सबसे बड़ा कम्पोनेंट है, एक्साइज के बाद सैल्स टैक्स है, सभापतिजी, आप जानते हैं, पूरा पैसा उसमें चला गया और 455 करोड़ रुपये किसी दूसरे हैड से लेओगे तब तो आपका एक वर्ष का ब्याज का भुगतान होगा। यह किस तरह से सरकार बनायेगी, मेरी समझ में नहीं आया और हो क्या रहा है, सभापतिजी, इस बजट एट ए ग्लांस में इन्होंने यह लिखा है कि रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, उससे मैंने यह आंकड़ा लिया है। 1998-99 में वित्त मंत्रीजी, प्लान एक्सपेंडिचर था 22 प्रतिशत और 2000-2001 में आपने उसको कम करके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

15 प्रतिशत कर दिया और आपका प्रस्तावित बजट यह कह रहा है कि यह 13 प्रतिशत प्लान एक्सपेंडिचर है। आप करना क्या चाहते हो, आप राजस्थान को ले जाना कहां चाहते हो? आज आपकी योजना का वित्त पोषण कहां से होगा? वित्त मंत्रीजी, एक रुपये में से 43 पैसा तो केन्द्रीय सरकार का ऋण है और जिसमें से 28 प्रतिशत आपका आंतरिक ऋण है और 15 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार का ऋण है यानी 43 प्रतिशत आपकी योजना का वित्त पोषण ऋण से हो रहा है और आप कर क्या रहे है। 2000-2001 की वार्षिक योजना का....

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजेन्द्रजी, एक मिनट। एट्थ फाईव ईयर प्लान का पोषण कहां से हुआ था 11500 करोड़ का, अगर वह फिगर्स हैं तो सदन को वह भी बता दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं वह भी बता दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एट्थ फाइव ईयर प्लान में जिस तरह वित्त पोषण हुआ था, उसको तो आपने कंडेम किया था ना। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप उससे सहमत थे तो आपने श्वेत पत्र जारी करके यह आंकड़ों का मायाजाल क्यों फैलाया। आप कह देते कि हम सहमत हैं। आपने दुनिया भर में हमारी सरकार की बदनामी क्यों की, आप मुझे यह बता दें और आप मुझे यह बता दें कि जिस लाइन पर एट्थ फाइव ईयर प्लान बना था, उसी लाइन पर आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आपने कोई दूसरी लाइन ली क्या। आपने फिजिकल कंसोलिडेशन की बात कैसे कह दी? आपने राजकोषीय घाटे को चार प्रतिशत तक ले जाने की बात कैसे कह दी? आपने कैसे कह दिया कि आप रेवेन्यू डेफिसिट तीन सालों में कम कर देंगे? यह थोथी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2000-2001 में वार्षिक योजना अगर एक रुपये की है तो 30 प्रतिशत राशि ऋण और ब्याज चुकाने में खर्च हो रही थी पर अबकी बार आपने क्या कर दिया 40 प्रतिशत, मतलब आप ऋण लो और मजे करो। अब मैं सभापतिजी, ज्यादा नहीं बोलते हुए, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी, 11वें वित्त आयोग की चर्चा करते हुए कुछ बातें कहीं। उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि 11वें वित्त आयोग से राज्य के हिस्से में विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई। आपने वित्त मंत्रीजी, बजट भाषण में यह बात कहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11वें वित्त आयोग से आपको रुपया मिलेगा 20565 करोड़, सेंट्रल शेयर के अन्दर जो हिस्सा है, नोन प्लान रेवेन्यू डेफिसिट का, आप कम करने के लिए 2000-2001 और 2001-2002 यह आपने बजट में उल्लेख किया है, 955.26 और 289.42 करोड़ रुपये की सहायता आपको अलग मिलेगी। अब 10वें वित्त आयोग से 2000 में आपको कुल क्या मिलता था सभापतिजी, 10819 करोड़ और 11वें में मिला 23588 करोड़ और जिसमें 20565 करोड़ केन्द्रीय करों का हिस्सा है और 1244 करोड़ गैर योजनागत राजस्व घाटे का पाटने के लिए, मतलब 10वें वित्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आयोग से दुगुना पैसा, मैं वित्त मंत्रीजी चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस बात को कहें और 12759 करोड़ रुपये आपको ज्यादा मिले या नहीं मिले। 10वें वित्त आयोग से सी.आर.एफ. का आपको रुपया मिला 706 करोड़ रुपये और 11वें वित्त आयोग....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मिला नहीं, मिलने की उम्मीद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, मिलने की उम्मीद है और 11वें वित्त आयोग में जो प्रस्तावित है, वह है 857 करोड़ रुपये और उसको आप सेंट्रल शेयर के अन्दर हमारा हिस्सा बढ़ा। सी.आर.एफ. में हमारा 151 करोड़ बढ़ा और 490 करोड़ का अनुदान पंचायती राज संस्थाओं को देने की बात इसमें है, 99 करोड़ रुपये नगरपालिका को 60 करोड़ रुपये कच्ची बस्तियों को और 239 करोड़ रुपये सेवाओं के आधुनिकीकरण पर मतलब पैसा बढ़ा परन्तु आपको तो कहना है और आपने तो कह दिया। राज्य के विशाल आकार और छितरी हुई आबादी के कारण सेवाओं का मूल्य अधिक आता है। सही है, यह बात सही है, सभापति महोदय, परन्तु वित्त मंत्रीजी, आपको मालूम है कि केन्द्र सरकार राजस्व का बंटवारा गाडगिल फार्मूले के अनुसार करती है और गाडगिल फार्मूले में अलग अलग दे रखा है, उसमें दे रखा है कि जनसंख्या का 10 प्रतिशत होगा, राजस्व आय का 62 प्रतिशत होगा। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब सभापतिजी, इनको संकोच नहीं करना चाहिए। बजट एट ए ग्लांस के अन्दर जो....

श्री सभापति : समापन की ओर बढ़िये आप, अब समापन की ओर बढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बढ़ रहा हूं। विगत ढाई वर्षों के अन्दर केन्द्रीय सहायता और केन्द्रीय करों का वक्र हिस्सा तो बढ़ गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके स्टेट टैक्स रेवेन्यू, 2000-2001, मैंने आपके बजट एट ए ग्लांस से लिया है यह आंकड़ा भी, स्टेट टैक्स रेवेन्यू का कुल 5505 करोड़ है और रिंवाइज्ड एस्टीमेट जब आये तो कम होते होते 5347 करोड़ यानी स्टेट टैक्स रेवेन्यू हमारा कम हो गया 158 करोड़ और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज, 2000-2001 में बजट एस्टीमेट में था 2253 करोड़ रुपये, और रिवाइज्ड एस्टीमेट में बढ़ कर हो गया 2836 करोड़ यानी यह बढ़ गया, 538 करोड़ और यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही है। सभापति महोदय, + + + बात कहने की सरकार को आदत पड़ गई है। ग्रांट इन एड जो स्टेट गवर्नमेंट को मिला, बजट एस्टीमेट था हमारा 1603 करोड़ और इनको वास्तव में मिला 2597 करोड़ यानी 994 करोड़ इसमें बढ़ गया। स्टेट टैक्स रेवेन्यू कम होता गया, सेंट्रल एड है वह ज्यादा हो गया। सेंट्रल का शेयर है, वह ज्यादा हो गया और नोन प्लान डेफिसिट

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का इसके लिए 1244 करोड़ दे दिया और यह कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार हमारी सहायता बिलकुल नहीं कर रही है। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया, जिस बात का उल्लेख....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह फाइनेंस कमीशन की जो डिवोल्यूशन होती है, उसको बार बार यह भ्रम फैलाने की चेष्टा की जा रही है कि केन्द्र सरकार कोई हमारे ऊपर खैरात दे रही है, एहसान कर रही है। यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है। देश के हर राज्य को कमीशन ने, जिसमें राजस्थान प्रदेश भी शामिल है, यह कांस्टीट्यूशन के तहत हर पांच साल में फाइनेंस कमीशन का अपाइंटमेंट होता है और उसके तहत हमें प्राप्त होता है। आप जो बार-बार केन्द्र सरकार की बात कह रहे हैं, मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा It is a constitutional obligation of Government of India. और उनको तो देना लाजिमी है हर राज्य को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर देना लाजिमी है तो फिर आप यह रोज + + + का स्टेटमेंट देकर उससे अधिक मांगने का हक किस हिसाब से रखते हैं जबकि आपको पता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम + + + नहीं कर रहे हैं। आप बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर जब आप यह कहते हैं कि एक फार्मूले से पैसा मिल रहा है, उस फार्मूले से पैसा दे रहे हैं तो फिर आप उसका रोज इस बात का दबाव क्यों है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ यह हो रहा है....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो मैं अभी आंकड़ों से साबित कर दूंगा कि किस प्रकार से व्यवहार हो रहा है, मैं अभी आंकड़ें दूंगा। आप अपनी बात कह लीजिये। परन्तु जो हमारा हिस्सा एन.सी.आर.एफ. के पेटे की बात की कि जो स्टेट तीन साल से अकाल फेस कर रही है, उसके साथ यह भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए, हम इस बात को बराबर स्ट्रेस कर रहे हैं और कुछ मुद्दे हैं, जिनके ऊपर मैं अभी आपके सामने विस्तार से चर्चा करूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके आप कम्पेरेटिव आंकड़ा दें कि बाकी स्टेट के साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हुआ। केवल इतना नहीं कि आप अपना ही दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह सवाल मैंने इसीलिए खड़ा किया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी की फाइनेंस कमीशन की बात, जब मैंने बजट डिबेट ओपन की थी, तब भी कही थी और उस समय भी हमने आपसे कहा था कि यह कांस्टीट्यूशनल ओब्लिगेशन उनका है और

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभी स्टेट को क्या मिलने वाला है, यह 11वें वित्त आयोग ने तय कर दिया है और अभी आप कह रहे हैं कि मिलने की उम्मीद है तो जब आपको, जो कुछ उसमें लिखा है कि ऐसा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है सुरानाजी, एक मिनट, एक मिनट। I will take only one minute. They are projections. उन्होंने कहा कि 11वें फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि यह केन्द्रीय सरकार का इतना, इन सालों में, अगले पांच सालों में यह राजस्व होगा और इस फार्मूले से आपका डिवोल्युशन होगा। उदाहरण दे रहा हूं कि टेंथ फाइनेंस कमीशन ने जो प्रोजेक्शन किया था कि राजस्थान को इतना पैसा मिलेगा उससे कम पैसा हमको मिला है क्योंकि भारत सरकार की आमदनी गिर गई। यह मेरे कहने का अभिप्राय है।

(14.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना : वह आप कह चुके। और अभी जो आंकड़े दिये हैं चूरू से आने वाले माननीय महानुभाव ने, कि सेंट्रल टैक्सेज में शेयर बढ़ रहा है, वह आपको मिल रहा है और स्टेट के शेयर, स्टेट का कर राजस्व घट रहा है, आपने जो प्रोजेक्शन किया उसके मुकाबले घट रहा है। आपको कहां तकलीफ हो रही है इसमें। किताबें आपकी, सेंट्रल शेयर जो आपको मिला वह बताया गया, प्रोजेक्शन आपने जो कर राजस्व का किया, वह घट गया, वह बताया गया, आपको कहां तकलीफ हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, यह इस वक्त बहस का वक्त नहीं। I don't want to interrupt him. आप बोले और मैं आपके सामने कितना कर राजस्व बढ़ा है उसके भी आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, उससे स्थिति साफ हो जायेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, वह रखिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सारे आडिटेड अकाउंट्स हैं। ए.जी. आडिट करता है, इसलिए यहां पर कोई गलत फिगर्स देने का, या झूठे-सच्चे फिगर्स देने से काम चलेगा नहीं, आडिटेड फिगर्स हैं, सारी चीजें बजट में आती हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय वित्त मंत्रीजी....

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब। माननीय सुरानाजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, एक सैकण्ड।

श्री सभापति : माननीय सुरानाजी, यह सब बातें आ गई हैं, राठौड़ साहब का समय क्यों ले रहे हैं आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभी फिगर्स सही होंगे। आठ साल के भाजपा शासन में 16 हजार करोड़ रुपये ही उधार लिये गये। प्रति वर्ष दो हजार करोड़ के हिसाब से और आपके तीन साल के शासन में यह आंकड़ा पांच हजार को टच कर रहा है कि पांच हजार करोड़ का आप ऋण ले रहे हैं...

श्री सभापति : वह आप पहले कह चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह स्थिति भी साफ हो जायेगी अभी।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक तरफ कह रहे थे कि हम खजाना खाली कर गये और हमारे खजाना खाली किये हुए में भी आप पांच हजार का ऋण अभी ले रहे हैं प्रतिवर्ष....

श्री सभापति : माननीय सुरानाजी, यह बात बहुत पहले कह चुके हैं आप और वित्त मंत्रीजी अपना जवाब दे देंगे। माननीय राठौड़ साहब....

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह स्थिति भी अभी, श्रीमन्, साफ हो जायेगी।

श्री सभापति : अब समाप्त कीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रीजी को कि इन्होंने इस सदन के अन्दर स्वीकार कर लिया कि कांस्टीट्यूशनल आब्लिगेशन के तहत अन्य राज्यों को जो सहायता भारत सरकार देती है, जो करों में हिस्सा अन्य राज्यों को है, जो ग्रांट इन एड अन्य राज्यों को है, इलेवन्थ फाइनेंस कमीशन के अन्तर्गत जो दूसरे राज्यों को है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं, यह माननीय वित्त मंत्रीजी आपने स्वीकार किया है सदन के अन्दर, इसीलिए थोथी बातें, यहां से निकल कर बाहर जायेंगे....

श्री सभापति : जो माननीय मंत्रीजी ने कहा है, हम सब ने उसको सुना है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं तीन मिनट में खतम कर रहा हूं। मुझे तो एतराज इस बात का है कि इनको तो फिर भी थोड़ा-बहुत ज्ञान हो गया, सभापति महोदय, मैं तो इकानोमिक्स का विद्यार्थी रहा नहीं....

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर मुख्य मंत्रीजी को पता तो कुछ होता नहीं और यह पकड़ा देते हैं एक बात उनको और सभापतिजी, मैं क्षमा चाहूंगा, वित्त मंत्रीजी जिस दिन से इस कुर्सी पर विराजें हैं, ढाई साल से उनके सारे भाषण देख लो, एक ही, हमने महिला आयोग बना दिया, हमने अल्पसंख्यक आयोग बना दिया, हमने पिछड़ा आयोग बना दिया, हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया। प्रशासनिक आयोग बना दिया, संस्कृत विश्वविद्यालय, उनको पता नहीं है, असल में उनका कसूर नहीं है। सभापति महोदय, अपने मारवाड़ी में है न कि कमेड़ी उड़ कर किसके माथे पर बैठ जाय, यह कमेड़ी बैठ गई और उनको जो पकड़ाते हैं वही बात वह + + + की तरह बोलते रहते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह कमेड़ी हमेशा से बैठती आई है। माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मुझे अफसोस इस बात का है, सभापति महोदय, आपके मन में जो दर्द है, जो विकास का सपना आपकी आंखों में मैंने तैरते हुए देखा है....

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उसको धूल-धूसरित कर दिया इन लोगों ने और सभापति महोदय, वह समय आ जायेगा, आप जैसे विद्वान लोग, आप जैसे धरती-पुत्र....

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जैसे किसान के बेटे इस सरकार को छोड़ कर इधर आकर बैठेंगे, वह समय आ जायेगा।

श्री सभापति : वह सोचने का, आप समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, इन्होंने बड़े आरोप लगाये हम पर, कर्जे और देनदारियों के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपके बजट एट ए ग्लांस 2000-2001 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें आपने 1999-2000 में जो बोरोइंग एण्ड अदर लायबिलिटी के लिए बजट एस्टीमेट किया था और लास्ट में अभी वित्त मंत्रीजी भाषण देंगे तब तो कहेंगे, यह तो रोजमर्रा की बात है, कुछ लिया जाता है, कुछ दिया जाता है। परन्तु आपने किया क्या, 7120 करोड़ का आपका बजट एस्टीमेट और रिवाइज्ड एस्टीमेट पर जब आप आये तो यह बढ़ कर हो गया 12294 करोड़। यानि आरई. और बीई. में अन्तर हो गया 5174 करोड़, 77 प्रतिशत। और सभापति महोदय, 2000-2001 में इन्होंने क्या कमाल किया, बजट एस्टीमेट फिर लेकर आये 7025 करोड़ का, और रिवाइज्ड एस्टीमेट जब आया, एक्चुअल जो फिगर आया, वह आया 12439 करोड़। यानि अन्तर फिर 541 करोड़ का हो गया। और अब के यह उधार और देनदारियों में इन्होंने बजट एस्टीमेट किया है 999 का। अगर वह प्रतिशत जोड़े जिस प्रतिशत से इनकी आदत पड़ी हुई है बढ़ाने की, तो 17 हजार से ज्यादा यह क्रास करेगा। अब वित्त मंत्रीजी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने केन्द्र सरकार से आर्थिक सुधार के नाम पर एक एम.ओ.यू. दस्तखत किया और आपने यह कहा और पिछले बजट भाषण में यह कहा कि हम तीन वर्षों में राजस्व घाटे को शून्य कर देंगे। सभापति महोदय, आप जब उधर बिराजते थे तब माननीय आज के वित्त मंत्रीजी को तो मौका मिला नहीं, पर हमारे जो सबसे वरिष्ठ और विद्वान जो अर्थशास्त्री हैं इस सदन के अन्दर, माननीय चन्दमल बैद, हमेशा एक भाषण दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डेफिसिट को कैपिटल सरप्लस से पाटने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, कांग्रेस अगर इस शासन में आयेगी तो इस पद्धति को बदलेगी। अब वह का वह रास्ता, वह की वह बात, वह का वह काम आप करते जा रहे हैं, कैपिटल रिसीट आप बढ़ा रहे हैं लोन लेकर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप कम करते जा रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये, आप तो यह बात कह चुके हैं पहले ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। राजस्व घाटा 1999-2000, 3391 करोड़, बी.ई. के अन्दर था, आर.ई. में बढ़ कर हो गया 3860 करोड़। और अब, आपने 2000-2001 के अन्दर, बीई. में था 3346 और आपने जो फिगर दिये हैं आरई. के अन्दर, रिवाइज्ड एस्टीमेट में, आपने किया है 2610 करोड़ यानी कम हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसके अन्दर 955 करोड़ रुपये वह जो आपको केन्द्र सरकार ने नोन प्लान रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए दिया था, आप अगर उनको जोड़ दें तो यह आपका आंकड़ा पूरा बदल जाता। आप क्यों छुपाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह कैपिटल रिसीट, सभापति महोदय, लोन लेकर लोन चुकाओ, यह प्रवृत्ति इस सरकार ने की है। 2000-2001 में कैपिटल रिसीट थी इनकी 7105 करोड़, रिवाइज्ड एस्टीमेट में आये तो बढ़कर हो गई 12536 करोड़ यानि 5431 करोड़ ज्यादा, 2001-2002 में 10088 करोड़ है, आप रिवाइज्ड एस्टीमेट में आओगे, दोबारा मैं आज कह रहा हूं वित्त मंत्रीजी, 15 हजार से ज्यादा अगर आप लेकर नहीं आये तो मुझे कह देना, आज हालात क्या हो रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सहयोग कीजिये, आपकी पार्टी के ही बहुत से माननीय सदस्यों का नाम है जिनका समय आप ले रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं अपनी अन्तिम बात कहते हुए, वित्त मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान 2000-2001 के बजट के अनुच्छेद 158 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें बजटीय घाटे का उल्लेख किया गया है। 1999-2000 का बजटीय घाटा है 766 करोड़ रुपये, उसी में दर्ज है यह, आप चाहे तो मैं देख कर बता सकता हूं और प्रारम्भिक घाटा था 1136 करोड़। अंतिम घाटा हो गया 1903 करोड़ और इस बार 2000-2001 में बजटीय घाटा आपका था, एस्टीमेट जो पहले आपने दिया बीई. में, 1112, बढ़ कर हो गया रिवाइज में 699 और 2001-2001 में आपने बजट में घाटा छोड़ा 283 करोड़, रिवाइज में किया होगा, यह भगवान जाने। अगर इसको सब को जोड़ें तो आज की तारीख में आपके बजट का अन्तिम घाटा है 2885 करोड़। और इसमें अगर ग्यारहवें वित्त आयोग से जो आपको सहयोग मिला, अगर उसको घटा भी दें 1244 करोड़ को, तो यह बजटीय घाटा आपका बैठता है 1641 करोड़। आप क्यों छुपाना चाहते हैं। इसी तरह राजकोषीय घाटे को आपने कर दिया, आज आपने राजस्थान को हाई फिस्कल स्टेट में लाकर खड़ा कर दिया। आप करना क्या चाहते हैं राजस्थान का। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, और आपको भाषण देना बहुत आता है, किसानों की बात बहुत कही। माननीय कटारिया साहब ने जो तथ्य इस सदन के सामने,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, आपको निश्चित तौर पर उस वक्त मन में ग्लानि होगी कि आप ऐसी पार्टी के माननीय सदस्य हैं जहां पूरे बजट का, प्लान एक्सपेंडिचर का मात्र तीन प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। अब इस बजट का हम क्या करें, मजबूरी है, इस बजट को पूरा पढ़ लें, इस बजट में न कोई दिशा है, न कोई दशा है। यह बजट ऐसा बजट है जो राजस्थान की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। सपने बेचने से काम नहीं चलेगा वित्त मंत्रीजी, राजस्थान की जनता ने यथार्थ को पहचान लिया है, आज राजस्थान के गली और कूंचे में इस बात की चर्चा है कि आपने बजट लीक क्यों किया था। मैं कुछ कहूंगा, आप नाराज हो जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बातें छुपेंगी नहीं। इतिहास इस बात को लिखेगा कि आपने राजस्थान के सदन के अन्दर बजट को लीक करके काले इतिहास को रच दिया और इतिहास इस बात को भी लिखेगा कि राजस्थान के विकास के सपने जो पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने देखे थे, आपने वह सारे विकास के सपने धूल-धूसरित कर दिये। इसलिए, सभापति महोदय, इस बजट को बजट नहीं मानते हुए मैं इसका पूरा विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री जुगल काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय सभापति महोदय, 29 मार्च को माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं वे निश्चित तौर पर स्वागत योग्य हैं। प्रदेश की विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए इस बजट के माध्यम से जो प्रयास किये गये हैं वे निश्चित ही सराहनीय हैं। सभापति महोदय, यह पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि राजस्थान किन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। लगातार अकाल की मार ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है। यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। इस विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट न केवल संतुलित है बल्कि विकासोन्मुख तथा स्वागत योग्य है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निरन्तर अकाल ने हमारे प्रदेश को भीषण आर्थिक संकट में डाल दिया है और ऐसे समय में हर एक प्रदेश यह उम्मीद करता है कि उसे केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। मान्यवर, बार-बार यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय आपदा कोष द्वारा राज्य सरकार को निरन्तर मदद दी जाती है किन्तु फिर भी राज्य सरकार यह उलाहना देती है कि केन्द्र से हमें पर्याप्त सहायता एवं सहयोग नहीं मिल रहा है। यह वाकई सही है कि जो संविधान के तहत 11वें फाइनेंस कमीशन का फार्मूला तय किया है उसके अन्तर्गत राजस्थान को आपदा कोष

(श्री जुगल काबरा)

से सहायता मिलती है और वह केवल राजस्थान को ही नहीं मिलती बल्कि सभी प्रदेशों को मिलती है चाहे प्राकृतिक आपदा रहे अथवा नहीं। हम जो मांग करते रहे हैं राजस्थान सरकार की ओर से वह आपातकालीन परिस्थितियों के अन्दर आपातकोष से विशेष सहायता की मांग करते रहे हैं। केन्द्र सरकार के विवेकाधीन जो धनराशि है उसमें से सहायता मांगते रहे हैं किन्तु उसके प्रति केन्द्र सरकार का हमेशा कांग्रेस राज्यों के लिए असहयोगात्मक रवैया रहा है। आज राजस्थान ही नहीं बल्कि हमारी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य जो कि अकाल की विभीषिका से पीड़ित हैं वे गैर कांग्रेसी राज्य नहीं है बल्कि कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्हें सहयोग नहीं दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य या भाजपा गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके द्वारा सत्तारूढ़ सरकारों के राज्य हैं उन्हें पूरी मदद दी जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मान्यवर, कि राजस्थान में जब भी इस तरह की विषम परिस्थितियां पैदा हुई केन्द्र सरकार ने पूर्व में पूरी मदद की।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1967-68 में जब राजस्थान भीषण अकाल की विभीषिका से पीड़ित था उस समय इंदिरा गांधीजी ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए विशेष अकाल अनुदान दिया था। हमारे बाड़मेर, जैसलमेर से आने वाले सदस्य जानते हैं अमरारामजी साहब यहां विराजमान हैं इन्हें पता है, हादीजी यहां नहीं हैं उन्हें पता है कि किस तरह इंदिरा गांधीजी ने जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के अकाल पीड़ित लोगों को मदद दी। 1986-87 में जब राजस्थान पुनः अकाल की चपेट में आया राजीव गांधीजी जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने सड़क मार्ग से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और राजस्थान को एक मुस्त 600 से अधिक करोड़ रुपयों की सहायता प्रदान की ताकि राजस्थान इस विभीषिका का मुकाबला कर सकें। आज के समय में भी हम उम्मीद करते थे कि वर्तमान सरकार मानवता के नाते राजस्थान की मदद करे इस में कोई राजनीति की बात नहीं है। राजनीति आम जनता से नहीं हो सकती उसूलों पर राजनीति की जाती है किन्तु माननीय सभापति महोदय, इसके बारे में राजस्थान की सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया और यह प्रयास किया गया कि राजस्थान की सरकार को संकट की स्थिति में डाला जाए ताकि हम अपनी जनता को पूरी राहत नहीं दे सके किन्तु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को कि इन्होंने पूरी तरह से प्रयास करके इस अकाल की विभीषिका में आम जनता को बचाया। जो अकाल राहत का प्रबंधन किया गया पिछले दो वर्षों में, वह काबिले तारीफ है। और हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर के लोग भी और केन्द्र सरकार से जो अधिकारी आये हैं जो मंत्री आये हैं, प्रधान मंत्रीजी ने इस बात की सराहना की है कि राजस्थान की सरकार ने अकाल राहत कार्य

(श्री जुगल काबरा)

के अन्दर कुशल प्रबंधन किया है। आज ही सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था। राजस्थान की सरकार ने पेयजल प्रबंधन की जो व्यवस्था की है केन्द्र सरकार ने उसकी तारीफ की है। यह इस बात का यह द्योतक है कि राजस्थान की सरकार आम जनता की समस्याओं से निबटने के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए मजदूरों की समस्याओं के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीब लोगों की समस्याओं के लिए चाहे किसी से भी कर्जा लेना पड़े, चाहे किसी से भी आर्थिक व्यवस्था करनी पड़े उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पीछे नही हटेगी।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो पूरे देश में आर्थिक अव्यवस्था फैली हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार ने जो आर्थिक व्यूह रचना की है वह इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए सारा प्रदेश आज इस अर्थव्यवस्था के चक्कर में दम घोटू वातावरण के अन्दर अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। मान्यवर, पांचवें वेतन आयोग को केन्द्र सरकार ने लागू करके सभी राज्यों के ऊपर एक तरह से अनावश्यक आर्थिक बोझा डाल दिया और जिसका शिकार राजस्थान भी रहा। पूर्ववर्ती सरकार ने आसन्न चुनावों को देख करके कर्मचारियों को खुश करने के लिए यह प्रयास किया कि पांचवां वेतन आयोग लागू कर दिया जाए किन्तु उसके साथ में जो सुधारों के कार्यक्रम लागू थे उनको लागू नहीं किया गया और इसलिए आज हम इस आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति में चल रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अव्यवस्था के लिए पूर्ववर्ती सरकार जिम्मेदार है। मान्यवर, मैं यह अनुरोध करता हूं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की हमारे विपक्षी माननीय सदस्य बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा कर रहे थे। 27650 करोड़ रुपये की योजना की बात कर रहे थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना 11,500 करोड़ रुपये की थी और उसमें छलांग लगा करके सीधा 27650 करोड़ रुपये पर पहुंच गये। मैं पूछना चाहता हूं कि योजना के प्रथम वर्ष के अन्दर 1997-98 की वार्षिक योजना कितनी बनायी गयी थी, केवल मात्र 3504 करोड़ रुपये की। साढ़े 27 हजार करोड़ रुपये की योजना का आंकड़ा देने वाले लोग 3504 की प्रथम वार्षिक योजना बना करके किस तरह से इस योजना को पूरा करना चाहते थे, ये मेरी समझ में नहीं आता। इसी तरह से योजना के दूसरे वर्ष में जो वार्षिक योजना बनायी गयी 1998-99 में वो 4300 करोड़ की बनायी गयी और जो सिमट करके 3822 करोड़ रुपये तक की रह गयी। यदि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रथम दो वर्ष की वार्षिक योजना का जोड़ लगायें तो माननीय सभापति महोदय, वह केवल 7800 करोड़ रुपये होती है और 9वीं पंचवर्षीय योजना 27650 करोड़ रुपये की बनायी गयी। लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की योजना राशि आने वाले तीन सालों के लिए छोड़ दी गयी। ये जानते थे कि हम तो सरकार

(श्री जुगल काबरा)

छोड़ करके चले जाएंगे इसलिए केवल योजना का आकार बढ़ाकर जनता को भ्रमित कर दिया जाए। आने वाली सरकार के ऊपर यह तोहमत लगा सकें कि इन्होंने योजना के आकार को पूरा नहीं किया। सभापति महोदय, यह छलावा था पिछली सरकार का जिसके कारण यह योजना का आकार सही नहीं बना। उन्होंने वास्तविकता के आधार पर इस योजना के आकार को नहीं बनाया और इसी कारण जो योजना 27650 करोड़ की थी वह 20677 करोड़ तक की रह गई।

मान्यवर, जब कांग्रेस ने मार्च, 1990 में सरकार छोड़ी थी तब इस प्रदेश पर कर्जा 6127 करोड़ रुपये था और ब्याज मात्र 437 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था। किन्तु जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार छोड़ी तो कर्जा बढ़ कर 23840 करोड़ रुपया हो गया और प्रति वर्ष ब्याज 2217 करोड़ रुपया हो गया और जो प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़े गये कर्जे के ब्याज के लिए वर्तमान सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। हमारे विपक्ष के सदस्य बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण प्रदेश को यह दिन देखना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से इन्होंने कर्जे का बोझ प्रदेश की जनता पर लादा है उसी का कारण रहा है कि आज प्रदेश में आर्थिक संतुलन की स्थिति बिगड़ रही है और इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के विकास कार्यों के लिए यदि कहीं से भी कर्जे लेने की आवश्यकता पड़े तो उसको पूरा किया जाये।

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा केन्द्र सरकार ने 11वें वित्त आयोग के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों में राज्य सरकारों को जो अनुदान देने की नीति बनायी उसमें भी यह प्रयास किया गया कि राजस्थान को पूरा सहयोग नहीं दिया जाये। और राजस्व घाटे के अलावा गैर आयोजना राजस्व घाटे का अनुदान दिया जाता है उसमें केवल गैर आयोजना राजस्व घाटे का अनुदान ही राजस्थान सरकार को दिया गया। और वह भी 15 प्रतिशत राशि का भुगतान कतिपय राजकोषीय शर्त के साथ जोड़ दिया गया। वे हर हालत में राजस्थान की सरकार को आर्थिक संकट में डालना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने 1998 में सरकार छोड़ी थी उस समय कितना बड़ा ओवर ड्राफ्ट छोड़ कर गये थे, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसका भी समायोजन नयी सरकार को करना पड़ा। हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने यह कोशिश की कि हम आने वाले समय में आर्थिक व्यवस्था को सुधार कर इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जायें।

मान्यवर, एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा। ऊर्जा को लेकर न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे क्षेत्रों में एक तरह से चिन्ता है। जो बिजली की दरें बढ़ी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका भी चिंतन किया जाना जरूरी है। मान्यवर,

(श्री जुगल काबरा)

आपको याद होगा कि केन्द्र सरकार ने बिना किसी सूचना के रातों-रात डीजल की कीमतें बढ़ा दी और उस डीजल की कीमत का न केवल किसान के ऊपर असर पड़ा बल्कि उससे बिजली के उत्पादन की लागत पर भी असर पड़ा है। सभापति महोदय, जो कोयला तापीय विद्युत घरों में आता है उनके परिवहन की कीमत बढ़ गई, कोयले की कीमत बढ़ गई और इसके कारण बिजली के उत्पादन की जो लागत बढ़ी है उसके लिये भी केन्द्र सरकार उत्तरदायी रही है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, नेशनल अटोमिक थर्मल पावर कारपोरेशन इन कारपोरेशंस ने जो अपनी बिजली की कीमतों में वृद्धि की है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे प्रतिपक्ष के साथी इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि केन्द्र सरकार जब किसी भी चीज की कीमत बढ़ाती है तब यह चुप हो जाते हैं और केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए जब कभी थोड़ा बहुत कीमतों में इजाफा करना पड़ता है तब शोरगुल किया जाता है।

श्री नन्दलाल मीणा : आप चले जाओ पार्लियामेंट में।

श्री जुगल काबरा : समय आयेगा तब चले जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, इन्हें बहुत बुरा लग रहा है। जो हकीकत है उससे इंकार नहीं किया जा सकता। जिसके लिए केन्द्र सरकार दोषी है, जिसके लिए केन्द्र सरकार कठघरे में खड़ी है उस बात को आप मना नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसानों के हम बहुत बड़ी हिमायत करते हैं। जो नई आयात-निर्यात नीति लागू की गई है उस आयात-निर्यात नीति का क्या हश्र होने वाला है। किसानों के साथ क्या स्थिति बनने वाली है। जिन चीजों का आयात हो रहा है उन चीजों का हमारा किसान किस तरह से मुकाबला कर पायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सदस्य, इसका ओरिजन कौनसे वर्ष में शुरू हुआ था, 1991 में ही हुआ था ना।

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहूंगा जब वैश्वीकरण, उदारवाद की नीति तय की गई किन्तु डब्ल्यूटीओ. का समझौता कब हुआ और उसके बाद सुधार कार्यक्रम के साथ जो शर्तें लागू की गई थीं, पिछले तीन साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में काबिज है किन्तु उन शर्तों को लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। सभापति महोदय, जिस आयात को 2003 तक खोला जा सकता था उसको तत्काल खोलकर कुछ लोगों को लाभ देने का प्रयास किया गया ताकि वे लोग हिंदुस्तान में अपनी उपभोक्ता वस्तुओं को लाकर भण्डारण कर सके।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे प्रतिपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने सवाल उठा दिया। मान्यवर, चीन आज उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करके पूरे विश्व में अपनी प्रतिस्पर्द्धा कायम कर रहा

(श्री जुगल काबरा)

है। किन्तु हमारी केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हिन्दुस्तान का उत्पादक अपनी वस्तुओं का उत्पादन करके विश्व बाजार में खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, और उसके लिए जिम्मेदार हमारी केन्द्र सरकार की गलत नीतियां रही हैं। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान का चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो, चाहे आम उद्यमी हो उसके साथ इस तरह की व्यवस्था की जा रही है आयात-निर्यात नीति के द्वारा उससे न केवल देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए भी एक कुठाराघात होगा।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा हाल ही में केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जो नई व्यवस्था की है केवल बी.पी.एल. के लोगों को, चयनित परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिये जाने की व्यवस्था की है बाकी जो निर्धन परिवार के लोग थे, जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा अनुदानित गेहूं, शक्कर और अन्य जिन्सें उपलब्ध करायी जाती थीं उनका अनुदान कम कर दिया गया है। यह केन्द्र सरकार किस तरह से गरीब लोगों की, मजदूरों की, किसानों की सेवा करना चाहती है इसका खुलासा हमारे सामने नहीं आता कि किस तरह से यह गरीबों की रहनुमा सरकार है मान्यवर, इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर जो संकट है उन सारे हालातों के बावजूद भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह प्रयास किया है कि हम अपने प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनायें। और इसके लिए चालू वर्ष के अन्दर जो निवेश किया जा रहा है उसमें सड़क पर 67 प्रतिशत, ऊर्जा के क्षेत्र में 41 प्रतिशत, सिंचाई के क्षेत्र में 26 प्रतिशत, इसी तरह से यह प्रयास किया गया है कि प्रदेश का समन्वित विकास हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो 140 करोड़ रुपया मिल रहा है उस रुपये को भी बी.ओ.टी. के माध्यम से समायोजित करके यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की जो जर्जर स्थिति की सड़कें हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। मान्यवर, पिछली सरकार के जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे वह स्वयं इस बात को स्वीकार करते थे कि हमारे प्रदेश की जो सड़के हैं वह इस तरह की हैं जैसे मेरी छाती के ऊपर फफोले लगे हुए हैं। मान्यवर, इस तरह की जर्जर स्थिति की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए वर्तमान सरकार ने यह प्रयास किया है कि 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण आने वाले दो वर्षों के अन्दर किया जाए ताकि इस प्रदेश के अन्दर सड़क सुधार का कार्य सही तरीके से चलाया जा सके।

मान्यवर, बिजली के क्षेत्र के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा। बिजली के उत्पाद में पिछली सरकार का क्या योगदान रहा, पिछली सरकार ने आठ साल के अन्दर एक मेगावाट बिजली का उत्पाद नहीं किया। और तो और, 80 के दशक के अन्दर कांग्रेस शासन के दौरान जो

(श्री जुगल काबरा)

अन्तरराज्यीय समझौते किए गए थे बिजली के मामले में, उनकी भी पूरी तरह से पैरवी नहीं कर सके। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो अन्तरराज्यीय समझौतों के चैम्पियन माने जाते हैं वह इस सारे मामले के अन्दर चुप रहे और अपने शासनकाल के अन्दर उन्होंने कोई भी प्रयास नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ने हमारी जो योजना थी उसको नकार करके भारत सरकार के साथ समझौता करके अपना बिजली घर लगा लिया। पंजाब सरकार ने भी हमारे साथ में इसी तरह का व्यवहार किया। अन्य राज्यों के अन्दर जो हमारे हिस्से थे वह सारे हिस्से बेकार हो गए। और आठ साल के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बहुत सारे समझौते किए, कई एम.ओ.यू. दस्तखत किए, कहा गया कि पांच हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हम इन पांच सालों के अन्दर करेंगे। किन्तु 1998 में सरकार जा रही थी उस समय लेखा-जोखा लिया गया तो इन्हें पता चला कि हमने जो कोई भी समझौते किए हैं वह कोई भी क्रियान्वित होने की स्थिति में नहीं है, किन्तु राजस्थान की नई सरकार ने माननीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व के अन्दर यह प्रयास किया कि ऊर्जा के क्षेत्र के अन्दर हम निश्चित तौर पर सही निवेश करके ऊर्जा का उत्पादन बढ़ायें। और दो साल-ढाई साल की अवधि के अन्दर 750 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके एक रिकार्ड कायम किया है और आने वाले तीन साल के अन्दर वर्तमान सरकार 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का प्रयास कर रही है और उसमें वह निश्चित तौर पर सफल होगी।

इसके साथ ही विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए और अन्य विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है ताकि किसान को सही तरीके से बिजली दे सके। वोल्टेज के अन्दर जो उतार-चढ़ाव आता है, उसको रोका जा सके और इसके साथ ही साथ समय पर विद्युत आपूर्ति की जा सके। आज मांग और सप्लाई के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर है। मांग और सप्लाई के अन्दर साढ़े ग्यारह सौ मेगावाट का अंतर चल रहा है।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय मंत्रीजी को कहें कि ब्याह-शादियों के टाइम तो कम से कम बिजली तो बराबर दे दें ताकि उन बच्चों की शादियां तो आराम से हो सके, गरीब लोगों की शादियां हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप खुद की शादी करा रहे हैं क्या? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप खुद की भी करा दो ना, मेरी तो क्या मैं तो बच्चा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी इसके लिए बहुत प्रयत्नशील हैं।

श्री केसाराम चौधरी : मगर यह शादियों का टाइम है, गरीब लोगों के बच्चों की शादियां हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ऊर्जा मंत्रीजी बहुत प्रयत्नशील हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, बिलकुल, बिजली तो आती ही नहीं फिर प्रयत्नशील से क्या होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री नन्दलाल मीणा : इनको कह दो कि यह शादी-ब्याह मे नहीं जाए नहीं तो लोग शक्ल बिगाड़ देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कह रहे हो ना, आपकी बात मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने बिजली के उत्पादन पर जो प्रयास किया और सूरतगढ़ की ताप बिजली घर में प्रथम इकाई के अलावा दूसरी इकाई में भी उत्पादन प्रारम्भ किया और समयावधि के 6 महीने पहले पूरा किया। इसी तरह से तीन इकाई, तीसरी, चौथी और पांचवीं इकाई है उसको भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत संयंत्र लगाने के लिए प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ राजस्थान में पहली बार पवन बिजली घर में लगे हैं वर्तमान सरकार की यह उपलब्धि है। पवन बिजली घर लगे हैं, पन बिजली घर तो पहले से चल रहे हैं वह वर्तमान सरकार की उपलब्धि है।

इसी तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी वर्तमान सरकार प्रयत्नशील है कि सौर ऊर्जा और भाप को मिलाकर मथानिया के अन्दर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाए। इस तरह से राजस्थान की वर्तमान सरकार यह कोशिश कर रही है कि मांग और सप्लाई के बीच में जो अंतर है, उसको कम किया जाए। साथ ही छीजत और रिसाव को रोकने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। इस साल के अन्दर तीन प्रतिशत छीजल और रिसाव के अन्दर कमी की गई और जिस तरह से विद्युत तंत्र मजबूत होगा उससे यह लगता है कि आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत कुछ सुधार किया जा सकेगा।

श्री हीरासिंह चौहान : अब जो हो रहा है उसको ही कम कर दीजिए आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं बताइये जरा। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के आंकड़े भी उठाकर देख लीजिए, कहने को छब्बीस प्रतिशत साढ़े छब्बीस प्रतिशत....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बार-बार पिछली सरकार के गीत मत गाइये। आप क्या कर रहे हैं बार-बार पिछली सरकार के गीत गाते हैं। (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा, माननीय वित्त मंत्री महोदय....

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : आप गुस्सा मत होइये, मैं तो यह कह रहा हूं आराम से...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप कैसे साइन कर रहे हैं मुझे, बोल वह रहे हैं, छीजत कम कर मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं छीजत कैसे कम कर रहे हैं? 36,000 करोड़ की छीजत हो रही है, कम कैसे कर रहे हैं? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य उत्तेजित न हो।

श्री जुगल काबरा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो हकीकत है उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हीरासिंहजी। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : आपकी सरकार के समय में छीजत कम नहीं हुई।

श्री हीरासिंह चौहान : आप तो कम कीजिए, ढाई साल से इस राज में बैठे हो। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : विद्युत नियामक आयोग आपने बनाया है अब तो कीजिए। (व्यवधान) काबराजी, अब की बार का बिल आ जाने दो सारी जनता आपकी, सारी छीजत पूरी कर देगी, पूरी छीजत कर देगी। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय सदस्य महोदय, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : छीजत कम कैसे करें? (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : राजस्थान के अन्दर न तो भारतीय जनसंघ के कभी अंकुर रहे, न भारतीय जनता पार्टी के अंकुर हैं। पहले आप 1977 में जीतकर आए थे जब जनता पार्टी के कंधों के ऊपर जीत कर आये थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : अमराराम जी, आपको भी समय मिलेगा। समय मिलेगा आपको भी। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : 1990 के अन्दर जीत कर आए थे तो आप जनता दल के कंधों के ऊपर आए थे, 1993 के अन्दर जीत कर आए थे तब निर्दलीयों के कंधों के ऊपर जीत कर आए थे, आप कह रहे हो कि आप चले जाओगे। आपके कौनसे अंकुर यहां रहे हैं यह तो बताइये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : काबराजी, कंधों पर चढ़ने का दम तो है ना।

श्री जुगल काबरा : कंधों पर चढ़ने का दम है तो वह कंधे वाले गिराना भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सहयोग कीजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो उल्टे मुंह जा पड़े। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : इतने दम और घमण्ड की जरूरत कहां पड़ रही है? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : नहीं, नहीं वह जो बात कह रहे थे....(व्यवधान)

श्री सभापति : एक सैकण्ड बाद में।

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री सभापति : आपको समय दे रहा हूं एक सैकण्ड बाद में। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, जब आपकी कृपा होगी। मैं यह कह रहा हूं कि बीच में भी आप जो कुर्सी पर बैठे रहे वह मेरी वजह से ही रहे थे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आपकी यह अच्छी आदत नहीं है। कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा हूं कि वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से सभी क्षेत्रों के अन्दर चाहे सिंचाई, कृषि, ग्रामीण विकास हो या शिक्षा, चाहे चिकित्सा, हर क्षेत्र के अन्दर यह प्रयास किया है कि विकास के काम बढ़ाए जाएं। इसके ही साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में मान्यवर वित्त मंत्रीजी ने विक्रय करके अन्दर 82 करोड़ रुपये का जो नया टैक्सेशन किया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अरण्डी और इसबगोल के ऊपर आपने दो प्रतिशत का नया टैक्स लगाया है वह अनुचित है। हमारे यहां की जो तेल मिले हैं और जो इसबगोल उत्पादक हैं, उन सब लोगों के लिए यह उचित नहीं रहेगा। ठीक इसी तरह से मान्यवर, टर्न-आवर टैक्स, एण्ट्री टैक्स में और प्रशमन योजना के अन्दर आपने जो वृद्धि करने का सुझाव दिया है, माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स बढ़ाने से राजस्व नहीं बढ़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मान्यवर, समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : दो मिनट। टैक्स की सीमा कम रखने से आपका राजस्व बढ़ सकता है क्योंकि जिस तरह से टर्न-आवर बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रदेश का व्यापार कहीं दूसरे प्रदेशों की ओर तो शिफ्ट नहीं हो रहा है। मान्यवर, व्यापार के पलायन को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने यहां के विक्रय कर की दरों को युक्तिसंगत रखें। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने फ्लोर रेट के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ में समझौता किया है किन्तु जिन राज्यों के अन्दर विक्रय कर की दर ज्यादा थी वहां पर तो दर आपने बढ़ा दी किन्तु जिन राज्यों के अन्दर विक्रय कर की दर कम थी वह आपने कम नहीं की है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन राज्यों के मुताबिक आप विक्रय कर की दर कम करें ताकि हमारे यहां के व्यापार का पलायन नहीं हो। मान्यवर, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो मुद्रांक शुल्क बढ़ाया है उस पर.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : काबराजी, वित्त मंत्रीजी आपकी बात को मान रहे हैं या नहीं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री जुगल काबरा : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से भी अनुरोध कर रहा हूं। मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर वे अवश्य विचार करेंगे। मुद्रांक शुल्क बढ़ाने की बात की है। माननीय वित्त मंत्रीजी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शुल्क बढ़ाने से राजस्व नहीं बढ़ेगा। आप मुद्रांक शुल्क को यथावत रखें। और आप कम करके भी देख लें। पिछली सरकार ने एक बार कम करके देखा था, उससे राजस्व बढ़ा था इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि मुद्रांक शुल्क के बारे में आप पुनर्विचार करें और इस मुद्रांक शुल्क को भी कम करने का प्रयास करें।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी। आप समाप्त कीजिए।

श्री जुगल काबरा : एक मिनट। आपने कम्प्यूटराइज्ड चैक पोस्ट लगाने की बात की है। कम्प्यूराइज्ड चैक-पोस्ट लगाना बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके से दूसरे राज्यों से बगैर बिल का माल जो हमारे राज्य के अन्दर आ रहा है, उसको कम्प्यूटराइज्ड चैक पोस्ट के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप पुनः सभी क्षेत्रों के अन्दर चैक-पोस्ट लगाकर उनको कम्प्यूटराइज्ड कीजिए ताकि इस तरह की कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसको रोका जा सके। एक फार्म नम्बर 18 के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फार्म नम्बर 18 के बारे में राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हो चुका है कि फार्म नम्बर 18 किसी के पास में है तो उसके ऊपर अगर उसमें कहीं कोई गलती है तो उसको सीरियस नहीं लिया जाए और सम्बन्धित व्यक्ति को बुला कर उस फार्म को भरवा लिया जाए। किन्तु हमारे यहां के विक्रय अधिकारी फार्म नम्बर 18 के अन्दर कहीं भी कोई थोड़ी-बहुत कमी बेशी रहती है या उसके अन्दर कहीं कोई पूर्ति नहीं होती है तो उसके ऊपर अनावश्यक रूप से पैनल्टी लगा देते हैं, इसके बारे में भी आप विचार कीजिए और विक्रय कर को समुचित करने का प्रयास कीजिए।

श्री सभापति : माननीय श्री दिग्विजय सिंहजी।

श्री जुगल काबरा : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2001-2002 का बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने जिन परिस्थितियों में पेश किया है वह.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : काबराजी, यह तो....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, आप बिराजिए।

श्री केसाराम चौधरी : जोधपुर में तोड़फोड़ हो रही है और यह....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिए-बिराजिए।

श्री केसाराम चौधरी : काबराजी, उसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं आप? यहां पर बैठे हो और जोधपुर का नक्शा चेंज हो रहा है, उसके पक्ष में हैं या उसके खिलाफ हैं आप?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : जोधपुर का नक्शा नहीं आपका भी नक्शा बदल जाएगा।

श्री केसाराम चौधरी : हमारा तो नक्शा बदला हुआ है अब वापस आपका बदल रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्ष 2001-2002 का बजट जिन आर्थिक संकट जो राजस्थान के ऊपर है, उन परिस्थितियों के आधार पर यह जो प्रस्तुत किया है और उसमें सभी का समावेश करते हुए जो

(श्री दिग्विजय सिंह)

हमारे सामने प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है। मैं तो एक यह सोच रहा था कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जब गत वर्ष इन्होंने वित्त मंत्रालय का चार्ज सम्भालते समय इनको कम मिला था और उस समय ही या उस वर्ष, मतलब गत वर्ष इस बजट में उस बजट को आप कंसोलीडेशन के हिसाब से प्रस्तुत

(14.44 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

करते और राज्य की आर्थिक स्थिति को उस वक्त सम्भालते तो आज हमारे सामने यह आर्थिक संकट कुछ कम हो सकता था। और आपको एक मौका था उस वक्त क्योंकि आपके सामने केवल चार माह थे जबकि आपने वित्त मंत्रालय का काम सम्भाला था। एक माह, एक महीना, मैं दुरुस्त करता हूं इसलिए आपके सामने और भी अच्छा एक और था आपका वह समय, कहते हैं न विकल्प, कि आप उस बजट को कंसोलीडेशन के हिसाब से प्रस्तुत करते।

फिर भी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा, चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हों, चाहे हम इधर बैठे हों, यह आलोचना करना तो ठीक है कि आपके वक्त में घाटा रह गया और हमारे वक्त में घाटा चल रहा है। आप घाटा छोड़ गये, हम उसको भुगत रहे हैं। उन परिस्थितियों में अगर हम जाएंगे तो राज्य के विकास के बारे में जो हम चिन्तन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वह सिर्फ इस डिबेट से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारी जो डिबेट है वह इस प्रकार की हो कि हम हमारे प्रदेश को इस आर्थिक संकट से कैसे उबारें। माननीय वित्त मंत्रीजी, इस बजट के अन्दर, ठीक है आपने नये स्कूल नहीं खोले, नये औषधालय नहीं खोले, नई और कोई चीज नहीं खोली पर आपने कंसोलीडेशन जो किया और कंसोलीडेशन करके कम से कम वहां पर जो कुछ कमियां थीं उन कमियों को अब आप पूरी कर देंगे। जिन स्कूलों के अन्दर अध्यापक नहीं है वहां पर इस वर्ष आप अध्यापक पूरे लगा दें। जहां औषधालय खुल चुके हैं, वहां पर वैद्य पहुंच जाए। जहां पर पशु चिकित्सालय खुल गये वहां पर चिकित्सक पहुंच जाए, कम्पाउण्डर पहुंच जाए तो मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था आप इस बजट के माध्यम से आगे करना चाह रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था प्रतिपक्ष के कुछ सदस्यों को और खास तौर से चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को जो इकानोमिक्स के अन्दर वे माहिर भी हैं, मैं उनके मुकाबले इकानामिक्स तो नहीं जानता, बहुत कम जानता हूं। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा होता अगर हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो उस वक्त मुख्य मंत्री थे अगर उस वक्त उनको वित्त मंत्रालय का भार सौंप देते तो शायद यह घाटे का बजट या घाटे की स्थिति इस राज्य सरकार को वे सौंप कर नहीं जाते।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1997-98 में जो एनुअल प्लान आपने बनाया वह एनुअल प्लान आपने लिया 27 हजार करोड़ का और 27 हजार करोड़ का एनुअल प्लान. के अन्दर प्लानिंग कमीशन ने आपसे पूछा था कि आप इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना या प्लान जो लेकर आ रहे हैं उसको आप किस प्रकार से मीट-आउट करेंगे? सरकार ने उस वक्त आश्वासन दिया था, जहां तक मेरी जानकारी है कि हम हमारे संसाधन जुटाएंगे और हमारे संसाधन जुटाकर यह जो 27 हजार का एनुअल प्लान, सिक्सथ प्लान था उसको हम पूरा करेंगे। 1997-98 का प्लान था। 1998-99 के अन्दर आपके चुनाव का वर्ष आ गया, सभापति महोदय, उसके साथ-साथ जब 1997-98 का जो आउट-ले था पहले साल का उसमें आपका 3504.13 करोड़ और उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर आपने कर दिया 3987.35 करोड़ और इसमें आपने 700 करोड़ रुपये आई.एस.ई.बी. को इक्विटी दी। तो जो वह उसके देने की आवश्यकता बनी। आपने प्लान के अन्दर, जो आपका आउट-ले प्लान था 1997-98 का, उसके अन्दर ही आपने उसको व्यक्त की और 1998-99 के अन्दर आपके पास में एक्सपेंडिचर जो आपका एनुअल था 4300 करोड़ रुपये उसके अगेंस्ट में 3832 करोड़ रुपये ही खर्च किये। अब 1998-99 का, सभापति महोदय, जो आपका एनुअल प्लान था, वार्षिक प्लान था, 1998-99 का अर्थ हुआ कि 1999 के अन्दर, 1998 नवम्बर में चुनाव हुए। 1998 में चुनाव हो गये तो इस सरकार के पास में 1999 को जो बजट पेश किया तो वह लायबिलिटी जो भी थी वह गत सरकार की आई या नहीं आई? यह एक कामन सेंस की बात है कि आज हम क्रिटिसाइज दूसरों की कर लें पर यह बात तो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो लायबिलिटीज उस वक्त आपकी आई या आपने यह सोचा था कि 1998-99 के प्लान में वहां लेकर पूरा कर लेंगे, और वायदा हमारा इलेक्शन के सामने पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रोरेट के सामने, वह हो नहीं सका। और नहीं हो सका उसके खिलाफ जो देनदारी इस सरकार पर आई, आखिर में वह बैकलाग या जो उसका आउटस्टेंडिंग रहे वह इस सरकार पर ही आया। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ में मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि कर्ज की बात आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह मेरी मान्यता है कि अगर विकास के लिए कर्ज लिया जाता है और विकास के लिए कर्ज लेकर अगर खर्च किया जाये तो कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है पर कर्ज चुकाने के लिए कर्ज. लें तो निश्चित रूप से फाइनेंशल प्रोसपेक्ट्स और फाइनेंशल कंसेप्ट के खिलाफ है। इसलिए कर्ज की जो बात कहते हैं, कर्ज लें पर केवल हम प्रोडेक्टिव कर्ज लें, हम प्रोडेक्शन के लिए लगाये इससे हमारी रेवेन्यू जनरेट होगी। तो ऐसे कर्ज लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री दिग्विजय सिंह)

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस वर्ष के बजट के अन्दर जो भी कुछ आंकड़े दिये, उनमें तो मैं नहीं जाना चाहूंगा पर कुछ मुद्दे इस प्रकार है उनकी तरफ माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित करना चाहूंगा। आपने और कई कामों में विकास की जो योजना है, उनको नहीं कहा, कोई बात नहीं पर हम कंसोलीडेशन करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि गये साल के बजट में आपने रेवेन्यू डेफिसिट 112 करोड़ का छोड़ा और इस साल आपने 282 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट छोड़ा तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक शायद मैं समझ नहीं पाया कि 112 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आपका जो गत वर्ष का था, वह आपने पूरा किया कि नहीं। और इस वर्ष आपने 282 करोड़ का फिर अनकवर्ड डेफिसिट छोड़ा और 72 करोड़ के नये टैक्स लगाने की बात आपने कही है कि हम उसमें कर पाएंगे। नये बजट भाषण को अगर आप पढ़ें तो उसमें भी आपने यह कहा कि बाकी जो 112 करोड़ रुपये की बात कही उमसें आपने कहा है कि बजट के अन्त में, कि इसको हम कवर-अप करने के लिए और संसाधन या कर-चोरियां रोक कर हम इसको पूरा करेंगे। मैं जानना चाहूंगा वित्त मंत्रीजी से, कि इस संबंध में कितना डेफिसिट कम कर पाये। सभापति महोदय, जब तक यह डेफिसिट आपके कम नहीं होंगे और लैण्ड एक्सपेंडिचर के जो भी हैं, उनको भी आपको चैक करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसको भी आप बतलाएं कि इसका जो अनकवर्ड डेफिसिट है और जिसको कम करने की सोच रहे हैं, वह किस प्रकार से आप करेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि टैक्सेशन का जहां तक प्रश्न है, जैसाकि पूर्व वक्ता, जोधुपर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, अब एक सेचुरेशन पाइंट पर आ गया। आप टैक्सेशन लगाइये। आप लगा दें टैक्सेशन, पर इसकी रिकवरी आप कितनी पर पाएंगे, सभापति महोदय, मुझे इसमें संशय है और जिन आइट्म्स पर आपने टैक्स लगाया है, वह आइट्म्स ऐसे हैं जो कि सीधे जनता से इसके संबंध हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, कई मामले। अरण्डी के ऊपर, अरण्डी के तेल पर जो थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, और लगा दिया। आपका टैक्सेशन इस प्रकार का हो कि जिस प्रकार से भंवरा होता है वह फूल पर से रस तो ले लेता है तो फूल का कुछ नहीं बिगड़ता। आपके टैक्सेशन भी इसी प्रकार के हों कि न तो उपभोक्ता परेशान हो, न व्यापारी या कोई परेशान हो और आपको उसका रस भी मिल जाय। इसमें क्या होगा, सभापति महोदय, टैक्सेशन लगा रहे हैं, आप इन टैक्सेशन के माध्यम से आपका जो अनकवर्ड डेफिसिट है, मेरा

(श्री दिग्विजय सिंह)

वहम है कि वह शायद ही पूरा कर पायें, ऐसी मेरी मान्यता है।

सभापति महोदय, मैं, इसी के साथ-साथ माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव किये हैं, उनकी ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, आपने अपने बजट भाषण के अन्दर कई टैक्सेशन के बारे में भी गत वर्ष भी कहा। लग्जरी टैक्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर आपने रिलक्सेशन की बात कही और गत वर्ष भी आपने किया और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपने होटल्स पर स्टाम्प ड्यूटी में उनको रिलक्सेशन दिया। अब, सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने इन होटेलियर्स को एग्जम्पशन दे दिया। इसमें लिखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लगाये हैं, उनके ऊपर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कोई होटल लगाएगा तो मैं यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र, जहां लगाएंगे, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ क्या होगा? आपने उस बड़े समूह को, उस होटेलियर्स को तो बेनिफिट दे दिया पर जो एक करोड़ का वहां इंवेस्टमेंट कर देगा उस पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। स्टाम्प ड्यूटी टोटली एग्जम्प्ट कर दी। उसको आपने बेनिफिट दे दिया और जो ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं, जो ग्रामीण इलाका है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसे आप रिलक्सेशन किस लिये दे रहे हैं, यह भी सदन को बताने की आप कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्सेशन में आपके अभी भी इतनी गुंजाइश है जिसके माध्यम से आप राज्य सरकार की आमदनी अधिक बढ़ा सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपको इस बात के अन्दर क्यों संशय होता है, क्यों नहीं आप लग्जरी टैक्स, जो आपने पहले कम किया, होटल्स के ऊपर, उसको क्यों नहीं आप इम्पोज करते हैं? परसों के अखबार में था कि "राजविलास होटल" है उसके एक कमरे में 26 हजार रुपये पर-डे के चार्जेज हैं, 60 हजार रुपये पर-डे के चार्जेज हैं और जितने बड़े होटल्स हैं, कोई होटल, फाइव स्टार होटल ऐसा नहीं है जिसके 10 हजार रुपये पर-डे से कम के हिसाब से रूम के चार्जेज हों। ऐसे होटल्स पर आप लग्जरी टैक्स क्यों नहीं लगाते? आप लग्जरी टैक्स लगाओ। ट्यूरिज्म के हिसाब से आप बात करते हैं कि ट्यूरिज्म कम हो जाएगा। ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री पर असर पड़ेगा। ट्यूरिज्म इण्डस्ट्री पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ट्यूरिज्म आने वाले आ रहे हैं। वह फोरेन करेंसी में आपको पे करते हैं। आपकी करेंसी के अनुपात में उनके रात-दिन का फर्क है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इसको दुबारा से एग्जामिन करें और जो आपने रिलक्सेशन पहले दिया है, उसको आप दुबारा देखें और उसके ऊपर आप कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो लैण्ड रेवेन्यू हैं, मैं सुझाव दे रहा हूं वित्त मंत्रीजी, कि लैण्ड रेवेन्यू का बहुत पुराना सिस्टम हो गया है,

(श्री दिग्विजय सिंह)

यह उस जमाने का है, टोडरमल के जमाने से चला आ रहा है। बिगोड़े के हिसाब से दो पैसा, दस पैसा पर बीघा के हिसाब से आप करते हैं। इसको आपको चेंज करना चाहिये ताकि आपकी रेवेन्यू भी आयेगी। काश्तकार ने अब क्रोप पैर्टन चेंज कर लिया है। जहां वह गेहूं, जौ पैदा करता था, अब वह केश क्रोप करता है तो आप क्यों नहीं इसको केश क्रोप के ऊपर लगा दें कि अगर कोई पांच हजार या एक बीघा या पांच बीघा सरसों या कुछ पैदा करता है तो उसकी लास्ट टैन ईयर्स की सरसों की उपज लेकर और उस उपज के ऊपर लगा दें। बाहर कंट्रीज में, जहां मैं भी जाकर आया हूं, कई जगह, वहां कोई बिगोड़ी सिस्टम नहीं है। वहां प्रोडक्शन के ऊपर है और प्रोडक्शन के ऊपर चार्ज लेकर वह रेवेन्यू आती है, वह राज कोष में जमा होती है। इसलिए वित्त मंत्रीजी आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसको आप अपने स्तर पर एग्जामिन करायें और इसको आप देखें।

इसी के साथ-साथ एक कहावत है कि आप जितने स्ट्रिंजेंट मैजर्स करेंगे टैक्सेशन के लिए, वसूली के लिए और जितने आप इसको बढ़ाएंगे, इंस्पैक्टर राज को ज्यादा करेंगे उतनी ही आपकी कर-चोरियां बढ़ेंगी और जितने सिम्पल लाज होंगे, जितने स्ट्रेट फारवर्ड लाज होंगे, आप रेवेन्यू ज्यादा अर्जित करेंगे। इसलिए आप इसके ऊपर टैक्सेशन की कोई एक्सपर्ट की कमेटी बना कर कि किस प्रकार से हम इनको सरलता से लागू करें ताकि हमारा टैक्सेशन, जो आज चोरी के रूप में जा रहा है, वह हमको मिल सके।

सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेउंगा, एक-दो बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे पास पब्लिक अण्डर टैकिंग है और पब्लिक अण्डर टेकिंग आपके दो-तीन को छोड़ कर बाकी सब घाटे में चल रहे हैं। आप क्यों नहीं इन व्हाइट एलीफेंट्स को खतम करते हैं? क्या आवश्यकता है इनकी, जिनसे हमारे रेवेन्यू नहीं आ रही हो, इनको हम बंद कर दें। इनके ऊपर जो अनावश्यक खर्च हो रहा है, इनको हम हटा दें ताकि कम से कम हमारी जो लायबिलिटिज है, वह तो हमारे कम हो।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मैं समझता हूं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन सब बातों को मद्देनजर रख कर एक प्रशासनिक आयोग का गठन किया, और पूर्व मुख्य मंत्री, माननीय शिवचरण साहब को बैठाया, आप उनके सुझावों को भी, जो सरकार के लिए अच्छे और सरकार को आमदनी देने लायक हैं, सरकार के जो अनावश्यक खर्चे बढ़ा रहे हैं, आप उनको ग्रहण करके उनको भी लागू करें तो मैं समझता हूं वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, अंत में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही निवेदन करना चाहूंगा कि वित्त मंत्रीजी मेरे खयाल से इस बात को सोच भी रहे हैं और इनको

(श्री दिग्विजय सिंह)

माननीय सदस्यों की भावनाओं का आभास भी है कि उन्होंने जब हम को न स्कूल दी, न औषधालय दिये, न कोई और काम दिये तो विधायकों का जो कोटा 40 लाख है उसको आप बढ़ा करके एक करोड़ करने की घोषणा करेंगे जब अपना-अपना बजट भाषण समाप्त करेंगे। तो मैं समझता हूं कि बजट के अन्दर जो आपने कुछ नहीं किया....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे कतई।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो समय आयेगा जब बता देंगे आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम भी देख लेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो सुन लेना, देख क्या लोगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : चलो ठीक है, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समझता हूं कि यह वित्त मंत्रीजी के विवेक पर छोड़ते हैं निश्चित रूप से या तो बजट के अन्दर हमारे विकास के लिए और विकास के काम के लिए और कोई प्रोविजन नहीं किये तो विधायकों को कम से कम....

मोहम्मद माहिर आजाद : यह विवेक सिद्ध करने की कसौटी है क्या? चलो विवेक के प्रमाण की, इसी से तय कर लेंगे। (व्यवधान) मैं तो इनको उकसा रहा हूं।

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो आप वित्त मंत्रीजी पर छोड़ दो।

सभापति महोदय, अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार का योजना प्लान आउट-ले 2001-2002 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यहां अगर आप अपने 4515.61 करोड़ का जो प्लान है, उसके विभाजन को देखें तो आपका एग्रीकल्चर सैक्टर पर केवल 3 परसेंट, ग्रामीण विकास पर 9 परसेंट, सिंचाई व बाढ़ पर 10 परसेंट और सोशियल कम्युनिटी सर्विसेज पर 34 परसेंट है। ट्रांसपोर्ट पर 8 परसेंट, इंडस्ट्रीज पर 2 परसेंट और ऊर्जा पर 31 परसेंट है। मेरा निवेदन करना यह है, वित्त मंत्रीजी, कि आपके इस प्लान आउट-ले के एलोकेशन को दुबारा देखें, इसको चेंज करें। एग्रीकल्चर सैक्टर में आपने बहुत कम दिया है। इस एग्रीकल्चर सैक्टर में रूरल और डवलपमेंट सैक्टर के अन्दर आप कुछ और अनुपात बढ़ायेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे विकास की जो गति आज चल रही है उसमें हम पीछे नहीं रहेंगे।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से करना चाहता हूं कि आप इस बात को बार-बार, जब भी नाम आता है राजीव गांधी पाठशालाओं का, आप एक दम से उद्वेलित हो जाते हैं। अब न मालूम पाठशालाओं की वजह से होते हैं या राजीवजी के नाम से। (व्यवधान) वह मैं आप पर छोड़ता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बोफोर्स के समय तो आप भी होते थे। आप भी हम से नारे लगवाते थे। उणियारा में बोफोर्स के समय लगवाये थे।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने कभी नहीं कहा, यह आपकें गलतफहमी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय चूरू से आने वाले सदस्य भी साथ थे।

श्री दिग्विजय सिंह : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं, यह तो बड़े ज्ञानियों में से हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वाह, साहब, वाह।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यही कहना चाहता हूं कि पाठशालाओं का सम्बन्ध माननीय कटारियाजी से है और मैं वहां आसन पर बैठा था....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये।

श्री महेश जोशी : यह आपके अहसानमंद हैं, आपने इनको एस.एम.एस. हास्पिटल में एक बार बचाया था।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं जब वहां आसन पर बैठा था, माननीय कटारिया साहब का भाषण सुन रहा था। निश्चित रूप से माननीय कटारियाजी शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनके शिक्षा मंत्री काल में शिक्षा के सम्बन्ध में इन्होंने गति दी है। जो गति दी है और जो आयी है उसके लिए हम को सराहना भी करनी चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं है। One should not be shy of it.

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह 18 हजार पाठशालाएं राजीव गांधी पाठशाला के नाम से खुली है तो क्या गलती हुई है? आज अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर, जहां पर कि एक छोटा बच्चा, तीन साल का बच्चा, चार साल का बच्चा है, उसको तीन किलोमीटर, पांच-पांच किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, कहीं नालें बीच में आ गये, आपके इलाके में तो पथरीला इलाका है, कई इस प्रकार के इलाके हैं वहां बच्चों को पढ़ने भेजते ही नहीं थे क्योंकि वह वापस घर आ जाये, इसका भी उनको डर रहता था, आज अगर ऐसी छोटी ढाणियों में राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी गयीं। राज्य सरकार द्वारा तो मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत के अन्दर निश्चित रूप से एक अच्छा क़दम है मैं समझता हूं कि शिक्षा जगत के अन्दर निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और आपको भी इसकी सराहना करनी चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महादेय, इस बात का कभी भी विरोध नहीं है कि पाठशाला नहीं खुलनी चाहिए। विरोध इस बात का है कि जिस स्तर के अध्यापक से आप इस शिक्षा को करा रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए ताकि उन बच्चों के और शहर के बच्चों के बीच में खाई खड़ी नहीं हो जाये।

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, राजीव गांधी पाठशाला से तो राजस्थान का परसेंटेज आफ एजुकेशन इन्क्रीज हुआ है,

(डा. जितेन्द्र सिंह)

डेफिनेटली परसेंटेज और हर जगह यह व्यवस्था थी भी नहीं और हर छोटी-छोटी ढाणी और गांवों में जो राजीव गांधी पाठशाला खुली है वह निश्चित रूप से है....

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, राजीव गांधी पाठशाला की कोई डिबेट नहीं हो रही है, यह तो इन्होंने इंटरफेयर किया है।

श्री परसादी लाल : गांव के बच्चों को, ढाणियों के बच्चों को पढ़ाने के खिलाफ हैं कटारियाजी तो। शहरों के ही बच्चे पढ़ें, गांव और ढाणियों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए। (व्यवधान) ऐसी मानसिकता छोड़ो आप।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं पाठशालाओं के बारे में कह रहा था और खास तौर से राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में। आपने कहा कि आज के जो शिक्षक हैं वो उनको कैसे पढ़ा पायेंगे, यह एक सवाल जरूर है। यह आपका सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। पर यहां एक बात आप भी मानेंगे कि कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी और एक दफे अगर ट्रेंड हो जायेंगे। वहां शिक्षा मैं समझता हूं तीन-चार साल वाले बच्चों को तो हर कोई....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आप से क्षमा चाहता हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। यह सारी व्यवस्था लोक जुम्बिश के माध्यम से शिक्षाकर्मी और डी.पी. के माध्यम से प्रत्येक जिले में हमारे पास 40 करोड़ रुपया था। आप जितनी चाहते उतने बना सकते थे लेकिन आपने जिस गति से इसको किया उतनी गति नहीं दे पायें। पैसे की कमी नहीं थी।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंहजी, अब आप समाप्त कीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं तो खुद ही बहुत डिसिप्लिड रहता हूं समय के बारे में। वह आपके पास में था और आप जितना कर पाये वह तो आपने किया, अब उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया, उसमें तो हमारा भी कोई दोष नहीं था। अब हमने अगर उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दिया और दो साल के अन्दर ही कुछ उपलब्धि हो गयी तो मैं समझता हूं उसकी आपको सराहना करनी चाहिए।

अंत में, सभापति महोदय, मैं एक मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहता हूं। यहां मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं पर मैं कन्वे करता हूं। आप जो भी कार्यक्रम हैं मिनिस्टर्स के, इनके दौरों पर भी आप नियंत्रण करें। वह जो इधर के उधर दौरे हैं, एक सवाल मैंने किया था, सभापति महोदय, तो उसका जवाब आया, उस जवाब को मैं सुनाना नहीं चाहता। निश्चित रूप से यह कहूंगा कि इस कठिनाई में, जहां पर कि एक तरफ हम अकाल की बात करते हैं, एक तरफ अगर खर्चे देखें तो बढ़ते जाते हैं और अधिकारियों के खर्चे देख लें तो उन पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। करोड़ों के

(श्री दिग्विजय सिंह)

ऊपर आज खर्चा हो रहा है। मंत्री विदेश यात्रा करके आ जाते हैं तब तो मालूम नहीं पड़ता है कि वे गये भी थे, आये भी हैं, कब आये, कब चले गये। मेरा सुझाव है, मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है कि आप यह तो व्यवस्था कर दें पहले जो व्यवस्था थी, मैं तो जो बात है वह कहूंगा, प्रतिपक्ष के नेता जब मुख्य मंत्री थे और मैं भी उनके मंत्रिमण्डल के अन्दर मंत्री था तो हम को यह हिदायत थी कि महीने में सात दिन का आप दौरा करोगे; सात दिन से अधिक नहीं करोगे, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था अधिकारियों से लेकर मंत्री तक हो। जब तक हम खुद आचरण सही नहीं करेंगे, उसका प्रतिबिम्ब दूसरों पर पड़ता है। इसलिए सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जिस परिस्थितियों में यह बजट पेश किया है उस बजट को तो मैं इसलिए सराहता हूं कि कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर उन्होंने स्कूल या हास्पिटल नहीं दिये पर हम को कंसोलिडेट करके और आने वाले अगले वर्ष के लिए अगर हम इस वक्त कंसोलिडेट कर लेंगे तो हमारी जो चिंताजनक स्थिति है, प्रतिपक्ष के जो सदस्य बिराजमान हैं, उस वक्त सरकार में थे, जो हम पर बोझ छोड़ गये, कम से कम उसको तो हम सम्पाट करने में लग जायेंगे और आने वाले वर्ष के अन्दर हम ऐसी स्थिति में नहीं होंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, ये कुछ दिन आपके सहारे और आपकी बदौलत सरकार में रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : हालांकि इस बार हमारे वित्त मंत्रीजी ने घाटे का बजट पेश किया है लेकिन आने वाले वर्ष के अन्दर अगला बजट आयेगा तब आप खुद सुन लेंगे कि हमारा अगला बजट सरप्लस का होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज, हाउस को चलाने में सहयोग कीजिएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, सहयोग क्या, माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन कर रहा था कि वह इस सरकार की बात कर रहे हैं, यह सरकार कुछ दिन आपके बलबूते पर और आपके सहारे से भी रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसीलिए इतनी चल गयी।

श्री सभापति : माननीय श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2001-2002 का विकासहीन, दिशाहीन, किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी जो बजट रखा है उसके सम्बन्ध में मेरे विचार रखना चाहूंगा कि सरकार का जो बजट है प्रत्यक्ष करों में लगातार कमी करती जा रही है और

(श्री अमराराम)

अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करती जा रही है। जिन उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बजट भाषण में उल्लेख किया है कि जो केन्द्र सरकार है और जो माहौल देश में चल रहा है उसी के अनुसार यह बजट हम बनाते जा रहे हैं और तमाम् जो भी राजस्थान की समस्याएं हैं उनमें राजस्थान की जनता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं समझी गयी। वित्त मंत्रीजी ने सलाहों को सराहा है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की सलाहों पर हम चल रहे हैं क्योंकि प्रधान मंत्रीजी ने हमारी इन कारगुजारियों के लिए हमें धन्यवाद दिया है इसलिए उनकी सलाह हम मान रहे हैं। सभापति महोदय, अगर वाजपेयीजी की सलाह ही माननी थी, यदि राजस्थान की जनता को यह पता होता, वाजपेयीजी की सलाह मानने वाले तो आज से सवा दो साल पहले इन्हीं कुर्सियों पर बैठे हुए थे, भैरोंसिंहजी थे, उनका मंत्रिमण्डल था, उनकी सलाहों को अक्षरशः मानने वाले थे, अगर राजस्थान की जनता को यह पता होता कि यह आने वाली कांग्रेस की सरकार उन्हीं नीतियों और नियमों के अनुसार चलेगी जो भारतीय जनता पार्टी चलती है तो मैं समझता हूं यह समर्थन राजस्थान की जनता कांग्रेस को नहीं देती। आज कह रहे हैं बिजली का निज़ीकरण। बिजली पर बड़ा भाषण हमारे सदन के नेता मुख्य मंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का उत्तर देते समय दिया और बताया कि हम बड़े प्रयास कर रहे हैं, जो वायदे किए थे हम उनको अक्षरशः लागू कर रहे हैं, हम चुनाव घोषणा-पत्र को लागू कर रहे हैं और सभापति महोदय, जिस तरह से लागू किया है शायद यह पहला अवसर है कि पूरे सदन के माननीय सदस्य विद्युत मंत्रीजी को छोड़कर विद्युत सुधार अधिनियम के परिणाम के बारे में आशंका प्रकट कर रहे थे लेकिन इस सदन में पास किया गया था। विद्युत मंत्रीजी को छोड़कर तमाम् माननीय सदस्यों ने इस बात की आशंका जाहिर की थी, वे आशंकाएं आज एक साल के बाद सही साबित हो गयीं। वे कह रहे थे कि इस निजीकरण से इस एक्ट से बिजली की कोई रेट नहीं बढ़ेगी। आज क्या हालत है? सभापति महोदय, इस सरकार के आने के बाद, जो ये वायदा करके आये थे कि हम सस्ती बिजली देंगे, भा.ज.पा. ने जो लूट मचायी है उससे छूट देंगे और इस सरकार के आने के बाद हालात यह हुए हैं कि सवा साल के अन्दर अकेले बिजली के मद में 1677 करोड़ रुपये का सीधा टैक्स बढ़ाया है राजस्थान की सरकार ने। यह तो सीधा टैक्स बढ़ाया है और दूसरे चोर दरवाजा जो मिनिमम चार्जेज के नाम से कई सौ करोड़ राजस्थान की आम जनता से ऐंठने का काम और वायदा खिलाफी इस राजस्थान की सरकार ने इस नियम के आधार पर किया है। सभापति महोदय, यह पहला मौका होगा राजस्थान में, जब इसी सदन में हमारे विद्युत मंत्रीजी कह रहे थे कि

(श्री अमराराम)

रेट्स अगर आयोग बढ़ा देगा तो सरकार इसमें सक्षम है कि हम सब्सिडी देंगे।

(15.15 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

लेकिन सभापति महोदय, आप देखेंगे कि इस आयोग के माध्यम से सरकार ने जो दरें बढ़ायी हैं, यह राजस्थान में पहला मौका है, कि आम उपभोक्ता राजस्थान का किसान और आम गरीब पर रेट्स 40 से 83 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी हैं। अभी इससे पहले 70 प्रतिशत बढ़ा दी गयी। सभापति महोदय, यह पहला मौका है कि राजस्थान के गरीब पर दर लगातार 40 से 83 प्रतिशत बढ़ायी गयी हैं और जितने बड़े उद्योगपति हैं उन पर रेट कम की गयी है। किसी भी उद्योग परिसंघ ने आयोग के सामने यह दरख्वास्त नहीं की कि हमारी रेट कम कर दें लेकिन आयोग के माध्यम से उद्योगों पर दस पैसा प्रति यूनिट कम कर दिया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में अपनी रोजी रोटी चलाने वाला, एक पंचर निकालने वाला और मजदूर तो देगा चार रुपये नब्बे पैसे प्रति यूनिट और कारखाने का मालिक देगा तीन रुपये तीस पैसे, क्योंकि निजीकरण में पंचर निकालने वाला धनवान है और एक कारखाना चलाने वाला गरीब है इसी का नतीजा अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने लाइन लोसेज कम कर दी है। जब बिजली ही नहीं देंगे तो लाइन लोसेज होना ही नहीं है। यह पहली सरकार है जो आठ घंटे का वायदा करके + + + घोषणाएं करती रही।

श्री परसादी लाल (सहकारिता राज्य मंत्री) : आठ घंटे ही दी है।

श्री अमराराम (धोद) : आठ घंटे ही दी है मंत्री महोदय, यह आपकी किताब में तो पांच घंटे की हां भर रहे हैं, लोगों को धोखा देने के लिए आठ घंटे की बात करते हैं। दो घंटे भी बिजली मिलती नहीं, पूरे राजस्थान के गांव अंधेरे में हैं। जब बिजली जाएगी ही नहीं तो लाइन लोसेज कहां होंगे? सही कह रहे थे काबराजी, यह सरकार रहेगी तो लाइन लोसेज होंगे ही नहीं। अंधेरा छाया रहने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया है। इसका तो राजस्थान की जनता समय आने पर जवाब देगी। जहां तक नर्सरी की हालत है, ...(व्यवधान) बहुत उत्पादन किया है, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इस हाउस में....

मोहम्मद माहिर आजाद : लाइन लोस की बजाय ह्यूमन लोस हो रहा है

श्री अमराराम (धोद) : केवल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा दें और कांग्रेस के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा दे इससे राजस्थान की बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह डिमाण्ड और सप्लाई में जो अन्तर है। यह राजस्थान में सबसे बड़ा

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अमराराम)

है ज्यादातर राज्यों से। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आज उत्पादन की बात करते हैं। पांच साल तक इसी सदन में मैंने पूर्ववर्ती सरकार से बड़ी घोषणाएं सुनी। पांच हजार मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। निजी कम्पनियां आयेंगी और हमारे विद्युत मंत्रीजी कहते थे कि राजस्थान में ही नहीं, हम पाकिस्तान को भी बिजली दें देंगे। अभी भी आप कह रहे हैं कि निजीकरण, कितनी प्राइवेट कम्पनियों ने आकर बिजली का उत्पादन किया। मंत्रीजी, आप तो यह बता दो कि राजस्थान में ढाई साल से आपकी सरकार के आने के बाद प्राइवेट कम्पनियों ने बिजली का उत्पादन शुरू किया है। कोई नहीं करेगा और जिन शर्तों पर पैसा आप लेकर आये हैं, अभी भी हिन्दुस्तान की सरकार की शर्तों को आप मान रहे हैं। जिस डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों कम्पनियों के एक साल में निजीकरण करने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कोई नहीं आने वाला है इसलिए मेरा निवेदन है स्थिति आपके सामने है।

दूसरा, सभापति महोदय, सबसे भयंकर समस्या राजस्थान में भयंकर अकाल की है। राजस्थान में ये जो निजीकरण की नीतियां हैं इनके रहते हुए क्या असर हुआ है। यही कांग्रेस की सरकार थी 1986 और 87 में जब 252.70 लाख लोग प्रभावित थे, कांग्रेस की सरकार ने अकाल का मुकाबला करते हुए 702.62 करोड़ रुपये अकाल सहायता मद में खर्च किए थे। जब 1987 और 88 में थे तब 317.37 लाख लोग प्रभावित थे, 752 लाख रुपये खर्च किये गये थे लेकिन यह निजीकरण की नीतियां आने के बाद, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 1995-96 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 273.82 लाख लोग अकाल से अफेक्टेड थे और सरकार ने अकाल सहायता में खर्च किया 209.12 करोड़ रुपया। पिछली साल 1999-2000 में जब तेइस हजार गांव थे, 261.79 लाख लोग अफेक्टेड थे, 227 करोड़ रुपया खर्च किया है।

सभापति महोदय, यह सरकार, निजीकरण का एक ही मतलब है कि जन कल्याणकारी कार्यों पर जितना भी खर्चा होता है उसको कटौती करनी है जब 1986-87 में 702 और 1987-88 में 752 करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान की जनता का अकाल से मुकाबला कर सकते हैं। जैसा कि रुपये की कीमत 2001-2002 में चौथाई रह गयी है और उस समय हम केवल 310 करोड़ रुपया खर्च करके राजस्थान की जनता की अकाल में सहायता कर रहे हैं। मैं नहीं समझता केवल अखबार में, केवल भाषण से, इस अकाल पीड़ित जनता को केवल हम पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठने वाले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यह आरोप लगा दें कि सरकार नहीं कर रही है और सरकार में बैठे हुए लोग केवल यह आरोप लगा दें कि केन्द्र सरकार हमें सहायता नहीं दे रही है लेकिन

(श्री अमराराम)

अपनी खुद की ज़िम्मेदारियों से नहीं बच सकते। अगर केन्द्र सरकार सहायता नहीं देती है तो हमारे मुख्य मंत्रीजी केवल प्रेम पत्र लिखकर हिन्दुस्तान की सरकार से अपना हिस्सा नहीं ले पायेंगे। अगर नहीं करती है, अपना दायित्व केन्द्र सरकार नहीं निभाती है तो राजस्थान की जनता ने चुनकर 153 विधायक और मंत्री भेजे हैं। उनका दायित्व है कि हिन्दुस्तान की सरकार का दरवाजा रोक कर बैठें और अपना हिस्सा पूरा लेकर के यहां राजस्थान में आएं। केवल इस बात के लिए कि केवल हमने चिट्ठियां लिख दीं और हिन्दुस्तान की सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया।

सभापति महोदय, मुकाबला किया जा सकता है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो। 31 मार्च, 2000 तक की बकाया राजस्व 1391 करोड़ रुपया जो टैक्स का बकाया है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो राजस्थान की जनता का पैसा जो बड़े लोग राजस्थान में लेकर के अपने पास दबाये हुए बैठे हैं उनसे निकलवा सकती है। अकाल का भी मुकाबला कर सकती है, राजस्थान का विकास कर सकती है। लेकिन यह जब हो सकता है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। अकेले आबकारी ठेकेदारों में चार सौ लाख रुपया राजस्थान की जनता का बकाया है। राजस्थान की जनता ने उन आबकारी ठेकेदारों को दे दिया। लेकिन न पूर्ववर्ती सरकार की हिम्मत थी, न वर्तमान सरकार की हिम्मत है। जब अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए वही आबकारी ठेकेदार इन दोनों सरकारों के राजनेताओं के आर्थिक हित पूरे करते हैं। वही लोग जिनमें बकाया है वही लोग राजस्थान के आबकारी ठेके हर साल लेते जाते हैं और उनका बकाया कोई वसूल नहीं कर सकता, 1391 करोड़ रुपया राजस्थान की जनता का अगर सरकार वसूल नहीं करती, एक तरफ लोग 1391 करोड़ रुपया शायद 31 मार्च, 2001 को तो और भी ज्यादा होगा। यह एक साल पहले का आंकड़ा है लेकिन कोई भी वसूल करने की राजनीति इच्छा शक्ति नहीं हो ओर यह बात कह कर कि राजस्थान का खजाना खाली है, राजस्थान की जनता से छुटकारा नहीं पा सकते।

राजस्थान के चाहे आप गांवों में पानी नहीं पहुंचा पाये लेकिन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस 53 साल की आजादी में चाहे गांव के गरीब तक पानी नहीं पहुंचाया हो लेकिन राजस्थान के उन्तालीस हजार गांवों में से एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां शराब की व्यवस्था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की हो। कभी भी सामान खतम नहीं होगा। टंकी में पानी खतम हो सकता है, पानी का अभाव हो सकता है लेकिन शराब की दुकान से शराब कभी खतम नहीं होगी।

सभापति महोदय, एक दुकान लगाने के लिए आबकारी विभाग को अगर स्वीकृत कराता है तो आबकारी ठेकेदार को पचास हजार रुपये विभाग में जमा कराने पड़ते हैं

(श्री अमराराम)

लेकिन पूरे जिले में पचास दुकानें स्वीकृत करायेंगे और आठ सौ दुकानें चलायेंगे। जिस विभाग से आप नियंत्रण कराना चाहते हैं वह पूरा आबकारी विभाग सरकार का नहीं होकर आबकारी के ठेकेदारों की नौकरी की तरह काम करता है। आज जो रेवेन्यू लीकेजेज हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आर्थिक साधन पूरे करते हैं। कभी खुल जाता है चाहे वह तहलका हो, चाहे दूसरा घोटाला हो। लेकिन यही लोग जिनके पास पैसा बकाया है, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो उनसे वापस वसूल किया जा सकता है और जो किसान और गांव विरोधी, मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, किस तरह से राजस्थान की ग्रामीण और किसान जनता के साथ भेदभाव होता रहा है। आज तक बीस प्रतिशत लोग जो शहरों में बसते हैं उनके लिए पानी का जो भी बजट प्रोवीजन किया जाता है उसका दो हिस्सा उन बीस प्रतिशत लोगों पर 66 प्रतिशत खर्च किया जाता है और अस्सी प्रतिशत लोग जो गांवों में बसते हैं उन पर केवल वन थर्ड खर्च किया जाता है। चाहे एक एक साल का आंकड़ा आप देख लें।

सभापति महोदय, 1997-98 में शहर की जलप्रदाय योजनाओं पर खर्च किया गया 27027.90 और ग्रामीण पर किया 14619.25, 1998-99 में 31995 शहरी पर और ग्रामीण पर 19 हजार और 1999-2000 में शहरी जलप्रदाय योजनाओं पर खर्चा किया गया 34493.33 और ग्रामीण जो अस्सी प्रतिशत है उन पर खर्चा किय गया 20550.35 करोड़ रुपया और अभी यह बजट में प्रोवीजन किया गया है इस साल 2001-2002 में। शहरी जल प्रदाय योजनाओं पर खर्चा होगा 39306.25 करोड़ और अस्सी प्रतिशत जो गांवों में बसते हैं उन पर किया जाएगा 21533.13 करोड़ रुपया। सभापति महोदय, जो बीस प्रतिशत लोग हैं उनमें पानी के बजट का 66 प्रतिशत खर्च किया जाएगा और जो अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, जो गरीब हैं, जो खेती करते हैं उन पर वन थर्ड बजट का खर्च किया जाएगा। वह राजस्थान की 53 साल की आजादी के बाद भी, सभापति महोदय, फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जो दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जो हजारों लोग पीलिया का शिकार होते हैं लेकिन इस बात के लिए न राजस्थान की वर्तमान सरकार चिन्तित है, न पूर्ववर्ती सरकार चिन्तित थी। वह राजस्थान की ग्रामीण जनता, जिसके साथ पानी में भेदभाव, विकास में भेदभाव और तमाम् यह पानी की योजनाएं, मैं नहीं समझता, सभापति महोदय, ग्रामीण में जितनी आबादी जनसंख्या की है उससे तीन गुनी आबादी पशुओं की है। अगर आकलन किया जाए तो शहर से दुगुना पानी गांवों को चाहिए। लेकिन जहां पैसा और बजट खर्च करने का सवाल आता है शहर के लिए योजना होगी। होनी चाहिए शहर के लिए। हम इस बात के विरोधी नहीं है लेकिन राजस्थान के खजाने में जितना जयपुर शहर

(श्री अमराराम)

राजधानी में रहने वाले का हिस्सा है, गांव की उस ढाणी में रहने वाले का भी हिस्सा उतना ही है। उसके पानी के लिए खर्च नहीं होगा, राजस्थान की जनता से वसूल होगा और खर्चा उनके लिए होगा।

आज मैं नही कहना चाहता जिस तरह की बड़ी भावनाएं की जा रही हैं कि राजस्थान की आर्थिक हालत बड़ी कमजोर है लेकिन राजस्थान सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं? राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी उन लोगों को पानी पहुंचाने की, उन सड़कों की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने की प्रायोरिटी नहीं है। राजस्थान के छह शहरों को सुन्दर बनाने के लिए 1800 करोड़ का लोन लिया जाएगा, सुन्दरता उनकी बढ़ाई जाएगी, वसूला राजस्थान की पांच करोड़ जनता से जाएगा। उनसे उत्पादन क्या होगा? अगर लोन लेकर भी उत्पादन बढ़ाया जाता है, राजस्थान की कृषि को आगे बढ़ाया जाता है और राजस्थान के आधारभूत ढांचे को आगे बढ़ाया जा सकता है तो सभापति महोदय, बात समझ में आ सकती है लेकिन केवल सुन्दरता दिखाने के नाम से यह जो पैसा लिया जा रहा है, मैं समझता हूं राजस्थान के हित में नहीं है।

(15.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

फोटो छपाने के लिए भी, राजस्थान की स्थिति इस बात के लिए नहीं है करोड़ों रुपया, अभी प्रश्नकाल में आपके सामने था केवल होर्डिंग और विज्ञापन और अपनी फोटो छपाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जहां शिक्षा का सवाल है यह पहली सरकार है जहां राजस्थान में टैक्निकल और मेडिकल एजुकेशन जो निजीकरण में नहीं थी तमाम् की तमाम् यह सरकार उनको व्यापार के रूप में अपने चहेते लोगों के पास पहुंचाने का काम राजस्थान की सरकार ने मेडिकल कालेज, डेंटल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज जिस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : मैम्बर्स जाना चाहते हैं। आज शादियां बहुत हैं कहते हैं जल्दी खतम कराओ।

श्री अमराराम (धोद) : जिस तरह से नर्सिंग कालेज देकर के उनको कृतज्ञ करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है, मैं नहीं समझता कि राजस्थान की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों को राजीव गांधी से एतराज है या पाठशाला से। हमें कोई एतराज नहीं है। राजीव गांधी का नाम रखिये, इन्दिरा गांधी का नाम रखें और आपको बढ़िया लगता है तो सोनिया गांधी का नाम रखिये, प्रियंका का भी रखें तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वह स्कूल, स्कूल के नाम से होनी चाहिये। स्कूल में पूरे वेतन वाले अध्यापक होने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीकर से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्रजी पारीक कह रहे थे कि वह मानदेय है। मानदेय है तो आप क्यों नहीं

(श्री अमराराम)

कम ले लेते, हम क्यों नहीं कम ले लेते? हम तो 300 रुपये रोजाना मानदेय लेंगे और जो पढ़ाने वाला बेरोजगार है उसके लिए 40 रुपये का, आज इस सरकार ने जो हालत बनायी है। आज ग्रामीण विकास में जो ग्राम सेवक रखे हैं, हमारे मंत्रीजी यहां विराजे हुए हैं, जो हिसाब लगाता है, जो मजदूरी करने के लिए जाता है उसको 60 रुपये पर-डे का मिलेगा और उसका हिसाब बनाने वाला ग्राम सेवक 40 रुपये रोज का लेगा। वह उसका हिसाब बनायेगा। क्या हिसाब बनायेगा? क्या स्कूल चलायेगा? क्या ग्रामीण विकास हम इससे ही करना चाहते हैं। शिक्षा का हम विकास करना चाहते हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूल खोली उसमें अध्यापक उन्होंने नहीं लगाये, आपने स्कूलें खोली अध्यापक एक नहीं, आपने वेटेनरी हास्पिटल खोले कोई डाक्टर नहीं, कोई कम्पाउण्डर नहीं, आपने आयुर्वेद हास्पिटल खोले कोई डाक्टर और कम्पाउण्डर नहीं। केवल अखबार में खबर देने और वाहवाही लूटने के लिए आप पशु चिकित्सालय, औषधालय, स्कूल खोल दें। केवल स्कूल पर बोर्ड बदल जाये कि यह माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिया गया है। पूरे साल कोई अध्यापक नहीं जाये सीनियर स्कूल का, उपाध्यक्ष महोदय, आज महाविद्यालयों की हालत यह है।

ग्रामीण विद्यार्थी के साथ, ग्रामीण जनता के साथ, उसके आधारभूत को नष्ट करने के लिए जो राजीव गांधी पाठशालाओं की शुरूआत की गयी है। यह केवल शुरूआत नहीं की गयी है। यह प्राइमरी स्कूलों में भी उन्हें 40 रुपये के मानदेय के आधार पर शिक्षक नियुक्ति करने के लिए अभी हमारे मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं कि धीरे-धीरे वह शिक्षक आगे जाते जायें और ग्रामीण स्कूलों में तमाम् केवल 40 रुपये पर पढ़ाने वाले लोग, गांव के विद्यार्थियों की नींव शिक्षा में कमजोर कर दी जाये जिससे वह उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की साजिश की शिकार यह राजस्थान की सरकार हुई है। गांव के लोग पढ़ कर उनकी बराबरी पर नहीं आ जायें। इसलिए उनकी नींव को खराब करने का काम इस राजीव गांधी पाठशाला और शिक्षा सहयोगी के नाम से प्राथमिक शालाओं में भी किया है, मैं समझता हूं यह राजस्थान की ग्रामीण जनता के साथ बहुत ही भयंकर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि पर तमाम् चीजें हटायी गयी हैं। भण्डारण और डेयरी, बजट जीरो कर दिया गया है। भण्डारण में हमारा निगम मुनाफा कमा रहा है। लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान का किसान जो कुछ पैदा करता है, पिछले साल क्या हालत हुई, जो किसान राजस्थान में प्याज पैदा करता है, 15 पैसे किलो में, खाली बारदाने का 11 रुपये और प्याज भरकर के सीकर की मण्डी में किसान ने उसको 9 रुपये में बेचा। भण्डारण का इंतजाम करने के लिए राजस्थान की सरकार के पास एक नये पैसे का बजट नहीं है। भण्डार निगम, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन

(श्री अमराराम)

जब हमारा फायदे में है तो क्या सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि वह भी घाटे में आये और उसके बाद हम काम करेंगे। यह आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

आयात फ्री करने के कारण राजस्थान के किसान की जिन्सों का भाव जिस तरह से गिर रहा है। अगर केन्द्र सरकार की तरह आप भी उन नीतियों पर चलना चाहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन जब राजस्थान के किसान की फसल बरबाद होती है, भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है, भण्डार व्यवस्था निगम में एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है और है तो केवल व्यापारियों को इसका लाभ उठाने के लिए इसकी व्यवस्था है। डेयरी में तमाम् व्यवस्था आपने खतम कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, बंद कारखाने, 60 प्रतिशत कारखाने राजस्थान के बंद हैं लेकिन इस बजट में कहीं भी एक शब्द उस मजदूर के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पार्टी का पांच मिनट है उसके 25 मिनट तो हो गये है।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, 25 मिनट तो नहीं हुए।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये ना। घड़ी चल रही है, पीछे देखें आप। समाप्त कीजिये प्लीज।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रोजगार में लगातार कटौती हो रही है, लेकिन बंद कारखानों के लिए एक नये पैसे का प्रोवीजन नहीं है। शिक्षा के लिए नहीं, बेरोजगारों के लिए नहीं, बेरोजगारों की हालत क्या है? अभी 2200 सिपाही भर्ती करने के लिए एडवरटाइजमेंट राजस्थान की पुलिस और आर.ए.सी. ने निकाले। 2200 सिपाही भर्ती करने हैं और 27 लाख फार्म आये हैं। सरकार जितनी 2200 लोगों को तनख्वाह देगी उससे ज्यादा पैसा एप्लाई करने वाले लोगों से वसूल कर लिया। 2200 को पूरी सर्विस में जितनी तनख्वाह देगी उससे ज्यादा वसूल उन बेरोजगारों से कर लिया। आज हालत यह है कि चाहे भरतपुर और जयपुर में मिलिट्री की भर्ती निकलती है, लाखों की संख्या में वहां बेरोजगार पहुंचते हैं। केवल हम यह लेकर बैठे रहें कि पूर्ववर्ती सरकार ने यह किया था। हमने यह कर दिया। केवल इस तरह राजस्थान का विकास नहीं हो सकता है। बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता है। आज सरकारी सर्विस खतम है, खेती में पैदावार खतम है और आप जिस ओर बढ़ रहे हैं मैं समझता हूं बेरोजगारी बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं।

जहां सहयोग की बात है, राजस्थानी प्रवासियों का तो हम सम्मेलन करते हैं लेकिन राजस्थान के गांव का वह गरीब किसान अगर राजस्थान के विकास में योगदान करना चाहे, अपना गांव अपना काम योजना थी, जिसमें बहुत बड़ा सहयोग चालू हुआ था राजस्थान के गांवों की आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण 30 प्रतिशत जन सहयोग या मैटीरियल जुटा कर गांव की उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शुरू हुई थी एक प्रचार, लोगों में

(श्री अमराराम)

आस्थाएं बनी थी लेकिन राजस्थान की सरकार ने अपना गांव और अपना काम समाप्त कर दिया क्योंकि गांव का सहयोग और गांव के लोगों का विकास करना राजस्थान की सरकार को अच्छा नहीं लगता। केवल एन.आर.आई. राजस्थान के प्रवासी यहां आयें वह विकास करें। इस बात के लिए तो तैयार हैं, वह इंवेस्टमेंट करें इस बात के लिए तो तैयार हैं लेकिन दो लाख किसान चार-चार लाख रुपये देकर राजस्थान के उत्पादन में सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए बिजली नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय श्री दुर्गा प्रसादजी।

श्री अमराराम (धोद) : गांव वाले अपनी समस्या के समाधान के लिए तैयार हैं तो उसके लिए वह योजनाएं बंद कर दी जाती हैं। अपना गांव अपना काम....

श्री उपाध्यक्ष : को-आपरेट करें। सबको बोलने का थोड़ा-बहुत समय मिल जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : मैं दो ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हो गये दो मिनट, दो मिनट का 27 मिनट हो गया।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां सड़कों का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : सड़कों पर बहुत चर्चा हो गयी।

श्री अमराराम (धोद) : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि यह 600 करोड़ की योजनाएं की गयी हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा धोखा हमारी सड़कों का रिनोवेशन करने के लिए 14 हजार किलोमीटर की जो बात की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, बी.ओ.टी. की योजनाएं लागू की गयी हैं। हमारे हर गांव में सड़क पर भी वह बैरियर डल जायेगा जितना पैसा उसमें खर्च होगा वह राजस्थान की जनता से वसूल करने के लिए जो काम आप करने जा रहे हैं मैं समझता हूं कि आप बड़े भाषण देते थे जब ढाई साल, चुनाव में आने से पहले कि राजस्थान की सड़कों में एक-एक फुट के खड्डे हैं। लेकिन ढाई साल के शासन में शायद खड्डे बढ़े हैं। बूरे नहीं गये हैं। हो सकता है आपके अधिकारियों की जेब भर गयी हों लेकिन वह खड्डे अभी तक नहीं भरे गये हैं। आप केवल भाषण से खड्डे भरना चाहते हैं। पैसे का प्रोविजन केवल बी.ओ.टी. के आधार पर राजस्थान के गांव की सड़कों को आप ठीक करेंगे। उससे पैसा वसूल करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा होगा। इसलिए यह जो बजट राजस्थान के किसान, राजस्थान के मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी विरोधी जो रखा है, मैं इसका विरोध करता हूं और जो अल्पसंख्यक आपको इस सत्ता में बैठाने वाले हैं, किसान जो सत्ता में बैठाने वाले हैं, जो आपको 153 का बहुमत देने वाले हैं। ढाई साल में सबसे ज्यादा इस बजट के माध्यम से किसी का गला काटा गया तो आपको यहां बैठाने वालों का काटा है। मैं

(श्री अमराराम)

इसका विरोध करते हुए आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गा प्रसादजी।

श्री दुर्गा प्रसाद (गंगापुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपनें मुझे इन बजट प्रस्तावों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। महोदय इस बजट प्रस्तावों पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है, मैं समय अभाव के कारण उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा मैं कुछ हटकर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट प्रस्तावों में कर दाताओं के लिए कोई ऐसी योजना प्रस्तावित नहीं की जिससे कि करदाता अपने आप ही बढ़-चढ़ करके टैक्स देने लगें और टैक्स देने के लिए लालायित हों और सरकार को टैक्स देने के लिए उनको ज्यादा विवश नहीं करना पड़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अक्सर यह देखा है कि हमारे मंत्रीगण चाहे वह केन्द्र में बैठे हों, चाहे वह राज्य सरकार में बैठे हों, अक्सर यह कहते हैं कि यदि किसी व्यापारी ने 50 रुपये का टैक्स नहीं दिया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उसकी प्रोपर्टी कुर्क कर ली जाएगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा और इसी प्रकार से दूसरी बातें कहते हैं। एक तरफ तो इस तरह की बातें कहते हैं दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि जो लोग डाकू रहे हैं, जो लोग असामाजिक तत्व रहे हैं, जो लोग आतंककारी रहे हैं, जिन लोगों ने हमारों लोगों को लूटा है, दर्जनों लोगों को मारा है, अपहरण या बलात्कार करके आम जनता को परेशान किया है, जिन्होंने आतंककारी रह कर हमारी सुरक्षाबलों के जवानों को गोलियों से भूना है, इन सब बातों को करने के उपरान्त भी यदि वे राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाते हैं, आत्म समर्पण कर देते हैं तो उनके सब गुनाह माफ कर दिये जाएंगे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में ले लिया जाएगा, उनको इस देश का, इस प्रदेश का सम्मानित और प्रतिष्ठित नागरिक मानकर अधिकृत कर दिया जाएगा। जैसा कि फूलन देवी के लिए किया कि वह लोक सभा का चुनाव लड़ सकती है, वह विधान सभा का चुनाव लड़ सकती है, उनकी सुरक्षा के लिए ब्लैक कैट कमाण्डो दे दिए जाएंगे ताकि वे बड़े गर्व के साथ आम जनता के बीच उन कमाण्डो को लेकर घूम सके।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि एक तरफ तो हमारी सरकार यह कहती है कि एक व्यापारी जो 50 रुपए की टैक्स चोरी करता है उसे तो फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और एक तरफ उन लोगों को जो सरकार की नाक में दम रखते हैं, सरकार जिनसे सरेण्डर कर जाती है, उनके लिए सब सुविधाएं देने के लिए सरकार तैयार है। यह कैसी व्यवस्था है यह किस तरह की शासन व्यवस्था है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात नहीं कहता, मैं पास की ही कहता हूं। इस सदन

(श्री दुर्गा प्रसाद)

में हमारे माननीय सदस्य जो काफी छिछालेदार करते हैं सरकार के खिलाफ बोलते हैं इस सदन में, हमारे मंत्री लोग उनके गलों में गलबहियां डाल कर बड़े प्रेम से, बड़ी मुहब्बत से बात करते हैं और हम जैसे लोगों से.... (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुन लें, साहब। हम लोगों से राम-राम तक नहीं लेते। हम उनसे राम-राम करते चले जाते हैं, वे मुंह फेर कर चले जाते हैं, तो शक्ति का जमाना है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि हम आपस में मिले भी नहीं, बात भी नहीं करे। जैसे दो वकील कोर्ट में एक मुकदमें को लड़ते हैं और फिर बाहर आकर बात तो करते हैं अपनी बात को रखते हैं, रखना पड़ता है।

श्री दुर्गा प्रसाद : मैं कह रहा हूं कि आपसे खूब प्यार से बोलें गलबहियां डाल कर गले से मिलें मगर हमारी राम-राम तो लेवें। हमारी तो राम-राम ही नहीं लेते, मुंह फेर कर चले जाते हैं। दुःख तो इसी बात का है कि शक्ति का जमाना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में देखा है। एक महिला मंत्री है, उन्हें मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा। (व्यवधान) देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, क्यों पिटवा रहे हो, नाराज हो जाएंगी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका टाइम खराब हो रहा है। क्या फायदा इससे? (व्यवधान) काहे की व्यवस्था दें? आप व्यवस्थित रहें।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक जीवन में यह आवश्यक है कि मृदुल व्यवहार हो, कुशल व्यवहार हो, व्यवहार कुशलता हो, इस बारे में आप देखिए, (व्यवधान) विपक्ष के माननीय सदस्य, कृपया टोकाटोकी न करें। मैं अब कुछ बातें कहने जा रहा हूं, शायद आपको बहुत बुरी लगेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोत साहब की इस बारे में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता कि वे एक ऐसे नेता हैं जो अत्यंत व्यस्त रहने के बावजूद भी सबसे प्यार से मिलते हैं। अगर उनसे समय लिया जाए तो वे समय देने के उपरान्त जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो उसे बैठाएंगे, तसल्ली से पूरी बात सुनेंगे और जहां तक बनेगा, समस्या का निदान भी करेंगे। जबकि हमारे और दूसरे नेता, ऐसी बात है कि उनसे मिलने जाओ तो उनसे बात कहना शुरू करो तो शुरू होने से पहले ही उसे वे समझ जाते हैं, पूरी बात, बात भी गलत समझते हैं, थैंक यू, थैंक यू, कर देते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें मौका मिला है अपनी बात कहने का....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बजट पर बोलो, भाषण थोड़े हो रहा है?

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट से सम्बन्धित बात ही कहूंगा। देखिए

(श्री दुर्गा प्रसाद)

बजट से सम्बन्धित बात ही तो है। एक तरफ तो आप कर दाताओं को....

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : इन्होंने पहले ही कह दिया था कि लीक से हटकर बोलेंगे। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो सदस्य बोल चुके उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, अलग बोलूंगा, यह तो इन्होंने पहले ही कह दिया।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी आओ, आपका टाइम जा रहा है।

श्री दुर्गा प्रसाद : यह मेरे दिल की भावना है, मुझे मौका मिला है, मैं व्यक्त कर रहा हूं उसको।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : थैंक यू, थैंक यू।

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे वित्त मंत्री महोदय कुछ ऐसे प्रस्ताव भी लावें व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जिससे कि वे लोग इस सरकार से जुड़े। अक्सर एक परम्परा बन गई है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को समाज शोषक, समाज भक्षक, पूंजीपति और इसी प्रकार के अन्य शब्दों से सम्बोधित किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ऐसी मान्यता है कि व्यापारी वर्ग समाज का महत्वपूर्ण वर्ग होता है, वह वर्ग व्यापार और उद्योग को खोलकर खुद नौकरी पाता है और सैकड़ों लोगों को नौकरी पर लगाता है, इनकम टैक्स, सैल्स टैक्स और अन्य विभिन्न प्रकार के टैक्स देकर आर्थिक रूप से सरकार को चलता है। एक ऐसी स्थिति बन गई है कि यदि किसी व्यापारी पर कोई असामाजिक तत्व आक्रमण कर दे या उसके बुरे दिन आ जाएं तो वह पुलिस में अपनी पुकार करने जाए तो मैं यह मानकर चलता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक, उसकी दिल से कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। उसको एक रसगुल्ला माना जाएगा कि कब्जे में आया है जितना दबाओ उसे उतना ही रस मिलेगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप व्यापारी वर्ग के लिए एक लिमिट तय कर सकते हैं कि एक व्यापारी जो 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए प्रति वर्ष इनकम टैक्स, सैल्स टैक्स या अन्य टैक्सों के जरिये पैसा देता है और 15-20 साल तक लगातार देता है, उसके लिए एक रेड कार्ड दिया जाएगा। उस रेड कार्ड होल्डर को वही सुविधा दी जाएगी, वही सम्मान दिया जाएगा, वही सत्कार दिया जाएगा जो आपके गजेटेड आफिसर को देते हैं, एक एम.एल.ए. को देते हैं, एम.पी. को देते हैं। आप जरा करके तो देखिए, कितने लोग टैक्स देने के लिए प्रेरित होंगे। आप एक लिमिट बनाएं कि 10 लाख रुपए प्रति वर्ष जो टैक्स के रूप में देगा, पन्द्रह साल तक लगातार, तो वह व्यापारी भी चाहेगा कि हम भी 10 लाख रुपए तक तो आवश्यक

(श्री दुर्गा प्रसाद)

रूप से टैक्स दें, हम 15 साल तक आवश्यक रूप से टैक्स दें और यह एक ऐसी बात होगी कि व्यापारियों को प्रेरणा मिलेगी और दूसरे प्रदेशों के लोग आएंगे यहां पर और कहेंगे कि वहां पर उस राज्य सरकार ने ऐसी सुविधा व्यापारियों को दे रखी है। आप इसके अलावा दूसरी सुविधाएं भी दे सकते हैं। आप अपने बजट प्रस्तावों में यह भी ले सकते हैं कि जो व्यापारी एक निश्चित अवधि तक इतने लाख रुपए प्रति वर्ष टैक्स देगा और इतने समय तक लगातार देगा तो उसके बुढ़ापे के समय, जबकि उसके हाथ-पैर शिथिल हो जाते हैं और वह अपना व्यवसाय और उद्योग-धंधा करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको भी नौकरशाहों की तरह पेंशन दी जाए, एम.एल.ए., एम.पी. की तरह पेंशन दी जाए। (व्यवधान) मैं मजाक की बात नहीं कह रहा हूं, आप सुविधाएं दीजिएगा, व्यापारियों को आप प्रोत्साहित करिएगा, उनका सम्मान करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो कानून-व्यवस्था से चलता है। कभी आपने व्यापारी को छूरेबाजी करते हुए, लाठी चलाते हुए, कानून-व्यवस्था भंग करते हुए नहीं देखा होगा। मैं अपवाद की बात नहीं कहता, आज के जमाने में वही सबसे ज्यादा शोषित होता जा रहा है। एक परम्परा चल गई है मनुवादी कहने की, पूंजीवादी कहने की, तो इस परम्परा को खतम करना होगा।

हूं, आप इन बातों पर गंभीरता से विचार करिएगा। आप कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, आप सड़कें बना रहे हैं, आप बिजली भी पैदा कर रहे हैं, आप और दूसरी सुविधाएं भी व्यापारियों को दे रहे हैं पर सबसे बड़ी सुविधा जो व्यापारियों को देंगे और व्यापारी जो आपसे आकर्षित होगा वो इन्हीं सुविधाओं से होगा कि एक तो उसे संरक्षण मिले। आपको पता होगा यू.पी. में गाजियाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट्स निकल-निकल कर भाग रहे हैं क्योंकि वहां अपहरण एक उद्योग-धंधा हो गया है। बड़े व्यापारियों को, उनके बच्चों को पकड़ कर असमाजिक तत्व ले जाते हैं और उनसे फिरौती मांगते हैं। इस प्रदेश में भगवान की दया से कहिए या प्रशासन की व्यवस्था से कहिए या पुलिस की व्यवस्था से कहिए या यह कहिए कि यहां के आदमी समझदार हैं, अब तक कानून-व्यवस्था की ऐसी स्थिति नहीं हुई कि व्यापारी वर्ग यहां पर नहीं आये।

अभी मैंने आपसे निवेदन किया था, कुछ दिन पहले भी निवेदन किया था कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार जो इंडस्ट्रीज घरेलू स्थान पर हैं वो सब बंद कर दी जाएंगी और वो इंडस्ट्रीज अब जगह देख रही है कि हम कहां जाएं। राजस्थान दिल्ली के बिलकुल नजदीक पड़ता है। भिवाड़ी आपका एरिया है, आप वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिएगा, व्यापारियों को

(श्री दुर्गा प्रसाद)

खाल न निकालें, भ्रष्टाचार में लिप्त न रहें। आप देखिए इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी। इंडस्ट्रीज के आने से बेरोजगारी खतम होगी, आर्थिक हालत सुधरेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि टैक्स वसूल करने से काम नहीं चल सकता। टैक्स आप वसूल करिएगा और मुस्तैदी से वसूल करिएगा, लेकिन साथ ही साथ टैक्स पेयर को पूरी सुविधा दीजिएगा, पूरा सम्मान दीजिएगा, एक इज्जत दीजिएगा। पुलिस वाले तो व्यापारी को जब कोई काम पड़ जाता है तो खा जाने वाली निगाह से देखते हैं और उससे ऐसे बात करते हैं जैसे चबा जाएंगे। तो इन परम्पराओं को खतम करिएगा। जब तक आप इन परम्पराओं को खतम नहीं करेंगे, जो हमारे बच्चे हैं नौकरी की तरफ दौड़ते हैं वो नौकरी की तरफ नहीं दौड़ेंगे। वो इंडस्ट्रीज की तरफ दौड़ेंगे और यह देश खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश खुशहाल हो जाएगा।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात खतम करने से पहले और कहना चाहता हूं। मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों को अक्सर यह देखता हूं, मैंने बड़ा मनन किया है, ये हर बात पर, बात पर और बेबात पर इस सदन की कार्यवाही को बंद करते हैं, हल्ला मचाते हैं और इस तरह का आचरण करते हैं जैसे सदन को चलने ही नहीं देंगे। मैंने इस बात पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है और मैं इस नतीजे पर पहूंचा हूं (व्यवधान) महोदय, उधर देखें, मुझे डर लगता है आप लोगों से। मैं इस नतीजे पर पहूंचा हूं कि ये लोग बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो गये हैं और ये लोग सोचने लगे हैं कि अब हम सत्ता में नहीं आएंगे, हमें हमेशा ही विपक्ष में ही रहना पड़ेगा। ये एक ऐसी परम्परा डाल रहे हैं जब भी कोई विपक्ष में आएगा वे भी इसी प्रकार का विरोध करेगा। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दिमाग से बोल रहे हैं आप दिल से बोलिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुर्गा प्रसाद : ये इस तरह की परम्परा इस सदन में डाल रहे हैं कि जो भी पार्टी विपक्ष में बैठेगी वो भी इसी प्रकार का आचरण करेगी, इस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देगी। तो मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों, नेताओं से कहूंगा (व्यवधान) मैं बी.जे.पी. वालों से कह रहा हूं आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं खास तौर से बी.जे.पी. वालों से कह रहा हूं। (व्यवधान) मैं विपक्ष के बी.जे.पी. के नेताओं से और सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह से निरुत्साहित क्यों हो गये हैं, आप इस तरह से हिम्मत क्यों हार गये हैं, आप 10 साल बाद में नहीं तो 20 साल बाद में, 30 साल बाद में अवश्य सत्ता में आएंगे और ये लोग जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं ये विपक्ष में बैठेंगे और आपने इसी तरह की परम्परा डाली और इसी तरह से इस सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो आप भगवान के लिए, नयी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए

(श्री दुर्गा प्रसाद)

इस तरह की कार्यवाही करना बंद करें और इस सदन को सुचारू रूप से चलने दें।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं। भाई साहब ने कहा, मेरे दिमाग में भी यह बात है कि आपने 40 लाख रुपये हमारे कोटे का किया है इसके लिए हम बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें इस स्थिति में बनाया है कि हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो अपने क्षेत्र के निवासियों की एक हद तक समस्या इस पैसे से दूर भी करते हैं। अब आपसे निवेदन है कि आप एक करोड़ तो नहीं कर सकेंगे, कम से कम इसे 60 लाख तो कर दें। (व्यवधान) आदरणीय वित्त मंत्रीजी, आपकी हम जय बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : एक करोड़ कर दिया।

श्री दुर्गा प्रसाद : एक करोड़ कर दिया? अच्छा, आपका कहना यह है कि एक करोड़ कहेंगे तो 60 लाख कर देंगे। (व्यवधान) कर दिया? बहुत-बहुत धन्यवाद साहब।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्री दुर्गा प्रसाद : अगर एक करोड़ कर दिया तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रस्ताव से सदस्यों को नुकसान हो रहा है, विराजो

श्री दुर्गा प्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह बात यह है कि हमें अक्सर अपने क्षेत्र में घूमना पड़ता है, हमें अपने वाहन से अक्सर घूमना पड़ता है। हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जयपुर में भी आना पड़ता है। आजकल ऐसा ट्रैफिक हो गया है कि बस वाला, ट्रक वाला और ये टैक्सी वाले, जो जीप में भी ऊपर तक आदमी बिठाते हैं, अन्दर भी आदमी बिठाते हैं, 20-20, 30-30 आदमी बिठाते हैं और जब हमारी गाड़ी आती है तो साइड नहीं देते हैं। ये साइड देते हैं तो केवल लाल बत्ती वालों को देते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग अनधिकृत रूप से लाल बत्ती लगा लेते हैं उनसे आप कुछ नहीं कहते, राज्य सरकार नहीं कहती, कोई और लोग कहते नहीं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं कहते, पुलिस वाले भी नहीं कहते। हम लोग तो आपसे अधिकार चाहते हैं और यह अधिकार हम केवल अपनी सुरक्षा के लिए चाहते हैं ताकि हम सुरक्षित होकर सफर कर सकें। हमें आये दिन सफर में दुर्घटना होने का डर बना रहता है, इसको आप खतम करें। आप एक मंत्री को जो एक सूत ऊंचाई पर होता है, मंत्री एम.एल.ए. से एक सूत ऊंचाई पर होता है उसके लिए तो आप जैसे ही मंत्री बनता है वाहन की सुविधा देते हैं, लाल बत्ती की सुविधा देते हैं, गार्ड की सुविधा देते हैं, हम आपसे वाहन की सुविधा नहीं मांग रहे हैं, हम तो

(श्री दुर्गा प्रसाद)

सुविधा दे दें। अगर आप यह सुविधा दे देते हैं तो हम भी सुरक्षा से अपने क्षेत्र में घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैं तो बोला नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो।

एक माननीय सदस्य : मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, पहले वो बोलेंगे।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा नाम का उच्चारण सही कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेरा नाम बाबूलाल सिंगारिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने न तो गरासिया कहा, न सिंगारिया कहा। मैंने तो बाबूलालजी कहा।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : आपने सिर्फ बाबूलाल बोला है। बाबूलाल भी दो हैं और दोनों पड़ौस में बैठते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी तरफ देखकर बोल रहा हूं, आप समझ लो कि आपको ही कह रहा हूं।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नये भवन में बैठने के लिए सभी माननीय सदस्यों को नमस्कार और विशेष तौर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री के प्रति आभार, जिन्होंने समय रहते हुये समय से पहले इसका निर्माण करवा कर इस विधान सभा के अन्दर सबको प्रवेश दिलवाकर करोड़ों रुपये का राजस्व बचाकर बजट के अन्दर दिया और जिसके तहत यह बजट चहुंमुखी, विकासोन्मुखी गरीबों और किसानों के हितों की रक्षा करने वाला बहुत ही बढ़िया सराहनीय बजट पेश किया है, इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को और राजस्थान के वित्त मंत्रीजी को हार्दिक धन्यवाद, उनको साधुवाद देता हूं। साथ ही जिस प्रकार से बजट के अन्दर, अभी राजस्थान के अन्दर त्रिकाल की महादशा चल रही है उसके अन्दर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी आदरणीय गहलोतजी ने सम्वत् 2055, सम्वत् 2056, सम्वत् 2057 और वर्तमान में संम्वत् 2058 चल रहा है, लगातार त्रिकाल से जूझते हुए, आर्थिक स्थिति से जूझते हुए बहुत बढ़िया बजट दिया और बजट के अन्दर अकाल से जूझने वाले राजस्थान के अंतिम छोर पर बैठे हुए किंसान को लाभ पहुंचाने के लिए, रोजगार देने के लिए अकाल राहत के अन्दर विशेष प्रावधान किया गया है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पहली बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय गहलोतजी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 15

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अक्टूबर, 2000 को समय पर गिरदावरी करवा कर 2,368 करोड़ रुपये का ज्ञापन केन्द्र सरकार को मदद के लिए भेजा। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मात्र केन्द्र की सरकार द्वारा 70 करोड़ रुपये राजस्थान को मदद मिली है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। एक तरफ हम लोग अकाल से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर जहां केन्द्र की सरकार ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की किसी प्रकार की मदद नहीं की लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हमारे पड़ौसी राज्य गुजरात के अन्दर भूकम्प की जो त्रासदी घटी उसके अन्दर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले गुजरात राज्य के अन्दर एक करोड़ की सहायता दी उसके लिए हम आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और यह पहली बार उन्होंने एक मिसाल कायम की कि राजस्थान के फण्ड में से सबसे पहले करोड़ों रुपये गुजरात के अन्दर त्रासदी से निपटने के लिए राजस्थान की सरकार द्वारा दिये गये। यह एक हमारा ऐतिहासिक कदम आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी की तरफ से रहा है। (व्यवधान) करोड़ों की बात की है मैंने, हां, दो करोड़ भी आ गये, उसमें बाद में कई प्रकार की सुविधाएं भी हमने वहां भेजी हैं।

(16.00 बजे)

इसी के साथ ही साथ, इतना ही नहीं, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पहली बार केन्द्र की सरकार द्वारा मदद नहीं मिलने के बाद में भी 15 जनवरी से अकाल राहत के कार्य खोले गये जो अपने आप में एक ऐतिहासिक और मिसाल है जबकि इतिहास उठाकर देख लीजिए जब भी राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा मार्च या फरवरी या अप्रैल से पहले कभी भी अकाल राहत के कार्य नहीं खोले जाते हैं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी अकाल के अन्दर सम्वत् 2055 और 2056 के अकाल के अन्दर जहां श्रमिकों को रोजगार 44 रुपये पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों में मिल रहा है लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी ने उन श्रमिकों का रोजगार 44 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया। यह भी एक ऐतिहासिक कदम है। साथ ही साथ, इतना ही नहीं, उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनके मस्टर-रोल का पखवाड़ा समाप्त होते ही एक सप्ताह के अन्दर उसको भुगतान करने के भी आदेश राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दे रखा है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हमने पूरे राजस्थान के अन्दर यह कहा कि 31 जिलों के अन्दर

की सरकार ने टोली भेजी है, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के जन प्रतिनिधि तमाम् कांग्रेस जन कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अन्दर 31 जिलों के अन्दर महा अकाल है। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कहा कि पूरे राजस्थान के अन्दर अकाल है और 4 नवम्बर को चक्का जाम करने का जिस प्रकार से उन्होंने अल्टीमेटम दिया लेकिन दुर्भाग्य की बात है केन्द्र की सरकार ने अपनी टोली भेजी है और उस टोली ने मात्र केवल 13 जिलों के अन्दर अकाल घोषित किया। यह हमारी कांग्रेस सरकार की संवेदनशीलता का परिचय है हमने उनके 13 जिलों को जिनमें अकाल घोषित किया है उन 13 जिलों को नकारते हुए पूरे 31 जिलों के अन्दर अकाल घोषित करके हमने नियमित रूप से 15 जनवरी से पहली बार राजस्थान के कांग्रेस के मुख्य मंत्रीजी ने अकाल राहत के कार्य खोलें जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज संस्थाओं में और नगरपालिकाओं के अन्दर जिस प्रकार से बजट के अन्दर प्रावधान रखे गये हैं, मैं मानकर चलता हूं निश्चित तौर पर जहां चुंगी समाप्त हुई है उस जगह जो बजट की राशि रखी गयी है इससे निश्चित तौर से अपनी नगरपालिका के पार्षदों द्वारा और पंचायत समितियों के अन्दर सरपंचों के द्वारा अपने गांव और ग्रामीण विकास के सुदृढ़ीकरण के लिए यह बजट अपने आप में सराहनीय रहेगा। जिस प्रकार से सड़कों के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर पूरे राजस्थान के अन्दर जहां सड़कों का जाल बिछा है तो मात्र कांग्रेस पार्टी की वजह से बिछा है। आपने पूर्व में देखा होगा, 9 साल का कुशासन रहा। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई हुई सड़कों के ऊपर इन लोगों से पेचवर्क तक भी नहीं किये गये। और वर्तमान समय के अन्दर गहलोत सरकार ने 600 करोड़ रुपये खर्च करके 24,000 किलोमीटर सड़क बनवाने का जो इस बजट के अन्दर प्रावधान किया है उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और वित्त मंत्री के प्रति भी साधुवाद देता हूं।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां राजस्थान के अन्दर बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां 9 वर्ष के भाजपा के कुशासन में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की और लाखों कनेक्शन दिन प्रतिदिन देते गये जिसके कारण से प्रोडक्शन तो हुआ नहीं और ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को कनेक्शन जारी कर दिये गये। आदरणीय अशोक गहलोतजी की सरकार ने 750 मेगावाट बिजली पैदा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह हमारा एक क्रान्तिकारी कदम है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के लिए किया है। साथ ही, एक महत्वपूर्ण फैसला राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया है। जिस प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां जल स्तर

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

घटता जा रहा है, जहां त्रिकाल की महादशा चल रही है उस अवस्था के अन्दर जिन किसानों के कुओं का जल स्तर घट गया हो, कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा प्रावधान रखा है कि कृषि कनेक्शन जो कृषि के अपने जल स्तर घटने के कारण से कुएं से मोटर लिफ्ट के माध्यम से पानी बाहर निकालने के लिए अगर वहां पर पानी नहीं है तो विद्युत संबंध अपना विच्छेद करवा सकता है। उसके लिए किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। जब उसके अन्दर जल स्तर मानसून के बाद में या गहरा कराने पर अगर जल स्तर बढ़ता है, जब चाहे तब वह कनेक्शन ले, उसके लिए किसी भी प्रकार की फीस का कोई प्रावधान नहीं रखा। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अपने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला किया है।

साथ ही साथ, मैं आदरणीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छा होता कि आप इस बजट के अन्दर सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करते क्योंकि बीसलपुर की भराव क्षमता 316.50 आर.एल. मीटर है और वर्तमान समय के अन्दर वहां 17 गांव डूब क्षेत्र में हैं जिसके कारण से 308 आर.एल. मीटर की भराव क्षमता के बाद में हमेशा उस पर रोक लगा दी जाती है, ऊपर के पानी को चद्दर खोल कर निकाल लिया जाता है। अरबों रुपये लगाकर बीसलपुर बांध बना और केवल सौ करोड रुपये मुआवजे के कारण इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन है अगर सौ करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान करके 17 गांव जो डूब क्षेत्र में, मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में हैं, अगर इनको आप विस्थापित कर देते, इनकी किस्म की जमीन के अनुसार उनको अगर आप मुआवजा दे देते तो निश्चित तौर पर 316.50 आर.एल. मीटर के लेवल पर हम पानी भर सकते थे और 316.50 आर.एल. मीटर पानी बीसलपुर बांध में भरता है, मानकर चलिएगा उसके अन्दर 3-4 जिले आराम से पानी पी सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर अगर आप प्रावधान करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

साथ ही साथ, मैं, बजट के अन्दर सूचना के अधिकार के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता के अन्दर यह संदेश गया है कि सूचना के अधिकार के माध्यम से राजस्थान की जनता हमारी सरकार के प्रति पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और जवाबदेही का जो परिचय हमने दिया है वह सूचना के अधिकार के माध्यम से दिया है। यह जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पर्यटन स्थलों के लिए किया है उसके अन्दर मैं

अन्दर जहां 20 करोड़ रुपये आपने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए रखा जिसके अन्दर 20 लाख रुपये आपने नाथद्वारा मन्दिर को देने के लिए रखा और भी तीर्थ स्थानों पर आपने इस बजट के अन्दर प्रावधान रख कर पैसा आबंटित करने का जो फैसला किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग एक रीढ़ की हड्डी है, दुर्भाग्य की बात है लेकिन मैं अपना सौभाग्य समझूंगा अगर इस बजट के अन्दर आप प्रावधान करते हैं। इसी प्रकार से, सरवाड़ शरीफ जो मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, वहां पर पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर ऐतिहासिक उर्स का मेला भरता है जहां लाखों लोग-बाग जायरीन अपनी यात्रा करने वहां आते हैं उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य और उसका बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक महत्व है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दू धर्म के अन्दर पूरे हिन्दुस्तान की तीर्थ यात्रा पर जाकर आ जावे और अगर वह व्यक्ति पुष्कर नहीं आवे तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार से जब तक कोई भी जायरीन पूरे हिन्दुस्तान या विश्व में कहीं भी जाकर आ जावे और अगर सरवाड़ शरीफ नहीं जावे तो उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी कहलाती है। यह एक मुस्लिम समाज की मान्यता है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सरवाड़ शरीफ दरगाह शरीफ का अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है। उसको अगर पर्यटन स्थल आप घोषित करते हो, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी भी वर्तमान समय के अन्दर वहां पर एक रुपया यात्री का टैक्स 12 महीने ही यात्रियों से लिया जाता है जिसके माध्यम से वहां की नगरपालिका सरवाड़ चलती है इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि लाखों की तादाद के अन्दर 12 महीनों ही वहां पर जायरीन आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप मुस्लिम समुदाय को एक पैकेज देते हैं व पर्यटन स्थल के अन्दर दरगाह शरीफ सरवाड़ को अगर जोड़ते हैं तो मैं समझता हूं कि यह धर्म निरपेक्षता के रूप में जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की रीति नीति है, मैं समझता हूं आप यह महती कृपा करेंगे। मैं साथ ही साथ निवेदन करना चाहूंगा, और आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, माननीय वित्त मंत्रीजी, कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने अजमेर दरगाह शरीफ और सरवाड़ दरगाह शरीफ के लिए 786वें उर्स के अन्दर 16 करोड़ रुपये दिये, जो पूरे राजस्थान में अब तक 50 साल के अन्दर ऐतिहासिक बात है। मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस के अन्दर अनुसूचित जाति व जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग रीढ़ की हड्डी है और माननीय सदस्य जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जिस प्रकार की साम्प्रदायिकता की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जहां आपके आदरणीय भैरोसिंहजी शेखावत ने 786वें उर्स के अन्दर मुस्लिम समाज को महत्व देते हुए, मुस्लिम समाज

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

का मान-सम्मान करते हुए 16 करोड़ रुपये अजमेर दरगाह शरीफ के अन्दर उसके विकास के लिए, सौन्दर्यकरण के लिए और विस्तार के लिए दिये जिसके अन्दर एक करोड़ के अन्दर से 90 लाख रुपये मेरे सरवाड़ शरीफ के अन्दर भी दिये गये। इसलिए में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरवाड़ शरीफ को आप पर्यटन स्थल घोषित करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी आय भी बढ़ेगी और आपका राजस्व भी बढ़ेगा।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, अच्छा होता कि वित्त मंत्रीजी इसके अन्दर बजट में एक प्रावधान रखते कि अजमेर जिले में जिला मुख्यालय से जहां ब्यावर 60 किलोमीटर की दूरी है और मेरा केकड़ी उप खण्ड 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी नहीं, आने वाले समय में इस केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर केकड़ी उप खण्ड बहुत बड़ा इलाका है जिसके अन्दर दो-दो नगरपालिकाएं आती हैं सरवाड़ नगरपालिका क्षेत्र और केकड़ी नगरपालिका क्षेत्र। तीन-तीन तहसीलें आती हैं, भिनाय तहसील, केकड़ी तहसील और सरवाड़ तहसील। इतना बड़ा उप खण्ड है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको अगर आप जिला घोषित करते हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। जिस प्रकार से ब्यावर को जिला घोषित करने की बात की गई हो, चाहे प्रतापगढ़ को करने की बात की गयी हो या दूसरे किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मापदण्ड के अन्दर अगर देखा जाए तो केकड़ी सबसे पहले प्राथमिक तौर पर आता है। इसलिए मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि हरेक मापदण्ड को मद्देनजर रखते हुए केकड़ी को प्राथमिक तौर पर जिला घोषित करने की कृपा करेंगे तो बड़ी महत्ती कृपा होगी।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि जिस प्रकार से आपने करों का प्रावधान किया है तो कर में कुछ रियायत भी मैं आपसे चाहूंगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति जब कभी भी कोई मकान खरीदे, चाहे कृषि भूमि खरीदे, चाहे आवासीय भूखण्ड खरीदे, तो जो मुद्रांक शुल्क है वह समान एक टैरिफ आपने लगा रखी है 11 प्रतिशत की। मैं चाहूंगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग-बाग जब कभी भी कोई जमीन खरीदे, क्योंकि वे अपने जीवन के अन्दर गाढ़ी कमाई से अपने रहने के लिए मकान या प्लाट खरीदते हैं, अपने जीवन में 50-60 साल के अन्दर सिर्फ एक बार खरीदने का उनको मौका मिलता है। मैं समझता हूं कि मकान की अगर वह किसी प्रकार से रजिस्टरी कराता है तो उसको कम से कम 50 प्रतिशत की रियायत देकर उससे मुद्रांक शुल्क लेंगे तो एक ऐतिहासिक तौर पर अपनी कांग्रेस सरकार की उपलब्धि होगी। क्योंकि जिस प्रकार से रीको के अन्दर या आर. एफ. सी. के अन्दर आप कोई प्लाट देते हो तो उसमें भी अनुसूचित जाति व

रियायत के आधार पर आधी दर पर दिया जाता है तो उसी प्रकार से मुद्रांक शुल्क में आप कटौती करेंगे। तो मैं समझता हूं कि यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।

एक अन्तिम निवेदन और है। आदरणीय वित्त मंत्रीजी, अमीरों का जिस प्रकार से पेय थम्स-अप, पेप्सी कोला है और खाने में पिज्जा है उस प्रकार से गरीबों का पेय है वह चाय है। गरीबों के लिए अतिथि सत्कार के लिए मात्र चाय है और चाय के ऊपर आपने 6 से दो प्रतिशत और बढ़ाकर 8 प्रतिशत टैक्स किया है। मैं चाहूंगा कि गरीबों का जो पेय है, गरीबों का नशा है, गरीब जिसके दमखम से शरीर में ऊर्जा पाता है, अगर उस चाय पर दो प्रतिशत टैक्स घटा कर वापस 6 प्रतिशत ही करेंगे तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा। क्योंकि अगर टैक्स ही बढ़ाना है तो अमीरों के पेय पदार्थ पर बढ़ाइये। जो पिज्जा खाने वाले हैं, जो थम्स-अप और पेप्सी कोला पीने वाले हैं उन पर बढ़ाइये। चाय पीने वाले आदमियों पर अगर आप टैक्स बढ़ायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी समाज को हानि होगी। इसलिए इस टैक्स को अगर अब आप घटायेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। आपने मुझे संमय दिया, बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमलजी। (व्यवधान) आर्डर आर्डर। बुलायेंगे। इनके बाद इनको बुलायेंगे। आपके बी.जे.पी. के आखिरी स्पीकर हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, नयी विधान सभा में 2001-2002 का बजट राजस्थान की जनता के सर्वोच्च सदन के पटल पर रखा है और जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस राजस्थान की जनता के लिए दिये हैं उसी अनुरूप मैं भी अपनी बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट राजस्थान की गरीब जनता, किसान, मजदूर के लिए विकासहीन और दशाहीन मैं मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की बागडोर अपने हाथ में सम्भाली थी तब राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने एक श्वेत पत्र जारी किया था और महामहिम राज्यपाल के मुखारबिंद से यह कहलवाया गया था कि कुशासन का अंत हुआ है और सुशासन का सुभारम्भ हुआ है। यह जो संज्ञा दी थी कुशासन और सुशासन की तो इस भेद को हम भी नहीं समझ पाये थे। हम यह महसूस करते रहे थे कि बी.जे.पी. ने अपने कार्यकाल में कुछ गलत काम किये हों या प्रदेश की जनता के लिए विकास के अच्छे कार्यक्रम नहीं दे पाये हों या विकास के नये आयाम नहीं दिये हों, परन्तु जो सुशासन की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी ने जब पहला बजट पेश किया जिसमें राजस्थान की जनता को यह बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान की जनता को कर्जे में डुबो दिया इसलिए हम लोग वित्तीय संसाधनों का अभाव होते हुए विकास को

(श्री जीतमल खांट)

आगे नहीं बढ़ा पायेंगे। मैं सुशासन की तरफ, मैं कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी हैं, उनके नेतृत्व में आज तकरीबन ढाई साल की यात्रा पूरी होने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि अब तक ढाई साल के अन्दर प्रदेश की जनता को कांग्रेस पार्टी ने क्या नयी दिशा दी है? गरीबी उन्मूलन के लिए क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हैं? ग्रामीण विकास के लिए क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हैं? उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत को सुधारने के लिए क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हैं? हम ढाई साल की यात्रा के बाद में पीछे मुड़कर अगर देखते हैं तो हमारे सामने कहीं कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं आती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान की लोक-कल्याणकारी सरकार कांग्रेस पार्टी ने लम्बे समय तक इस प्रदेश में शासन किया है, बीच में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है लेकिन जो माननीय सदस्यों ने बात कही है उसको मैं नहीं दोहराउंगा, मैं राजस्थान के दक्षिण के जो जिले हैं उन पर माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा उदयपुर संभाग जो जनजाति उप योजना क्षेत्र में गिना जाता है और जिसमें 75 प्रतिशत जनजाति के लोग निवास करते हैं। आपने दो बार के बजट में हम लोगों को जनजाति विकास के लिए कितना बजट अलाट किया था और जो बजट हम लोगों को दिया गया था क्या वास्तव में हम के विकास में चाहे वह व्यक्तिगत विकास की बात हो, चाहे सामुदायिक विकास की बात हो लेकिन अब तक जो तीसरे साल का बजट पेश किया गया है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, यह मात्र ऊंट के मुंह में जीरे की तरह आपने हम लोगों को बजट की राशि अलाट की है। और जो की भी थी तो उसका लाभ आज दिन तक हम लोगों को नहीं मिला है। कभी विकास में जो आकार और प्रकार में कटौती करके हम लोगों को जो सुविधा दी गई थी, उन सुविधा से हम लोगों को वंचित किया गया है। मैं उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उदयपुर जनजातीय इलाका है और चाहे भा.ज.पा. हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे ब.स.पा. हो, सभी लोग आदिवासियों के नाम पर, एस.सी. के नाम पर, अल्पसंख्यक के लोगों के नाम पर वोट लेकर यहां तक पहुंचने का काम करते हैं और जहां विकास का मामला आता है, जहां क्षेत्र की जनता के दुःख और दर्द का मामला आता है तो बड़े-बड़े भाषण कर लेते हैं। पुस्तकें छप जाती हैं कि हम विकास के लिए यह कर रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए यह कर रहे हैं लेकिन वास्तव में हम धरती पर जाकर पहुंचते हैं तो हालात जो कागजों के ऊपर है, धरती पर जब हम जाकर देखते हैं तो हमें दिन और रात का फर्क नजर आता है।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रतिपक्ष

जिनके कार्यकाल में उदयपुर संभाग के अन्दर जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, भा.ज.पा. के पूर्ववर्ती सरकार ने भी इस कार्यक्रम को जारी रखा था, भा.ज.पा. ने भी, चाहे बी.एड. हो, चाहे एस.टी.सी. हो, चाहे पशुपालन के प्रशिक्षण केन्द्र हो, चाहे आयुर्वेदिक प्रशिक्षण केन्द्र हो चाहे, जनरल नर्सिंग का हो, ये लगातार उदयपुर में जनजाति उप योजना क्षेत्र में अवरत रूप से स्पेशल कार्यक्रम चलते आ रहे थे। लेकिन आज मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है कि हमारे राजस्थान के अशोकजी गहलोत के राज में इन सारे कार्यक्रमों का बिलकुल दरवाजा बन्द कर दिया और हालात यह पैदा हो गये कि हम 50 साल के दरमियान में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भा.ज.पा. के पूर्व में भी कांग्रेस की पार्टी ने इन कार्यक्रमों को जारी रखा था, भा.ज.पा. ने भी इस कार्यक्रम को जारी रखा था लेकिन अशोकजी गहलोत की सरकार के साथ में राजस्थान की जनता की बहुत बड़ी अपेक्षा थी कि युवा मुख्य मंत्री हैं और पिछड़े वर्ग के हैं और दक्षिण के जिलों का उन्होंने काफी दौरा किया था। यहां के जनजातीय और आदिवासी और हरिजनों की हर तकलीफ को वे जानते थे। हमें भी काफी उत्साह था कि वास्तव में मुख्य मंत्रीजी कुछ करके दिखायेंगे और वास्तव में यह कहते थे कि अशोक महान हैं, आप सभी उनकी जय बोलते हैं। हम भी सोचते थे कि वास्तव में ऐसा कोई महान काम करेंगे निश्चित रूप से वहां के आदिवासी हमेशा-हमेशा के लिए जय बोलते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो स्पेशल कोर्स, जो आज से 10-15-20 साल हो गये, जिसको किसी ने खतम नहीं किया। आपने 153 की संख्या आने के बाद में उदयपुर संभाग के अन्दर जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं थीं, सारी की सारी ठप्प हो गई, उन सभी के दरवाजों के ऊपर ताला लग गया। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं....(व्यवधान) मैं उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से एक बात का जिक्र और करना चाहूंगा। 19 जून, 2000 को हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो पैटर्न भा.ज.पा. के शासन में तैयार हुआ था, वह किन्हीं कमी के कारण से उसको लागू नहीं कर पाये लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि जो कमियां आप में रह गई वह कांग्रेस के राज में पूरा किया है आप लोगों ने। और उस पैटर्न को बड़े जोर शोर के साथ में महाराष्ट्र पैटर्न के नाम से जनजाति उप योजना क्षेत्र में उदयपुर के लिए लागू किया। हमारे मन और मस्तिष्क में भी एक आशा की किरण जगी और हमारे मन में भी ऐसा एक स्वप्न संजोकर के हम चले कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र पैटर्न पर हमारे युवा मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान दिया है। हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी ने ध्यान दिया है, हमार सामने बैठे दयारामजी परमार साहब ने इस पैटर्न को तैयार करने पर ध्यान दिया है। निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र के विकास में महाराष्ट्र पैटर्न का बहुत बड़ा योगदान रहेगा लेकिन होता यह है कि 19.6.2000 को

(श्री जीतमल खांट)

हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि जनजाति क्षेत्र विकास विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में समस्त विभागों के आयोजना विभाग द्वारा निर्धारित आयोजना सीमा की 8 प्रतिशत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एक मुश्त उपलब्ध कराई जायेगी। यह आदेश जारी किया गया है और इसके अन्तर्गत आयोजना विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु 112 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया जाता है। हम भी मन में यह बात सुनकर खुशी से समा नहीं पाये कि हमारे उदयपुर संभाग के लिए 112 करोड़ रुपये खर्च करने का और वह भी सारा कंट्रोल विकास विभाग, उदयपुर करेगा तो हमें भी एक बहुत बड़ी आशा की नई किरण जगी और होता यह है कि हमारे मंत्री साहबान जहां पर घूमे फिरे, उन्होंने हर जगह घोषणा की कि हर पंचायत समिति को पांच करोड़ रुपये देंगे और क्षेत्र की सड़कों का विकास करेंगे। छोटी मोटी नहरों का विकास करेंगे, स्कूलों और भवनों का विकास करेंगे। होता यह है कि माननीय मंत्रीजी बैरवा साहब ने आदेश कर दिया कि आप इस तरीके से पूरे उदयपुर संभाग के सारी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को कह दीजिये, वहां के प्रधान, वहां के एम.एल.ए. सब मिल कर अपने-अपने प्रपोजल्स तैयार कर दीजिये। हम सबने एक-दो महीने तक मिलजुल कर क्षेत्र के अन्दर कहीं कौनसी कमी और खामी हैं, उन सबको हमने नोट करके सरकार के अधिकारियों के माध्यम से सारे प्रपोजल्स तैयार करवाये और इन प्रपोजल्स के माध्यम से कितनी पुस्तकें निकलवाई गईं और हमारे प्रस्ताव हमने महसूस कर लिया कि निश्चित रूप से हमें 112 करोड़ रुपया जो हमको मिलेगा महीना-डेढ़ महीने के अन्दर हमारे सारे प्रपोजल्स स्वीकार हो जायेंगे और बहुत जल्दी विकास की नई धारा के साथ में हमें जोड़ने का मौका मिलेगा। इस क्षेत्र के विकास में जनजाति लोगों के विकास में भला होगा लेकिन बाद में पता चला कि हमारे वित्त सचिवजी ने कौनसी कमी और खामी पाई जिसके माध्यम से हमारे उदयपुर संभाग के 112 करोड़ रुपये लापता हो गये, जिसका अता-पता ही नहीं है और हम लोग हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम उदयपुर संभाग से आने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, हम सभी लोग भोले स्वभाव के हैं। कभी सरकार के सामने हम अड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए आज जो हमारे हाथ में व्यवस्था दे करके जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है वह हमारे भोलेपन के साथ में एक खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप हमारे भोलेपन का फायदा नहीं उठायें और हमें इस उदयपुर सम्भाग में जो पैसा हमारे नाम से

अन्यथा हम लोगों के हालात चालीस साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, आठ साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया और आज भी उस गरीब के झोंपड़े के अन्दर उसकी हालत नहीं सुधरी तो कब सुधरेगी। पचास साल के अन्दर, राजस्थान की स्वर्ण जयन्ती भी आप और हमने मना ली लेकिन आज भी आदिवासियों की दशा और दिशा में कोई अन्तर नहीं आया इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो पैसा हमारे नाम से आता है वह पैसा हम लोगों के नाम पर खर्च हो और इस इलाके की जनता का भला हो।

इसके साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लेना चाहूंगा। जैसा कि अभी पूरे माननीय सदस्य अपने-अपने विचारों की तर्ज पर यह कह रहे थे कि राजीव गांधी पाठशालाएं, मैं माननीय सी. पी. जोशी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दीं, हमें इस बात की खुशी है, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध हम इस बात का कर रहे हैं कि एक बालक आज हमारी राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ रहा है उसको पढ़ाने वाला शिक्षक आठवीं क्लास का एक व्यक्ति आ करके उस बच्चे को पढ़ा रहा है। एक बालक जो मीड़ियम इंग्लिश से पढ़ रहा है मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि आप और हमारे बच्चे उस राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर पढ़ने नहीं जाते हैं लेकिन आज हमारे उस गरीब झोंपड़े से पैदा हुआ व्यक्ति, उस गरीब मां-बाप का बेटा उस राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर पढ़ने जा रहा है। मैं जोशी साहब से निवेदन करना चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि मात्र हमें साक्षर बनाने का प्रयास मत करिये वरना मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों के अन्दर एक भी बालक दसवीं कक्षा पास नहीं कर पायेगा, एक भी बालक शिक्षक नहीं बन पायेगा, कम्पाउण्डर नहीं बन पायेगा, कम्प्यूटर नहीं सीख सकता है, कोई भी काम करने में सक्षम नहीं होगा। मात्र साक्षर बन करके रह जायेगा। इसलिए मेरा सी. पी. जोशी साहब से निवेदन है, मेरा सुझाव है कि जहां पर भी राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं....

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हुए हैं जनजाति विकास विभाग के, महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के प्रावधान के अनुसार....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। आपकी पार्टी का समय जा रहा है, आप विराजें।

श्री नन्दलाल मीणा : आठ प्रतिशत राज्य मद का प्रति वर्ष जनजाति विकास विभाग को देना चाहिए था, अफसोस इस बात का है कि दूसरा वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वर्ष केवल 8.44 करोड़ का प्रावधान उप योजना क्षेत्र में किया गया है, इससे बढ़ कर और शर्मदायक बात इन कांग्रेसी बन्धुओं के लिए क्या हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी।

श्री जीतमल खांट : माननीय, एक मेरी बात।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये प्लीज। हो गया।

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक ही मिनट में मेरी बात को समाप्त करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन राजीव गांधी पाठशालाओं के अन्दर जो शिक्षक लगाये जा रहे हैं वह कम से कम आठवीं पास तो नहीं लगाये जायं, प्रशिक्षित बेरोजगार अगर नहीं मिलते हैं तो कम से कम सीनियर हायर सैकण्डरी किये हुए, बी.ए. और एम.ए. किये हुए कई सारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनकी बाकायदा मेरिट बनायें और मेरिट के आधार पर निश्चित रूप से उस विद्यालय के अन्दर लगायें। निश्चित रूप से वह अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। मैं साथ में एक बात और कहना चाहूंगा कि बिजली का मुद्दा यहां जोर-शोर के साथ उठा है, और बिजली की दरें जो जबरदस्ती हमारे राजस्थान की जनता के ऊपर एक बोझ के रूप में साबित होने जा रही है, मैं एक छोटी सी बात इतनी ही कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल खांट : मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि जो दरें बढ़ी हैं, निश्चित रूप से पचास साल के दरमियान में जिन घरों गरीब के घरों में एक लट्टू जला था से वह लट्टू बुझ जायेगा। उसके घर में जो एक प्रजातंत्र की किरण फूटी थी उस किरण के माध्यम से कुछ आजादी हमें मिली थी ऐसा महसूस हमने किया था हमारे घर के अन्दर, जिंदगी भर हमने दीपक की जिंदगी जी थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री जीतमल खांट : हमारे निश्चित रूप से एक लट्टू जला था, इतना बड़ा बोझ डाल कर गरीब लोगों के घरों के अन्दर वापस वही अंधेरा छा गया और हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम वापस परतंत्र होने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जीतमल खांट : मैं अंत में एक अब दूसरी बात कह देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया अंत, अब तो विराजें आप।

श्री जीतमल खांट : ....कि विकास के माध्यम से जो विधायकों का फण्ड बढ़ाने का जहां मसला आया है सामने, निश्चित रूप से हमारे वित्त मंत्रीजी इसको एक करोड़ करने का प्रयास करेंगे। आपने जो समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे वित्त मंत्रीजी का उत्तर होगा, आप दोनों माननीय सदस्य [illegible]

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किया और जिसमें करीब सात हजार करोड़ रुपये की कमी की गई, यदि यह कमी नहीं करते तो शिक्षा में, कृषि में और कई अलग-अलग बेरोजगार वगैरह हैं उन सबको इसका लाभ मिलता लेकिन उन्होंने इसका आकार छोटा किया। आज क्या हालात हैं अपने राजस्थान के। तीन-तीन बैच निकल गये बी.एड. स्टूडेंट्स के, बेरोजगार, बैठे हैं और बी.एड. हर साल आप लड़कों को कराते जा रहे हैं। एक बी.एड. करने वाले पर पचास हजार रुपया साल का खर्चा आ रहा है। उनको नौकरी नहीं मिलती। राजीव गांधी पाठशाला के बारे में, बहुत अच्छा, साक्षर बना देंगे, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं। आज शहर का बच्चा जो पहली में पढ़ने वाला है, कम्प्यूटर लाकर उसके पेरेंट्स देते हैं उसको कि इस पर तुम अपना खेल ही सीखो, अपना हाथ चलाना सीखो ताकि आगे अच्छा कम्प्यूटर सीख लोगे। हमारे उन बच्चों के लिए वह आठवीं पास लड़का क्या शिक्षा देगा और इस बजट के अन्दर नये स्कूलों का कोई प्रावधान नहीं। हायर सैकण्डरी नहीं, हाई स्कूल नहीं और मिडिल स्कूल नहीं। जहां ऐसे जो जिले हैं, शहरों में तो कई प्राइमरी स्कूल हो गई लेकिन गांव के अंदर तहसील मुख्यालय, उप तहसील मुख्यालय, वहां सैकण्डरी स्कूल नहीं, पचास किलोमीटर के अन्दर हायर सैकण्डरी नहीं, आप और हम कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, यह बजट विकास के लिए है, मेरे बाड़मेर की जनता इससे संतुष्ट नहीं है। हमारे माननीय सदस्य जो शिव से आये, आज बीस सालों से गडरा पानी लाने के लिए बात कर रहे हैं, है कोई प्रावधान इसमें। (व्यवधान) पचपदरा में तो जोधपुर से पीने के लिए तो आ ही रहा है। आप तो वैसे ही रहो। मेरा निवेदन यह है कि यह सारा इतना होने के बाद में हम ऐसे कन्स्ट्रक्टिव काम करें जिससे यह जो असमानता है, किसी जगह पर कई हायर सैकण्डरी है, आधा-आधा मील पर है और हमारे बाड़मेर में आज भी पचास किलोमीटर पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं और फिर कह रहे हैं अकाल, लगातार कह रहे हैं, आपको बड़ा दुःख हो रहा है, कैसे मांग कर रहे हैं अकाल, लगातार कह रहे हैं, अकाल। अकाल पीड़ित व्यक्ति, पचास किलोमीटर जाकर किसान का बेटा नहीं पढ़ सकता। वह सिर्फ राजीव गांधी पाठशाला तक ही सीमित रहेगा। और उसको धन्धा नहीं मिलेगा। खास कर आज कम्प्यूटर युग में लोग जी रहे हैं तो कम्प्यूटर सीखना जरूरी है। यह सारी बातें होने के बावजूद भी इतना जो भेदभाव है, इस असमानता को हमें दूर करना पड़ेगा। किसान को दूध मिलता या भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की गोदी से चिपक कर जाड़ों की रात बिताते हैं। अकाल के कारण भूख से लोग मर रहे हैं। एक तरफ वो हो रहा है और एक तरफ कारों में कुत्ते घूमते हैं। सुबह पलंग पर वो कुत्ते को बैठाते हैं फिर दूध पिलाते हैं। ऐसी जो यह असमानता रहेगी हमारे

(श्री अमराराम चौधरी)

समाज में तब तक हम यह कहें कि हमारा इस बजट से विकास होगा, यह कभी भी विकास सम्भव नहीं है। किसानों के लिए क्या किया बिजली की दरें बढ़ा दी गयीं। आज मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि ये किस प्रकार से वृद्धि हुई है घरेलू 160 रुपये की वृद्धि की गयी है और एन.डी.एस. घरेलू दुकानों के अन्दर भी 280 रुपये की वृद्धि की गयी है। जो चक्की आदि का उद्योग करते हैं गांवों में आपने लोन दे करके सबको चक्की दे दी है तीन घंटे यदि वह चक्की को काम में ले तो उसको 5590 रुपये यानी 390 रुपये अधिक देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो ये चक्की वाले जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है गांवों में, मैं आपको हकीकत कह रहा हूं कि वे कनेक्शन कटायेंगे और कटा रहे हैं। जब दो महीने का बिल आएगा 5-6 सौ रुपये सौ यूनिट तक का, तो वे भी अपना कनेक्शन कटायेंगे क्योंकि जब अकाल है, अकाल पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए तो अब यह कभी सम्भव होने वाला नहीं है। गरीब तो कभी ले ही नहीं सकेगा यह हालत हो रही है क्योंकि इस प्रकार की दरें जब यह रेगुलरी कमीशन का प्रस्ताव आया था उस समय आत्मा से हमारे पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफोर्म्स कमीशन है, वहां के अध्यक्षजी ने और माननीय सदस्यों ने भी विरोध किया था। तो बहुत से हमारे किया था कि अभी सरकार की ऐसी स्थिति नहीं है कि कम्पनियों को दिया जाए। किसान जो आप कह रहे हैं, हमारे जो किसान बसते हैं जो 75% हैं वे कृषि पर निर्भर हैं। किसान तो कैसे भी करके अनाज पैदा करता है, आज अनाज हमारे पास सरप्लस में हैं लेकिन उसको लागत क्या मिल रही है। आज सात सौ साढ़े सात सौ रुपये क्विंटल गेहूं उसका जा रहा है जबकि उसकी लागत उससे ज्यादा आ रही है। तो अब गेहूं भविष्य में पैदा करना मुश्किल है। उसके अलावा बाजरा तीन सौ, चार सौ, साढ़े चार सौ से ज्यादा नहीं जा रहा है। एक क्विंटल बाजरा पैदा करने के लिए मजदूरी कितनी आती है उसका अनुमान लगाया जाए तो किसान के घर में कुछ नहीं रहता और फिर बिजली की मार। अगर पिलायी से भी बाजरा जिसने पैदा किया है बरसात नहीं हुई है और एक दो बार उसने पिलायी कर दी तो उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ। यह हालत हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर कृषि मंत्रीजी हैं नहीं, ये जो हमारे किसानों को अरण्डी के बीज दिये गये वे इतने नकली बीज हैं। हालांकि अंकुरित हो गये लेकिन उनको प्रमाणित नहीं कहा जा सकता। आज जितने भी जहां-जहां भी ये जो बीज पड़े हुए हैं अरण्डी के, आप उसकी जांच करायें और जांच करा करके घटिया और जो प्रमाणित बीज नहीं है, उन अप्रमाणित बीजों को आप जब्त करें क्योंकि

अरण्डी पैदा करने के लिए किसान को 10-15 बार पानी पिलाना पड़ता है तब जा करके उसकी अरण्डी की पैदावार वे लेता है। लेकिन जितनी उसकी पिलायी पर उसका खर्चा होता है उसमें अगर फर्जी बीज मिल गया तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय कृषि मंत्रीजी यहां हो तो नोट करें, कि जहां भी जो गोदामों में, बीज निगम के पास में इस प्रकार के जो भी घटिया बीज हों उन बीजों को आप जब्त करें क्योंकि....

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि की डिमाण्ड आ रही है आप यह बात उस वक्त करते। यह बजट पर है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मैंने तो यह कहा है कि काश्तकारों के लिए, यह घटिया बीज आप काश्तकारों को, आपको मालूम ही है काश्तकारों के बिजली के दाम आपने बढ़ा दिये और फर्जी बीज दे दिये तो हमारी हालत कैसे सुधरेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह सही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसलिए यह उस समय आये या नहीं आये लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है। दूसरा निवेदन यह है कि देश कैसे विकास करे, धन कहां से आये तो आप कोई किसी को भी नौकरी में लगावें तो आप उस व्यक्ति से 12 महीने तक आधी तनख्वाह लेकर फिक्स्ड डिपाजिट करायें और उस पैसे को उस समय आप उन लोगों को दें जब वे रिटायर हों। इस प्रकार से अगर एक आदमी मान लीजिये कांस्टेबल है, बहुत सी बात आती है कि पुलिस भ्रष्ट है, पैसा लेते हैं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको भ्रष्ट होने की अगर एक कांस्टेबल साल के अन्दर आधी तनख्वाह लेगा और आधी फिक्स्ड डिपाजिट करायेगा। तो जब वह रिटायर होगा उस समय उसके पास 2-3 लाख रुपये जो एक साथ मिलेंगे तो वह उससे अच्छी तरह से अपने बच्चों की शादी कर सकेगा, मकान बना सकेगा। इस प्रकार का आप प्रावधान नहीं बनायेंगे तब तक आप कितने ही यहां बजट बनाते जाएं, यह जो आर्थिक सुधार होना चाहिए वह नहीं होगा। यह आप चाहे पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हो, चाहे और किसी की भी नौकरी हो। आप किसी अधिकारी को देखते हैं, आर.ए.एस. अफसर भी हो, उसकी भी तनख्वाह शुरू में एक साल के लिए आधी तनख्वाह फिक्स्ड डिपाजिट करें वह भी कभी भ्रष्ट नहीं बनेगा। यही जरूरी है क्योंकि वह ब्याज बढ़कर जब वह रिटायर होगा तब उसको लाखों रुपये मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी पैसे आप दे रहे हैं योजनाओं के अन्दर आपको यह निगरानी रखनी पड़ती कि ये परसेंटेज का जो प्रश्न है फलानां जे.ईएन. के 2%, उसके 3%, उसके 6%, 15%, 20% तक है यह जब तक आपका सिलसिला चलता रहेगा तब तक यह काम विकास में जो पैसा दे रहे हो वह नहीं हो सकेगा। ये सड़कों के गड्डे वैसे ही रहेंगे नहीं तो ये चांदी की सड़कें बन जाती।

(श्री अमराराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट में एक और निवेदन करना चाहता हूं। इन्दिरा कैनाल से हमारे जैसलमेर में हमारे काश्तकारों को मुरब्बे दिये गये उन काश्तकारों की क्या हालत हो गयी। 28 फरवरी के बाद सिर्फ पहले दो बार पिलायी की गयी और उसके बाद में पानी नहीं दिया गया जिससे उन काश्तकारों की फसल चौपट हो गयी। आज यह कह रहे हैं कि हम काश्तकारों के लिए यह कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन काश्तकारों की क्या हालत हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सब डिमाण्ड्स आ रही हैं उस वक्त आप बोल लेना। सब पर डिमाण्ड आ रही है।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मेरा निवेदन यह है कि उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि ये जब तक डिग्गी नहीं बनायेंगे आप, जो भी मुरब्बे अलाट किये गये हैं, उनमें तब तक काश्तकार अपनी फसल को ले ही नहीं सकेगा क्योंकि पानी एक या दो बार आएगा। डिग्गी होगी तो वह स्टोरेज करेगा, स्टोरेज जब करेगा तो वह अपनी तीसरी पिलायी भी कर सकेगा। काश्तकार अपनी फसल ले सकेगा, यही मेरा निवेदन है। काश्तकार को बचाना है तो आपको डिग्गी के निर्माण के लिए भी पैसा देना होगा। उन मुरब्बों में अगर आप नियमित रूप से पानी नहीं भी दे सके तो कम से कम तीन बार पानी जरूर दें। बाडमेर के लोगों ने अपनी औरतों के जेवर खरीदा लेकिन उसके बाद भी उनकी बिलकुल आय नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय वित्त मंत्रीजी के आज के जवाब तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि माननीय वित्त मंत्रीजी के उत्तर की समाप्ति तक सदन का समय बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले एक संवैधानिक परम्परा है और आब्लीगेशन की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 29 तारीख को वित्त मंत्रीजी ने सदन में अपना बजट भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया और तत्काल उसके पहले ही हमारे माननीय सदस्य जो नदबई से आये थे, उन्होंने आपके बजट प्रस्तावों को पढ़ कर बता दिया। और उन बजट प्रस्तावों को सम्मानीय अध्यक्ष महोदय को

आपने प्रस्तावित किये थे उसी के अनुरूप हू-ब-हू सारे आइटम पाये गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : आप पोण घंटा बाद में आये थे।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, हमारे यहां पर जो बजट लीक हुआ और बजट लीक होने के बाद जो संवैधानिक दायित्व सरकार का बनता था, क्या इस बजट लीक करने के प्रकरण को पूरे हिन्दुस्तान के सदनों में यह उदाहरण नहीं बनेगा? और क्या इस प्रकार की परम्पराएं हम कायम करना चाहते हैं? जिस बजट की पवित्रता होती है, जिसकी गोपनीयता होती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं as soon as he got the information, माननीय वित्त मंत्रीजी को अपना बजट भाषण पढ़ना वंद कर देना चाहिये। क्या वह दूसरे दिन और बजट भाषण तैयार करके नहीं ला सकते थे? उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रकार का बजट जो लीक हो गया हो और लीक होने के बाद क्या हम इस परम्परा को भविष्य में किस प्रकार निर्वहन कर सकेंगे, यह हमारे लिए सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है। उपाध्यक्षजी, जिस प्रकार की कार्यवाही होगी लेकिन, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह परम्परा कैसे रहेगी। (व्यवधान) लीक हो गया, सरकार ने माना है लीक हो गया, हमने क्या माना है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : सरकार ने नहीं माना है।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार ने माना है, मंजूर किया है कि लीक हुआ है। यह स्वीकार किया गया है कि बजट लीक हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : गृह मंत्रीजी का विभाग जांच कर रहा है तो मान तो लिया है, इसमें कहां दिक्कत है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अगर बजट, बजट नहीं होता तो आज आप चर्चा किस पर कर रहे हो। आप बजट पर चर्चा कर रहे हो, बजट है तभी आप चर्चा कर रहे हो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी ने कोई जांच की है उसके आधार पर हुआ है, लीक पर नहीं हुआ है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्षजी, मैं भविष्य के लिए प्रश्न चिह्न लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपनी बात कहो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चीफ सैक्रेटरी और फाइनेंस सैक्रेटरी ने जांच की है उस जांच के आधार पर लीक हुआ है, बजट पर कुछ नहीं हुआ है। There is nothing on record.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बजट ही लीक नहीं हुआ, मैं यह कह रही हूं कि सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ही लीक हो गई। एक मंत्री दूसरी बात कह रहे हैं और दूसरे मंत्री दूसरी बात कह रहे हैं। जांच हो रही है तो बजट ही लीक हुआ है। आप बजट की बात क्यों कर रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा डिबेट में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मेरा आपके मार्फत अनुरोध है कि लीक हो गया, लीक हो गया, इसको आप कितने दिन पीटोगे। आप लीक पर लीक पीटते जा रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं कह चुका हूं। यह मैं उनसे निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : इनके अनुरोध पर, प्रतिपक्ष के अनुरोध पर इनसे बातचीत करके मुख्य सचिव और फाइनेंस सैक्रेटरी ने खुद जांच की उसके आधार पर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी। यह इनका ही सुझाव था। इसके बाद भी लीक हो गया, लीक हो गया। क्या लीक हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। टाइम जा रहा है। आप बोलें।

श्री हीरासिंह चौहान : जब तक इसका पूरा प्रकरण समाप्त नहीं होगा तब तक कहें, अन्तिम समय तक कहते रहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? यह पूरा इतिहास कहेगा, मैं कह रहा हूं। उपाध्यक्षजी, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। एक तरफ तो हम वसूली नहीं होती है। हम किसी दुकानदार के पास कोई चीज खरीदने जाते हैं वह कहता है टैक्स की रसीद काटूं। एक बार मेरे में हो गई। मैं कोई दीवारों को रंगने वाला रंग लेने चला गया तो मुझे दुकानदार कहता है कि आपको कैसे बिल बनाऊं। मैं राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं, मैं टैक्स चोरी करूं, मैंने कहा मेरा तो टैक्स का बिल बना दो। वित्त मंत्रीजी, क्या इस प्रकार की कोई ऐसी माकूल व्यवस्था नहीं की जा सकती। आप दुनिया भर के टैक्स इम्पोज करते हैं और टैक्स इम्पोज करके टैक्स रिकवर नहीं कर सकते तो वह किस प्रकार के टैक्स हैं। इस प्रकार से आपकी मशीनरी को दुरुस्त कीजिए कि किसी भी प्रकार से टैक्स लीकेज नहीं हों। जितने टैक्स गवर्नमेंट लगाती है उतने टैक्स की अगर रिकवरी हो जाये और रिकवरी के अनुसार जो हम बजट प्रपोजल करते हैं, जितना हम वार्षिक बजट बनाते हैं, उसकी बराबर रिकवरी हो जाये तो यह जो घाटे का बजट चलता है उसमें भी काफी पूर्ति हो सकती है। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारी सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इसको सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। लीकेज को कोई बंद नहीं कर सकता। सरकार में बैठे हो, सरकार के बड़े लंबे चौड़े हाथ होते हैं। सरकार जिस व्यवस्था को करना चाहती है, कर सकती है।

उपाध्यक्षजी, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। सैल्स टैक्स और एक्साइज हमारी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है।

होनी चाहिये उसके बारे में मैं बताता हूं। 1999-2000 में 811 करोड़ का ठेका दो वर्ष के लिये दिया गया। उसे बाद 2000-2001 में 934 करोड़ रुंपये 15 प्रतिशत बढ़ाने के बाद होनी चाहिये। इस साल का इनका टारगेट था 836 करोड़ रुपये में हमारे एक्साइज के ठेके उठने चाहिये। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप अपने बजट भाषण के समय सदन को बतायेंगे कि क्या कारण है कि आपने 45 करोड़ रुपये से कम के ठेके राजस्थान में दिये। यह शराब माफिया है। शराब माफिया का राज चलता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन ठेकों को अलग-अलग करके शराब माफिया को समाप्त किया है क्या इस प्रकार की व्यवस्था आप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे लेकिन शराब माफिया के आगे आपकी कुछ चलती नहीं है। वह जिस प्रकार का हुक्म देते हैं उस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती है नहीं तो वह ठेके नहीं उठाते हैं। 45 करोड़ का घाटा और आने वाले समय में पता नहीं कितना घाटा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं राज्य की खुशहाली के लिए इस प्रकार से आपका टारगेट ऊपर बढ़ते-बढ़ते आसमान से वापस जमीन में आ रहा है, क्या कारण है। क्या शराब पीने वालों की संख्या में कमी हुई है? वह तो दिनों दिन बढ़ रही है। आपके भाव भी सारे प्रान्त में अलग-अलग है। इसलिए इस व्यवस्था को थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से गांवों में जो आधारभूत सुविधा होती है उसमें विकास करना चाहिये। लेकिन बड़े दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी आधारभूत सुविधाओं के लिए कोई अच्छे प्रावधान नहीं किये गये हैं। गांवों की क्या स्थिति बन रही है गांव थोड़े सुधरे जरूर हैं, इससे हम मना नहीं करते हैं कि गांवों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ लेकिन गांवों की स्थिति में जितना सुधार होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। देश की 80 प्रतिशत जनता गांवो में रहती है और उस गांव के प्रति आप चिंतनशील नहीं है। चिंतनशील नहीं होने के कारण गांवों की स्थिति दिनों दिन बिगड़ रही है। गांवों के विद्यालयों की स्थिति के बारे में सबने आपके सामने बताया। वहां पर मास्टर नहीं हैं और आप स्कूलें रेंज करते जाते हैं, मिडिल स्कूल कर दी, हाई स्कूल कर दी। दो-दो साल तक टीचर नहीं देते हैं आप। उपाध्यक्षजी, स्थिति यह है कि 8वीं क्लास की स्कूल चलती है और मास्टरों की संख्या है तीन। दो-दो, तीन-तीन साल तक स्कूलों में मास्टर नहीं देते हैं। इसी प्रकार से हास्पिटल में डाक्टर नहीं हैं। मतलब सारी व्यवस्था चरमरा गई है। आप स्थिति में किस प्रकार सुधार करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि हम राज्य को एक अच्छा शासन देवें। शासन में पार्टी में

(श्री हीरासिंह चौहान)

यह बैठें, आप बैठें शासन तो बदलता रहता है, आता-जाता रहता है लेकिन जिस समय भी हम रहे हैं, सारी व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया जाए कि उसको सुधारा ही नहीं जा सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए.... अब एक रोडवेज का ही मामला हो गया, 150 करोड़ का घाटा। हम माननीय यातायात मंत्री से पूछना चाहते हैं.... (व्यवधान) कोई बिगाड़ा हुआ नहीं है, हम तो शासन को बहुत अच्छा छोड़ कर गए थे, बहुत सुधरा हुआ छोड़ कर गए थे। आठ साल में गांवों का बहुत बड़ा विकास किया था, लाखों-करोड़ों रुपये गांवों में लगाए थे। कौन कहता है कि हम बिगाड़ कर गए थे? (व्यवधान)

(17.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : हम बहुत ज्यादा सुधार कर गए थे। केवल यह कह कर आप संतोष नहीं कर सकते कि हम बिगाड़ कर गए थे। केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इसीलिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय हीरासिंहजी, समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय, मैं समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को चाहिए चिकित्सा और सड़कों की सुविधाएं सब प्रकार की सुविधाओं को पूरा करे और पूरा करने के बाद में यह जो बजट आप द्वारा पेश किया गया, यह ग्राम विकासोन्मुखी नहीं है। इसीलिए मैं इस बजट के प्रति अपनी तरफ से विरोध दर्ज करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस बजट के ऊपर अपने विचार यहां सदन में प्रस्तुत किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर से इस बजट के बारे में जो चर्चा यहां की गई उसमें जो मुख्य बातें उभर कर आईं उनमें नाइंथ फाइव ईयर प्लान को कम किया गया, योजनागत व्यय को लेकर अकाल, बिजली, अनएम्पलायमेंट, पोस्टों को समाप्त करने के बारे में, बेरोजगारी के बारे में यहां पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। कुछ विभागों के बारे में भी यहां पर चर्चा की गई, कानून व्यवस्था के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में यहां पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। जो संबंधित विभागों के उनके सुझाव हैं उनके ऊपर डिमाण्ड्स के ऊपर चर्चा होगी और संबंधित विभागों के मेरे सम्मानीय साथी उन बातों के बारे में यहां पर खुलासा करेंगे। मैं मुख्य रूप से जो बातें, कुछ मुद्दे आए हैं जिनका सीधा संबंध, वैसे तो वित्त विभाग का सारे विभागों से सीधा संबंध है, लेकिन जो मुख्य रूप से बातें आई हैं उनके बारे में

श्रीमन्, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वह देश के अन्य राज्यों और केन्द्र सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उससे कोई भिन्न नहीं है। सारी राज्य सरकारें इस वक्त कठिनाई के दौर से गुजर रही है और यहां तक कि केन्द्र सरकार भी खुद कठिनाई के दौर से गुजर रही है। यहां पर राजस्व घाटे के बारे में बात की गई। बजटीय भाषा में बैलेन्स फ्राम करन्ट रेवेन्यू कहते हैं, बी.सी.आर. कहा जाता है। सारे राज्यों के अंदर, मेरे पास आंकड़े हैं, अभी मैं प्रस्तुत करूंगा। सारे राज्यों का राजस्व घाटा बढ़ रहा है उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं हर राज्य के। अन्य राज्यों में क्या कारण हैं, उनमें मैं यहां पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन जो अपने राज्य के कारण हैं, उनके ऊपर मैं यहां विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।

श्रीमन्, सबसे पहले यहां कहा गया कि आपका बजट दिशाहीन बजट है। एक आम भाषा हो गई है, प्रतिपक्ष के सम्मानीय सदस्य हमेशा इस बात को कहेंगे कि दिशाहीन बजट है, इसमें कोई दिशा नहीं दी गई है। मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर कहा कि जो दिशा मैंने देने की चेष्टा की है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कृपया आप सुनिए, अगर आप सुन लें एक मिनट तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्लीज डोंट डिस्टर्ब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह आम बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मालपुरा से आने वाले सदस्य कह रहे हैं कि यह आम बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नैगेटिव दिशा हैं आपके बजट की, आपके बजट की दिशा सही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट के अंदर दिशा देने की चेष्टा की है। अपने सीमित वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन्फ्रास्ट्रक्चर सैक्टर के अंदर, सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र के अंदर मैंने कुछ प्रावधान किए हैं। मैं मोटे रूप में कहना चाहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंदर मैंने सड़कों के लिए 67 प्रतिशत अधिक धनराशि की व्यवस्था की है। 41 प्रतिशत पावर सैक्टर के अंदर और 26 प्रतिशत सिंचाई के क्षेत्र के अन्दर मैंने अधिक राशि का प्रावधान किया है जिससे कि हमारी जो आधारभूत चीजें हैं उसके बारे में मैंने धन के ज्यादा प्रावधान की कोशिश की है समाज सेवा के अंदर, जो हमारा सोशल सैक्टर है, वैसे हमारा एलोकेशन उसके ऊपर सबसे हायर है स्टेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एडिशनलिटी के रूप में यहां पर उसके लिए बजट प्रावधान किया है और अपने बजट भाषा के अंदर मैंने उन चीजों का समावेश किया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यहां पर सबसे बड़ी आलोचना हुई है, हमारी सरकार की आलोचना की जो चेष्टा कि है वह यह कहा गया है कि राजस्थान के विकास की गति को आपने रोका है और उसका मूल कारण यह है कि आपने नाइंथ प्लान साइज को जो 27,500 करोड़ का था, उसको आपने काट कर करीब 20,000 करोड़ के ऊपर ले आए। हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय ने, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, ने और भी प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य यहां बोले, उनका यह मेन, एक थ्रस्ट था थ्रस्ट नहीं कहना चाहिए, उनका प्लान था आलोचना का। मेरा इस बारे में निवेदन यह है कि जब इन्होंने 27,500 करोड़ रुपये की योजना बनाई उसकी अवधारणा शुरू से ही गलत थी। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को बिना ध्यान से रखे हुए, रिसोर्सेज की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि इस नाइंथ प्लान की फंडिंग हम किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि चुनाव का साल था, चुनाव के साल को ध्यान में रख कर इन्होंने 27,500 करोड़ की नवीं पंचवर्षीय योजना बनाई और राज्य की जनता के समक्ष पेश कीं। और उसके बारे में कहा गया कि हमारा जो एट्थ प्लान था जिसको कि हमने 3,000 करोड़ से बढ़ा कर करीब 11,000 करोड़ से ऊपर का कर दिया था, उस आधार को लिया था। एक और तथ्य आपको बताऊं उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अन्य प्रान्तों की भी एट्थ प्लान की योजना का अध्ययन किया है और ... के अन्दर 100 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत की वृद्धि की थी। सारे प्रदेश की आठवीं योजनाओं की, जितने हिन्दुस्तान के अंदर प्रदेश हैं राजस्थान भी उनसे अछूता नहीं था। खुशी की बात है कि आपने तीन हजार करोड़ से ग्यारह हजार करोड़ की योजना बनाई उसको पूरा किया। लेकिन जहां तक फंडिंग का सवाल है, उस 11,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ का सिर्फ लोन था, लोन सैक्टर उसके अंदर था। मेरे पास सारे प्रान्तों की हैं अगर मैं आपके समक्ष, केवल एक मिनट लगेगा जो 15 केटेगरी स्टेट्स हैं, जिसमें राजस्थान भी शरीक है अगर आप गौर करेंगे, आन्ध्र प्रदेश की योजना 5,200 करोड़ से 10,500 करोड़ हो गई। बिहार की योजना 5,100 करोड़ से 13,000 करोड़ की हो गई, गोवा की 360 से 761 हो गई, गुजरात की 6,000 से 11,500 हो गई, हरियाणा की 2,900 से 5,700 हो गई, कर्नाटक की 3,500 से 12,300 हो गई, केरल की 2,100 से 5,460 हो गई, मध्य प्रदेश की 7,000 से 11,000 हो गई, महाराष्ट्र की 10,500 से 18,520 हो गई, उड़ीसा जैसे प्रान्त की 2,700 करोड़ से 10 हजार करोड़ की हो गई। पंजाब की 3,285 से 6,570 की योजना बनी। राजस्थान की 3,000 से 11,500 की बनी। तमिलनाडु की 5,750 से 10,200 की बनी। उत्तर प्रदेश की 10,447 से 21,000 करोड़ की बनी और वेस्ट बंगाल की 4,125 से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह सारे हिन्दुस्तान का ट्रेंड था उस वक्त। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहां सबमें डबल है और हमारी चार गुनी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा नहीं है। मैं जवाब, बताता हूं आपको। डबल से नहीं है। इसका परसेंटेज वाइज भी मैंने निकाला है। कर्नाटक की 251 परसेंट बढ़ी। मैंने इसका निकाला है। आपकी भी बढ़ी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह सारे देश का ट्रेंड था उस वक्त, जब आपका एट्थ प्लान बढ़ा। अब मैं आपसे बात करता हूं, आपने अपने स्टेट के नाइंथ प्लान, जो आपने इसके रिसोर्स कैलकुलेट करे थे इन रिसोर्स के बारे में अगर मैं आपसे निवेदन करूं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 350 परसेंट बढ़ गई, आप इसको स्वीकार करें। दूसरों की 250 परसेंट बढ़ी है और यह तीन से साढ़े ग्यारह हो गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 283 परसेंट। निकाल दिया, साढ़े तीन सौ नहीं 283 परसेंट बढ़ी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, तो सबसे ज्यादा तो बढ़ी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, तो अब आप बिराजिए। फिगर्स के मामले में, वह सारे फिगर्स मौजूद हैं। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाइंथ प्लान को ले लीजिए आप। यहां सबसे ज्यादा चर्चा इस सदन के अन्दर हुई है तो नाइंथ प्लान को लेकर हुई है। आपने 27,500 करोड़ रुपये के लिए जो इसके रिसोर्सेज बनाये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में सिर्फ आपका ध्यान जो इनके डिस्कशन हुआ था प्लानिंग कमीशन से, फिर मैं उत्तर विस्तार से बताऊंगा आपको। जो हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री का डिप्टी चेयरमैन के संग डिस्कशन हुआ था, उसका मैं एक पैराग्राफ आपके सामने सुनाना चाहूंगा यहां पर श्रीमन्,

"The financing of the 9th Plan period was discussed in detail."

"The Deputy Chairman noted that the total resources of the State, at 1996-97 prices, for the 9th Five Year Plan have been estimated at Rs. 18,110.19 crores. At the official level, the Chief Minister indicated that the State Government has projected a total Plan size of Rs. 27,000 crores for the 9th Plan period at current prices which it would be able to finance with the assistance of the Planning Commission and further A.R.M. by the State. The Deputy Chairman indicated that over and above the resources indicated by the State Government, additional amount under formula based assistance, transfer of centrally sponsored schemes to the State along with resources and

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

allocations of the 29% tax revenue of the State Government would also add to the State's resources. These figures would be summarised in the A.R.M. figures which could be adjusted suitable depending upon the inflow of the resources on this count." मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप यह मानकर चलें, टेंथ फाइनेंस कमीशन ने रिकमण्ड किया था कि स्टेट को 29 परसेंट के आधार पर डिवोल्यूशन आफ टैक्सेज होगा, वह हुआ नहीं। 950 करोड़ रुपये सीधा उसमें गया। आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। लिख लें इसको। उसके बाद फैसला हुआ सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाएगी। 700 करोड़ रुपये उसमें गया, वह आयी नहीं। आज दिन तक नहीं आई सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स। फिर, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात को नजरन्दाज करके फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी थी जब यह प्लान फाइनलाइज हो रहा था। फिफ्थ पे कमीशन के आने के बाद इम्पैक्ट हुआ 1200 करोड़ रुपये साल का तनख़्वाहों का, पेंशन का इजाफा। पांच वर्ष में हो गया 12 पंजे 60, 6000 करोड़ रुपया। उपाध्यक्ष महोदय, उसके आने के बाद एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्होंने कैलकुलेट किया था 5778 करोड़ रुपया। आया कितना? पहले साल के अन्दर मुश्किल से पूरी योजना की अवधि काल में कुल 1350 करोड़ रुपया आपको एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के, अनुमान है तो आप हिसाब लगा लीजिए, 6000 करोड़ रुपया पे कमीशन के पेटे गया, आपके 29 परसेंट डिवोल्यूशन नहीं आया, एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स नहीं आया तो यह सारा का सारा जोड़ करीब जाकर होता है 11000 करोड़ रुपये का। और उसके बाद आप कल्पना करें किसी सरकार से कि 27500 करोड़ रुपया का प्लान कहां से बनता? फिर ए.आर.एम., इन्होंने यहां पर ए.आर.एम., माफ कीजिए, ए.आर.एम. करने की बात की। इलेक्शन ईयर था। ए.आर.एम. कर नहीं पाये। मैं अभी, आप सुन लीजिए.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कौनसा इलेक्शन ईयर था? प्रथम योजना, 1997 से 2002 की है। 1997-98, इलेक्शन नहीं था माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : फिर 1998-99 में तो इलेक्शन आ गया था।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप यहां पर, और योजना पहले बनती है। 1997 से जो शुरू हुई वह डेढ़ साल पहले बननी शुरू हो गई। कौनसे इलेक्शन ईयर की बात कर रहे हैं आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको अर्ज किया मैं आपको फिगर्स दे दूंगा न। आप क्यों घबरा रहे हैं I will give you the

श्री मानिक चन्द सुराना : इलक्शन ईयर कौनसा था? इलेक्शन तो सैकण्ड ईयर में हुआ है जब.... (व्यवधान) योजना बनी तो कोई इलेक्शन ईयर नहीं था। आप हाउस को मिसलीड नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपको डिप्टी चेयरमैन के समक्ष जो आपके डिस्कशन हुए थे वे....

श्री मानिक चन्द सुराना : वह सब बता दिये, वह सुन लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लीजिए। धैर्य से सुन लीजिए। माननीय सुरानाजी, आप धैर्य से सुन लीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना : सुन रहे हैं न धैर्य से, पर आप इलेक्शन ईयर की बात नहीं करिए। रोंग फैक्ट्स स्टेट न करिए। आप बहुत जिम्मेदारी के पद पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो मैंने जितने फैक्ट्स स्टेट किये, गलत थे क्या यह?

श्री मानिक चन्द सुराना : इलेक्शन ईयर कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत था क्या? मैं आपसे कहता हूं कि चलिए आप ए.आर.एम. की बात छोड़ दीजिए, जो आपने नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस सीधा-सीधा 27000 करोड़ में से इस 11000 करोड़ रुपये को आप निकाल दीजिए तो आपकी योजना कितने की रह जाएगी? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका असेसमेंट गलत हो सकता है, मैं इनको यह नहीं कहता कि इन्होंने, प्रदेश की जनता को आने वाले चुनावों के अन्दर जो चुनाव की वजह से भ्रम में रखने की चेष्टा की, मैं यह आरोप नहीं लगाता हूं। लेकिन यह कह सकता हूं कि आपने जब कैलकुलेशन किया आपने जो आंकड़े फैलाये, आपने उसके अन्दर भयंकर भूल की।

एक माननीय सदस्य : यह तो मान लेंगे, वित्त मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको मानना पड़ेगा इस बात को। आपको मालूम था कि फ़िफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आपकी आ चुकी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : योजना की स्वीकृति देने वालों ने शायद फिगर नहीं देखे होंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : फिर पूछ लेना आप बाद में। इनको बोल लेने दो एक दफा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उन्होंने, स्वीकृति देने वालों ने फिगर नहीं देखें होंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक बात सुनेंगे, इसमें लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने कहा है....

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो पूछेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चीफ मिनिस्टर, राजस्थान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि और बंदोबस्त कर लेंगे तो बहुत अच्छी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात है। हम भी प्लानिंग कमीशन में पिछले साल होकर आये हैं। वे आपको सचेत कर देते हैं कि आपके हालात के मुताबिक इतने की आपकी योजना होगी अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज से बड़ी बना सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि, आप आगे चलें, आप देखिये, जो पहला साल था 1997, नाइंथ प्लान, का 1997-98, आप पहली योजना देख लीजिए। आपकी योजना कायदे से अगर 27000 करोड़ की थी, आपकी तो पहले साल में आपकी योजना बननी चाहिए थी, फर्स्ट ईयर द प्लान 4425 करोड़ रुपये की और आपने बनाई कितनी 3937 की। और उसके अन्दर भी आपने होशियारी जो हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुई, श्रीमन्, जिसका मजाक आज दिन तक प्लानिंग कमीशन वाले उड़ाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं करेगा राजस्थान? आपने 750 करोड़ रुपया बिजली का बता दिया, वह जो कर्जा था, एक तरफ जमा किया दूसरी तरफ डाल दिया उनके नाम। आपने क्यों किया यह? आपने क्यों किया? 1998-99 की योजना, जो कि 4425 से बढ़कर बननी चाहिये थी, वह आपने बनायी 3832 करोड़ की कुल। यह जो दूसरों को उपदेश देने की कोशिश करते हैं, यह बड़ी अनुचित बात है। प्लान के बारे में राजस्थान की जनता के अन्दर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हमने 27,500 करोड़ का नाइंथ प्लान गति को रोक दिया। यह बात असत्य है, मिथ्या है। राजस्थान की जनता को भ्रम के अंदर रखने की बात कर रहे हैं यह। मैं इस बात को आपसे कहता हूं कि इनकी इच्छा कभी नहीं थी। They were not serious at all. कभी गंभीर नहीं थे इस तरफ, क्योंकि इनके पहले साल का प्लान और दूसरे साल का प्लान, बाकी में तो हम लोग बाद में आये हैं। एक बात तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, श्रीमन्।

अब यहां पर एक बात कही गयी, श्रीमन्, यह तो प्लान के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त निवेदन किया। यहां एक बात और कही गयी कि हमने विकास किया। कांग्रेस खजाना खाली होने का रोना रोती है। हमेशा रट लगाये रहती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तीन साल पुरानी बात हो गयी। बी.जे.पी. को लेकर क्यों बैठे हो आप? तीन साल पुरानी बात हो गयी। अब आप बताओ न। आप बी.जे.पी. से क्यों तुलना करते हो? तीन साल हो गये इनको गये। तीन साल हो चुके। तीन साल में आप आ गये। अब आप अपनी बात करो न। इससे क्या मतलब है इन्होंने नहीं किया तो यह चले गये न।

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? (व्यवधान) Why are you so impatient ? Let him finish.

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर कर्जे की बात कही गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो अपनी बात

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं अब उसी पर आ रहा हूं डाक्टर साहब। अगर आप नहीं चाहते तो, यहां पर कर्जे की बात कही गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : बजट डेफिसिट और घाटे पर बोलो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आ रहा हूं। प्लीज, आ जाने दीजिए। यहां पर, श्रीमन्, कि हम गये थे तब 24 हजार करोड़ का कर्जा था और आपने दो साल के अन्दर 34 हजार करोड़ के ऊपर पहुंचा दिया। हकीकत है, क्योंकि यह फिगर्स हैं, इनको कोई झुठला नहीं सकता। आपको इनके कारणों में जाना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : यह जो कारण हैं, वह इनके कारनामे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी अगर कारणों में जाना है तो उस समय के कर्जे के कारणों में भी जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : वह तो कारण होंगे, पर आपके तो कारनामे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक फिगर है जो हमारे असेंशियल एक्सपेंसेज हैं, अपरिहार्य जिसे कहते हैं हिन्दी के अन्दर, उस सन्दर्भ में आपको देखना पड़ेगा इस पूरी चीज को, और अच्छा है माननीय सदस्यों की जानकारी में आ जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अपरिहार्य व्यय की श्रेणी में क्या-क्या चीजें आती हैं—वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज, ऋण भुगतान, विभिन्न संस्थाओं को अनुदान, जिसमें आपकी स्वायत्तशासी संस्थाएं भी आ जाती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे 1997-98, मैं इसको बेस ईयर मान लेता हूं। आप चाहो तो शुरू से दे दूं। वेतन एवं मजदूरी के पेटे हमारा खर्चा था 1997-98 में 3395 करोड़ 25 लाख रुपया, जो कि हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है उसका 40.44 प्रतिशत था। पेंशन थी 618 करोड़, प्रतिशत था 7.36 और ब्याज 1896 करोड़ 67 लाख प्रतिशत था 22.57 ऋण भुगतान 840, प्रतिशत 10.1, विभिन्न संस्थानों को अनुदान 1379 करोड़, प्रतिशत था 16.41 और यह टोटल प्रतिशत था हमारी कुल राजस्व प्राप्तियों का 96.75 प्रतिशत। 1998-99 में वेतन एवं मजदूरी भुगतान था 3,395 करोड़, बढ़ कर हो गया 4736.82, यानि स्टीप राइज हुआ 55.21 प्रतिशत, 15 प्रतिशत का इजाफा एक साथ हुआ इसके अंदर। पेंशन के अन्दर इसी प्रकार से 618 से 909, ब्याज के अंदर 1896 से 2242, ऋण भुगतान 503 करोड़, विभिन्न संस्थाओं का अनुदान 1741 करोड़ 1389 के मुकाबले, प्रतिशत हो गया 118 प्रतिशत आफ द टोटल रिसीट्स। इसी प्रकार से 1999-2000 के अंदर हमारी टोटल रिसीट्स का प्रतिशत हो गया अपरिहार्य व्ययों का 125.67। फिर 2000-2001 के अंदर घट कर आया है 106.60 और अगले साल का प्रोजेक्शन हैं 111.54 प्रतिशत। इस संदर्भ के अंदर आपको राजकीय लोन लायबिलिटी को समझना पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है। उपाध्यक्ष महोदय, जब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इन्होंने राज छोड़ा तब 24 हजार करोड़ का कर्जा था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 23 हजार करोड़ का।

श्री प्रद्युम्न सिंह : रफली। देखिए, आई एम टाकिंग रफली। देखिए, पाइंट, यह कुछ हो जाता है, जिसमें भी 2200 करोड़ का ब्याज का खर्चा था और अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से हमारे कर्जे की रफ्तार बढ़ रही है स्टेटिक है बिलकुल।

यहां पर एक बात और कही गयी थी नगर से आने वाले सम्मानीय सदस्य कल कह रहे थे, जो आपको मैंने बीच में ही निवेदन किया था। हमारी नैट बोरोइंग्स को मैं ले रहा हूं। नैट बोरोइंग्स थी 1999-2000 में 5,856 की, 2001 के बजट एस्टीमेट में थी 5,247 और रिवाइज में हो गयी 4,097 तो करीब औसत हमारा 5000 करोड़ रुपया, चार से पांच हजार करोड़ के बीच में हमारी नैट बोरोइंग्स बढ़ रही है। अब सवाल यह आता है जब 2200 करोड़ का जो आप कर्जा छोड़ कर गये थे, वह देना है। हमारे जो अपरिहार्य व्यय हैं, जिनका कि प्रतिशत इतना ऊपर चला गया है और विकास खर्च....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी, 1997-98 में प्रतिशत 96 प्रतिशत बढ़ा और 1998-99 में 118 प्रतिशत हो गया और फिर 125 प्रतिशत हो गया। तो दो साल तक तो क्या किया? फिर 106 प्रतिशत लाये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां। 106 लाये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी विनती यह है कि इन्होंने जो किया, आपने करेक्टिव मेजर्स क्या लिये और उनके क्या परिणाम आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बता रहा हूं न अभी आपको।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरा हो जाए तब क्वेश्चन पूछ लें। पहले इनकी स्पीच हो जाये, बाद में आप क्वेश्चन पूछो न। काबिलीयत में कमी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाद में पूछेंगे तो एडजोर्न कर दिया जाएगा। उस रोज भी एडजोर्न कर दी थी। मुख्य मंत्रीजी से बाद में पूछना चाहते थे हम, उस रोज एडजोर्न कर दी आपने।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जब इन्होंने राज छोड़ा तो 2200 करोड़ रुपये की तो हमारे ऊपर सीधी-सीधी ब्याज की लायबिलिटी थी और जो हमारे असेंशियल एक्सपेंसेज थे, उनको मीट आउट करना था, प्लान फंडिंग करना था। प्लान फ़ंडिंग करना था। एक मिनिमम लेवल के ऊपर प्लान का फंडिंग करना था। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आपने एट्थ प्लान का फंडिंग किया उसमें 9 हजार करोड़ का आपका कर्जा था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमने राज छोड़ा,

हुआ है, हम उससे ऊपर नहीं जा रहे। यहां पर जो इसके बारे में चर्चा हुई और हम इसको कम करने की चेष्टा करेंगे। हमारे जो वेस्ट एक्सपेंडीचर हैं, प्रशासन में मितव्ययता ला करके और बैटर रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन और हमने यह ए.आर.एम. करने की चेष्टा की है लेकिन अकाल....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह बता दो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं सब चीज बता दूंगा, मेरे पास सब चीज है, डाक्टर साहब। आप चिन्ता मत करो। (व्यवधान) करेक्टिव मेजर्स हमने लिये हैं। मैं इसको सिक्वेंसवार आपको बताता जाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके कहने से ही सब बताता जाऊंगा क्या? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप सी. पी. जोशी को क्यों देखते हो बार-बार? आसन की तरफ देखो या हमें देखो। बार-बार उधर देखते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मेरे मित्र हैं इनको देखने से मुझे जोश आता है। (व्यवधान) जोशीजी को देखने से जोश आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : या हमारी तरफ देखो या आसन की तरफ देखो। (व्यवधान) यह देखो, आप बार-बार उधर देखते हो। इतना क्यों डर रहे हो उनसे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हम भी मित्र हैं आपके, आप चिन्ता मत करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बहुत पुराने हैं, भूल जाते हैं कभी-कभी। आप तो सबसे पुराने मित्र हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो जिज्ञासा हमारी है, हमको बताओ आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो आपको तब से जानता हूं जब आप हिन्दुस्तान टाइम्स के कोरेस्पोंडेंट बनकर मुझ से मिले थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर जो कहा गया, हमने एक मिनिमम लेवल पर, आपके वक्त में जिस तेजी से, आपके वक्त में.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर कहने लग गये आपके वक्त में। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्योंकि कारण क्या हुआ, (व्यवधान) एक मिनट, प्लीज उपाध्यक्ष महोदय, फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो राज्यों की स्थिति हुई वह किसी से छिपी नहीं है। फिर साल के दो डी.ए. आये। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : समझौता तो आप ही करके आये थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि हमारे कर्ज के भार को हम मितव्ययता ला करके, एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन ला करके, पुरानी वसूलियां करके हम इसको बेहतर स्थिति में लाने की

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोशिश करेंगे। जो पहले हमारा बी.सी.आर. था, बैलेंस फ्राम करंट रेवेन्यू जो नैगेटिव के अन्दर था उसके अन्दर करीब साढ़े सात सौ करोड़ रुपये की कमी भी आयी है। यहां अकाल राहत को ले करके....

श्री मानिक चन्द सुराना : प्लान का ए.आर.एम. तो बता दीजिये। अभी जो गया साल बीता है उसका ए.आर.एम. क्या किया आपने, यह तो बताइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : किसका?

श्री मानिक चन्द सुराना : 2000-2001 की प्लान जो 4146 करोड़ की आपने पूरी की उसमें आपका ए.आर.एम. क्या है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वो पूरा किया, खर्चा पूरा किया। जो हमारे टारगेट थे यहां पर।

अब यहां पर अकाल के बारे में चर्चा हुई। (व्यवधान) एक-एक करके.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अकाल पर क्यों जा रहे हैं, ए.आर.एम. पर आइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : What about the budget deficit ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक-एक करके।

मोहम्मद माहिर आजाद : बजटीय घाटे का जो पिछले साल का कैरी फारवर्ड नहीं किया। जो आपने आंकड़ों में बड़ी

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दोनों साल का ए.आर.एम. क्या था? उससे थोड़ा क्लियर हो जायेगा कि हम कहां गलत थे और आप कहां गलत हैं? इससे आपको भी समझ में आ जायेगा, हमको भी समझ में आ जायेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो एक प्रश्न का भी जवाब नहीं देंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मत दीजिये तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : डिस्टर्ब बिलकुल नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजट की जो जान है ए.आर.एम., वह थोड़ा-सा आप क्लियर करो तो हमें समझ में आये कि हमने कहां गलती की और आपने कहां इसमें सुधार किया? उसको बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आप से निवेदन किया कि इनको समाप्त करने दो उसके बाद आपको पूछने का मौका दे देंगे। तो फिर क्या है?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप एडजोर्न कर दोगे फिर पूछने नहीं दोगे।

श्री उपाध्यक्ष : कोई सब्स्टेंटिव बात होगी तो एडजोर्न नहीं करूंगा अगर आप यूं ही बोले जाओगे तो फिर क्या फायदा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बजट की जान ही ए.आर.एम. है, वह नहीं बताना

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, डिबेट में कभी-कभी हां पक्ष वाले भी इन लोगों के बीच में बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया न, बहुत हो गया। दो दफे, चार दफे कर दिया, और कितनी दफे करोगे? (व्यवधान) वो क्या बोल रहे हैं, उनका फ्लो बिगड़ता है। डिस्टर्ब होता है न।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, उनको बहुत आपत्ति हो तो हम चुपचाप सुनें पर यह हाउस को एजुकेट तो करें जरा। आपने अभी तीन दिन पहले मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिये ना, उसके बाद बोल लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड। हां, उनको भी सुनेंगे, उनसे शिक्षित होना है, उनसे जानकारी लेनी है। (व्यवधान)

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में इन्होंने पूरा चार्ट दिया है कि हमने योजना की फंडिंग कैसे की।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिप्लाई का दिन है, इनकी रिप्लाई हो जाये उसके बाद इनको क्वेश्चन पूछने की इजाजत दे दीजियेगा। पहले आप भाषण तो करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह हमेशा उलटी बात करते हैं, फिर भाग जाते हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप भले ही तत्काल समाप्त करके चले जाइये क्योंकि आप तो जो कुछ कर रहे हैं, आपके दीये तले अंधेरा है। आप ना तो दूसरों को बताना चाहते हैं ना आप खुद बात को समझना चाहते हैं।

जो इस साल आपने जवाब दिया है, तीन दिल पहले, माइनस करंट रेवेन्यू में आपका 2647 करोड़ माइनस है आपका प्लान के ए.आर.एम. में और आपकी प्लान चल रही है, स्टेट प्रोविडेंट फण्ड-1366 करोड़, लोन अगेंस्ट स्माल सेविंग-2250 करोड़, नैट मार्केट बोरोइंग 739 करोड़, सेंट्रल असिसटेंस-1408 करोड़ आपका ए.आर.एम. है कहां? कहीं भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : है कहां? (व्यवधान) यही तो इनके मुंह से सुनना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपसे कोई छिपाया तो नहीं है। फिर क्या सुनना चाहते हो? पूरी ट्रांसपैरेंसी है, पारदर्शिता है पूरी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो मैंने, ऐसा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। मंत्रीजी, माननीय सदस्य एक बात जानना चाहते हैं कि आप एक करोड़ कर रहे हो या नहीं, और छुट्टी करो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ चीजें यहां कही गयीं। बजट का अपना वो है।

इस मौके पर कहना चाहता हूं कि रिकार्ड पर रहे, रिकार्ड के अन्दर जाये, बहुत सारी चीजें अन-आन्सर्ड नहीं जानी चाहिए। They should not go unanswered. मैं बहुत ब्रीफली आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आप चाहे तो वैसे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ब्रीफ तो करना चाहते हो, यह बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैं क्या करूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इनकी चार दिन से सुन रहा हूं, यह मेरी एक घंटे नहीं सुनना चाहते क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : वही बात हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कड़वी सुनना चाहते हैं परन्तु सच-सच तो बोलें।

श्री हीरालाल विश्नोई : एक करोड़ कर दो आप तो विधायक कोटे का।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : एक करोड़ करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देख लेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर अकाल के बारे में, बिजली के बारे में, अन-एम्प्लायमेंट के बारे में और सबसे ज्यादा मुझे दुःख हुआ जान करके, उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात कही गयी कि राज्य के अन्दर कांग्रेस के आने के बाद अन-एम्प्लायमेंट से आने वाले माननीय सदस्य यहां तक कह गये कि 70 हजार पद कांग्रेस के राज में समाप्त कर दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप यह बता दो कितने खतम कर दिये, क्लियर हो जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं क्लियर नहीं। तो आपको ऐसा स्वीपिंग रिमार्क बेग तरीके से नहीं करना चाहिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ताकि आप सच तो बोल जाओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छा, इसलिए सच बुलवाने के लिए आपने असत्य बोलना शुरू कर दिया। चलिये अच्छा है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : और भूलने वालों को दुबारा यहां बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनके स्वयं के राज में ही इन्होंने पदों में कटौती करना शुरू कर दिया था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने क्या किया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट रुक जाइये। क्योंकि आपके नेताओं के बराबर भाषण आते हैं। आपने तत्कालीन मंत्री, चतुर्वेदीजी की अध्यक्षता में मितव्ययता के लिए कमेटी बनायी थी। याद है आपको? प्रधानमंत्रीजी ने यह कहा कि देश के अन्दर औसत 3 प्रतिशत लोग रिटायर होते हैं। उसमें से सिर्फ हम एक प्रतिशत पद

यह कहलवाना चाहते थे मुझसे? सुन लीजिये आप। इन्होंने स्वयं ने पदों में कटौती की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एम.ओ.यू. आप करके आये या हम करके आये?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम करके आये, आपने तो बिना एम.ओ.यू. करे इतने सारे पद काट दिये। हमने तो अपने पूरे वक्त के अन्दर जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी थी, उसमें 6 हजार पद काटने की अनुशंसा की थी। जिसके अन्दर सिर्फ तीन साढ़े तीन हजार पदों के आर्डर्स निकले हैं बाकी के तो आर्डर्स निकले ही नहीं हैं अभी तक। इन्होंने जो 94 में पद समाप्त किए, 27747 पद इन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर समाप्त किए और हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के बेरोजगारों को, राजस्थान की जनता को यह बात मालूम होनी चाहिए कि एक इस कोने से बी.जे.पी. के नेताजी का भाषण आता है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, कांग्रेस पदों को समाप्त कर रही है यह सरकार आकर। आपने क्या किया था?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने कितना कम किया वह तो आंकड़ा साथ बोलो न। कम से कम दोनों चीजें साथ आ जाएं, हमने तो कितना किया, आपने कितना किया बताओ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : वित्त मंत्रीजी, वही काम कर रहे हैं न जो इन्होंने किया था? उसको ही आगे बढ़ा रहे हो जो इन्होंने किया था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमने इनके मुकाबले कुछ नहीं किया जो ये कर गये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक बात और कही गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपने एक बात कह दी कि हमने सत्ताइस हजार पद कम किए, आपने कितने किए वह तो बोल दो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको संयमित करिए, हमारा अनुरोध है आपसे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कितना किया बताओ न यहां। आप रिकार्ड पर आने दो, कोई चिन्ता की बात नहीं है। कितने कम किए बता दो?

श्री अमराराम (धोद) : कटारियाजी, आपसे ज्यादा करेंगे, आपसे ज्यादा बहुमत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ज्यादा करो, कोई चिन्ता नहीं। आप फिगर बता दो ताकि कम से कम रिकार्ड पर तो आ जाए कि कितने कम किए। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन वित्त मंत्रीजी की अध्यक्षता में जो मंत्रिमण्डलीय उप समिति बनी थी उसने छह, साढ़े छह हजार पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारा सत्ताइस हजार का फिगर तो आप ढूंढ कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ले आये और आपने कितने पद तोड़े इसकी फिगर का जवाब आप आज बजट भाषण के रिप्लाई में नहीं देना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दे रहा हूं न आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अनुमानित क्यों? एक्जेक्ट फिगर बताइये आप अनुमानित नहीं। आज की तारीख में एक्जेक्ट फिगर बताइये कि इतने हजार, इतने सैकड़ा और इतने। यह क्या बात है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको बताता हूं। देखिये, मंत्रिमण्डलीय उप समिति जो बनी थी तत्कालीन वित्त मंत्री की अध्यक्षता में....

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ये पोलिटिकल जवाब नहीं दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह पोलिटिकल जवाब है।

श्री उपाध्यक्ष : ये बैठें तो आप खड़े हो रहे हैं फिर ये माननीय सदस्य खड़े हो गये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह मानते हैं क्या कि राजस्थान सरकार अनएम्प्लायमेंट दूर कर सकती है इन नौकरियों से?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं कर सकती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने पद समाप्त किए, ठीक है। आपने एम्पलायमेंट अपार्चुनिटीज क्या क्रिएट कीं? (व्यवधान) ये राजीव गांधी पाठशालाएं खोली? बताइये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं सुनें तो समाप्त करें। क्या करें तो, आप बोलना ही नहीं देना चाहते। आप बैठते हो तो वे उठ जाते है, वह बैठते हैं तो ये उठ जाते हैं। यह क्या है? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पोलिटिकल जवाब दे रहे हैं। बजट का जवाब तो दे ही नहीं रहे हैं। ये तो इनका + + + बजट का जवाब दे नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही उनको। बोलने ही नहीं देना चाहते। आपको कह दिया आपको पूछने का मौका दे देंगे। बोलने दीजिए उनको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 1 दिसम्बर, 1998 को कांग्रेस का राज आया उसके बाद से लेकर 31 मार्च, 2000 तक राजस्थान के अन्दर नियमित वेतन श्रृंखला के अन्दर हमने बीस हजार के करीब लोगों को नौकरी दी और राजीव गांधी पाठशाला....(व्यवधान) अब आप सुनिए। मैं अलग कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके मुंह से क्या होता है। आप बात तो सुनें पूरी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह क्या हो रहा है? समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कहां के विषय को कहां ले जाते हैं। इनको थोड़ा संयमित करो आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके मंत्रीजी ने आज यह कहा है कि वह मानदेय है, नौकरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसी क्या प्रोब्लंम हो रही है आपको ?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनको संयमित करो आप, टोका-टोकी नहीं करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अलग-अलग राय है। एक मंत्रीजी ने कहा कि वह मानदेय है सेलेरी नहीं है वह, मानदेय है। (व्यवधान) वह बढ़ेगा जब करें न।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी क्या भारी बात हो गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह संख्या अलग है, चलिए वह संख्या अलग मान लीजिए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि यह जो भ्रम फैलाने की चेष्टा की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यह बात गलत है और 2000-2001 के अन्दर जो हमने पिछली साल सेंक्शंस निकाली हैं, जिनकी भर्ती अब होने वाली है, जिनकी भर्ती इस साल के अन्दर होगी। वह पोस्ट जो सेंक्शन की हैं 15349,....

श्री सुरेन्द्र व्यास : वही राजीव गांधी वाले ? (व्यवधान) हां, वह ठीक है। (व्यवधान) पुलिस।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अकाल की चर्चा की गयी। अकाल मंत्रीजी बहुत अनुभवी मेरे वरिष्ठ साथी विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर एक भ्रम फैलाने की चेष्टा की गयी। मैं सिर्फ आपको एक फिगर बताने की कोशिश कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1991-92 उस साल प्रभावित गांवों की संख्या.... (व्यवधान) आ गया तो दुबारा आ जाएगा। नहीं सुनना चाहते सच्ची बात को।

श्री अमराराम (धोद) : पहले 1987-88 का बताओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक बात को 50 दफा कहते रहे और हम एक दफा भी दोहराना चाहे तो आप सुनना नहीं चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि मेरे पास सारे फिगर्स हैं। यहां पर अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य नहीं हैं। इनके पूर्व राहत मंत्रीजी अपने आपको राहत के कामों का एक्सपर्ट समझते हैं। भिनाय से आने वाले सम्मानीय सदस्य जो हैं.... (व्यवधान) नहीं, आज चले गये होंगे, मैं गायब तो नहीं कहना चाहता हूं। आपके पास इतना रुपया आया आपके पास इतना रुपया बचा हुआ था। इस बात को भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल का मुझे ध्यान है। केन्द्र सरकार के जितने मंत्री यहां आये, राजस्थान सरकार के पास पैसा उपलब्ध है, राजस्थान सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, यहां इस किस्म की बातें कर रहे थे आ करके। मेरे पास वह फिगर्स भी हैं ग्रामीण विकास के, कि इनके पास कितना रुपया उपलब्ध था जो इन्होंने खर्च नहीं किया वे फिगर्स भी मेरे पास पूरे हैं। अभी आपके सामने पढ़ कर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सुनाता हूं उन फिगर्स को भी। मैं आपको वह भी अभी पढ़कर सुनाउंगा कि इन्होंने क्या हाल किया था हमारे ऊपर। मैंने प्रतिपक्ष के नेता का जोधपुर का भाषण सुना कि पैसे की कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा मौजूद है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे क्या मतलब है, साहब ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप नहीं सुनना चाहते ? (व्यवधान) आप ही ने ठेका ले लिया है सब चीज का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने क्या कहा ? आप तो अपना बताओ। ये तो गये। They have gone. उनको छोड़ो आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध यही है कि बीस हजार गांव, एक एक्जाम्पल दे रहा हूं उस साल प्रभावित थे कितने आदमियों को काम दिया था। हमारे तो इस महीने के अन्दर अप्रेल के सैकण्ड पखवाड़े में दस लाख आदमी लगे हुए हैं। अगले महीने इसको बढ़ाकर बारह लाख या तेरह लाख जितना, राहत मंत्रीजी को निवेदन किया गया है कि आपको जितने लगाने हैं आप लगा लीजिएगा। जून के महीने के अन्दर यह संख्या 17-18 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं, आपने सात-सात, आठ-आठ लाख आदमी लगाये पीक पीरियड के अन्दर और हमसे आप

श्री अमराराम (धोद) : आप तो इतना विश्वास दे दो....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह बहुत आश्चर्य का विषय है। मंत्री महोदय, कृपा करो। केवल आप तो इतना बता दो कि 1995 से लेकर 2000 तक, फिगर बताओ ताकि मन को संतोष हो सके।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय वित्त मंत्री महोदय, बजट घाटा तो बताओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिगर बताओ 1995 से लेकर 2000 के बीच में आपको इस आपदा कोष के तहत केन्द्र से कितना पैसा हर साल मिला और उसके अगेंस्ट में कितना पैसा आपने 1995 से 2000 तक खर्च किया ? मेरी गारन्टी है कि 56 करोड़ रुपया उसमें से बचा हुआ है। क्या बात करते हैं आप ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बजट घाटा तो बताओ। अकाल का तो इन्होंने बता दिया है। यह सारा पता है। खूब अच्छा काम अकाल में कर रहे हैं इसमें किसने एतराज किया है। आप इन्हीं का जवाब दे रहे हैं। हम भी तो हैं यहां। हम नहीं हैं क्या यहां ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं आप केवल इन्हीं का जवाब

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका भी दे रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम भी तो हैं, हमारा जवाब तो दो। हम किसलिए बैठे हैं। नहीं तो जाएं फिर हम।

श्री अमराराम (धोद) : आप तो वित्त मंत्रीजी इतना बता दो इनकी कम्पेरीजन नहीं, आपकी सरकार थी, 1987-88 में आपकी सरकार थी, जिसने 702 करोड़ रुपये अकाल सहायता में खर्च किया था। इस साल 702 करोड़ खर्च कर दोगे क्या? यह विश्वास दिला दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप सुन लीजिए। उस वक्त राजीव गांधीजी का जमाना था। अब है अटल बिहारीजी का जमाना। राजीव गांधी ने खुले हाथ से पैसा दिया था राजस्थान की अकालग्रस्त जनता को, अनाज दिया था और अब उस अनाज को समुद्र में फेंकने की तैयारी है लेकिन राजस्थान की जनता से, हम पिछले साल से मांग कर रहे हैं, पिछले साल भी अनाज नहीं दिया है इन्होंने.... (व्यवधान) वह राजीव गांधीजी का जमाना था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, आप तो एक बात बता दीजिए कि अकाल राहत में आपने 2000-2001 में कुल पैसा कितना खर्च किया है? कुल पैसा आपको केन्द्र से कितना मिला अलग अलग हैड में और राज्य सरकार ने अपने सोर्स से कितना पैसा खर्च किया यह ब्रेक-अप बता दीजिए आप तो .... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, कई बार फिगर बता चुके हैं फिर भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सम्वत् 2056 के अकाल में हमने 565 करोड़ रुपया खर्च किया है। भारत सरकार से केवल हमको 102 करोड़ रुपये मिला था।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय वित्त मंत्रीजी, आप यह भी इनसे पूछ लो कि कल भारत सरकार का रूरल डवलपमेंट का बजट पेश हुआ है और स्टेट के बजट में कितनी कटौती हुई स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का साठ फीसदी कम किया कि नहीं किया?

श्री मानिक चन्द सुराना : यह 102 करोड़ तो एन.सी.आर.एफ. का बताया, सी.आर.एफ. में जो पैसा राज्य को मिला है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सी.आर.एफ. का पैसा सभी राज्यों को मिलता है चाहे अकाल पड़े और न पड़े। इसलिए कोई अहसान नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह भी वहीं से आता है। यह 207 करोड़ और 207 करोड़ 414 करोड़ वो हो गया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से मिला....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह तो प्रतिवर्ष भारत सरकार को देना पड़ेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपकी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च हुई है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : टैंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो रुपया तय किया गया है सी.आर.एफ. के तहत उसमें तीन चौथाई भारत सरकार देती है और एक चौथाई राजस्थान सरकार देती है। चाहे अकाल पड़े या न पड़े। इससे कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह बात पहले आ चुकी है कि तीन चौथाई भारत सरकार का है और एक चौथाई राज्य सरकार का है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह अमाउंट तो आपके पास बचा हुआ था ना?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मानिकजी, एक मिनट Please let me complete. I will be grateful to you.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : I will be grateful to you.

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोल रहे हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा। व्यवधान पैदा कर रहे हैं बार-बार।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे कम्पलीट कर

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सुनना चाहते हैं नहीं तो बैठक समाप्त कर दूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप विराजिये। फिर इनको सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पहले आप मुझे कम्पलीट कर लेने दो प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : डाक्टर साहब अकाल पर जब चर्चा हो विस्तार से चर्चा कर लेना, मैं तैयार हूं उसके लिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं बाद में पूछ लेना, इनको समाप्त करने दो ना इनकी बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कह रहा हूं मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, आप बैठ जाएं। आप जिद ना करें कृपया बैठ जाएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप सदन में गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते बार-बार खड़े हो रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अकाल राहत मंत्रीजी सदन में गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने गलतबयानी की है तो आपको विशेषाधिकार लाने का अधिकार है। आप ले आइये। मैं उसको संतुष्ट कर दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विशेषाधिकार तो आपके पास 153 है.... (व्यवधान) यह एक विशेषाधिकार है आपका।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह मत कहिये, 2056....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने सर्वदलीय बैठक में खुद ने यह कहा था प्रिसिडिंग ईयर के फिगर बताये थे 465 करोड़ के।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नो नो, 565 करोड़। आपको गलत याद रहा होगा, 565 करोड़, जहां और भी मैम्बर बैठे हुए थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने इस साल 175 करोड़ 75 लाख रुपया केन्द्र के डाकूमैंट से एडमिटेड है। मैं बताऊं आपको।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : 565 करोड़ कहे थे और आज भी 565 करोड़ कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके डाकूमैंट्स.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। इनकी सुन लीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : फिगर सही है क्योंकि सप्लीमैंट्री ग्रांट में 565 करोड़ का फिगर सही है। आपने सप्लीमेंट्री ग्रांट भी 565 करोड़ की ली थी और उसमें सी.आर.एफ. और एन.सी. ....

मोहम्मद माहिर आजाद : 565 ही बताये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी, माननीय सुराना साहब....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उस रोज भी 565 करोड़ बताये और आज भी 565 करोड़ बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं आपसे, आप इनको सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए और नहीं सुनना चाहते हैं तो बैठक समाप्त....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : टोका-टोकी बंद कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात तो सुनिये। आपको कह दिया है कि आपको बाद में बोलने देंगे, आप दो मिनट ही नहीं बोलने दे रहे हैं इनको, कैसे बोलेंगे। ऐसे कौनसी डिबेट होती है? आप कृपा करके बिराजिये, इनकी बात सुन लीजिए। इसके बाद आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए, एवरी टू मिनट्स आप में से कोई न कोई उठता है तो अगला बोल कैसे सकता है? यह क्या बात हुई?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह आपके अनुशासन को ही नहीं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको कह रहे हैं, आपको पूछने का मौका देंगे। लैट हिम फिनिश।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बात कहने का जो फ्लो है, पूरा बिगड़ जाता है। मैं कह रहा हूं, हमने आपकी बात बहुत धैर्य से सुनी, सुनी सबकी बात। आपने तथ्य दिये, सही तथ्य दिये, गलत तथ्य दिये, बात को तोड़-मरोड़ कर कहा यहां पर, हमने सब बातों को सुना, अब आप हमारी बात भी सुन लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसमें कोई बुराई नहीं। आपका काम है यहां कहने का, जनता में भ्रम फैलाने का, तब ही तो आप सत्ता में आएंगे, नहीं तो आएंगे कैसे? आप कोशिश पूरी कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय ने एक सवाल पूछा कि कितना पैसा अवेलेबल था। यह भी बहुत कड़वा सत्य है, इसको मत खुलवाइये, इसको रहने दीजिए। राहत मंत्रीजी बता देंगे आपको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कड़वा सत्य अच्छा लगता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक और भ्रम फैलाने की कोशिश की, भारत सरकार आपको इतना पैसा दे रही है। वह चीज भी आपको मैं क्लीयर करना चाहता हूं। भारत सरकार आपको यह दे रही है, यह इलैवबंथ फाइनेंस कमीशन संविधान के प्रावधानों के तहत फाइनेंस कमीशन का अपाइंटमैंट होता है। इसका बैकग्राउण्ड, सम्मानीय सदस्य, आप लोगों की जानकारी के लिए निवेदन करना

यह जानकारी रहे। राज्यों की आमदनी कम, खर्चे ज्यादा, केन्द्र सरकार की आमदनी अधिक, केन्द्र के खर्चे कम। केन्द्र सरकार की आमदनी ज्यादा, उसमें राज्यों का बंटवारा कैसे हो? उसके लिए संविधान के तहत फाइनेंस कमीशन का अपाइंटमैंट होता है। राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता, अपनी कठिनाइयों को उनके समक्ष प्रस्तुत करती है। वह अपना अवार्ड देता है। आज दिन तक जितने फाइनेंस कमीशन अपाइंट हुए, कांग्रेस के राज में चाहे अन्य किसी राज के अन्दर, सरकार उनकी बात मानती है और उनके अनुसार ही केन्द्र से राज्यों को कर-राजस्व के अन्दर धन की प्राप्ति होती है। अन्य योजनाओं के अंदर प्राप्ति होती है। यहां पर यह दर्शाने की चेष्टा की जाती है, सारे राज्यों को प्राप्त हुआ, सारे प्रदेश की जनता के सामने सदन के अन्दर भारत सरकार ने जैसे कोई राज्यों के लिए खजाना खोल दिया है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। पिछले साल भी मैंने यह बात कही थी और अब भी इस बात को कह रहा हूं कि यह हमारा अधिकार है जिस अधिकार के तहत हमको धन की प्राप्ति होती है। हमारे संग केन्द्र सरकार कहीं पर भी कोई मेहरबानी नहीं कर रही। मेहरबानी जहां करती है उसमें हमारे संग भेदभाव साफ नजर आता है। ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत यहां पर अभी केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रीजी आये थे नायडू साहब, वह कह गये कि आपके पास रुपया उपलब्ध है, राज्य सरकार खर्चा नहीं

अन्य मंत्री आये, राजस्थान सरकार के पास पैसा है, सी.एस.एस. के पैसे से अकाल का क्या मतलब है? सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम का, ठीक है उनको इस्तेमाल करते हैं, इन दिनों उसको खर्च करते हैं। इसके जरिये भी एडीशनल लोगों को कुछ राहत मिल जाए, कुछ रोजगार मिल जाए। खर्च करते हैं इसके अन्दर। मैं आपके सामने कुछ ही फिगर्स देना चाहूंगा। ग्रेज्युअली जो है हमको भारत सरकार सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम के तहत जो पैसा मिलता था उसमें काफी बड़ी गिरावट आ रही है। अन्य राज्यों को क्या मिलता है यह मेरी जानकारी में नहीं है। मैं सदन में गलतबयानी नहीं कर सकता हूं। यह डेलीब्रेट है या सारे स्टेट्स के साथ ऐसा हो रहा है। इसके बारे में मैं कुछ कहने में असमर्थ हूं इस वक्त। क्योंकि स्टेट्स के फिगर्स मुझे प्राप्त नहीं हो पाये। लेकिन राजस्थान का शेयर निश्चित रूप से घटता चला जा रहा है। 1997-98 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं उसकी अन्य सहायक योजनाओं के तहत लगभग 78 करोड़ रुपये का आबंटन होता है। जो वर्ष 2000-2001 में मात्र 40.54 करोड़ रुपये रह गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु 1994-95 में जवाहर रोजगार योजना के तहत जहां केन्द्र सरकार से 188.36 करोड़ रुपये का आबंटन प्राप्त होता था वहीं वर्ष 1999-2000 में यह राशि 78.75 करोड़ व 2000-2001 में 66 करोड़ रुपये रह गयी है। मैं कम्पेरीजन इसलिए कर रहा हूं कि जो ग्रेजुअल ग्रामीण विकास की बात करते हैं, गरीबों को रोजगार देने की बात करते हैं यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एलोकेशन हो रहा है उसमें ग्रेजुअल रिडेक्शन हो रहा है।

(18.00 बजे)

इसी प्रकार बार्डर एरिया डवलपमेंट के पैसे के अन्दर कमी आयी, इन्दिरा आवास योजना के तहत जो गरीबों के मकान बनते हैं उसके अंदर भी कमी आयी। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर केन्द्र सरकार या तो भेदभाव, या केन्द्र सरकार की अब यह इच्छा नहीं रही है कि गरीब को रोजगार मिले, ग्रामीणों का विकास पूरी तरह से हो सके। राज्य सरकारें अपने संसाधनों से इतना विकास नहीं कर सकती हैं। उनको केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता होती है।

जब हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि हमें केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार ग्रेजुअली उस सहायता के अन्दर कमी करती चली जा रही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कुछ तथ्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किये। अब मैं अन्त में आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पिछले जून के अंदर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने सी.एम्स. कनक्लेव जो किया था, जिसमें कुछ स्टेट्स के सब मुख्य मंत्रियों को और वित्त मंत्रियों को बुलाया था। उसके अंदर हमने कुछ सर्वसम्मत फैसले करके भारत सरकार से मांग की थी, हम प्रधान मंत्रीजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

से मिले थे...(व्यवधान) ना, ना हम लोग गये थे....(व्यवधान) मैं वही तो बता रहा हूं। आज राज्यों की जो कठिन परिस्थितियां हैं, राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने और इनके दो सहयोगी मुख्य मंत्रियों बादल साहब आने वाले थे, वह तो हां करके आये नहीं, उन्होंने अपने वित्त मंत्री कंवलजीत सिंहजी को वहां भेजा। चौटालाजी तो दोपहर के सैशन में आये थे। प्रधान मंत्रीजी से संग जाकर मिलने की बात थी। वहां तो शाम को दिल्ली में लगा कि जैसे तूफान मच गया हो। यह मुख्य मंत्री किसलिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम शाम को मिलने गये, प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि आज तो आपकी मीटिंग की बड़ी चर्चा है। खैर, हमने उनको एक दिया है, श्रीमन्, जो हमने मुख्य रूप से मांग की, राज्यों को कठिन वित्तीय परिस्थितियों से निकालने के लिए हमने उससे कुछ निवेदन किया था मैं सदन के मार्फत इस बात को दोहराना चाहूंगा जिससे आप लोगों को जानकारी रहे। राज्यों को इन कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए, इन कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए, उबारने के लिए हमने कुछ उनसे प्रार्थना की थी, मैं उन बातों को पुनः यहां दोहराना चाहूंगा।

उनसे हमने निवेदन किया था कि जो हमें स्माल सेविंग्स का लोन मिलता है This should be treated as a loan in perpetuity. जो सर्विस टैक्स लगता है ... एडीशनल सोर्स आफ इनकम बनेगा। हमारी एडीशनल आमदनी होगी तो राज्यों को इससे निकाला जाये और राज्यों पर इस समय जो टोटल लोन है उसको पूरा इकजाई करके, उसको ब्लाक लोन मानते हुए आसान किस्तों और सस्ती दर पर इसको री-शिड्युलिंग किया जाये और जो आज 70-30 के आधार पर प्लान की सहायता मिलती है वह बराबर से 50-50 के आधार पर, 50 प्रतिशत सहायता और 50 प्रतिशत लोन रहे। हमने उनसे एक यह भी मांग की थी कि सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स को राज्यों को ट्रांसफर किया जाये। यह हमारी चार-पांच मुख्य मांगें थीं। उन मांगों को फिर सदन के मार्फत से दोहराना चाहूंगा अन्यथा राज्यों के सामने जो कठिनाई है राज्यों की जो विकास की गति धीमी पड़ रही है, राज्यों को इस कठिनाई से निकालने के लिए जब तक इन बातों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। लोन की री-पेमेंट का री-शिड्युलिंग नहीं किया जायेगा राज्य सरकारों की कठिनाई दूर होने वाली नहीं है। श्रीमन् मैंने काफी समय लिया। मैं आपका बड़ा आभारी हूं, सभी माननीय सदस्यों का....(व्यवधान) वह आज नहीं वह तो एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा, फाइनेंस बिल आयेगा तब चर्चा करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, बजटीय घाटा और माइनोरिटीज की ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप देखिये, मैं आपको 1998, आप कहां से सुनना चाहते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : आप लास्ट बता दें। पिछले साल का, इस साल क्यों नहीं जोड़ा पिछले साल का घाटा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप देखिये, ऐसा है बजट अनुमान के अंदर जो हमारा प्रारम्भिक घाटा था वह हमारा 2015 करोड़ का घाटा था।

मोहम्मद माहिर आजाद : 112 बताया था?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह जो कैरी फारवर्ड होकर आया था। देखिये इसमें ऐसा है, बजट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट और उसके बाद ए.जी. के एक्चुअल्स आते हैं, तीनों के अंदर फर्क आता है। इसलिए जो हमारा एस्टीमेट है मैं उसके आधार पर बजट एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट के आधार पर बात कर रहा हूं। ए.जी. के एक्चुअल्स आने के बाद यह स्थिति बदलेगी। इसलिए इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस इस वक्त है नहीं, जब तक ए.जी. के एक्चुअल्स नहीं आ जायेंगे। छुपाना कहीं नहीं था। इस किताब के अन्दर वार्षिक वित्तीय विवरण विनियोग और अनुदान के लिए मांगों की अनुसूची....

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने बजट एट-ए-ग्लांस और बजट एट-ए-स्टेडी वह तो आप यहां पढ़ कर नहीं सुनाते हैं। लेकिन जो बजट भाषण आपने यहां पर सदन में सुनाया उसमें आपने इसका जिक्र नहीं किया और ना आपका जो पिछले साल का बजटीय घाटा है उसको इसमें एड किया।

दूसरा, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपको ऐसी माइनोरिटीज से क्या नफरत थी कि पूरे बजट में आपने माइनोरिटीज का, अल्पसंख्यक का नाम भी नहीं लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 500 मदरसे सिर्फ माइनोरिटीज के लिए खोले हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मदरसों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अल्पसंख्यकों के लिए ही खोले हैं और मैंने किसके लिए खोले हैं मदरसे? मदरसे अल्पसंख्यकों के लिए खोले हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उसी बिन्दु पर आपका ध्यान....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जिन अल्पसंख्यकों की आप दुहाई देते हो.... (व्यवधान) इसमें उनको क्या आपत्ति है। दूसरे भी लेंगे, सिन्धी भी लेंगे....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस साल का जो 283 करोड़ का आपने बजटीय घाटा बताया और पिछले बार का जो आपने 1903 करोड़ रुपये का घाटा था, यह दोनों मिला करके क्या स्थिति बनी, यह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
आपने क्लीयर नहीं किया, हम इसको समझना चाहते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यही हम कह रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : पिछली बार जब 1903 करोड़ रुपये का घाटा था और इस बार का आपने 283 का घाटा बताया तो वस्तुस्थिति आज की तारीख में क्या है? कृपा करके यह स्पष्ट करो, छुपाओ नहीं। तो समझ में आ जायेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट के अनुसार यह होगा माइनस 1513....

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, बैठ जाओ आप। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने पांचजन्य बजा दिया। पांचजन्य समझते हैं क्या? भगवान कृष्ण का वह शंखनाद, उसको कहते हैं पांचजन्य। उन्होंने उस वक्त पांचजन्य बजा दिया और राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल के लोग, उनके सहयोगी हर स्थिति में सक्षम हैं इसलिए मैं आप सभी लोगों को जो मंत्रिमण्डल में हैं उनको एक नेक सलाह देता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : दूसरे सब असक्षम हैं क्या? पंडित जी यह बता दें कि मंत्री ही सक्षम हैं? बाकी सब असक्षम

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अब यह सलाह देता हूं कि, "क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।" यह भगवान कृष्ण का है, "क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप", भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि सब अपने जो दुर्बल हैं, मन के अन्दर दुर्बलता मत रखो। अकाल के लिए, गरीबी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, लड़ने के लिए आपके मुख्य मंत्री ने शंख बजा दिया इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, डरो मत।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी अनुमति से घोषणा करनी है। बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है श्रीमन्। माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य कर्मचारी कुछ समय से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : घोषणा कर रहे हैं घोषणा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : पहले जवाब दे दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : घोषणा कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : बाद में एकदम चले जाएंगे, सब भाग जाएंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : घोषणा के बाद आप स्थगित कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : महत्वपूर्ण घोषणा कर रहे हैं, सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के निदेशानुसार कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों से हम बार-बार मिल रहे थे और जुलाई का डियरनैस अलाउंस है उसकी मांग कर रहे थे कि उसका पेमेंट किया जाए। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि 1 अप्रैल, 2001 से दी जाने वाली राशि का नकद भुगतान किया जाएगा, बाकी राशि हम उनके प्रोविडेंट फण्ड में डालेंगे। अकाल की स्थिति को देखते हुए मैं कर्मचारियों से अपील करना चाहूंगा कि इसमें वह राज्य सरकार को सहयोग दें और पेंशनधारियों को भी मंहगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के ऊपर इससे कुल 105 करोड़ रुपए का भार आएगा, यह मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी कृपा करके बताएं कि पर कैपिटा इनकम इन वर्षों में बढ़ी है या घटी है, एक तो आप यह स्पष्ट करें। एक मिनट, थोड़ा सा आप रुक जाएं, इतनी जल्दी नहीं करें। दूसरा यह कि आपने यह जो पे कमीशन के कारण से बात की, यह पे कमीशन, केन्द्र के समान देंगे, यह समझौता किसने किया और कब किया? फिर आपने जो करेक्टिव मेजर लिए उसके कारण से पिछले वर्ष 31 मार्च तक आपकी कितनी अमाउंट बची, ये तीनों फिगर आप बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कुछ पूछना है सुरेन्द्रजी? पूछो।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उस समझौते के पांच साल बाद तक तो आप मंत्री रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि आपके फिगर्स बजट स्टडी और बजट एट ए ग्लांस में अलग-अलग हैं, उनको आप रिकंसाइल करके सदन को यह बताने का कष्ट करें कि करैक्ट फिगर कौनसी है, एक बात। दूसरी बात, वित्त मंत्रीजी, यह आपका जवाब है वहां तक ठीक है, पोलिटिकल जवाब है कि बी.जे.पी. ने किया था, मतलब नहीं है। आज आपकी गवर्नमेंट है, आपने पूरे भाषण में यह कहा कि हम प्रयास करेंगे, यह प्रयास करेंगे, यह प्रयास करेंगे, पिछले दो वर्षों में आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लिए और उनके क्या परिणाम आए, यह आपने बिलकुल नहीं बताया। तीसरा, आपका जो फाइनेंशल मिस मैनेजमेंट है, मैं इसलिए बोलता हूं कि अकाल राहत मंत्रीजी नाराज हो रहे थे, प्रिविलेज मोशन ले आओ, प्रिविलेज मोशन का प्रश्न नहीं है। मैं यहां पर सदन में कोई इस बात की पैरवी करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बहुत पैसा दे रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, कोई अहसान नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना काम है, आपका अधिकार बनता है, वह पैसा आप लेते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप अपने रिसोर्सेज से कितना पैसा खर्च करते हैं। सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स से जो पैसा आता है, वह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अलग पैसा आता है। अब आपने क्या किया है कि अकाल को, विकास को, सबको मिक्स अप कर दिया। अकाल का, विकास का, जो मुख्य मंत्रीजी का नारा है, अब मैं अकाल राहत मंत्रीजी को याद दिलाना चाहता हूं कि इनके खुद के ही फिगर्स हैं, ये पिछले वर्ष के फिगर्स बता रहे हैं, इस वर्ष 175 करोड़ 75 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिल चुके हैं और यह 175 करोड़ 75 लाख रुपए पर्याप्त हैं, यह भी मैं नहीं कहता। लेकिन यह तो जानना चाहूंगा न कि राजस्थान सरकार ने अपने खुद के रिसोर्सेज से कितने पैसे खर्च किए हैं? ताकि आपको अकाल के प्रति कितनी चिंता है यह भी बात मालूम पड़ जाए। कुल मिला करके अकाल की स्थिति कहीं पर भी अकाल राहत कार्यों पर संतोषजनक नहीं है इसलिए फिगर्स सामने आ जाएं तो मालूम पड़ जाए। मैंने यह भी निवेदन किया कि राशि से ज्यादा श्रमिक दिवस इम्पोर्टेंट हैं, इसमें पक्के काम में राशि ज्यादा लग जाती है क्योंकि अकाल को विकास से जोड़ा है आपने।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अकाल के समय कह देना आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अकाल के समय आ जाएगा लेकिन फाइनेंशल मिस मैनेजमेंट है, साहब। अब कल भी यह चर्चा आई थी कि प्लान का पैसा आपने अकाल में लगा दिया तो प्लान का आकार अपने आप प्लान का पैसा अकाल में लगा देंगे तो कैसे मान लेंगे प्लान के अंदर? प्लान का पैसा प्लान में ही खर्च होगा क्योंकि 20 हजार भी नहीं है, 17 हजार से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ पूरा आपका नोन प्लान के अंदर।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज। आपको भी कुछ पूछना है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटारियाजी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक-एक करके सब फिगर्स हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो चलता ही रहेगा, एक दफा सब पूछ लें, फिर सबका जवाब दे देना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : इनको एक-एक का ही करने दो। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपने अनेक बातों का जवाब दिया पर आपने राज्य में घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आमदनी जो घट रही है स्थिर कीमतों पर, मैं प्रचलित कीमतों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रचलित कीमतों पर तो वह बढ़ी हुई दिख रही है। पेज नम्बर चार का जिक्र मैंने पहले भी किया था इकानोमिक सर्वे का और उसी पर एक चार्ट में दोनों बातें दी हुई है कि प्रति व्यक्ति प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आमदनी 1998-99 में 12,470 रुपए थी और उसकी बढ़ोतरी मात्र 63 रुपए अगले वर्ष हुई और अब मात्र 12,900 पर है। सकल घरेलू उत्पाद भी स्थिर कीमतों पर घट रहा है, इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। खैर,

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई भाषण थोड़े हो रहा है? आप क्वेश्चन पूछ लो। आपका तो वापस भाषण चालू हो गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह जवाब दें। मैं चाहूंगा कि वह उसका जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पूरा ही पूछ रहे हैं, पाइंटेड क्वेश्चन पूछ लो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है कि क्यों घट रहा है? आपने फिगर दिए हैं, पेज नम्बर चार पर फिगर हैं इकोनामिक सर्वे के, आप बताएं कि क्यों घट रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : बस हो गया न।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया?

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य का कुल घरेलू कर्ज आपने 23 हजार बताया जब हमने राज्य छोड़ा और आज आपने माननीय हरजीराम बुरड़क के जवाब में 9.10.2000 को इस सदन में जो आंकड़ा दिया है उसमें 31.3.2001 तक आपने अपने इन्टरनल कर्ज और सारा करके 36,690 रुपए 27 पैसे माना है। कृपया कंफर्म करें कि यह सही है या नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब यहां पर सारे बजट के फिगर पूरे देखकर, टेली करने में टाइम लगेगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम,...

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, फिर बता देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप अकाउंटिंग के लिए सारा बजट खोल कर बैठ जाएं कि पेज नम्बर 18 के इन फिगर्स को आप बताएं, यह सम्भव नहीं है। यह बात सही है कि राज्य में तीन कांसिक्यूटिव अकाल के कारण स्थिर कीमतों के ऊपर राज्य की प्रति व्यक्ति आय गिरी है, इस बात को मैं छुपा नहीं रहा हूं लेकिन आपको इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां तीन साल से लगातार अकाल, सूखा पड़ रहा है लेकिन प्रचलित कीमतों पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में गिरावट के बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले सर्विस सैक्टर इण्डस्ट्रियल सैक्टर, मिनरल सैक्टर की वजह से, मैं प्रचलित कीमतों पर कह रहा हूं, पर कैपिटा इनकम में स्लाइट इन्क्रीज है लेकिन स्थिर कीमतों पर तीन वर्ष के अकाल के कारण पर कैपिटा इनकम में कमी आई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.18 बजे दिनांक 30 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट-1

वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में मुख्य मंत्रीजी व मंत्रिमण्डल के अन्य सदस्यों के साथ जारी किये गये विज्ञापनों का विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ष	जारी किये गये विज्ञापन की संख्या	विज्ञापनों पर होने वाले व्यय की राशि (अनुमानित)
1	सरकारी	1999-2000	41	51,05,261
		2000-2001	66	1,23,94,913
		योग	**107**	**1,75,00,174**
2	अर्द्धसरकारी	1999-2000	1	5000
		2000-2001	39	1,25,71,038
		योग	**40**	**1,25,76,038**
3	जयपुर विकास प्राधिकरण	1999-2000	9	68,90,403
		2000-2001	7	48,56,623
		योग	**16**	**1,17,47,026**
4	राज. आवासन मण्डल	1999-2000	1	2,86,450
		2000-2001	7	30,76,200
		योग	**8**	**33,62,650**
5	राज्य पथ परिवहन निगम	1999-2000	1	12,000
		2000-2001	3	29,738
		योग	**4**	**41,738**
		कुल योग	**175**	**4,52,27,626**

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

जिला बाड़मेर की बाल्को रेडाना पेयजल योजना

335. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला बाड़मेर की क्षेत्रीय पेयजल योजना बाल्को रेडाना के लिए बनाई गई है? यदि हां, तो स्वीकृत कब तक होगी?

उत्तर

जी नहीं अपितु, जिला बाड़मेर की एक क्षेत्रीय पेयजल योजना सुवाना-रेडाना नाम से प्रस्तावित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत रु. 251.05 लाख है। उक्त योजना तकनीकी सदस्य कार्यालय में तकनीकी परीक्षण में है। इसी माह इस योजना में कुछ तकनीकी खामियां इंगित की गई है, जिनके निवारण की कार्यवाही की जा रही है।

जिला पाली की दुआरिया बांध परियोजना

336. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में आदिवासी बहुल की दुआरिया नदी बागोल पर प्रस्तावित दुआरिया बांध परियोजना का सर्वे कब-कब हुआ और उस सर्वे पर सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले की दुआरिया नदी पर बागोल ग्राम के पास बागोल दुआरिया नाम के एक छोटे से बांध का सर्वेक्षण वर्ष 1979-80 एवं पुनः वर्ष 1990-91 में हुआ था। सर्वेक्षण कार्य पर अलग से कोई राशि व्यय नहीं की गई।

(2) यह बांध पूर्व के वर्षों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाया गया था। इस बांध की जल आवक को दृष्टिगत रखते हुए इसे अब लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा रहा है।

अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन का औचित्य

337. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के कार्य

(श्री हरजीराम बुरड़क)

का मूल्यांकन केवल इस आधार पर किया जाता है कि उनका गोपनीय प्रतिवेदन (सी.आर.) कैसी है? यदि हां, तो आज के युग में वह कहां तक उचित है?

(2) क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया कि जो गलत काम करने वाले या कार्य में लापरवाही बरतते हैं उनका गोपनीय प्रतिवेदन कभी खराब नहीं होता क्योंकि प्रतिवेदन लिखने वालों को खुश रखते हैं? यदि हां, तो इसको समाप्त क्यों नहीं किया जाता ताकि अधिकारी/कर्मचारी निर्भय होकर सही काम कर सकें?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये वार्षिक कार्य के आधार पर मूल्यांकन कर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में इन्द्राज किया जाता है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वर्ष में किये गये कार्य का अंकन किया जाकर कम से कम तीन स्तर पर टिप्पणी अंकित की जाती है। राज्य सरकार में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन के सम्बन्ध में वर्तमान में इससे बेहतर कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई देती है।

(2) जी, नहीं। गलत काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की जाती हैं। प्रश्न में अंकित स्थिति प्रभाव में ही नहीं है। अतः समाप्त करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30 मार्च, 2001)

प्रशिक्षित बेरोजगार कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

28. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त केन्द्रों में कितने-कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में बेरोजगार प्रशिक्षित कम्पाउण्डर भी हैं? यदि हां, तो किस-किस सत्र के कितने प्रशिक्षित बेरोजगार कम्पाउण्डर हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त प्रशिक्षित कम्पाउण्डरों को रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

रहे हैं, जिनका विवरण तथा इनमें प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। निदेशालय आयुर्वेद के पत्रांक 13952 दिनांक 24.4.99 द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति की पालना में प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार विभिन्न सत्रों के बेरोजगार प्रशिक्षित कम्पाउण्डरों की संख्या का विवरण परिशिष्ट "ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है। 250 नर्स/ कम्पाउण्डरों के पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

परिशिष्ट "क"

राज्य में संचालित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों एवं उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों का विवरण

1. **राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर :**

   वर्तमान में 34 आशार्थी इन्टर्नशिप कर रहे हैं।

   60 नवीन छात्रों को प्रवेश देने की कार्यवाही जारी है।

2. **राजकीय आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर :**

   वर्तमान में 25 आशार्थी इन्टर्नशिप कर रहे हैं।

   60 नवीन छात्रों को प्रवेश देने की कार्यवाही जारी है।

3. **महामना मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के अधीन संचालित प्रशिक्षण केन्द्र,**

   वर्तमान में 12 आशार्थी इन्टर्नशिप कर रहे हैं एवं 2 छात्र फेल हो जाने से द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं।

   इस केन्द्र में वर्ष 1997-98 से नवीन छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

परिशिष्ट "ख"

दिनांक 24.4.99 की विज्ञप्ति की पालना में दिनांक 31.5.99 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार निम्न सत्रों के प्रशिक्षित कम्पाउण्डर बेरोजगार हैं

सत्र	संख्या
1993	130
1994	277
1995	315
1996	52
1997	285
1998	257
1999	24
योग	**1340**

नोट : इसके अतिरिक्त 22 ऐसे आशार्थियों के आवेदन पत्र भी प्राप्त हुये थे, जिन्होंने अपने आवेदन-पत्र में प्रशिक्षण पूर्व होने/इन्टर्नशिप पूर्ण करने की दिनांक अंकित नहीं की थी।

श्रम निरीक्षक को निरीक्षण से पूर्व श्रम आयुक्त की अनुमति की बाध्यता

338. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने दिनांक 7 फरवरी, 2001 को एक आदेश निकाल कर श्रम निरीक्षक को किसी फैक्ट्री या दुकान का निरीक्षण करने से पूर्व श्रम आयुक्त से अनुमति लेने हेतु पाबन्द किया है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर

(2) उक्त आदेश किस एक्ट के तहत जारी किये गये हैं तथा सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों के निरीक्षण के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये गये हैं एवं इसका स्पष्टीकरण आदेश 22.2.2001 द्वारा जारी किया गया है। दोनों आदेशों की प्रतियां संलग्न है। फैक्ट्रीज के निरीक्षण के लिए

(2) उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है जिसमें राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत श्रम निरीक्षक बिना श्रम आयुक्त की लिखित अनुमति के किसी संस्थान में प्रवेश व निरीक्षण नहीं कर सकेगा, यह आदेश दिनांक 6-7 फरवरी, 2001 को आयोजित मंत्री परिषद की वैठक में लिये गये निर्णय "इंस्पेक्टर राज पर अंकुश" लगाने की दिशा में जारी किये गये हैं। निर्णय की एक प्रति संलग्न है।

(3) जारी किये गये आदेश में संशोधन का वर्तमान में कोई विचार नही है। क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से इंस्पैक्टर राज पर अंकुश रखने के लिए यह आदेश जारी किये गये हैं।

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

11/2001

दिनांक 6-7 फरवरी, 2001 को हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में इंसपैक्टर राज पर अंकुश लगाने की दिशा में निम्न निर्णय लिये गये :

(1) दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर श्रम विभाग के निरीक्षक श्रम आयुक्त, जयपुर की अनुमति के पश्चात् ही जांच करेंगे।

ह०/-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव
12 फरवरी, 2001

Government of Rajasthan

Labour & Employment Department

No. F 1(5)L&E/2001 — Jaipur, dated : 07.02.2001

ORDER

The State Government hereby orders that the powers under section 30(a) regarding entry in an establishment and section 30(b) regarding examination of the premises etc. of an establishment shall be exercised by the concerned inspector only with the written permission of the Labour Commissioner.

Sd./-
Secretary to Government
Labour & Employment

Government of Rajasthan
Labour & Employment Department

No. F 1(5)L&E/2001 Jaipur : dated 22.02.2001

ORDER

This Departments order No. F1(5)L&E/2001 dated 9.2.2001 is clarified as below :—

The State Government hereby orders that the powers under section 30(a) of the Rajasthan Shops & Commercial Establishment Act, 1958 regarding entry in an establishment and section 30(b) regarding examination of the premises etc. of an establishment shall be exercised by the concerned Inspector only on the written permission of the Labour Commissioner.

Sd./-
Secretary to Government
Labour & Employment

श्री गंगानगर शुगर मिल में सीजनल कर्मचारियों का स्थायीकरण

339. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गंगानगर शुगर मिल श्रीगंगानगर में सीजनल कर्मचारी व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) उक्त सीजनल कर्मचारी शुगर मिल श्रीगंगानगर में कब से कार्यरत हैं? नाम व अवधि सहित सूची सदन की मेज पर

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को स्थायी किया गया है परन्तु सीजनल कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया? क्या सरकार सीजनल कर्मचारियों को भी स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) गंगानगर शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर एक सीजनल फैक्ट्री है एवं इस कारण इसमें सीजनल कर्मचारी कार्यरत हैं। इस फैक्ट्री में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। वर्तमान में कुल 276

(वित्त मंत्रा)

(2) उक्त सीजनल कर्मचारियों के कार्यरत रहने की अवधि एवं नाम आदि का विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) शुगर फैक्ट्री, श्रीगंगानगर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं। शुगर फैक्ट्री में दो प्रकार के कर्मचारी है। प्रथमतः वर्ष पर्यन्त कार्य करने वाले स्थाई कर्मचारी एवं द्वितीयतः केवल सीजन में कार्य करने वाले सीजनल कर्मचारी। सीजनल कर्मचारियों को नियमित वेतन श्रृंखलाओं में नियुक्ति दी जाती है एवं उन्हें वर्ष पर्यन्त श्रेणी के पद रिक्त होने पर नियमानुसार स्थाई करने की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में "अन्नपूर्णा योजना" में बेसहारा वृद्धों को सहायता

340. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भारत सरकार ने बेसहारा वृद्धों के लिए "अन्नपूर्णा योजना" वर्ष 2000 में लागू की थी? क्या इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा वृद्धों को दस किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न देने की व्यवस्था थी? यदि हां, तो सरकार ने उक्त योजना को कब से लागू की है?

(2) राज्य में अब तक कितना खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है

(3) जिला चित्तौड़गढ़ में किस-किस पंचायत समिति में कितने बेसहारा वृद्ध रेखांकित किये गये हैं?

(4) उपखण्ड प्रतापगढ़ की पंचायतों मे चयनित वृद्ध कितने हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। इस योजना में 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो अशक्त हैं एवं जिन्हें राज्य व केन्द्र दोनों में से कोई सी भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, को प्रति माह मुफ्त खाद्यान्न देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने यह योजना माह अप्रैल, 2000 से लागू की है।

(2) राज्य में 31.3.2001 तक इस योजना में 2834.49 मै. टन खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है।

(3) सूचना निम्नानुसार है :

पंचायत समिति		रेखांकित व्यक्ति
1.	निम्बाहेड़ा	74
2.	छोटी सादड़ी	24
3.	अरनोद	164
4.	प्रतापगढ़	168
5.	बड़ी सादड़ी	305
6.	चित्तौड़गढ़	27
7.	भदेसर	58

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

8.	कपासन	20
9.	भूपालसगर	57
10.	डूंगला	18
11.	बेगूं	10
12.	भैंसरोडगढ़	44
13.	गंगरार	09
14.	राशमी	निल
15.	न.पा. निम्बाहेड़ा	44

(4) उप खण्ड प्रतापगढ़ की पंचायतों में चयनित वृद्ध 332 हैं।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आयुर्वेदिक औषधालय में दवाइयों की आपूर्ति

341. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के औषधालयों में जो राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों को औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं वह वर्तमान में बिलकुल ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? सरकार द्वारा कौन-कौनसी दवाइयां औषधालयों को रोगी हेतु उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? सरकार द्वारा कौन-कौनसी दवाइयां औषधालयों को रोगी हेतु उपलब्ध कराई जाती है? अब उक्त दवाइयां सप्लाई नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के औषधालयों में भी जो दवाइयां रोगी हेतु भिजवाई जाती है वह किसी भी औषधालय में दो वर्ष से उपलब्ध नहीं करायी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त क्षेत्र में स्वीकृत दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाये जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार वर्ष 2001-2002 में उक्त क्षेत्र के औषधालयों को दवाइयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या व्यवस्था की जायेगी?

उत्तर

(1) जी, नहीं। सरकार द्वारा विभागीय आयुर्वेद व यूनानी औषधालयों एवं चिकित्सालयों को सप्लाई की जा रही औषधियों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है। औषधियों की सप्लाई निरन्तर जारी है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष 2001-02 में भी औषधियों का वितरण, वेतन केन्द्रों के माध्यम से, विभागीय औषधालयों को किया जायेगा।

विभागीय आयुर्वेद व यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों को सप्लाई की जा रही औषधियों की सूची

विभागीय रसायनशालाओं में निर्मित होने वाली औषधियां

1. आनन्द भैरव रस
2. तिन्दुक वटी
3. च्यवनप्राश
4. कुटकी चिरायता
5. विषम ज्वारादिवटी
6. हरीतिकीचूर्ण
7. अर्जुन त्वक चूर्ण
8. शुद्ध गंधक
9. कर्पूर धारा
10. अंगरादि धूप
11. बहेडा चूर्ण
12. कर्पूर रस
13. रस माणिक्य
14. लवंगादिवटी
15. वेदनानाशक
16. नेत्र बिन्दु
17. अर्कविशुचिकान्तक
18. क्षार सूत्र
19. विभीतकी चूर्ण
20. शोथहर क्वाथ
21. जात्यादि तेल
22. कृष्णमरहम
23. तालिसादी चूर्ण
24. आमलकी चूर्ण
25. लवण भास्कर चूर्ण
26. अग्नि संदीपन चूर्ण
27. जन्मधूटी क्वाथ
28. नाग केसर चूर्ण
29. पीप्पली चूर्ण
30. अश्वगंधा चूर्ण
31. दशमूल क्वाथ
32. उदावर्तहर चूर्ण
33. संजीवनी वटी
34. चंद्र प्रभा वटी
35. गोदन्ती भस्म
36. शंख भस्म
37. कर्पद भस्म
38. बालसुधा
39. शुभ्रा भस्म
40. प्रवाल भस्म
41. गोजीवादि क्वाथ
42. हब्बे करंजवा
43. हब्बे जिकुनफस
44. हब्बेहाजिम
45. हब्बे रसोत
46. हब्बे जिमाद स्याह
47. हब्बे डब्बाऐतकाल
48. सफुफ हाफिजेदम
49. सफुफ तीन
50. सफुफ इकसिरे जिगर
51. सफुफ मुदीर
52. सफुफ चुटकी
53. शर्बत बनफशा
54. लउक बिहदाना
55. तखीख फसादे खून
56. मरहम सफेद काफुरी
57. रोगने दर्द
58. मरहम नीम
59. जोशांदा

आई.एम.पी.सी.एल. से क्रय कर सप्लाई की गई औषधियां

1.	पुनर्नवा भण्डूर	11.	कामदुंधा रस
2.	योगराज गुग्गुल	12.	हरिद्राखण्ड
3.	त्रिभुवनकीर्तिरस	13.	अविपतिकर चूर्ण
4.	चंद्रामृत रस	14.	हींगवाष्टक चूर्ण
5.	अर्श कुठाररस	15.	बालचतुर्भदिकाचूर्ण
6.	कृमि मुग्गादररस	16.	दशनसंस्कार चूर्ण
7.	दशांग लेप	17.	चित्रकादिवटी
8.	मुक्ता शुक्तिभस्म	18.	अरोग्यवर्धनी
9.	लधुविष गर्भ तेल	19.	सूतशेक्षर रस
10.	श्वास कुठार रस		

जिला अजमेर से आगामी वर्षों हेतु चम्बल नदी से पेयजल योजना

342. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बढ़ती आबादी एवं मांग के हिसाब से वर्ष 2005 तक प्रतिदिन कितने लाख गैलन पेयजल की आपूर्ति हेतु अजमेर शहर सहित ब्यावर, किशनगढ़ केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़ सहित अजमेर के 644 फ्लोराइडयुक्त गांवों के लिए चाहिए? क्या सरकार के पास इसका कोई आकलन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2005 की मांग के अनुरूप आपूर्ति के लिए बीसलपर योजना अपर्याप्त साबित होगी?

(3) क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित अनुसार पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु चम्बल नदी से आपूर्ति हेतु योजना शुरू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बढ़ती आबादी एवं मांग के हिसाब से वर्ष 2005 तक बीसलपुर बांध स्रोत पर आधारित अजमेर शहर, ब्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, नसीराबाद, सरवाड़, विजयनगर व गुलाबपुरा शहरों सहित अजमेर जिले के अधिक फ्लोराइड से प्रभावित 669 गांवों के लिए कुल 455 लाख गैलन पेयजल की प्रतिदिन आवश्यकता आंकी गई है।

(2) जी, नहीं। बीसलपुर बांध से प्रस्तावित मूल योजना वर्ष 2001 तक की

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

आपूर्ति हेतु बनाई गई थी। मूल योजना में आबादी की जो वृद्धि दर सम्भावित मानी गई थी वास्तव में वृद्धि दर उतनी नहीं होकर कम रही है। वास्तव में वर्ष 2005 में वास्तविक दर से आकलित आबादी मूल योजना में अभिकल्पित वर्ष 2001 की आबादी से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। अत: वर्ष 2005 की पेयजल मांग के अनुसार बीसलपुर योजना अपर्याप्त साबित होने की शंका नहीं है।

(3) जी, नहीं। प्रश्न के भाग संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 4 अप्रैल, 2001)

सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत वाहनों की नीलामी

99. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनवरी, 2000 से फरवरी, 2001 तक सरकार के विभिन्न विभाग, निगम व उपक्रमों द्वारा कितने वाहन क्रय किये गये?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्देश जारी कर विभिन्न विभाग/ निगम/उपक्रम से वाहन जमा कराये गये थे? यदि हां, तो किस-किस विभाग ने कुल कितने वाहन जमा कराये?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वाहनों को निश्चित कीमत पर अधिकारियों को बेचने हेतु निर्देश दिये थे? यदि हां, तो अधिकारियों ने कितनी राशि में वाहन बेचे?

(4) क्या उक्त गाड़ियों को नीलाम कर दिया गया? यदि हां, तो कुल कितने वाहन कितनी राशि में नीलाम किये व कितने अधिशेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जमा कराये गये वाहनों के वाहन चालक अभी पैतृक विभाग में बिना काम के बैठे हैं या सरप्लस कर अन्यत्र समायोजित कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों व उपक्रमों से अभी तक पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(2) जी, हां।

1. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.99 के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष/ निगम/उपक्रम द्वारा आज दिनांक 23.4.2001 तक कुल 499 वाहन जमा कराये गये। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

2. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.5.2000 के फलस्वरूप आज दिनांक 23.4.2001 तक 1140 वाहन जमा हैं। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, स्टेट मोटर गैराज)

(3) जी, हां। स्टेट मोटर गैराज विभाग द्वारा किसी भी अधिकारी को कोई वाहन विक्रय नहीं किया गया।

(4) जी, हां। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.11.99 के फलस्वरूप जमा कराये गये वाहनों में से अब तक 360 वाहन नीलाम किए गये जिनकी नीलामी से 2,33,15,500/- रुपये की राशि प्राप्त हुई। 139 वाहन अधिशेष हैं। विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.5.2000 के फलस्वरूप अब तक जमा कराये गये वाहनों को नीलाम किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) सभी जिला कलक्टर एवं विभागों/निगमों/उपक्रमों से वाहन चालकों के संबंध में सूचना संकलित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जावेगी।

(विवरण/सूचियों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के काश्तकारों को आबंटन

343. श्री सोहन नायक (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में टी.सी. होल्डर काश्तकारों की संख्या कितनी

(2) क्या सरकार उक्त काश्तकारों को स्थाई आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में तहसील रायसिंहनगर में गंग कैनाल क्षेत्र में 815 एवं इं.गा.न.प. क्षेत्र में 11 कुल 826 टी.सी. होल्डर है।

(2) जी, हां। गंग कैनाल क्षेत्र के टी.सी. धारकों को कब्जा आबंटन हेतु नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिया जा रहा है। इं.गा.न.प. क्षेत्र में स्थाई आबंटन की कार्यवाही प्रगति पर है।

कोटा शहर में पदमश्री प्राप्त व्यक्ति

344. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा शहर में कितने पदमश्री प्राप्त सम्मानित व्यक्ति निवास कर रहे हैं? नाम व पते की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदमश्री प्राप्त लोगों के संबंध में क्या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अनुशंसा मांगी गई थी या राज्य सरकार ने स्वतः ही अनुशंसा भेजी थी?

(3) क्या अनुशंसा करने से पूर्व गृह विभाग से भी इनके सम्बन्ध में जानकारी की गई थी? यदि हां, तो गृह विभाग द्वारा

(श्री रामप्रताप)

जानकारी उपलब्ध करवाई? उपलब्ध कराई गई जानकारी के दस्तावेज की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में एक पदमश्री प्राप्त सम्मानित व्यक्ति निवास कर रहा है, उनका पता निम्न है :—

डा. मुललन कुरिल इब्राहिम थोमस
पुत्र श्री एम.के. इब्राहिम
नि.-ईसाई चर्च, भीमगंजमण्डी, कोटा,
हाल इमानुअल बाईबिल इन्स्टीट्यूट,
कोटा जंक्शन।

(2) जी, नहीं। भारत सरकार ने राज्य सरकार से उनके संबंध में उनकी सहमति चाही थी तथा उनका पता पूछा था जो भारत सरकार को भेज दिया गया था।

(3) जी, नहीं। क्योंकि राज्य सरकार ने अनुशंसा की नहीं इसलिये गृह विभाग से जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा क्षेत्र विकास योजना की राशि के व्यय पर रोक

345. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना की गत वर्ष 2000-2001 की राशि सम्बन्धित विभागों को आबंटित नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि यदि एक वर्ष में कम व्यय होती है तो आगामी वर्ष की स्वीकृति में कटौती कर ली जाती है?

(3) उक्त सीमा क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृत राशि को व्यय करने में वित्त विभाग के रोक लगाने का क्या औचित्य है?

(4) क्या अकालग्रस्त सीमावर्ती जिलों में सीमा क्षेत्र विकास योजना को व्यय करने का अधिकार जिला कलक्टरों को देने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। सीमा क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष में देय द्वितीय किस्त में से उपयोग में न ली गई राशि की कटौती किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2000-2001 तक कोई राशि नहीं काटी गई है।

(3) केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्रायः केन्द्र से राशि प्राप्त होने के बाद ही रिलीज की जाती है। वर्ष 2000-2001 के केन्द्र सरकार से पहली किस्त के लिए प्रशासनिक विभाग ने राशि जारी करने के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 2.11.2000 को जारी की थी। उक्त स्वीकृति की अनुपालना में वित्त

(वित्त मंत्री)

विभाग ने पी.डी. खाते में राशि स्थानान्तरण करने के आदेश 17.11.2000 को जारी किये। उस समय वेज एण्ड मीन्स की स्थिति और राजकीय कोष से राशि के प्रवाह के प्रबन्धन (Fund flow management) को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि के आहरण पर कुछ समय के लिए रोक लगायी थी। आहरण पर से रोक दिनांक 6.12.2000 से हटा ली गयी थी।

(4) सीमा क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्यों को जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृत कर निष्पादन करने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत पारोली, जिला भीलवाड़ा द्वारा संचालित जनता जल योजना

346. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत पारोली (भीलवाड़ा) की ग्रामीण जलप्रदाय जनता जल योजना पंचायत को सुपुर्द की है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर कब दी गई?

(2) उक्त ग्राम पंचायत को जनता जल योजना सुपुर्द करने के बाद कितनी-कितनी राशि और किस-किस कार्य हेतु कब-कब कितनी-कितनी दी गई?

(3) क्या उक्त योजना पर पंचायत ने तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त योजना मानदण्ड के अनुसार संचालित होती है?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश सं. 46054 दिनांक 8.12.95 की अनुपालना में ग्रामीण जल योजना पारोली दिनांक 23.12.95 को ग्राम पंचायत पारोली की जनता जल योजना संकल्प पत्र की शर्तों पर सुपुर्द की गई थी। संकल्प-पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम पंचायत को जनता जल योजना सुपुर्द करने के बाद विभाग द्वारा मोटर पम्प संधारण हेतु वार्षिक देय राशि मद में रुपये 8918/- एवं योजना संचालन हेतु मानदेय मद में रुपये 7645/- का भुगतान माह मई, 1997 में किया गया।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत द्वारा उपभोक्ताओं से जल शुल्क के रूप में पंचायत के अभिलेखानुसार अब तक कुल राशि रु. 73475.00 प्राप्त की है। विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी, हां। योजना सुचारू रूप से पंचायत द्वारा चलाई जा रही है एवं शपथ पत्र में शामिल शर्तों के अनुरूप विभाग द्वारा आवश्यक सामान एवं राशि मानदण्डों के अनुरूप ग्राम पंचायत को दी जा रही है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय

भसीतावाली लखुवाली से बिछवाल तक क्षतिग्रस्त इन्दिरा गांधी नहर की मरम्मत

347. **श्री आदराम मेघवाल** (टिब्बी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की हरिके पतन पंजाब से बिछवाल तक मैन कैनाल टूट चुकी है? क्या बीच-बीच में नहर की लाइनिंग भी टूटी हुई है? क्या भसीतावाली लखुवाली के बिछवाल तक बीच-बीच में सेम से नहर में पानी का रिसाव होने लगा है और नहर के दोनों तरफ पटड़ा नहर का बरसात से कटाव आ गया है जिसके कारण बरसात के मौसम में नहर कभी भी टूट सकती है? क्या सरकार इसे ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक ठीक करवा दिया जावेगा?

(2) क्या उक्त नहर से पूर्व में रखी मोरी (मोघा) को बन्द कर दिया है और इनके स्थान पर साइफन सिस्टम कर दिया गया है? क्या उक्त साइफन से काश्तकारों को पानी चलाने के लिए 20.20 काश्तकारों को साइफन भरना पड़ता है? जिससे काश्तकारों के नहर में पावं खिसक जाने की सम्भावना बनी रहती है? क्या सरकार बनाये गये मोरी (मोघा) सिस्टम को तुरन्त बहाल कर काश्तकारों को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार तुरन्त साइफन सिस्टम बन्द करेगी?

(3) क्या खारा माइनर एवं साबुआना माइनर का पानी भाखड़ा में देकर इनको इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ कर पानी दिया जा रहा है? क्या इन्दिरा गांधी नहर में पानी थोड़ा सा भी कम हो जाने पर उक्त नहरों में पानी आना बन्द हो जाता है? यदि हां, तो इसमें सुधार हेतु क्या उपाय किये जायेंगे?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की हरिके बैराज से विरधवाल तक मैन कैनाल टूट चुकी है। पंजाब एवं राजस्थान के कुछ स्थानीय भागों में नहर की कुछ लाइनिंग अवश्य क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनानुसार ठीक करवाया जाता रहा है।

इन्दिरा गांधी फीडर पंजाब भाग में एवं राजस्थान भाग के विरधवाल तक कुछ स्थानों पर भराई में होने के कारण जल रिसाव हो रहा है। मुख्य नहर के दोनों तरफ पटड़ों पर बरसात से कुछ क़टाव हुआ है, परन्तु इससे नहर के टूटने की संभावना नहीं है। इन कार्यों को वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार ठीक कराया जाना एवं वर्षा पूर्व अति आवश्यक कार्य पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी, हां। साइफन प्रणाली से यद्यपि कृषकों को कुछ असुविधा हुई है परन्तु साइफन सिस्टम को बंद किया जाकर मोरी (मोघा) सब सिस्टम को पुनः बहाल करना प्रस्तावित नहीं है। काश्तकारों को राहत देने के लिए इन साइफनों में फुट वाल्व व प्राइमिंग के लिए उपयुक्त यंत्र (device) शीघ्र लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(3) जी हां। इन्दिरा गांधी फीडर में पानी अधिक कम होने पर खारा प्रणाली के आर.डी. 559 पर इन्दिरा गांधी फीडर पर बनें मूल रेगुलेटर से पूरा पानी दिया जाना संभव नहीं हो पाता है, अतः इसमें सुधार हेतु आर.डी. 558.40 पर एक नये रेगुलेटर का निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आरक्षण नियमों की पालना

348. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 1999 में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के समान अंक वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य

(2) उक्त मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट आफ मार्क्स क्या था? उक्त वर्गों के कितने-कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए?

(3) क्या साक्षात्कार के पश्चात् आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनके सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक थे, को सामान्य वर्ग में रखा गया? यदि हां, तो कितनों को?

(4) क्या प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात् मुख्य परीक्षा आयोजित कराने के लिए कोई समयावधि निश्चित है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त परीक्षा में प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम कब निकला, मुख्य परीक्षा कब आयोजित हुई, मुख्य परीक्षा का परिणाम कब निकला और साक्षात्कार कब आयोजित हुए, अन्तिम परिणाम कब निकला व अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का कार्यकाल कब समाप्त हुआ?

(6) क्या सरकार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण नियमों की पालना में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। प्रारम्भिक परीक्षा में

प्राप्त करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया है क्योंकि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के उप नियम-15 के अनुसार मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ग में विभिन्न सेवाओं एवं पदों के लिए भरी जाने वाली रिक्तियों (प्रवर्गवार) की कुल अनुमानित संख्या के 15 गुना होती है किन्तु उक्त रेंज में उन सभी अभ्यर्थियों को जो उतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हों, उन सभी को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाता है। अतः आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया गया।

(2) मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण सामान्य अभ्यर्थियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कट आफ मार्क्स निम्नानुसार थे :

वर्ग	कट आफ मार्क्स		सफल घोषित अभ्यर्थियों की संख्या	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
सामान्य वर्ग	680	656	760	319
अन्य पिछड़ा वर्ग	680	640	449	120

(वर्गवार आरक्षित रिक्तियों के लगभग तीन गुना)

(3) साक्षात्कार के पश्चात् नियमानुसार आयोग द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित हुए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर एक सम्मिलित योग्यता सूची तैयार कर परिणाम घोषित किया गया है। यह परिणाम, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) के नियम, 1999 के नियम-17 के अनुसार घोषित किया गया है।

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने आयु एवं शुल्क से संबंधित रियायतों का उपयोग नहीं करते हुए योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किया है वे सामान्य योग्यता सूची में स्थान प्राप्त करेंगे किन्तु आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों ने इन रियायतों का उपयोग करते हुए योग्यता सूची में स्थान प्राप्त किया है उन्हें आरक्षित वर्ग के लिए अवधारित रिक्तियों के प्रति चयनित माना जावेगा। आयोग द्वारा राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की जो चयनित सूची उपलब्ध कराई है, उसमें आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर दिया गया है जिन्होंने रियायतों का उपयोग किया है।

(कार्मिक मंत्री)

अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्प/प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए जब उन्हें सेवा का आबंटन किया जावेगा तब यह स्पष्ट हो सकेगा कि आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों का चयन सामान्य वर्ग की रिक्तियों के प्रति हुआ है।

(4) जी, नहीं। आयोग द्वारा समस्त परीक्षाओं का समय निर्धारण परीक्षाओं के आयोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में लगने वाले समय, शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता तथा अन्य परीक्षाओं की समय-सारणी के आधार पर किया जाता है।

(5) राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1999 का परीक्षा परिणाम 27.5.2000 को घोषित किया गया। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा दिनांक 6.8.2000 से 22.8.2000 तक आयोजित की गई मुख्य परीक्षा का परिणाम दिनांक 24.10.2000 को घोषित किया गया आयोग द्वारा साक्षात्कार दिनांक 13.11.2000 से 29.12.2000 को घोषित किया गया। तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल 31.12.2000 को समाप्त हुआ।

(6) राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण नियमों की पालना कर रहा है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सार्वजनिक स्थान पर शराब की दुकानें

349. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या आबकारी विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कहां-कहां पर शराब बिक्री के लिए दुकानें स्वीकृत की गई हैं? स्वीकृत दुकानों, उप दुकानों की सूची मय लोकेशन के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिक्री की खुदरा दुकानें आबादी के मध्य मेला ग्राउण्ड, विद्यालयों, चिकित्सालयों, मेडिकल स्टोर, धार्मिक स्थानों एवं बस स्टेण्ड आदि के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत नहीं की जा सकती है? यदि हां, तो गोगुन्दा में बस स्टेण्ड एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब बिक्री की दुकान किन नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त दुकान को 10 वर्ष पूर्व स्वीकृत किया गया था एवं अब तक उसी नक्शे का बिना भौतिक सत्यापन किये अनुमोदन एवं नवीनीकरण किया जाता रहा है जबकि वर्तमान समय में घनी आबादी तथा मेला ग्राउण्ड, विद्यालय, मेडिकल स्टोर, महिला चिकित्सालय के पास व मुख्य रास्ते पर स्थित है? यदि हां तो क्या वर्तमान स्थिति

अनुसार दुकान को अन्यत्र हटाने पर सरकार कोई विचार कर रही है?

(4) क्या यह सही है कि बस स्टेण्ड पर स्थित शराब की दुकान पर खुली बिक्री की जाती है जिससे महिलाओं एवं छोटे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ग्राम पंचायत द्वारा दो वर्ष से इस दुकान को अन्यत्र हटवाने की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक किन कारणों से कार्यवाही नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खुली बिक्री हेतु दुकान स्वीकृत करने से पूर्व स्थानीय सरपंच, पटवारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कोई राय नहीं ली जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कोई विचार कर रही है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शराब की बिक्री के लिए वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृत की गई दुकानें व इनकी लोकेशन का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के अनुसार मदिरा दुकान हेतु आबादी के मध्य, मेला ग्राउण्ड, मेडिकल स्टोर, बस स्टेण्ड को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थानों से मदिरा दुकान की अपेक्षित दूरी 200 मीटर है न कि 500 मीटर।

(3) जी, हां। विगत वर्षों में गोगुन्दा बस स्टेण्ड पर मदिरा दुकान स्वीकृत होकर संचालित की जाती रही है। वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस स्थान पर मदिरा की कोई दुकान स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) मदिरा दुकान लगाने में बस स्टेण्ड का कोई प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2001-2002 में इस स्थान पर मदिरा की कोई दुकान स्वीकृत नहीं की गई है।

(5) मदिरा दुकान आबकारी निरीक्षक के स्थल निरीक्षण के उपरान्त नियमानुकूल पाये जाने पर ही स्वीकृत की जाती है। नियमों में सरपंच एवं पटवारी की राय लेने का प्रावधान नहीं है। दुकानों की अवस्थिति (Location) के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक 4(20) वित्त/आब/95 दिनांक 17.4.95 द्वारा जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्र के विधायक भी सदस्य हैं।

परिशिष्ट "1"

देशी मदिरा :

1. **गोगुन्दा**—श्री लक्ष्मण सिंह राजपूत, निवासी गोगुन्दा के पावर हाउस के पास स्थित मकान में।

2. **गोगुन्दा**—श्री भंवर लाल चौधरी पुत्र गुलाब चन्द चौधरी के गोगुन्दा बाइपास पर स्थित मकान में।

3. **पदराड़ा**—श्री हेमन्त कुमार पुत्र नाथूलाल मेवाड़ा कलाल, निवासी पदराड़ा के मकान में आम रास्ते पर।

4. **सेमड़**—श्री कल्याण सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपूत के मकान में आम रास्ते पर।

5. **कगोल**—श्री बाबूसिंह राजपूत के मकान में लालू कलाल की चक्की के पास।

6. **पूनावली**—श्री सज्जन सिंह पुत्र भोपाल सिंह राजपूत, निवासी पूनावली के मकान में तेजा लोहार के मकान के पास आम रास्ते पर।

7. **सायरा**—श्री चम्पालाल पुत्र भैरूलाल मेवाड़ा कलाल, निवासी सायरा के मकान में।

8. **बरवाड़ा**—श्री भैरूलाल पुत्र प्रेमचन्द मेवाड़ा कलाल के मकान में आम रास्ते पर।

9. **खाखड़ी**—श्री महिपाल सिंह राजपूत, निवासी खाखड़ी के मकान में जसवन्तगढ़ रोड पर।

10. **नान्देशमा**—श्री छगन लाल मेवाड़ा कलाल, सेवानिवृत हैड कांस्टेबल के मकान में गांव के आम रास्ते पर।

11. **सिंधाड़ा**—श्री डालचन्द पुत्र शिवलाल मेवाड़ा कलाल, निवासी सिंधाड़ा के मकान में रणकपुर रोड पर।

12. **तरपाल**—श्री डालचन्द पुत्र जगरूप मेवाड़ा, निवासी पदराड़ा के मकान में सायरा रोड पर।

13. **झाड़ौली**—श्री तेजोसिंह पुत्र गणेश लाल चारण, निवासी झाड़ौली के मकान में ग्राम पंचायत की दुकान के पास।

14. **भानपुरा**—श्री हिम्मत सिंह राजपूत, निवासी भानपुरा के मकान में केलवाड़ा रोड पर।

15. **रावलिया खुर्द**—श्री कालूलाल गमेती, निवासी रावलिया खुर्द के मकान में रामा गमेती के मकान के पास।

16. **ढोल**—श्री रोडसिंह पुत्र तख्तसिंह, निवासी पदराड़ा के मकान में श्री रोडसिंह की चक्की के पास।

17. **काछबा**—श्री घनश्याम सिंह पुत्र मोहन सिंह झाला, निवासी काछबा के मकान में किशन सिंह की चक्की के पास।

18. **जसवन्तगढ़**—श्री लक्ष्मीलाल सुथार, निवासी जसवन्तगढ़ के मकान में उदयपुर सायरा-कोटड़ा तिराहे पर।

19. **कोटड़ा**—राज. राज्य गंगानगर शुगर मिल्स की स्वीकृत यह दुकान श्री चेनराम लोहार, निवासी कोटड़ा के मकान में स्वरूपगंज आम रास्ते पर स्थित है।

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर :

1. **देवला चौराया**—श्री वनजी पुत्र कालाजी गरासिया, निवासी देवला चौराया उप सरपंच के मकान में सिरोही तिराहे पर।

2. **कोटड़ा**—श्री सरफराज अहमद पुत्र अब्दुल कय्यूम, निवासी कोटड़ा के मकान में चेलाराम की दुकान के पास।

3. **माण्डवा**—श्री लक्ष्मीलाल पुत्र उदयराम मीणा, निवासी माण्डवा के मकान में ग्राम सेवक भवन के पास।

4. **मामेर**—श्री बलवन्त सिंह पुत्र दौलत सिंह मामेर, राव साहब के रावले के पास, कोटड़ा-मामेर रोड पर।

5. **डय्या**—पंचायत भवन की दुकान में पटवार मण्डल आवास के पास।

बिना निविदा के पाइपों की खरीद

350. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा डक्टाइल आयरन (डी.आई.) पाइप मैसर्स इलेक्ट्रो स्टील से बगैर निविदाएं आमंत्रित किये सीधी खरीद की जाती रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने दिसम्बर, 2000 में विभाग को उक्त पाइपों का क्रय खुली निविदाएं आमंत्रित कर करने को निर्देशित किया था?

(3) क्या यह सही है कि सरकार के उक्त आदेशों की अवहेलना में विभाग ने 9 करोड़ के पाइप बगैर टेण्डर के फिर खरीद लिये? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। डक्टाइल आयरन पाइप विभाग की केन्द्रीयकृत आइटम के सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण जी. एफ. एण्ड ए. आर. के नियम-35 के प्रावधानों के अनुसार डी.जी.एस. एण्ड डी., नई दिल्ली की दर संविदा पर खरीदे गये हैं।

(2) जी, नहीं। विभाग की वित्त समिति ने अपनी 409वीं बैठक दिनांक 13.3.2001 द्वारा डी. आई. पाइप को केन्द्रीयकृत सामान की सूची में शामिल कर खुली निविदा द्वारा विभागीय दर संविदा कर क्रय करने का निर्णय लिया है। जिस पर कार्यवाही जारी है।

(3) जी, नहीं। वित्त समिति के निर्णय दिनांक 13.3.2001 के पश्चात् डी. जी. एस. एण्ड डी., नई दिल्ली की दर संविदा पर कोई खरीद नहीं की गई है।

तहसील मनोहरथाना व अकलेरा (झालावाड़) में चरागाह भूमि पर कृषि कार्य

351. श्री जगन्नाथ (मनोहरथाना) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील मनोहरथाना एवं अकलेरा जिला झालावाड़ में वर्ष 2000-2001 में चरागाह भूमि पर फसल खरीफ एवं फसल रबी के समय अतिक्रमण के कुल कितने मामले पाये गये? उक्त का गत कितने वर्षों से कब्जा चला आ रहा है?

(2) उक्त अवधि फसल खरीफ व रबी में पाये गये अतिक्रमण के मामलों में से कितने मामलों में सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा कितने मामलों में बेदखली के आदेश दिये गये हैं?

(श्री जगन्नाथ)

(3) उक्त में से कितने व्यक्तियों की फसल नीलाम की गई और वर्तमान में कितने प्रकरण किन कारणों से विचाराधीन है?

उत्तर

(1) तहसील मनोहरथाना में वर्ष 2000-2001 में चरागाह भूमि पर फसल खरीफ एवं रबी के समय अतिक्रमण के 1647 एवं तहसील अकलेरा में 2359 मामले पाये गये। उक्त अतिक्रमणों के कब्जे का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) उक्त अवधि में फसल व रबी में पाये गये अतिक्रमण के मामलों में से तहसील मनोहरथाना में 291 प्रकरणों में तथा तहसील अकलेरा में 67 प्रकरणों में सजा के दण्ड से दण्डित किया गया है तथा तहसील मनोहरथाना में 1641 एवं तहसील अकलेरा में 2091 मामलों में बेदखली के आदेश दिये गये हैं।

(3) उक्त में तहसील मनोहरथाना के 1033 प्रकरणों में तथा तहसील अकलेरा में 2091 प्रकरणों में फसल नीलामी की गई एवं वर्तमान में तहसील मनोहरथाना में 305 में मकान, दुकान, प्लाट आदि होने से एवं 303 में फसल चारा नष्ट होने से और 6 राजस्व अधिकारियों के पास और तहसील अकलेरा में 268 प्रकरण राजस्व अधिकारियों के पास विचाराधीन है।

कब्जों का वर्षवार विवरण

परिशिष्ट "अ"

सम्वत्	तहसील	
	मनोहरथाना	अकलेरा
2026	5	—
2028	5	—
2030	10	—
2033	7	—
2035	9	—
2037	34	—
2038	4	—
2039	4	—
2040	11	—
2042	89	—
2043	48	574
2044	62	217
2045	4	221
2046	66	285
2047	60	209
2048	35	120
2049	71	65
2050	121	164
2051	76	75
2052	86	60
2053	89	56
2054	202	50
2055	99	95
2056	155	86
2057	295	82

राज्य कर्मचारियों को अनुदानित भवन ऋण

352. **श्री प्रभुलाल** (नैनवां) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने बजट से स्वीकृत भवन ऋण राशि उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करा दी है? क्या कर्मचारियों को अनुदानित भवन ऋण के तहत बनाये गये नियमों के अनुसार अनुदानित भवन ऋण दिया जाता है? अनुदानित भवन ऋण के नियम/उप नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अनुदानित भवन ऋण के तहत अब तक गत दस वर्षों में एच.डी.एफ.सी. को कितनी ब्याज की अन्तर राशि का भुगतान किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने एच.डी.एफ.सी. द्वारा ब्याज दरें कम करने के पश्चात् भी अपनी ब्याज दरें कम नहीं की है? क्या सरकार ब्याज दरें कम करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्ष 2001-2002 के लिए भवन ऋण राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। कर्मचारियों को अनुदानित भवन ऋण दिया जाता है। अनुदानित भवन ऋण के नियम/उप नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा एच.डी.एफ.सी. से राजस्थान भवन अग्रिम नियम, 1993 के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से ऋण लेना प्रारम्भ किया। एच.डी.एफ.सी. द्वारा अब तक भिन्न-भिन्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार कर्मचारियों को भी राज्य सरकार द्वारा एक समान ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता। स्वीकृत राशि के अनुसार ब्याज वसूल किया जाता है। अलग-अलग ऋण की मात्रा पर ब्याज दर अलग है। कम ऋण राशि पर ब्याज दर कम होती है। कर्मचारियों को एक मुश्त ऋण स्वीकृत कर सामान्यतया दो या तीन किस्तों में ऋण राशि दी जाती है। अन्तिम किस्त के आहरण के पश्चात् ही ऋण का पुनर्भुगतान शुरू होता है एवं ब्याज की वसूली भी तभी प्रारम्भ होती है। एच.डी.एफ.सी. सम्पूर्ण ऋण राशि जो सरकार को प्राप्त होती है उस पर समान मासिक किस्त (Equated monthly instalment) के अनुसार राशि देने के अगले माह से वसूली प्रारम्भ कर देता है। एच.डी.एफ.सी. द्वारा राशि माह की जिस तिथि को दी जाती है उस माह के शेष दिनों का ब्याज भी एच.डी.एफ.सी. द्वारा लिया जाता है। इस कारण एच.डी.एफ.सी. को देय ब्याज एवं कर्मचारियों से वसूल ब्याज की तुलना किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां, राज्य सरकार ने ब्याज दरें कम नहीं की है। ब्याज दर कम करने का प्रकरण विचाराधीन है।

(नियमों की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर परियोजना से जिला टोंक के ग्रामों को पेयजल आपूर्ति

353. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीसलपुर परियोजना से इस वर्ष जिला टोंक के ग्रामों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा? यदि हां, तो कुल कितने ग्रामों को लाभान्वित किया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या इस वर्ष जल स्तर नीचे चले जाने से पीने के पानी की समस्या अधिक बढ़ गई है? क्या दाईं नहर जहां तक पक्की बन गई है और वितरिकाएं हैं उनमें पीने का पानी छोड़ा जावे तो पशुधन व मनुष्यों को भी राहत होगी?

(3) क्या सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर गर्मियों के दिनों में पेयजल की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध से जयपुर पानी लाने हेतु 1100 करोड़ रुपयों की योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत टोंक जिले के 2 कस्बों व 9 ग्रामों को पेयजल देना प्रस्तावित है। अभी योजना का कार्य आरम्भ न होने के कारण इस वर्ष उक्त कस्बों/गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

(2) जी, हां। गत तीन वर्षों में बारिश कम होने से स्रोतों का जल स्तर नीचे चला गया है एवं आवक कम हो गई है। दाईं नहर से विभाग की किसी भी योजना का स्रोत नहीं होने के कारण पानी छोड़ने अथवा न छोड़ने का चालू पेयजल योजनाओं पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) जी, नहीं। प्रश्न के भाग-1 के अनुसार आगामी गर्मियों में पेयजल समस्या के निदान हेतु कंटींजेंसी प्लान के अन्तर्गत 421.07 लाख रुपयों के कार्य प्रस्तावित हैं एवं फरवरी, 2001 तक 25.50 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। टोंक, देवली कस्बों एवं 10 ग्रामों के लिए पुनर्गठित योजना लगभग 88.12 करोड़ रुपयों की बनाई गई है, जो तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है। योजना की तकनीकी औचित्यता व धन की उपलब्धता अनुसार कार्य कराना संभव हो सकेगा।

पंचायत समिति बानसूर (अलवर) के बांधों में भराव क्षमता

354. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बानसूर (अलवर) में कुल कितने बांध हैं? उक्त बांधों पर गत 5 वर्षों में कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए व्यय की गई?

(2) क्या उक्त बांधों में वर्षा से पानी भरा जाता है? यदि हां, तो कितनी मात्रा में और नहीं तो क्यों?

(श्री जगत सिंह दायमा)

(3) क्या उक्त बांधों में वर्षा का पानी भराव करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बानसूर (अलवर) में कुल तीन बांध हैं। उक्त बांधों पर गत पांच वर्षों में राशि रुपये 29.19 लाख व्यय की गई है जिसका विवरण प्रपत्र "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। हरसोरा बांध की 192.00, हमीरपुर बांध की 7.12 एवं अहीर माजरा की 8.00 मिलियन घन फीट पानी की भराव क्षमता है। प्राप्त पानी का विवरण प्रपत्र "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त बांधों के जल आवक क्षेत्र में सामान्य वर्षा होने पर पर्याप्त पानी आता है, अतः किसी योजना की आवश्यकता नहीं है।

प्रपत्र 'अ'

पंचायत समिति बानसूर (अलवर) में सिंचाई विभाग के अधीन बांधों पर गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि रुपये लाखों में)

क्र.सं.	बांध का नाम	गत पांच वर्षों में अनुरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय की गई राशि						गत पांच वर्षों में निर्माण पर व्यय की गई राशि						कुल योग
		96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-01	योग	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-01	योग	
1.	हमीरपुर	—	—	—	—	—	—	0.06	13.24	6.26	0.65	0.25	20.46	20.46
2.	हरसोरा	6.78	1.72	0.19	0.04	—	8.73	—	—	—	—	—	—	8.73
3.	अहीरमाजरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	6.78	1.72	0.19	0.04	—	8.73	0.06	13.24	6.26	0.65	0.25	20.46	29.19

प्रपत्र "ब"

पंचायत समिति बानसूर (अलवर) में स्थित बांधों में आये पानी का विवरण

(पानी एम.सी.एफ.टी. में)

क्र.सं.	बांध का नाम	बांध की कुल भराव क्षमता	विगत पांच वर्षों में बांध में आये पानी की मात्रा				
			96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-2001
1.	हमीरपुर	7.12	निर्माणाधीन	निर्माणाधीन	4.30	शून्य	3.13
2.	हरसोरा	192.00	192.00	190.00	180.00	35.00	45.00
3.	अहीरमाजरा	8.00	तालाब मे पानी आया है परन्तु तालाब में नहर नहीं होने से इन्द्राज नहीं किया गया है।				

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन

355. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग पर प्रति वर्ष कितना व्यय सरकार का होता है? अब तक आयोग ने कितने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं? सरकार ने उक्त प्रतिवेदनों की सिफ़ारिश के क्रियान्वयन पर किस स्तर पर कब-कब बैठक कर विचार किया और कितनी सिफारिशें लागू की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन नहीं होने पर आयोग के अध्यक्ष ने पत्र लिखकर व सार्वजनिक रूप से नाराजगी व्यक्त की है? क्या सरकार आयोग की सिफ़ारिशों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) (क) प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक एफ.2 (1) प्र.सु./सम./अनु.1/99 दिनांक 11.5.99 को किया गया था। (परिशिष्ट-1) आयोग पर वर्ष 1999-2000 में रुपये 7,84,787/- एवं वर्ष 2000-2001 में रु. 19,53,367/- का व्यय हुआ है। व्यय से सम्बन्धित मदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(ख) आयोग ने अब तक निम्नांकित प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये हैं :

1. पंजीयन एवं मुद्रांक।
2. भूमि एवं भवन कर, गृह कर, शहरी जमाबन्दी पर कर तथा शहरी जमाबन्दी का निर्धारण।
3. राजस्व प्रशासन।

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

4. राज्य सिविल सेवकों के लिए स्थानान्तरण नीति।

5. जन अभाव अभियोग निराकरण।

6. राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर प्रतिवेदन।

7. पुलिस प्रशासन।

8. पंचायती राज संस्था।

9. राजकीय वाहनों से संबंधित।

10. आदर्श स्थानान्तरण नीति।

(ग) मंत्रिमण्डलीय उप समिति के स्तर पर आयोग से प्राप्त सुझावों पर विचार किया जा रहा है। इस समिति की अब तक 3 बैठकें क्रमशः 25.10.2000 16.1.2001 एवं 7.3.2001 को हो चुकी हैं। मंत्रिमण्डल उप समिति द्वारा सुझावों पर विचार किया जा रहा है। मंत्रिमण्डल समिति के निर्णयों की प्रतियां परिशिष्ट-3, 4 एवं 5 पर संलग्न हैं।

(2) जी, नहीं। यह सही नहीं है। आयोग के अध्यक्ष से एक पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रतिवेदनों पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु से मंत्रिमण्डल स्तर पर एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति बना कर उसके स्तर पर कार्यवाही कराने का सुझाव दिया गया था। सरकार ने आयोग के अध्यक्ष के सुझाव को मानते हुये मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन कर दिया है, जिसके माध्यम से आयोग से प्राप्त प्रतिवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है।

'Annexure-I'

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of Administrative Reforms

No. F.2(1)AR/Gr.I/99 Jaipur, May 1, 1999

ORDER

The State Government hereby constitutes an Administrative Reforms Commission to examine the public administration in the State and to make recommendations for reforms, reorientation and reorganisation where necessary.

2. The Commission shall consist of the following :

i)	Shri Shiv Charan Mathur	Chairman
ii)	Shri G.S. Bapna, Advocate	Member
iii)	Shri Bhagirath Sharma, IAS (Retd.)	Member
iv)	Principal Secretary, Administrative reforms departnment, Government of Rajasthan.	Membr Secretary

3. The Commission may invite any person for assisting the Commission.

4. The Commission will make its recommendations for ensuring highest standards of efficiency and integrity in public services and in particular suggest measures for :

i) Restructuring the administration with a view to ensuring speedy and efficency disposal of administrative work;

ii) Streamlining procedures, rules and regulations with a view to simplifying Government systems and promoting transparency;

iii) Effecting economy and reducing administrative costs;

iv) improving the system of redressal of public grievances; and

v) Reorienting and inducing attitudinal changes making the administration more accountable and responsive to the needs of the people.

5. The commission may submit its interim/part reports from time to time and the final report shall be furnished by 31.3.2000.

Sd/-
(Arun Kumar)
Chief Secretary

परिशिष्ट "2"

राजस्थान सरकार

कार्मिक (ग-1) विभाग

विषय :— तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 238/प्र.सु./द्वारा श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा।

सन्दर्भ :— अशा.टीप संख्या 23(1)प्र/सु/1/2001 दिनांक निल।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रश्न संख्या 238/प्र.सु. द्वारा श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राज. विधान सभा द्वारा पूछे गये प्रश्न के बिन्दु संख्या 1 में आयोग पर प्रतिवर्ष व्यय की सूचना निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001
1	वेतन आदि	6,18,415/-	16,01,823/-
2	टेलीफोन	65,239/-	1,31,480/-
3	यात्रा व्यय	38932/-	12,257/-
4	अल्पाहार	2,701/-	7,944/-
5	कंवेंस मानदेय आदि	59,500	1,99,863/-
योग		**7,84,787/-**	**19,53,367/-**

ह० /-
सहायक शासन सचिव

परिशिष्ट "3"

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डलीय समिति संख्या-8

(प्रशासनिक सुधार से संबंधित मंत्रिमण्डलीय उप समिति)

की

आज्ञा

1/2000

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या प. 15(6) प्रसु. एवं सम/ग्रुप-1/2000 दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 में अंकित प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त प्रतिवेदनों की क्रियान्विति के प्रगति विवरण के संबंध में निम्न निर्णय लिये गये :

(अ) राजस्व विभाग द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग की राजस्व प्रशासन से संबंधित समस्त सिफारिशों पर राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंत्री के स्तर पर निर्णय कराया जावे तथा प्रत्येक बिन्दु पर स्थिति मंत्रिमण्डल की उप समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।

(ब) पंजीयन एवं मुद्रांक के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर वित्त विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग द्वारा सिफारिशों के सभी बिन्दुओं पर विभागीय मत से उप समिति को अवगत कराया जावे।

(स) समिति की आगामी बैठक में प्रशासनिक सुधार आयोग की "भूमि एवं भवन कर, गृह कर, शहरी सम्पत्तियों पर कर व शहरी सम्पत्तियों का निर्धारण" के बाबत प्राप्त प्रतिवेदन पर चर्चा की जावे। इस बैठक में स्वायत्त शासन मंत्रीजी को भी आमंत्रित किया जावे।

(द) यह भी निर्णय लिया गया कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन के प्रत्येक बिन्दु पर विभागीय राय अंकित करते हुये प्रकरण समीक्षा हेतु समिति के समक्ष रखा जावे।

ह०/-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव
21 अक्टूबर, 2000

परिशिष्ट "4"

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल समिति संख्या-8

(प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय समिति)

की

आज्ञा

1/2001

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या प.15(6) प्र.सु. एवं सम/ग्रुप-I/2000 दिनांक 21 अक्टूबर, 2000 में अंकित प्रशासनिक सुधार आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या-3 "भूमि एवं भवन कर, गृह कर, शहरी सम्पत्तियों पर कर व शहरी सम्पत्तियों का निर्धारण" संबंधी प्रतिवेदन पर प्रशासनिक सुधार एवं नगरीय विकास विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि उक्त टिप्पणियों को पुनः विचार-विमर्श हेतु उप समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे तथा इस बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को विशेष रूप से आमंत्रित किया जावे।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आयोग से प्राप्त 6 प्रतिवेदनों के शेष 5 बिन्दुओं पर प्राप्त विभागीय राय को सभी सदस्यों को वितरण किया जावे ताकि आगामी बैठक में उनकी समीक्षा व निर्णय लिया जा सके।

ह०/-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव
23 जनवरी, 2001

परिशिष्ट "5(1)"

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल समिति संख्या-8

(प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित समिति)

की

आज्ञा

2/2001

दिनांक 7 मार्च, 2001 को हुई मंत्रिमण्डलीय समिति संख्या-8 की बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन संख्या 15(9)ऊर्जा/2000 दिनांक 15 जनवरी, 2001 पर विचार-विमर्श कर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा ऊर्जा क्षेत्र सुधार के संबंध में की गई सिफारिशों पर ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त ज्ञापन में अंकित प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। स्वीकार की गई सिफारिशों पर ऊर्जा विभाग कार्य योजना (Action Plan) अपने प्रस्तावों में सम्मिलित करें।

ह०/-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव
14 मार्च, 2001

परिशिष्ट "5(2)"

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल समिति संख्या-8

(प्रशासनिक सुधार से सम्बन्धित मंत्रिमण्डलीय समिति)

की

आज्ञा

3/2001

दिनांक 7 मार्च, 2001 को हुई मंत्रिमण्डलीय समिति संख्या-8 की बैठक में "भूमि एवं भवन कर, गृह कर, शहरी सम्पत्तियों पर कर व शहरी सम्पत्तियों का निर्धारण" संबंधी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि उक्त टिप्पणियों पर समिति की आगामी बैठक में पुनः विचार-विमर्श कर अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

ह०/-
(इन्द्रजीत खन्ना)
मुख्य सचिव
11 मार्च, 2001

राज्य कर्मियों को चयनित वेतनमान

356. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य कर्मचारियों को 9, 18, 27 एवं 10, 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिया जाने वाला चयनित वेतनमान उनकी बकाया पदोन्नति के ऐवज में दिया जाता है? यदि हां, तो क्या पदोन्नति की प्रक्रिया हेतु अपनाये जाने वाले नियमों का अनुसरण किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। पदोन्नति के अवसर उपलब्ध नहीं होने पर भी 9, 18, 27 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान देय है।

जी, हां। चयनित वेतनमान एवं पदोन्नति दोनों के लिए पात्रता एवं पात्रता की जांच प्रक्रिया समान है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-575 के नियम की प्रति)

31 (c) If a Government servant while officiating in a post or holding a temporary post on a time scale of pay is appointed to officiate in a higher post or to hold a higher temporary post his officiating or temporary service in the higher post shall, if he is re-appointed to the lower post or is appointed or re-appointed to a post on the same time-scale of pay count for increments in the time-scale applicable to such lower post. The period of officiating service in the higher post which counts for increment in the lower post is, however, restricted to the period during which the Government servant would have officiated in the lower post but for his appointment to the higher post. This clause applies also to a Government servant who is not actually officiating in the lower post at the time of his appointment to the higher post but who would have so officiated in such lower post or in a post on the same time-scale of pay had he not been appointed to the higher post.

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-578 के नियम की प्रति)

COPY OF RULE 75, RAJASTHAN EXCISE RULES, 1956

75. Location of Shops :

(1) A licencee for the retail sale of Country Liquor, Foreign or Indian Made Foreign Liquor or hemp drugs shall have his shop only at a place approved by the District Excise Officer concerned.

(2) A shop for the retail sale of Country Liquor or Foreign or Indian Made Foreign Liquor shall not be located within a distance of 200 meters of Collegiate Educational Institution, Senior Higher Secondary School, Girls School of any standard Hospital, Place of Worship or Place of Public Entertainment a Factory or Labour or Harijan colony.

(3) A retail shop shall not be shifted from one place to another but if a licencee desires to change already approved location of the shop, same may be allowed by the District Excise Officer concerned on such conditions and fees as determined by the Excise Commissioner

Explanation :

1. For the purpose of sub-rule (2) of Rule 75, the restrictions about the distance of a shop from a "Place of Worship in the cities having a population of more than one lac shall only be applicable in respect of those places of worship entered in the list maintained in the office of the District Excise Officer.

2. Harijan Colony shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to Scheduled Castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that ward.

3. Any shop situated near an Educational Institution other than a College or a Senior Higher Secondary School level institution or Girls School of any standard shall be opened only atleast one hour after the closing time of that Institution.

4. For the purpose of sub-rule (2) of Rule, 75 "Place of Public Entertainment" shall mean. Theatre and Cinema Hall only.

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-579 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सूखे हैण्ड पम्पों के गांवों में अतिरिक्त लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड सं.	हैण्ड पम्पों की सं.
1	2	3	4	5
1.	टोडाभीम	माता सूला	25	1
2.	टोडाभीम	जोधपुरा	27	2
3.	टोडाभीम	पाडली	26	1
4.	टोडाभीम	खिरखरी	28	1
5.	टोडाभीम	मेरेडा	49	3
6.	टोडाभीम	सुजानपुरा	40	1
7.	टोडाभीम	जैसनी	47	1
8.	टोडाभीम	माचड़ी	71	3

1	2	3	4	5
20.	नादौती	झिरावड़ा	73	1
21.	नादौती	गढखेड़ा	78	2
22.	नादौती	धोलेटा	10	1
23.	नादौती	भांवरा	26	2
24.	नादौती	बाड़ा	8	1
25.	नादौती	गांवड़ी	72	1
26.	टोडाभीम	शहरी क्षेत्र	—	2
			योग	**40**

ह०/—
सहायक अभियन्ता
जन स्वा. अभि. विभाग उपखण्ड
टोडाभीम

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-580 का विवरण)

दिसम्बर, 2000 तक विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित ग्राम

(मुख्य हेबीटेशन)

क्र. सं.	जिला	1991 की जनगणना अनुसार ग्रामों की संख्या	विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या					कुल लाभान्वित ग्रामों की संख्या
			पाइप्ड /पी एण्ड टी योजनाएं	हैण्ड पम्प योजनाएं	क्षेत्रीय योजनाएं	टी.एस.एस./ जे. जे. वाई	डिग्गी व अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अजमेर	985	133	788	47	17	0	985
2.	अलवर	1946	153	1588	93	105	0	1939
3.	बांसवाड़ा	1431	22	1328	50	31	0	1431
4.	बारां	1070	18	1043	5	2	0	1068
5.	बाड़मेर	1625	162	50	1318	8	39	1577

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	हनुमानगढ़	1700	225	503	835	0	39	1602
17.	जयपुर	2131	189	1716	201	21	0	2127
18.	जैसलमेर	518	19	94	368	2	25	508
19.	जालौर	665	93	0	570	2	0	665
20.	झालावाड़	1448	30	1407	8	0	0	1445
21.	झुन्झुनूं	824	110	72	205	437	0	824
22.	जोधपुर	860	264	44	519	26	0	853
23.	करौली	750	33	571	101	41	0	746
24.	कोटा	811	21	776	8	2	0	807
25.	नागौर	1374	345	63	740	223	2	1373
26.	पाली	904	175	278	364	87	0	904
27.	राजसमंद	944	80	804	31	29	0	944
28.	सीकर	931	91	237	65	528	2	923

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-585 का विवरण)

निविदादाता का नाम

	मैसर्स प्रहलाद चौधरी काबेरिया	मैसर्स सुरभी कंस्ट्रक्शन केकड़ी	मैसर्स कुलदीप कुमार भट्ट सरवाड़	मैसर्स श्याम सुन्दर गर्ग अजमेर	मैसर्स रघुवीर सिंह राठौड़ चम्पापुर
एक वर्ष	9,60,000/-	8,96,000/-	9,98,000/-	9,24,000/-	10,50,000/-
दो वर्ष	10% अधिक	11% अधिक	4.99% अधिक	15% अधिक	5% अधिक
तीन वर्ष	20% अधिक	19% अधिक	7.99% अधिक	20% अधिक	10% अधिक

निविदादाता का नाम

	मै. अलादीन क. सरवाड़	मै. एम. आई. कन. मेड़तासिटी	मै. रतन कन. एण्ड	मै. रमेश चन्द्र विष्णु	मै. एस.डी.कन.

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-587 की सूची)

सूची ग्रामवार चरागाह/सिवायचक रकबा हैक्टेयर तहसील-बहरोड

क्र.सं.	नाम ग्राम	चरागाह	सिवायचक	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	जलालपुर गूंती	33.27	4.10	
2.	नालौवा	22.15	13.54	
3.	काका छाजा	7.29	0.43	
4.	शेरपुर	0.80	1.49	
5.	शिमला	65.51	0.61	
6.	श्यामपुर	18.05	1.29	
7.	गोकलपुर	7.56	0.83	
8.	खेड़की	—	0.86	
9.	जैनपुरवास	39.70	96.67	
10.	पहाड़ी	19.46	7.55	
11.	मांचल	6.96	1.35	
12.	कांकर दौपा	1.38	0.90	

1	2	3	4	5
21.	भूपसेड़ा	12.75	0.25	
22.	बर्डोद	6.12	17.18	
23.	काटोड़ा	26.21	28.73	
24.	किर्तिसिंहपुरा	38.73	1.20	
25.	टिस	9.20	1.65	
26.	अजमेरीपुरी	0.86	1.17	
27.	नालपुर	7.44	4.68	
28.	जागूवास	4.73	0.35	
29.	राहनागलियां	0.74	1.50	
30.	तलवाड़	2.34	3.88	
31.	मौहम्मन्तपुर	22.41	0.91	
32.	सरबींदपुरा	7.06	1.10	
33.	गूजरवास	—	9.77	
34.	मौसमपुर	15.30	11.39	

सूची ग्रामवार चरागाह/सिवायचक रकबा हैक्टेयर तहसील बानसूर

क्र.सं.	नाम ग्राम	चरागाह	सिवायचक (है.)
1	2	3	4
1.	बानसूर	6	103
2.	बाठठेगूवास	—	59
3.	बाठभावसिंह	8	29
4.	बाठ पिरोहित	—	2
5.	बाठ घूंघला	15	18
6.	गिरूडी	10	43
7.	इन्द्राड़ा	75	56
8.	मंडीजा बसई	30	15
9.	होलावास	9	46
10.	बासना	63	31
11.	बिलाट	28	24
12.	लेकडी	27	42
13.	बिसालवा	20	28
14.	अणतपुरा	2	9
15.	टोडियाकाबास	28	21
16.	घाट	23	59
17.	बालावास	5	21
18.	उधोकाबास	—	10
19.	रतनपुरा	25	26
20.	महनपुर	203	67

1	2	3	4
32.	माजराठाकोड़ा	24	58
33.	छाबडीवास	—	7
34.	खटोटी	36	37
35.	मुगलपुर	35	33
36.	बबेडी	10	112
37.	भेडीवास	4	4
38.	डांगीवास	10	56
39.	बसईचौहान	4	7
40.	ईशराकाबास	25	17
41.	नांगललाखा	13	213
42.	मोरोड़ी	62	97
43.	ऊखलहेड़ा	42	146
44.	परसाकाबास	45	114
45.	कोठियां	30	9
46.	हरसौरा	71	98
47.	धीरपुर	36	116
48.	देवसन	4	17
49.	भग्गूकाबास	—	14
50.	रायसी	—	5

1	2	3	4
66.	बावलीकाबास	5	25
67.	हाजीपुर	76	285
68.	मूण्डली	56	42
69.	धामलाकाबास	17	21
70.	हमीरपुर	124	298
71.	छीड	122	246
72.	चूला	43	74
73.	गुवाड़ा	46	380
74.	रघुनाथपुरा	24	16
75.	कटारियाकाबास	2	77
76.	मुकन्दपुरा	4	29
77.	कल्याणनगर	44	20
78.	मांठा	—	27
79.	बहरामकाबास	1	45
80.	बलवाकाबास	—	20
81.	मंगलवा	6	29
82.	कालीपहाड़ी	22	17
83.	गुढाभांखरवाला	1	31
84.	रामपुर	64	314
85.	कल्याणपुरा	16	48
86.	नाथूसर	36	87
87.	भूपसेड़ा	59	87
88.	कांजीपुरा	3	11
89.	बूचीयावास	—	9

1	2	3	4
100.	खरखड़ीखुर्द	12	12
101.	कूल	5	10
102.	बुर्जा	—	104
103.	बासड़ी	4	16
104.	कराणा	34	113
105.	मांडली	57	80
106.	चैनपुरा	22	10
107.	तुराना	164	173
108.	नयाबास	56	30
109.	लालपुरा	16	14
110.	कूण्ड़ली	31	52
111.	बिलाली	51	78
112.	बडागांव	80	115
113.	जैतपुर	2	14
114.	चतरपुरा	—	30
115.	पृथ्वीपुरा	—	32
116.	बासनरबद	—	18
117.	नीमूचाणा	205	545
118.	बासशेखावत	49	27
119.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-589 की सूची)

पटवार क्षेत्र किथूर ग्राम नांगलहीरा तहसील अलवर के आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 1.06 हैक्टेयर में से 0.69 हैक्टेयर में कच्चे/पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण की सूची निम्नप्रकार है :

क्रम संख्या	अतिक्रमी का नाम मय वल्दियत	विशेष विवरण
1	2	3
1.	श्रीया पुत्र श्री बहादुर जाटव	72 वर्गमीटर
2.	बाबू लाल पुत्र श्री बहादुर जाटव	32 वर्गमीटर
3.	पन्ना लाल पुत्र गोपाल जाटव	288 वर्गमीटर
4.	आसीन खां पुत्र श्री निजरू मेव	182 वर्गमीटर
5.	सुमेर खां पुत्र निजरू मेव	336 वर्गमीटर
6.	अशरफ पुत्र श्री निजरू मेव	336 वर्गमीटर
7.	सोनी पुत्र पांचा	180 वर्गमीटर
8.	कुन्दन पुत्र बहादुर जाटव	195 वर्गमीटर
9.	किशोरी पुत्र श्री चुन्नी लाल जाटव	104 वर्गमीटर

1	2	3
16.	सुरेश पुत्र पन्नी लाल जाटव	30 वर्गमीटर
17.	बने सिंह पुत्र नत्थन जाटव	100 वर्गमीटर
18.	बिरमा बेवा बसन्ता जाटव	78 वर्गमीटर
19.	रामलाल, रघुवीर, धर्मवीर पुत्रान चुन्ना जाटव	91 वर्गमीटर
20.	शिवलाल पुत्र हरला जाटव	169 वर्गमीटर
21.	रामकिशन पुत्र श्री गोपाल जाटव	169 वर्गमीटर
22.	भूरमल पुत्र श्री मंगला जाटव	169 वर्गमीटर
23.	कजोड़ाराम पुत्र टैनीराम जाटव	25 वर्गमीटर
24.	किरोड़ी राम पुत्र टैनीराम जाटव	25 वर्गमीटर
25.	सुब्बाराम पुत्र टैनीराम जाटव	25 वर्गमीटर
26.	कन्हैया लाल पुत्र ख्यालीराम जाटव	169 वर्गमीटर
27.	श्रवण पुत्र श्री मंगला जाटव	169 वर्गमीटर

1	2	3
36.	किशना पुत्र भैंडाराम जाटव	273 वर्गमीटर
37.	कन्हैया पुत्र ख्यालीराम जाटव	84 वर्गमीटर
38.	लीला पुत्र ख्यालीराम जाटव	84 वर्गमीटर
39.	बद्री प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाटव	105 वर्गमीटर
40.	चिरंजी लाल पुत्र बम्बूराम जाटव	120 वर्गमीटर
41.	छुट्टन राम पुत्र बब्बूराम जाटव	120 वर्गमीटर
42.	बदरी, लीलाराम पुत्रान ख्याली	120 वर्गमीटर
43.	नन्नूराम पुत्र बम्बूराम जाटव	72 वर्गमीटर
44.	चुन्नी लाल पुत्र लीलाराम जाटव	54 वर्गमीटर
45.	मोहन लाल पुत्र लीलाराम जाटव	72 वर्गमीटर
46.	ग्यारसा पुत्र धनीराम जाटव	180 वर्गमीटर
47.	खड्डी, जुम्मा, मंगल पुत्रान छाज्याराम	132 वर्गमीटर
48.	जुम्मा पुत्र मूसाराम जाटव	96 वर्गमीटर

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-591 की सूची)

परिशिष्ट "क"

सूची वारिसान श्रीमती सुशील कंवर पत्नी श्री राव राजा राजेन्द्र सिंह राजपूत
निवासी उनियारा, जिला-टोंक (राजस्थान)

1.	श्री राव राजा राजेन्द्र सिंह	पति
2.	श्री दलपत सिंह	पुत्र
3.	श्रीमती विश्वज्योति	पुत्री

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-594 की सूची)

क्र.सं.	जिले का नाम	ठेकेदारों की संख्या	ठेके श्रमिकों की संख्या
1.	अजमेर	73	1845
2.	अलवर	114	4650
3.	बीकानेर	12	535
4.	भरतपुर	11	335
5.	भीलवाड़ा	23	1615
6.	बांसवाड़ा	18	622
7.	चित्तौड़गढ़	54	2356
8.	श्रीगंगानगर	28	1400
9.	जयपुर	393	13490
10.	जोधपुर	74	3774
11.	कोटा	94	6197
12.	नागौर	10	340
13.	पाली	5	100
14.	सिरोही	8	440
15.	सवाईमाधोपुर	—	—
16.	सीकर	1	30
17.	टोंक	16	370
18.	उदयपुर	78	2669

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-602 का प्रपत्र) **प्रपत्र "अ"**

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सिंचाई वृत्त, भरतपुर, राजस्थान **गोपनीय**

क्रमांक : 2695 दिनांक 8.6.98

श्री भरत कुमार सिंघल,

अधिशाषी अभियंता,

सिंचाई खण्ड, अलवर।

विषय : श्री हरिशचन्द्र शर्मा, पटवारी (सेवा से अनुपस्थित) के आरोप-पत्र एवं आरोप विवरण पत्र के क्रम में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 9314 दिनांक 23.1.98 एवं पत्रांक विधि/1281 दिनांक 19.5.98

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रासंगिक पत्र से श्री हरिशचन्द्र, पटवारी (वर्तमान में सेवा से अनुपस्थित) जो दिनांक 1.5.86 से 11.5.86, 19.5.86 से 23.6.86 एवं 1.7.86 से 31.10.86 तक स्वेच्छा से अनुपस्थित बाबत पत्रांक 158 दिनांक 12.3.87 से आरोप-पत्र/आरोप विवरण पत्र कार्यालय में भेजना दर्शाया है।

आपके द्वारा उक्त प्रकरण पर 11 वर्ष बाद कार्यवाही करने हेतु लिखना आपकी कार्य शैली पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। इतने लम्बे समय बाद उक्त कार्यवाही करना विभाग की छवि को धूमिल करना होगा। अतः आप अविलम्ब वर्णित अनुपस्थित अवधि को उपार्जित अवकाश/अवैतनिक अवकाश से नियमित कर कार्यालय को सूचित करें।

ह०/-

अधीक्षण अभियंता

सिंचाई वृत्त, भरतपुर

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-607 की सूची)

तहसील नगर व कामां (भरतपुर) में कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पशु चिकित्सा संस्था का नाम	पशु चिकि. अधिकारी		पशु. चिकि. सहा.		पशुधन सहा.		सईस		ड्रेसर		जलधारी		सफाईकर्ता	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
तहसील—नगर															
1.	पशु चिकित्सालय, नगर	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—
2.	पशु चिकित्सालय, सीकरी	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
3.	पशु चिकित्सालय, गुलपाड़ा	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
4.	पशु औषधालय, कैथवाड़ा	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पालका	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सिा उपकेन्द्र, सेवल मन्दिर	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, जयश्री	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, जालूकी	—	—	—	—	1	—	1	10/99 से	—	—	—	—	—	—
9	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, गोपालगढ़	—	—	—	—	1	—	1	10/99 से	—	—	—	—	—	—
तहसील—कामां															
1.	पशु चिकित्सालय, कामां	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	8/2000 से	—	—
2.	पशु चिकित्सालय, पहाड़ी	1	—	—	—	1	—	1	3/2001 से	1	4/98 से	1	—	—	—
3.	पशु चिकित्सालय, जुरहड़ा	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7/98 से	1	—
4.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सबलाना	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पीपलखेड़ा	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, पाई	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, ओलन्दा	—	—	—	—	1	—	1	10/99 से	—	—	—	—	—	—
	योग	6	—	4	—	12	—	8	4	2	1	5	2	5	—

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-612 का विवरण)

जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं अरनोद में संचालित विभागीय औषधालयों/चिकित्सालयों को वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 में वितरित की गई औषधियों की राशि एवं वर्ष 1999-2000 में उपचार किए गए रोगियों की वार्षिक संख्या का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधालय	वर्षवार औषध वितरण (रुपयों में)			वार्षिक रोगी संख्या वर्ष 1999-2000		
		1998-99	1999-2000	2000-01	नवीन	पुरातन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
तहसील प्रतापगढ़							
1.	बोरी	6271	3663	7505	5010	6159	11169
2.	असावता	11168	3663	7505	12611	17292	29903
3.	वरमण्डल	6271	3663	7505	3430	1249	4679
4.	गोदोला	6081	3663	7505	4488	3354	7842
5.	सुहागपुरा	6081	3731	7505	5257	3469	8726
6.	बसाड़	6343	3663	7505	4782	3624	8406
7.	खैरोट	6081	3731	7505	5095	4959	10054
8.	बजरंगगढ़	4783	3913	7235	4642	2473	7115
9.	ग्यासपुर	6081	3731	4467	2958	1414	4372
10.	सैलारपुरा	6081	3663	7505	3572	2025	5597
11.	रठान्जना	6343	3663	7505	3345	2193	5538
12.	बरड़िया	6343	3663	7505	2842	1392	4234
13.	धमोतर	5841	3913	4035	3211	2249	5460
14.	अचलपुरा	6081	3731	7505	3987	4028	8015

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	झांसड़ी	6271	3663	7505	4094	3524	7618
16.	पूण्डावा	5841	3912	7235	5133	2740	8473
17.	अमलावद	6081	3731	7505	10591	10102	20693
18.	कुलथाना	4783	3913	7235	2839	2184	5023
19.	अ–श्रेणी प्रतापगढ़	25187	4129	59437	7863	36538	44401
20.	यूनानी प्रतापगढ़	12369	9714	11390	6515	19186	25701
तहसील—अरनोद							
1.	कोटड़ी	5926	3913	7235	2582	2742	5324
2.	झांझली	5926	3913	7235	3315	3694	7009
3.	नौगावा	5926	3913	7235	4152	1936	6088
4.	चूपना	5926	3913	7235	3146	3623	6769
5.	दलोट	5926	3913	7235	3112	3182	6294
6.	सालमगढ़	5926	3913	7235	4877	4217	9094
7.	रायपुर	5926	3913	7235	3257	4911	8168
8.	साकथली	5926	3913	7235	5543	5908	11451
9.	बोरदिया	5926	3913	7235	3702	7501	11203